[redacted]

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 10

शुक्रवार,

दिनांक, 22 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, न्याय, सामान्य प्रशासन, उद्योग, विद्युत् राजस्व, विधि, सहकारिता, पशुपालन, उपनिवेशन, आयुर्वेद, जन-सम्पर्क विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न 296।

केकड़ी तहसील के ग्रामों में ट्यूब वैल

296. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०): क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहां जमीन में अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहां पर सरकार ट्यूब वैल स्कीम चालू कर सकती है ? अगर हां, तो क्या केकड़ी तहसील में पिपलाज, खादेड़ा, मेहरू, सावर, टांकावास, धून्धरी आदि ग्रामों में जहां से खारी व बनास नदियां गुजरती हैं और जहां जमीन में पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है वहां पर सरकार ट्यूब वैल योजना लागू करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार ने उक्त नदियों के आसपास ट्यूब वैल हेतु कभी सर्वे कराया है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में ट्यूब वैल स्कीम लागू करने हेतु सर्वे कराने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, यदि प्लान बजट में इस प्रकार की नलकूप योजनाओं के लिए प्रावधान हो, तो सरकार इनको चालू कर सकती है। केकड़ी तहसील में ग्राम पिपलाज, खादेड़ा, मेहरू, सावर, टांकावास, धून्धरी आदि ग्रामों की भूमि नलकूप निर्माण के उपयुक्त नहीं है।

(2) उपरोक्त गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है।

(3) उपरोक्त ग्राम नलकूपों के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण नलकूप योजना लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवीलाल बुरासिया : इन ग्रामों का सर्वेक्षण कब कराया है और किससे कराया है ?

श्री खेतसिंह : लास्ट ईयर किया गया था। इनका सर्वे नलकूप डिपार्टमेंट की सर्वे टीम ने किया था। उनको उपयुक्त नहीं समझता।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपयुक्त नहीं होने का आधार क्या है ?

श्री खेतसिंह : उपयुक्त नहीं होने का आधार यह है कि जिन्होंने सर्वे किया है उनका कहना है कि हार्ड राक ग्रेनाइट है और नदी के बेसमेंट में ही यह उन्होंने बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि उसमें माइका के ट्रैक्स हैं, जिनमें पानी नहीं होता है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आपने पहले सवाल के जवाब में फर्माया है कि जहां पर उपयुक्त है वहां पर योजना चालू की जा सकती है, तो क्या मंत्री महोदय, यह फर्माने की कृपा आप करेंगे कि राजस्थान के अन्दर कितनी योजनाएं ऐसी चल रही हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है। यदि इसका अलग से प्रश्न पूछें तो आपको जानकारी दे सकता हूं।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि मैंने जो स्थान बताये हैं, वे रेतीले स्थान हैं और नदी के किनारे पर हैं ?

श्री खेतसिंह : जैसा कि मैंने कहा कि यह जो आपका एरिया है उनमें जिन स्थानों में कुए गांवों में खुदे हुए हैं, उनमें बोरिंग करके उनकी पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये वे उपयुक्त हैं, लेकिन नलकूप के लिये एरिया उपयुक्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न 297।

चूरू जिले में पब्लिक नोटेरीज की नियुक्ति

297. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पब्लिक नोटेरीज कहां कहां और कौन कौन नियुक्त हैं ?

(2) क्या चूरू जिले में कोई पब्लिक नोटेरीज की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो वे कौन हैं और उनका हैडक्वार्टर कहां पर है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री मेघराज पंवार : सुनाई नहीं पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा पढ़ दें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। चूरू जिले में श्री जीवनमल जोशी, एडवोकेट नोटरी पब्लिक हैं। उनका हैड क्वार्टर सुजानगढ़ में है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री लाभचन्द बैंद (सुजानगढ़) : क्या आप उचित नहीं समझती हैं कि चूरू में ज्यादा जरूरत है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सुनाई नहीं दिया।

श्री लाभचन्द बेद : चूरू जिले के हैड क्वार्टर पर उसका रहना उचित नहीं समझती क्या और यहां पर रखना उचित समझती हैं क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां पर उचित समझा है वहां पर रखा गया है।

श्री लाभचन्द बेद : कबसे रखा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : सुजानगढ़ में किन कारणों से उचित समझा गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वर्क के प्रोपोर्शन को देखकर होता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सुजानगढ़ में कौन सा कारण है ? वहां पर क्या काम है ?.

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नोटरी पब्लिक का जो काम है वह वहां पर उपलब्ध होगा।

श्री दौलतराम सारण : हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा काम ऐसा है, जिसकी वजह से सुजानगढ़ में वर्क अधिक है और चूरू में नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वर्क के दृष्टिकोण से ही रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि इसका अलग काम है। जो काम हैं नोटरी पब्लिक का वही काम है वहां।

श्री दौलतराम सारण : स्टेटमेंट हो तो बता दें कम्पेरेटिवली।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नोटिस मिलता तो मैं दे देती आपको।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि चूरू में भी आपने अभी नियुक्ति कर दी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालसिंह सोढा, 298। श्री भीमसेन।

पैट्रोल व गैस का सर्वेक्षण

298. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोल व गैस के सर्वेक्षण के समय जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गैस उपलब्ध हुए हैं जो कि पूरे राजस्थान के लिए पर्याप्त हो सकती है ? अगर हां, तो राजस्थान सरकार ने इसके उपयोग के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं ? अगर नहीं बनाईं हैं तो इसके क्या कारण ह ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की कोई योजना नहीं होने के कारण पेट्रोल व गैस विभाग अपना कार्य बन्द कर जाने की सोच रहा है ? अगर हां, तो भविष्य में इस कार्य को आरम्भ रखने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पैट्रोल व गैस के कार्य को चालू रखने के लिए कोई कार्यवाही की है ? अगर हां, तो वह कार्यवाही क्या है और कब कब की गई ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई-सु०): फिर आप क्यों उठते हैं, फिर आप क्यों खड़े हैं ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : मंत्री महोदय ने फर्माया कि प्रश्न नहीं उठता। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजस्थान के अन्दर किसी कम्पनी ने पैट्रोल और आइल के लिए कोई कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : प्रयत्न किया गया है और 390 मीटर तक एक्स्प्लोरेशन हुआ है। जो इस प्रश्न में कहा गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में गैस और पैट्रोल मिला तो यह खबर तो निश्चय आपकी गलत है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि कितनी मात्रा में किस जगह पर कितना आइल और गैस मिला है, यह रिपोर्ट में बताया है ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने प्रश्न इस तरह से पूछा है कि जैसे कि एक्स-पेरीमेंटल ट्यूब वैल आर्गेनाइजेशन पानी के लिए एक्स्प्लोर करते हैं कि कितने गैलन का पानी मिलेगा इस तरह से कितने गैलन आइल मिला, कितनी मात्रा में गैस मिली या क्या हुआ इसमें नहीं किया जाता है। इसमें तो यह देखा जाता है कि क्या वहां पर स्ट्रक होती हैं कि नहीं। एक्स्प्लोरेशन में यही किया जाता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मंत्री महोदय तो टेक्निशियन्स हैं, मैं तो टेक्निशियन नहीं हूं, लेकिन माननीय मंत्रीजी यह तो बता सकते हैं कि किसी भी कम्पनी ने सर्वे में क्वान्टिटी निर्धारित नहीं की, तो कैसे यह तय कर सकते हैं कि क्या मात्रा है और कितना सप्लाई हो सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जैसलमेर में कुछ क्षेत्रों में 490 मीटर तक एक्स्प्लोर किया गया था किन्तु रिपोर्ट्स उसकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होने के कारण हमें यह बतलाया गया है कि उसका काम लगभग बन्द किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालसिंह सोढा : एक प्रश्न और है कि क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि क्या इस कार्य को पूर्ण रूप से वापस किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : यह पब्लिश नहीं किये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 299

श्री भैरोंसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 300

श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री महेन्द्र कुमार।

Page No 5

आसपुर-सागवाड़ा बिजली लाइन

301. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आसपुर से सागवाड़ा जो बिजली की लाइन गई है उसके खम्बे किन-किन गांवों के बीच में होकर गुजरे हैं ?

(2) क्या मांडव गांव की पाल की खानों को बिजली देने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वहां कहां से कब तक बिजली पहुंचाई जायेगी ?

(3) केशरियाजी, खैरवाड़ा से डूंगरपुर बिजली लाकर मांडव की पाल देने में कितना व्यय होगा व आसपुर-सागवाड़ा लाइन से लेने पर कितना ?

(4) क्या यह भी सही है कि डूंगरपुर जिले में कई ग्राम स्थान ऐसे हैं जहां से बिजली की लाइन होकर निकली व किसानों ने बिजली की मोटरें भी लगा ली हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विद्युत विभाग में किस किस किसान की दरख्वास्त कब कब से पड़ी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिह): (1) आसपुर से सागवाड़ा 33 के० वी० लाइन बरोडा, पुन्जपुरा, कटीसे पाडल, नया गांव बड़ावा, गवाड़ा आदि गांवों मे होकर सागवाड़ा पहुंची है ।

(2) जी नहीं, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

(3) योजना बनने पर ही निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है । जो अभी तैयार नहीं है ।

(4) जी हां । जिन जिन गांवों का विद्युतिकरण नहीं हुआ है वहां कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं । जिन गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है उन ग्रामों में कनेक्शन दिये जा रहे हैं । ऐसे ग्रामों में जो विचाराधीन प्रार्थना-पत्र हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जैसा कि आपने बतलाया कि जिन गांवों के बगल में होकर बिजली जाती है, ऐसा कानून नहीं हुआ है कि उन गांवों को बिजली नहीं दी जाये । क्या राज्य सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि 11 के० वी० लाइन जो टेप की जा सकती है, उनको दे दी जाये ।

श्री खेतसिंह : यह 33 के० वी० लाइन का प्रश्न था । जिन गांवों का विद्युतिकरण नहीं किया गया है, उनके लिए यह दो मील तक कर दी जाये ।

श्री रामकिशन : दो मील का मतलब क्या है ? लम्बा, चौड़ा या इधर उधर ?

श्री खेतसिंह : दो मील के रेडियस से मतलब है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या 33 के०वी० लाइन बीच में टेप कर देते हैं ?

श्री खेतसिंह : अलग से क्वेश्चन पूछेंगे तो उत्तर दे दूंगा ।

श्री महेन्द्र कुमार : जिन गांवों के अन्दर होकर बिजली गई है फिर भी उनको बिजली नहीं मिल रही है इसका क्या कारण है ?

(श्री महेन्द्र कुमार)

डूंगरपुर से आप बिजली ले जायेंगे जबकि वह 18 मील दूर है। आप 18 मील दूर से ले जायेंगे ।

श्री खेतसिंह : पहला क्वेश्चन 33 के० वी० लाइन का था। इसलिए अभी इन गांवों का विद्युतिकरण करना मुश्किल है। जावर माइन को जो बिजली दी जाएगी, वह खासतौर से रिखबदेवजी गांव के पास से जाएगी ।

श्री महेन्द्र कुमार : यह बिजली कब तक मिल जाएगी ?

श्री खेतसिंह : मैंने यह कहा है कि सर्वे हो चुका है।

श्री महेन्द्र कुमार : लास्ट असेम्बली में यह उत्तर दिया गया था कि कम्प्लीट कर दिया गया ।

जो सागवाड़ा लाइन गई है वह वहां से 6 मील है। जब डूंगरपुर से 18 मील होगा। यह दुगना खर्चा क्यों कर रही है, सरकार ?

श्री खेतसिंह : बीच में जो गांव आ रहे हैं उनमें कृषि की ज्यादा गुंजाइश होगी। कम से कम कैंच करने की जरूरत है।

श्री जुझारसिंह : मैं एक जानकारी चाहता था जो प्रोडक्टिव लाइन है, उसके सिलसिले में नाथी-पड़ाड़ता लाइन कही जाती हैं, उसकी यूटिलिटी क्या थी ? 5 मील में 21 लाख लगाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री महेन्द्रसिंह ।

नायब तहसील, इन्द्रगढ़ के ग्रामों को बिजली

302. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील, इन्द्रगढ़ के पंचायत क्षेत्र बलबन, नवलपुरा, दौलतपुरा एवं चान्दा के ग्रामों के कुओं पर बिजली देने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां की पंचायत समिति एवं जिला परिषद, कोटा ने उक्त क्षेत्र के व्यक्तियों के कुओं पर शीघ्र बिजली दी जाने हेतु निवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष उक्त क्षेत्र को राज्य सरकार बिजली सप्लाई कर देगी ?

उप मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह): (1) जी नहीं।

(2) निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है, जी नहीं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को उसकी सूचना सही नहीं मिली है ।

क्या यह सही है कि आपके विभाग के कुछ अधिकारीगण, पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी का बिजली लगाने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो अप्लीकेशन प्राप्त हुई है, वह यह है—

"No application from Zila Parishad appears to have been received for these villages".

(श्री खेतसिंह)

यानि विभाग के पास पंचायत समिति और जिला परिषद की तरफ से जिलास्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में बिजली लगनी चाहिए, इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाते हैं ?

श्री खेतसिंह : पहले प्रश्न का जवाब यह है कि न तो पंचायत समिति की तरफ से लिस्ट आयी है और न जिला परिषद् की तरफ से कलेक्टर साहब ने भेजी है। इसमें आपके उन गांवों के नाम नहीं हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि वहां के विभाग ने यह मांग की है ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग आयी होती। प्रार्थना-पत्र आया होता तो मैं जवाब दे देता। विद्युत् मन्त्री के पास कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। प्रश्न-कर्त्ता।

श्री महेन्द्रसिंह : यह विद्युत् मंत्री के पास नहीं आया है। विद्युत् विभाग को पंचायत की ओर से भेजा गया है।

श्री खेतसिंह : आपके पास कोई रसीद हो तो जानकारी कर लेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : यह जिन गांवों में नहीं दी है, उनमें काम में आ सकती है, इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया ?

श्री खेतसिंह : निर्णय की जरूरत नहीं है। पानी किसानों को देते हैं। इरींगेशन के परपज में बिजली देते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : वह आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं परिस्थिति बता रहा हूं। आप कुओं में पानी का सर्वे करवायेंगे ?

श्री खेतसिंह : बिल्कुल करायेंगे। आप जल्दी चाहते हैं तो प्रार्थना-पत्र लिख दें।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हो जायगा।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि 323 कुए ऐसे हैं, अगर सरकार बिजली की सप्लाई करती तो 4 लाख एकड़ में सिंचाई की जा सकती है।

श्री खेतसिंह : हमारे पास जानकारी नहीं है। आप प्रार्थना-पत्र में डिटेल्स लिखकर दे दीजिए, तो मैं विभाग के पास भेज कर सर्वे करा लूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वह छोटे छोटे गांव हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी कराना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आपने फर्मा दिया।

श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द बाफना : यह जानना चाहता था कि दो साल से जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं, उनको दे दी जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री परसराम गंगाराम !

गोचर भूमि का एलॉटमेंट

303. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जो भूमि कलेक्टर, नागौर ने अपने आदेश द्वारा ग्राम पंचायत, मायापुरा, तहसील परबतसर को सुपुर्द कर दी थी और जिसका चार्ज सरपंच मायापुरा ने ले लिया था उसमें से भूमि एलॉट करदी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बंवाल की जनता तहसीलदार परबतसर के पास गोचर भूमि कम होने के कारण गई थी और तहसीलदार व एस० डी० ओ०, परबतसर ने अपनी सिफारिश कलेक्टर को भेजी जिस पर कलेक्टर ने आदेश दे दिये कि यह जमीन गोचर को दे दी जाय और इसमें से किसी तरह का एलॉटमेंट नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ महीनों बाद ए० डी० एम०, नागौर ने श्री समन खां पुत्र नाथू खां को सात बीघा गोचर भूमि में से एलॉट करदी ?

(4) यदि हां, तो क्यों तथा सात बीघा जमीन का जो एलॉटमेंट किया है उसको रद्द करने का विचार सरकार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि ए० डी० एम० के एलॉटमेंट के ऑर्डर की तामील नहीं हुई क्योंकि तहसील में स्पष्टीकरण मांगा है कि कलेक्टर के पहले के आदेश को गोचर भूमि में एलॉटमेंट के माने जायें या अभी कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध भूमि ए० डी० एम० ने एलॉट की उसे माना जाय या एलॉटमेंट कमेटी का ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) यह सही है कि ग्राम बंवाल की जनता की प्रार्थना-पत्र उस गांव के खसरा नं० 194 की भूमि....

श्री परसराम गंगाराम : सुनने में नहीं आता। धीरे बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलिये।

श्री गंगाराम चौधरी : (1) जी नहीं।

(2) यह सही है कि ग्राम बंवाल की जनता की प्रार्थना-पत्र उस गांव के खसरा नं० 194 की भूमि गोचर घोषित करदी गई।

(3) यह सही नहीं है।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री परसराम गंगाराम : क्या एस० डी० ओ० को अख्तियार हैं, एलॉटमेंट करने के ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आवंटन का अधिकार नियमों के अन्तर्गत तहसीलदार को है लेकिन एस० डी० ओ० को तहसीलदार की सारी इनहैरेन्ट पावर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री परसराम गंगाराम : क्या एलॉटमेंट कमेटी के सामने यह केस रखा गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने, माननीय सदस्य, पूरे उत्तर को सुना नहीं उन्होंने ना में जवाब दिया है। ऐसा कोई आवंटन नहीं किया है—उन्होंने यह कहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है...

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि आवंटन कमेटी की मीटिंग बुलाये बगैर तहसीलदार अपने आप एलॉटमेंट कर देता है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं है। एलॉटमेंट से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : जनरल क्वेश्चन से संबन्धित है।

श्री लाभचन्द वैद !

बिजली उपभोक्ताओं के बिलों का रुपया

304. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि अगस्त 68 में सरदारशहर के बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों का रुपया संबंधित कोषाध्यक्ष से हड़प करली गई और शोर होने पर चार मास बाद राशि उच्चाधिकारियों के परामर्श से जमा की जाकर गबन के केस को दबा दिया गया ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हुई ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लाभचन्द वैद : क्या माह सितम्बर, 68 में सरदारशहर में बिजली के बिलों की राशि कोष में जमा हुई है ?

श्री खेतसिंह : ऐसा है, रसीद बुक नं० 4332 थी, उसको उन्होंने उपयोग में नहीं लिया, और उपयोग में नहीं लेने का कारण यह था कि वह रसीद बुक सर्टिफाइड नहीं थी, उसमें से चार पांच रसीदें निकली हुई थीं, उसको उपयोग में नहीं लिया। इस संबंध में एक्स० ई० एन० ने ए० ई० एन० से जांच करवाई, उसने जांच की उसमें पाया गया कि इसमें रसीद कम थी इसलिये उसको उपयोग में नहीं लिया। इसलिये गबन का प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता है।

श्री लाभचन्द वैद : रुपया कोष में जमा नहीं हुआ तो किसके पास रहा ?

श्री खेतसिंह : इस रसीद बुक से कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। अगर आपके पास किसी उपभोक्ता की कोई रसीद है इस रसीद बुक की तो आप पेश कीजिए, उसकी तुरन्त जानकारी की जायगी।

श्री लाभचन्द वैद : रुपया कोष में जमा नहीं हुआ तो रुपया कहां गया, यह जानकारी की होगी ?

श्री खेतसिंह : बाकी तो पैसा कोष में जमा हुआ है, इस रसीद बुक का टंटा था, इसलिये इस रसीद बुक का यह सारा केस पुलिस को दे दिया गया है और पुलिस उसकी जांच कर रही है।

Page No 10

श्री लाभचन्द वैद : कब से जांच कर रही है ?

श्री खेतसिंह : यह पुलिस में केस दे दिया गया था 21-1-69 को ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जब राज्य सरकार मानती है, जैसा कि उत्तर दिया है कि किसी प्रकार का कोई गबन नहीं था, केवल रसीद नहीं थी, इस प्रकार का मामला था जिसको आप गबन नहीं मानते तो पुलिस को केस क्यों दिया ?

श्री खेतसिंह : यह बात कहते हैं, ठीक कहते हैं । मैं मानता हूं कि गबन नहीं था, इसलिये गबन नहीं था कि उसने उस रसीद बुक को काम में नहीं लिया, वह रसीद बुक सर्टीफाइड नहीं थी, इसलिये उसको काम में न लेना गबन की परिभाषा में नहीं आता । लेकिन उसमें से चार पांच रसीदें निकली हुई थी, हो सकता है कि वह किसी के पास हों। हमने सारे उपभोक्ताओं से कहा है, सबको जानकारी दी है कि किसी के पास में इस रसीद बक की कोई रसीद पड़ी हुई हो तो वह पेश कर, कोई रसीद पेश करने पर यह गबन सिद्ध हो जायगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पुलिस को केस रेफर किया है यह किसने किया है और रेफर करते समय क्या आरोप लगाये हैं ?

श्री खेतसिंह : यह हमारे महकमें ने किया है, और आरोप यह लगाया है कि पांच छः रसीदें कम हैं, उनकी इन्क्वायरी की जाय और कोई उपभोक्ता पेश करता है तो उसकी जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाय ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ए० ई० एन० ने कागनीजेंस लिया है वह पुलिस को रिपोर्ट सुओ मोटो की थी या कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि हमने पैसा जमा कराया है और हमको रसीद नहीं दी गई है, उसके आधार पर पुलिस को यह केस दिया है ?

श्री खेतसिंह : यह अपने आप किया है, गांव वालों की शिकायतों पर नहीं किया है। ए० ई० एन० ने जिस वक्त जांच की, उसने कहा कि रसीद बुक कहां है, रसीदें काटी हैं वह कहां हैं तो उसने कहा कि मैंने इस रसीद बुक में से रसीद नहीं काटीं क्योंकि इस रसीद बुक में रसीद कम थी ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

बांध गोपालपुरा की डूब में आई भूमि

305. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांध गोपालपुरा की डूब की भमि आडाबाग के किसानों के मुस्तकिल खातेदारी में कायम की जाने की सवाई माधोपुर रेवेन्यू अधिकारी चुपचाप कार्यवाही कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बांध गोपालपुरा (टील नदी बंध) तहसील सवाई माधोपुर के निर्माण के पूर्व इस ग्राम के उस समय के जागीरदार को गांव पीपलवाड़ा, तहसील बोंली, जागीर में दे दिया गया था और तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति का बान्ध गोपालपुरा की डूब की जमीन पर कोई हक नहीं रहता ?

(3) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

उक्त बांध के पेटे की भूमि को काश्त करके सकड़ों भूमिहीन किसान पेट पालते हैं ?

(4) सरकार उक्त बांध के पेटे की भूमि किसी गांव वाले के खाते या गैर खातेदारी में नहीं कायम हो जावे इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) जी हां, किन्तु जो काश्तकार जागीर के समय में इस गांव गोपालपुरा में रहते थे और बन्ध बन जाने के बाद जब हाड़ावास व माहपुरा गांव में आबाद हैं यह लोग जागीर के समय से ही जमीन पर अपना अधिकार बता कर डूब में आने के कारण हक चाहते हैं।

(3) जी हां।

(4) पूर्व गोपालपुरा के चन्द काश्तकारों ने 1-8-67 को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उन्होंने बांध की 2,500 बीघा भूमि पर खातेदारी हक दिय जाने के लिये प्राथना-पत्र दिया है, जिसकी जांच तहसीलदार, सवाई माधोपुर कर रहे हैं। जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही करदी जायगी।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध के पेट में भमिहीनों को जमीन नहीं मिल रही है बल्कि बालाबाला ही लोग साजिश कर रह हैं। सरकार को इस संबंध में सतर्क रहना चाहिए, जहां पर हजारों भूमिहीनों की रोजी रोटी का सवाल है वहां लोग चुपचाप इस पर खातेदारी कायम कर लेते हैं ताकि उन लोगों का अधिकार नहीं रहे। इस बांध के पेटे के लिए एलॉटमेंट कमेटी को बदनामी दी जाती है लेकिन जो भूमिहीन लोगों में नहीं आते हैं वह पहले से ही उस पर काश्त कर लेते हैं और उच्च अधिकारी उनके साथ रहते हैं, वह दफ्तर में बठे बैठे एलॉटमेंट कर देते हैं। मैं राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि इस जमीन का एलॉटमेंट कमेटी के तहत एलॉटमेंट किया जाय और पहले किसी व्यक्ति का उस पर कब्जा नहीं होने दिया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, डूब में आने वाली जमीन के संबंध में दिसम्बर, 1966 में एक परिपत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सुनाई नहीं देता है साहब।

श्री गंगाराम चौधरी : उसमें यह निर्देश दिया गया था कि यदि कोई काश्तकार 1958 से, 13-1-58 से इस प्रकार की भूमि पर काश्त करता था और उसको खातेदार या गैर खातेदार किसी प्रकार के अधिकार यदि प्राप्त थे तो उस काश्तकार का उसी तरह से कब्जा रहने दिया जाय, अन्यथा जो भी पेटे तालाब के आवंटन के नियम हैं उन नियमों के अन्तर्गत आवंटन किया जाय। यह जान पड़ता है कि इस गांव के काश्तकारों ने अपनी कोई हकदारी उस परिपत्र के तहत बताने के लिए तहसीलदार के समक्ष दर्ख्वास्त दी है, और तहसीलदार द्वारा उस परिपत्र को मन्शा के अनुसार काश्तकारों को यह बताया गया कि उनके हकों की जांच कर रहे हैं और वह आवश्यक निर्णय देंगे। अगर उनका कोई अधिकार परिपत्र के तहत नहीं होगा तो इस पेटे तालाब की जमीन का आवंटन

(श्री गंगाराम चौधरी)

उस प्रकार किया जायगा जिस प्रकार नियमों के अन्तर्गत पेटे तालाब के संबंध में प्रावधान है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गैर मुस्तकिल जमीन है, आप विशुद्ध रूप से भूमिहीन लोगों को उसका एलॉटमेंट करने के लिये व्यवस्था नहीं कर सकते ? यह भावना माननीय प्रश्नकर्त्ता की है, इस संबंध में कृपा करके मंत्री महोदय कुछ प्रकाश डालेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, दिनांक 13-1-58 से पहले जो काश्तकार काबिज थे उनका उसी प्रकार से कब्जा रहने दिया जायगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह सुन लिया, वह ठीक है, लेकिन जो गैर मुस्तकिल किसी के नाम नहीं है वह एक्सक्लूजिवली भमिहीनों को एलॉट नहीं करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा है कि नियमों में प्रावधान है कि गैर मुस्तकिल आवंटन भी काश्तकारों को किया जाय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यहां क्या होता है, वह मैं नहीं जानता । लेकिन मैं जयसमन्द का उदाहरण देता हूं, वहां बाला बाला देते हैं और भ्रष्टाचार करके जितनी खातेदारी जोत है उसके लिए जो ज्यादा रिश्वत देता है उसको ही भूमि मिलती है। तो अगर पैसे वाले काश्तकारों को ही भूमि मिले तो मेरे ख्याल में भूमिहीनों को एलॉटमेंट करने की जो भावना है वह कागजों पर ही रह जायगी, केवल भावना मात्र रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रश्नकर्त्ता !

श्री चुन्नीलाल जेलिया : गये सालों में ऐसा हुआ है, एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग बुलाई उसके पहले ही लोगों को कब्जा हो जाता है और जिन लोगों को भूमि मिलनी चाहिए उनको न मिल कर उनको मिल जाती है । मैंने निवेदन कि दफ्तरों में बैठे हुए अधिकारी हिस्सा लेते हैं और उनका कब्जा करा देते हैं । इसमें इस प्रकार धांधलेबाजी होती है। उस भूमि के एक एक बीघा में चार पांच मन गेहूं होता है। इतनी उपजाऊ भूमि है। उसका नियमों के अन्तर्गत एलॉटमेंट होना चाहिए और उस पर कोई भी अपनी खातेदारी चुपचाप कायम करता है या करवाना चाहता है तो उसको नहीं करने देना चाहिये ।

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा मैंने निवेदन किया, नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही आवंटन होगा, और उस परिपत्र की भावना के अन्तर्गत आने वाले लोगों, काश्तकारों को काबिज रहने दिया जायगा, अन्यथा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ऐसे उदाहरण होंगे तो उनकी जांच कर ली जायगी और विशेष तौर पर इस प्रकार की हिदायत दे दी जायगी कि पेटे काश्त की भूमि के आवंटन के संबंध में नियमों का पालन किया जाना जरूरी है और जो अधिकारी नहीं हैं उनको आवंटन न किया जाय ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) : क्या यह सही है कि 13-1-58 से पहले जो काबिज हैं वह लैंड लैस टिनेन्ट नहीं हैं?....

श्री गंगाराम चौधरी : हो सकता है, वह भूमिहीन टिनेंट्स नहीं हों लेकिन क्योंकि टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में इस प्रकार का प्रावधान 13-1-58 को किया गया था

(श्री गंगाराम चौधरी)
कि तालाब और पेटा तालाब या भूमिया, इन पर खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। इससे पूर्व के कब्जों के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होता है तो उन्हें काविज रहने दिया जायगा। और उसके बाद जो आवंटन किए गए हैं उनको गैर मुमकिन....

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सरकार ने कोई ऐसे नियम बनाए हैं कि केवल कृपापात्रों को ही जमीन दी जायगी ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : जैसे माननीय सदस्य ने कहा, जिन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, उन पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री गंगाराम चौधरी : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : उनको यदि आपने रेग्यूलराइज किया हो, तो बजाय पैनल टी इम्पोज करने के उनको रेग्यूलराइज किया जाय तो यह अन्याय चल रहा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पेटे तालाव पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो रेग्यूलराइज नहीं किया जायगा। उसी परिपत्र के अन्तर्गत आने वाले को बेदखल नहीं किया जायगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : पैनल्टी वसूल की जाती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री पृथ्वीसिंह : इसी से संबंधित है। जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है तो पैनल्टी की रकम वसूल की जायगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न की मन्शा से दूर जा रहे हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : जैसे प्रश्नकर्त्ता ने बताया कि एलॉटमेंट होने के पहले ही जैसे एलॉटमेंट की एक तारीख को हुआ और वह अगली 30 तारीख को बो देता है तो क्या उचित है कि जब तक एलॉटमेंट न हो, तब तक किसी भूमिहीन या अन्य किसी प्रकार के काश्तकार को उस पर कब्जा न करने दिया जाय ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस प्रकार के कब्जों के लिए नियमों में प्रावधान है कि अगर वह कब्जा करेगा तो वह अतिक्रमण होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): ये कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार सब कायवाही की जायेगी, वह तो बिल्कुल ठीक है, नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु प्रश्नकर्त्ता की भावना है कि नियमों की यदि अवहेलना हुई है, तो क्या आप जांच नहीं करायेंगे ? जांच कराने के पश्चात् अगर कर्मचारियों को नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, तो क्या उनको ताड़ना या हिदायत नहीं देंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : यूं तो नियमों के अन्तर्गत अपील और निगरानी के सारे प्रावधान हैं, उसके उपरांत भी अगर राज्य सरकार की जानकारी में कोई उल्लंघन आए तो अलग से इन्क्वायरी करवाई जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : प्रश्न संख्या 306

सवाई माधोपुर के ग्रामों को बिजली

306. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ग्रामीण विद्युत् विस्तार योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में कितने कितने ग्रामों में विद्युत्तिकरण एवं कितने कितने ग्रामों में कृषि उत्पादन हेतु विद्युत् विस्तार किया गया और उनमें क्या व्यय हुआ ? कृपया सूची जिले में ग्रामों की संख्या एवं व्यय की धनराशि बतलाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यह निर्णय करने के लिये कि एक जिले से दूसरे जिले में विभेद न हो, क्या माप दण्ड अपनाया गया ?

(3) चालू वित्तीय वर्ष में सवाई-माधोपुर रेवेन्यू जिले में कितने ग्रामों के लिये बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत् करण एवं कृषि उत्पादन के विस्तार हेतु सिफारिश की गई और बोर्ड द्वारा कितने स्थानों के लिये स्वीकृति दी गई ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय क्योंकि इस प्रश्न में जो सूचना मांगी गई है वह 2347 ग्राम व करीब 20 हजार कुओं की सूची मांगी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया जाय। श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रश्न संख्या 307.

राज्य की विद्युत् योजना

307. **श्री दिग्विजयसिंह** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1968-69 के लिये राज्य सरकार की विद्युतिकरण की क्या योजना तैयार की गई है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्ष 1968-69 के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि एल०आइ० सी० से भी विद्युत् विभाग को कोई ऋण स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष विद्युत् विभाग द्वारा कोई नये कार्य चालू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या विद्युत् विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि इस वर्ष के कार्य पूर्ण कराये जायें जो गत वर्ष धनाभाव के कारण रह गये थे ? यदि हां, तो ऐसे कितने कार्य थे और किन किन पर कार्य चालू किया जा चुका है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को भी स्थगित किया जाय।

श्री दिग्विजयसिंह : क्यों स्थगित किया जाय, कारण नहीं बताया ?

श्री खेतसिंह : इसलिय कि इसमें पूरे राजस्थान के जितने ए०ई०एन० सर्किल्स हैं सबसे पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद में प्रस्तुत की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरी आपत्ति यह है कि मैंने पूछा है कि वर्ष 1968-69 के लिए राज्य सरकार की विद्युतिकरण की क्या योजना तैयार की गई है ? उन्होंने हमें जो यह बुकलेट दी है, उसमें कहा है कि योजना तैयार कर ली है, इसमें सारा विवरण दिया है और आप कहते हैं कि जानकारी अभी इकट्ठी नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने सरकार को ताड़ना दी है और आप भी ताड़ना दे दें तो कम से कम ये सतर्क तो रहेंगे । सारी सूचना आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री महोदय बता सकते थे या तो उनके पास कोई गुप्त योजना है, यह बुकलेट तो हमारे लिए है और बाकी उनकी परसनल होगी ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है । इस सवाल में जो योजना चाही गई है, पिछले साल की जानकारी चाही गई है और इस साल के विद्युत् मंडल के आंकड़ों पर हम सदन में बहस करने जा रहे हैं । यदि पिछले साल के आंकड़े सदन को नहीं दे पाये, इसका मतलब सही तौर से बहस सरकार नहीं चाहती या विभाग को जानकारी नहीं है । पिछले साल की जानकारी के लिए सवाल का नोटिस मिल जाय उसके बाद भी मंत्री महोदय कह कि हमें जानकारी नहीं है, इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए स्थगित किया जाय....

श्री खेतसिंह : य पिछले साल के आंकड़े चाहते हैं और सारे आंकड़े शामिल करने पड़ते हैं । इन्होंने प्रश्न भी लेट दिया । हमारे विभाग में 4 तारीख को प्रश्न आया है, आज तारीख तक सारी जानकारी सारे सर्किल से कलेक्ट करना मुश्किल है । जिस समय विद्युत् मंडल पर विचार होगा, तो सारी जानकारी दी जायगी ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इसमें एक भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसका स्टेटमेंट हैड ऑफिस में न हो, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : ए०ई०एन्स० सर्किल से जानकारी मांगी गई है ।

श्री दौलतराम सारण : ए०ई०एन्स० का सवाल नहीं है । इसमें वह जानकारी चाही गई है, जिसका हैड ऑफिस से संबंध है । इसलिए मंत्री महोदय विभाग से बिना प्रश्न पूछे हुए उत्तर दे रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : आप मेरा पहला प्रश्न पढ़ लें । वर्ष 1968-69 के लिये राज्य सरकार की विद्युतिकरण की क्या योजना तैयार की गई है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर अगले सप्ताह दिया जाय । यह प्रश्न पिछले सत्र में भी पूछा गया । उस समय भी इस में कहा गया कि ऐसी सूचना नहीं है, विस्तृत होने के कारण इसको अलग अलग स्थानों से मंगाना पड़ेगा । यह सूचना हैड ऑफिस में उपलब्ध हो सकती है ।

श्री खेतसिंह : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य, अगले सप्ताह दी जायगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो पम्फलेट वितरित हुए हैं, वह विभागीय कागज हैं या सरकारी कागज, उस सेन्स के अन्दर हैं कि कैबीनेट का एप्रूव्ड है ? इस पर प्रकाश डालें ।

Page No 16

श्री विजयसिंह (मकराना) : ज्यादातर पैसा उदयपुर में लगा हुआ है, उस बात को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि सारा पैसा उदयपुर में लग चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : अगले सप्ताह मालूम हो जायगा।

श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल : प्रश्न संख्या 308

ग्राम चोंप के चारागाह पर नाजायज कब्जा

308. **श्री नाथूलाल करोल** (जमुवा-रामगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :——

(क) क्या यह सही है कि ग्राम चोंप, तहसील जमुवारामगढ, जिला जयपुर के चारागाह पर किसी काश्तकार ने अनधिकृत कब्जा करके सन् 1967-68 की वर्षा में खरीफ की फसल बोई थी और एस०डी०ओ०, आमेर व तहसीलदार द्वारा खड़ी फसल को पकने पर नीलाम किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि इस खड़ी फसल की बोली एक खटीक जाति के काश्तकार के नाम खत्म की गई थी और फिर बाद में उसी काश्तकार के नाम नीलाम की रकम रख दी गई जिसने चारागाह को काश्त किया था ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रकम की राशि अभी तक उस काश्तकार से वसूल नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इस साल यानी 1968-69 की बरसात में भी फिर उसी काश्तकार ने इसी चारागाह को काश्त किया है ? यदि हां, तो क्या जुर्माना तय किया गया ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी): इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किए जाने का निवेदन है।

श्री नाथूलाल करोल : मैंने यह प्रश्न बजट सेशन के अन्दर रखा था और इसका जवाब तहसील से आ गया था, फाइल गुम हो गई है, फाइल ही नहीं मिलती है। संबंधित तहसीलदार इस पैसे को खा गया। रेकार्ड तहसील में नहीं मिल रहा है। गत सत्र से यह प्रश्न चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर अगली टर्न पर दिया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : दे दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या 309

जयपुर गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट पर विधि विभाग की राय

309. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :——

(1) जस्टिस बेरी द्वारा 7 मार्च, 1967, को जयपुर में हुए गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट 9-1-69 को राज्य-सरकार को प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात विधि विभाग की इस पर राय जानने हेतु यह रिपोर्ट विधि

Page No 17

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री भैरोंसिंह)

विभाग को कब प्राप्त हुई और उसमें की गई नौ सिफारिशों के संबंध में विधि विभाग का अब तक क्या मत है ?

(2) गोली काण्ड के लिये जिम्मेदार पी० ए० सी० पार्टी के जो व्यक्ति थे, क्या विधि विभाग की राय के अनुसार उनके खिलाफ राजस्थान में चालान नहीं किया जा सकता ?

(3) आर० ए० सी० पार्टी जिसने 7 मार्च, 1967, को जयपुर में गोली चलाई थी, उनके विरुद्ध मुकद्दमे दायर करने हेतु किस वकील को विशेष तौर पर नियुक्त किया गया अगर अभी तक नहीं किया है, तो क्यों नहीं?

(4) क्या इस रिपोर्ट की बाबत एड-वोकेट जनरल महोदय से कोई राय ली गई है ? या दिल्ली में किसी अन्य वरिष्ठ एड-वोकेट से इस संबंध में कोई राय ली गई है ? यदि हां, तो उनके द्वारा क्या राय दी गई ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : क्योंकि इस प्रश्न का संबंध गृह विभाग से है, इसलिए इसे स्थगित किया जाय ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अगर इस तरह सभी प्रश्नों के उत्तर स्थगित होंगे तो फिर मंत्रियों को आराम हो जायगा, प्रश्नकाल से क्या फायदा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेरी आयोग रिपोर्ट के सिलसिले में मैंने कुछ प्रश्न गृह विभाग से पूछे हैं और कुछ विधि विभाग से पूछे हैं। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है इसको गृह विभाग को भेजने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है ।

मैं विधि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 9 जनवरी, 1969 को 7 मार्च, 1967 को जयपुर में हुए गोली कांड के बारे में बेरी कमीशन की रिपोर्ट विधि मंत्रालय को कब मिली ? गृह विभाग क्यों बताये ? आप बतायें। रिपोर्ट आपके मंत्रालय को पेश हुई । या तो जवाब दीजिये कि नहीं मिली वह डिस्पेच करता है और आप रिसीट करते हैं उस रिपोर्ट को। क्या यह सही है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई विधि विभाग को आज तक नियमानुसार प्राप्त नहीं हुई ?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रश्न को हमने होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है और होम मिनिस्टर साहब को लिख दिया है कि आप अपनी टर्न पर जवाब दे दीजियेगा। इसमें तीन क्वेश्चन लिन्क्ड थे । पार्टली होम मिनिस्टर, अपोइन्टमेन्ट मिनिस्टर और विधि मिनिस्टर जवाब नहीं दे सकते इसलिये होम मिनिस्टर साहब को रेफर कर दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 9 जनवरी, 1969 को राज्य सरकार को बेरी कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई आज 22 अगस्त, 1969 हो गई, 7 महीने हो गये आज तक विधि विभाग को होम डिपार्टमेन्ट के द्वारा कमेन्ट्स या ओपिनियन के लिये भेजी या नहीं ? आपको, विधि विभाग को मिली या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : इस प्रश्न का जबाब मैं अपनी टर्न पर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब ?

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री अपनी अगली टर्न पर इसका जवाब देंगे। इसलिये स्थगित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में आठ दस सवाल दिये हुए हैं। इसलिये मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस मसले को उठाया भी इसीलिये कि आप गृह मंत्री महोदय को आदेश दें बेरी कमीशन के मुतल्लिक सारे सवालों का कन्सोलिडेटेड रिप्लाई सोम या मंगल को दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जो भी सवाल मेरे सामने आये हैं, मैंने उनका जबाब दिया है। विधि विभाग से रेफर हुआ है तो मैं इसका भी जवाब दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सोमवार या मंगल को गे?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जबाब अपनी टर्न पर दे दूंगा। आपके जितने भी सवाल आये हैं मैंने उनका जबाब दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप (विधि मंत्री) से सवाल पूछा है। आप से तो सवाल ही नहीं पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनसे जवाब लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्हीं से पूछ रहा हूं। मैं उनसे निपट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न पर गृह मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब आवेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : देख लें, नम्बर लगा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : याद होगा, आपको पता है। सोमवार?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोट मन्डे सर। वेडनेस डे एन्ड थर्स डे।

श्री नत्थी सिंह : वेडनेस डे और थर्सडे छुट्टी है।

श्री पृथ्वी सिंह : विधि विभाग को रिपोर्ट पेश हुई या नहीं इसका होम मिनिस्टर साहब क्या जवाब देंगे?

श्री मदनसिंह दांता : होम मिनिस्टर साहब को भेज दी, विधि मंत्रीजी ने यह बात कही जब कि जौहरीबाजार से आये माननीय सदस्य ने पूछा है विधि मंत्री जी से कि उनके पास पहुंची या नहीं उसका तो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि प्रश्न भेज रहे हैं अगर आयी है तो भेजी है। आयी तो कब आयी? भेजी या नहीं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन करना यह है कि विधि विभाग को रिपोर्ट मिली या नहीं, इसमें गृह मंत्रीजी क्या कहेंगे?

श्री बरकतुल्ला खां : पार्ट क्वेश्चन का जवाब थोड़े ही दिया जा सकता है। सारे कागज और सारी सम्बन्धित फाइल होम डिपार्टमेन्ट और अपोइन्ट मेन्ट डिपार्टमेन्ट को दी हुई है। कन्सोलिडेटेड रूप में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मंत्रीजी तो सब को जवाब दे सकते हैं और आप में क्षमता है नहीं इसलिये जवाब नहीं देना चाहते।

सवाल यह है कि विधि विभाग को बेरी कमीशन की रिपोर्ट मिली या नहीं। आप (गृह मंत्री) इनको डरा रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब आदेश दे दिया कि होम मिनिस्टर साहब अपनी टर्न पर जवाब देंगे तो अब फिर बहस किस बात की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न होम मिनिस्टर को ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। मंडे की ग न हिला दी। जब बैठ गये तो कह दिया कि वेडनेस डे को आता है। रक्षा बन्धन की छुट्टी है। क्वेश्चन आ नहीं सकता और उसके बाद हाउस चलने वाला नहीं। इसका मतलब साफ है कि जवाब देना नहीं चाहते। या तो फिर एडजोर्नमेंट मोशन लाकर काल करें। कई मामले इस सम्बन्ध में है कि लीगल डाक्यूमेन्टस, लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, यू० पी०, पी० ए०सी० के लिखाफ प्रोसिक्युशन हो सकता है या नहीं, ओफिसर्स के खिलाफ प्रोसिक्युशन हो सकता या नहीं, आर० ए० सी० के खिलाफ प्रोसिक्युशन हो सकता है या नहीं, एडवोकेट जनरल, ला डिपार्टमेंट की राय क्या है, रिपोर्ट एक्जामिन की या नहीं, यह क्वेश्चन्स मैं ला मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सम्बन्धित फाइल हमारे पास नहीं इसलिये इसका सही जवाब मैं नहीं दे सकता। होम डिपार्टमेंट अपोइन्टमेन्ट्स, डिपार्टमेन्ट चीफ सेक्रेटरी इसको डील कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब देना नहीं चाहते। सही जवाब दे नहीं सकते इसलिये होम मिनिस्टर साहब देंगे। लेकिन ये तो आप से सम्बन्धित है इसलिये आप से ही पूछना चाहता हूं इन सवालों का जवाब।

राजवी श्री रूपसिंह : यह लीगल क्वश्चन पूछा गया है इ का जवाब तो ला डिपार्टमेंन्ट ही दे सकता है न कि होम डिपार्टमें ट । लीगल बात, ओपिनियन पूछते हैं तो इसका जवाब तो ला मिनिस्टर साहब ही दे स कते हैं न कि होम मिनिस्टर साहब। इसको टालन चाहें तो बात अलग है। टालने का मौका नहीं देना चाहिये इसलिये ला मिनिस्टर साहब से जवाब मिलना चाहिये। चूंकि इसका कन्सर्न ला मिनिस्टर साहब से है, अतः ला मिनिस्टर साबह ही इसका जवाब दें।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि सोम या मंगल को इसका जवाब मिल जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : एक चीज मैं कहना चाहत हूं ला डिपार्टमेंट ला ओफ अटार्नी के तरीके पर फंक्शन करता है और अपनी ओपिनियन देता है। एक अटार्नी न यह बता सकता है कि कब और क्या राय दी। जिन्होंने राय के लिये पूछा उनको राय देदी गयी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट कौन कन्ट्रोल करता है कह दीजिये आप नहीं करते हैं। आप करते हैं, नहीं करते हैं तो 5।। लाख रुपया वकीलों को क्यों भुगतान किया? आपको जवाब देना होगा, इसका।

श्री बरकतुल्ला खां : स्पेशल कन्सेन्ट ली थी वह होम डिपार्टमेंट को भेज दी गयी।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ) : आप से आज तक किसी प्रकार की राय नहीं ली ?

श्री रामकिशन (वैर) : इसको दो विभाग का प्रश्न न बनाया जाय। माननीय गृह मंत्री और विधि मंत्री यह जानते हैं कि

(श्री रामकिशन)

पिछली बार इस सम्बन्ध में कितना रोष प्रकट किया गया था। इसलिये इसको टालने की कोशिश न करें और इसका जवाब दिया जाय। जिनसे इसका जवाब पूछा गया है उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी सवाल का जबाव देने की मंशा न हो ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी कोई मंशा नहीं है। आपने हाउस में यह एश्योरेन्स दिया था कि एक इस सम्बन्ध में कमेटी बिठायेंगे, उसकी दो माह में रिपोर्ट आजावेगी। दो माह का समय और बढ़ा दिया, रिपोर्ट का पता नहीं। एक मेलाफाइडी इन्टेन्शन है। आप उस पर लीपा पोती करना चाहते हैं मार्च में रिपोर्ट करेगी, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त निकाल दिया। ओफिसर्स की कोई रिपोर्ट आयी नहीं। कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आप इस पर लीपा पोती करना चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधि विभाग से सीधा सम्बन्ध रखता है। विधि विभाग यह कहता है कि हमने होम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। यह सीधा ताल्लुक रखता है ला मिनिस्टर से या नहीं कि उन्होंने क्या राय दी और एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी? एक्जीक्युशन का सवाल नहीं है। विधि मंत्री से सीधा सम्बन्ध रखता है। ये कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट को भेज दिया। सदन के अधिकार को ले लेते हैं और दो दिन हाउस चलेगा और इसके बाद तब टर्न आवेगी जब हाउस की बैठक होगी नहीं इसलिये जिन सवालों का सम्बन्ध है इन कुर्सियों पर न बैठ कर, पिछली बार यहां सदन में नीचे बैठ कर धरना दिया था और होम मिनिस्टर ने रिजिड एटीचूड दिखाया, उससे काम चलने वाला नहीं है। विधि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनकी अन्तर आत्मा की आवाज बहुत काम करती है इसलिये यह अन्तरआत्मा की आवाज है, इस सम्बन्ध में उनकी क्या राय है वह साफ साफ सदन को बतायें। गृह मंत्री को भी अपनी अन्तरआत्मा की आवाज दबानी नहीं चाहिये और जनता की आवाज को भी नहीं दबाना चाहिये इसका विधि मंत्री जवाब दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। गृह मन्त्रीजी ने अपनी अन्तरआत्मा निजलिंगप्पाजी को रजिस्टर्ड करवा कर भेज दी है, इसलिये अन्तरात्मा उनके नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न संख्या 309 है, वह अपने आपमें स्पष्ट है। इस प्रश्न में जो सूचना चाही गयी है, उसका सीधा सम्बन्ध विधि विभाग से है, गृह मंत्री से नहीं है। जो व्यवस्था का सवाल माननीय नत्थीसिंह जी ने उठाया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बैरी आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विपक्ष का दल किस सीमा तक संघर्ष करने के लिये गत सत्र में उपस्थित हो गया था। उसके बाद हमें यहां पर राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है, वह पूरा नहीं किया है। राज्य सरकार का इरादा इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करने का है। सरकार की तरफ से यह कह दिया जाये लेकिन यह साफ जाहिर है कि आज तक उन्होंने कोई कार्यवाही

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं की है और न कोई कार्यवाही करना चाहती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिये सरकार बार बार स्थगन चाहती है और यह स्थगन भी स्थगित प्रश्न का चाहती है। इस मामले पर सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती है। वह इस प्रश्न को स्थगित करना चाहती है ताकि सदन समाप्त हो जायेगा और फिर 6 माह का उसे अवसर मिल जायेगा। 6, 6 माह तक टरकाने के इरादे से सरकार प्रश्न का स्थगन चाहती है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न का जवाब विधि मंत्रीजी से अवश्य लिया जाये। यदि वे तैयार होकर नहीं आये हैं तो तैयार कर लें और शाम तक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पहले पहले इसका जवाब देदें। इसमें ऐसी सूचना नहीं है कि जो बाहर से उन्हें मंगवानी हो। उनके सचिवालय से ही इसका सम्बन्ध है यह सदन स्थगित होने के पहले इसकी सूचना हमें मिल जाये, यही मेरा आपसे आग्रह है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है और विरोधी पक्ष के सदस्यों की भावना पर सरकार को गंभीर विचार करना चाहिये अगर सरकार जनतंत्र के सिद्धान्तों को मान्यता देती है तो। रहा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का कि यह विधि विभाग से या गृह विभाग से संबंधित है या नहीं। इससे हम को कोई सरोकार नहीं है। यह तो इन्टरकनेक्टेड है। जवाब तो सरकार से आना चाहिये और अगर सरकार इस सदन को फेस नहीं करना चाहती है तो फिर सरकार में इतना नैतिक साहस होना चाहिये कि जो मंत्री महोदय सरकार की ओर से उत्तर दें वे खड़े होकर कहदें कि सरकार का निर्णय है कि इस मामले को कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल दिया जाये और हम आगे इस विषय को खोलना नहीं चाहते हैं और यह भी सरकार नहीं कहती तो कोई न कोई उत्तर सरकार को देना चाहिये और इस सदन में देना चाहिये। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन करूंगा कि सोमवार, मंगलवार तक जवाब तैयार करके आपको उत्तर देने का साहस करना चाहिये। अगर आप यह नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से जनतंत्र की अवहेलना ही नहीं लेकिन ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसका लक्ष्य अधिनायकवाद होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : विरोधी दल के नेता महोदय ने जो सवाल यहां उठाया है वैसी बात नहीं है। बैरी कमीशन के मुताल्लिक जितने भी सवाल यहां आये हैं, उनका मैंने जवाब दिया है चाहे वे स्टार्ड हों, अनस्टार्ड हों। इसी सत्र में मैंने उन क्वश्चन्स का जवाब दिया है। और इन क्वश्चन्स का जवाब उसमें समाविष्ट हो जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप इसका जवाब दे देते।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सवाल पहले यहां से ला डिपार्टमेंट को भेजा गया और मेरे डिपार्टमेंट को नहीं। मैंने यही कहा है मैं अपनी टर्न पर इसका जवाब दूंगा। मैंने यह नहीं कहा कि जवाब नहीं दूंगा। जो जवाब मैंने दये हैं और जितने सवाल इसके अंदर हैं, उन सवालों के अन्दर यह आ जाता है। कल ही, परसों ही जवाब दिया है। अपनी टर्न पर मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस को फेस नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है, उसका जवाब इसी सत्र में दिया जायेगा चाहे उसका जवाब गृह मंत्री जी दें या विधि मंत्रीजी अगर उनकी टर्न से पहले सत्रावसान हो जाता है, तो आउट आफ टर्न भी जवाब दि । जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : थेंक यु सर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न संख्या 310

पावर हाउस, सांचोर

310. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर पावर हाउस में ढाइसौ किलोवाटस का एक नया डीजल इंजिन लगाने का सरकार ने इस साल निर्णय किया था? अगर हां तो कब? नया इंजिन अब तक क्यों नहीं लगाया गया है? अब वह इंजिन कब तक लगा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि एक नया डीजल इंजिन लगाकर सांचोर के आस पास 5 मील की परिधि में सरकार कृषि कार्यों के लिये बिजली उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? अगर हां तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर पावर हाउस से अब तक सिर्फ 8 घन्टे तक ही बिजली सप्लाई की जा रही है? अगर हां, तो इतने थोड़े समय तक ही क्यों? पावर सप्लाई करने के घंटे बढ़ाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है और यह समय कब तक किस प्रकार बढ़ाने का सरकार का विचार है?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) :

(1) जी नहीं। एक 104 किलोवाट का इंजिन लगाने की कार्यवाही चल रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

स्थनीय परिस्थितियों के कारण । पावर हाउस की क्षमता और इंजिन लगाकर बढ़ाई जा रही है। यह कार्य कब तक हो सकेगा, यह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कितने दिन में हो जायेगा ?

श्री खेतसिंह : वापिस अपन मिलेंगे तब तक, उसके पहले लग जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा मंत्री श्री शिवचरण माथुर विद्युत् मन्त्री थे, उन्होंने कहा था कि 250 किलोवाट का इंजिन भेजेंगे। अब आप कह रहे हैं कि 100 किलोवाट। तो इसके बारे में स्थिति क्या है ?

श्री खेतसिंह : आपने यहां जो पेंडिंग प्लीकेशन्स हैं, वे कम हैं इसलिये बड़ा इंजिन भेजने से क्या मतलब होगा। इसके लिये 104 किलोवाट का इंजिन सफीशियन्ट है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आठ घन्टे बिजली आप देते हैं। चक्की चलाने वालों को पूरी बिजली नहीं मिलती। पंपिंग सैट वाले भी नहीं ले पाते हैं। जब आप इतना खर्च

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कर रहे हैं तो उसकी यूटीलिटी बढ़े, इस दृष्टि से एक्शन क्यों नहीं लेते?

श्री खेतसिंह : जो अभी लगा हुआ है और दूसरा चला जायेगा तो आपकी बिजली की समस्या का समाधान हो जायेगा। पास के गांवों में आप बिजली देना चाहते हैं परन्तु वह इकोनोमिक नहीं है, क्योंकि गांव पांच पांच मील के फासले पर हैं और जो कुए हैं वे एक एक मील के फासले पर जिनको कनेक्ट करना मुश्किल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सर्वे करायी है?

श्री खेतसिंह : जब मुख्य मंत्रीजी का दौरा हुआ था, वहां आपसे मैंने डिसकसन किया था और वहां के ए० ई० एन० से भी भी बात की थी, जिसने आपके सामने ही बताया था कि कुए डिस्टेंस पर है इसलिये लाईन खींचना मुश्किल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मन्त्रीजी जो यह कह रहे है कि कोई मीटिंग हुई थी, या डिसकसन हुआ था, यह बिल्कुल असत्य है। आप असत्य बात कह रहे हैं। 8, 8 घण्टे बिजली नहीं मिली है। कई बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं। `कार का इंजिन है। रात को बिजली नहीं होती। ऐसी हालत है। जो इंजिन है वह पुराना इंजिन है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न सं० 103। श्री भैरोंसिंह।

(12 मध्यान्ह)

(स्थगित प्रश्न)

गंगानगर जिले में सैनिकों को भूमि का एलॉटमेंट

103. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा वर्तमान सैनिकों को कृषि हेतु भूमि आवंटन करने हेतु किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषणा की गई?

(2) इस समय कहां कहां और कितनी कितनी भूमि सुरक्षित है?

(3) कितने सैनिकों को कहां कहां कितनी कितनी भूमि अब तक आवन्टित की जा चुकी है कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(4) गंगानगर जिले में किस किस प्रकार की भूमि किन किन सैनिकों की कितनी कितनी कब कब आवन्टित की गई? कृपया इनकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(5) गंगानगर में भूमि प्राप्त करने वाले इन सैनिकों में कौन कौन ऐसे हैं जो फौज में सेवा करते वक्त राजस्थान के निवासी थे और कौन कौन नहीं?

उप-मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री खेतसिंह):

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों को कृषि भूमि आंवटन हेतु किसी क्षेत्र में कोई भूमि सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार ने आदेश नहीं किये थे।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) 3003 सैनिकों को 46,478 बीघा भूमि आंवटित की गई है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री खेतसिंह)

(4) भाखरा एवं गंग कैनाल क्षेत्र में 261 सैनिकों को व 2 सैनिक समितियों को 7416½ बीघा एवं राजस्थान कैनाल में 372 विकलांग एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को 5915 एकड़ भूमि आंवन्टित की गई। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) गंगानगर जिले में जिन सैनिकों को भूमि आंवन्टित हुई है वे राजस्थान के निवासी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिह: क्या यह माना जाय कि आज तक राज्य सरकार की ओर से या मुख्य मंत्री की ओर से किसी भी प्रकार की भूमि आरक्षण के संबन्ध में घोषणा नहीं है और घोषणायें की थीं तो क्या उनको निरस्त कर दिया गया?

श्री खेतसिंह: यहां से राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश निकला हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह बात सही है एक लाख एकड़ भूमि की बात चली थी उसके बाद 25 हजार एकड़ कर दी गई थी। उसके बाद में जब एप्लीकेन्ट्स कम थे उसको घटाकर दस हजार एकड़ कर दी गई थी।

श्री भैरोंसिह: तो यह घोषणा हुई थी?

श्री खेतसिंह: आप जो मानलें, मानलें।

श्री भैरोंसिह: मैं यह पूछना चाहता हूं क्या इस प्रकार की घोषणा की गई थी?

श्री खेतसिंह: दस हजार एकड़ भूमि विकलांग भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवा पदक प्राप्त सैनिकों को देने के लिये रखी गई थी।

श्री भैरोंसिह: क्या यह सही है कि 1965 में एक्टिव आपरेशन के समय इस प्रकार की घोषणा की गई थी कि एक लाख एकड़ भूमि सैनिकों के लिये सुरक्षित की जायगी और लड़ाई के बाद में उस घोषणा को लागू नहीं किया गया?

श्री खेतसिंह: इसका लड़ाई के दिनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये, कितने डिसएबल्ड हुए कितनों को शौर्य पदक मिले, इस प्रकार के सब सैनिकों के परिवारों को जो राजस्थान के थे उनको भूमि एलॉट की गई।

श्री भैरोंसिह: क्या राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि एक्स सोल्जर्स, डिसएबल्ड पर्सन्स और जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किये हैं उनके लिये भूमि आवंटन करने हेतु भूमि सुरक्षित की जायगी?

श्री खेतसिंह: एक्स सोल्जर्स जो भूमिहीन हैं वे सामान्य नियमों के अनुसार भूमि प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह: मैं घोषणा के लिये पूछ रहा हूं। पंजाब के अमृतसर में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस बात की घोषणा की थी कि पंजाब के सोल्जर्स और डिसएबल्ड सोल्जर्स और राजस्थान के एक्स सोल्जर्स को भूमि एलॉट करने के लिये दो लाख एकड़ भूमि सुरक्षित रखी जायगी?

श्री खेतसिंह: अमृतसर में जिस समय सरदार कैरों जिन्दा थे मुख्य मंत्री

Page No 25

(श्री खेत सिंह)

ने यह कहा था कि राजस्थान केनाल में हम सैनिकों को बसाने के लिये भूमि आवंटन करेंगे।

श्री भैरोंसिह: और यह भी कहा था कि दो लाख एकड़ भूमि सुरक्षित रखेंगे?

श्री खेतसिह: दो लाख के लिये कहा था या कितने का यह तो मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन भूमि देंगे यह घोषणा की थी।

श्री भैरोंसिह: क्या इस प्रकार की घोषणा सरकारी रेकार्ड पर है और इसी प्रकार की घोषणा के बारे में राजस्थान विधान सभा में भी मुख्य मंत्री ने कहा था।

श्री खेतसिह: यह प्रश्न मुख्य मंत्रीजी जब उपस्थित रहें उसी समय पूछा जाय।

श्री भैरोंसिह: इससे हम क्या यह समझें कि उप मंत्रीजी के और मुख्य मंत्रीजी के बोलचाल का रिश्ता भी नहीं है?

श्री खेतसिह: इसमें बोलचाल का प्रश्न नहीं है। कागजों को देखकर रेकार्ड के आधार पर ही मैं कुछ कह सकता हूं। अमृतसर की मिटिंग में यह बात कही गई थी, यह मैंने निवेदन किया है। बाद में उसको घटाकर 25 हजार एकड़ कर दी गई थी, उसके बाद में सन् 67 म 10 हजार एकड़ कर दी गई थी।

श्री भैरोंसिह: प्रश्न के भाग (5) के उत्तर में कहा है गंगानगर जिले में जिन सैनिकों को भूमि आवंटन की गई है राजस्थान के निवासी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय वे मिलीटरी सर्विस में थे, क्या उस समय राजस्थान के निवासी थ

श्री खेतसिह: जो सूचना गंगानगर कलेक्टर से मिली है वह मैंने दी है।

श्री भैरोंसिह: मैंने अपने प्रश्न के भाग में पूछा है "गंगानगर में भूमि प्राप्त करने वाले इन सैनिकों में कौन कौन ऐसे हैं जो फौज में सेवा करते वक्त राजस्थान के निवासी थे और कौन कौन नहीं?"

श्री खेतसिह: मेरे ख्याल में अब राजस्थान के निवासी हो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिह: प्रश्न यह है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने जो उच्च पदों पर लग हुए है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से जो आज से त्रीस वर्ष पहले रिटायर होगये, जिनको राजस्थान से कोई लेना देना नहीं केवल उच्च पदों पर होने से उनको राजस्थान का निवासी बनाकर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में फौजियों की जमीन ले ली। और राजस्थान के सोल्जर्स बिना जमीन के घूम रहे है, केवल जमीन लेने के लिये राजस्थान के निवासी हो गये, क्या ऐसे लोगों को जमीन अलोट की है?

श्री खेतसिह: उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी गंगानगर कलेक्टर ने दी वह मैंने माननीय सदस्य को दे दी।

श्री भैरोंसिह: इसकी पूरी जानकारी जो मैंने चाही है नहीं आयी इसलिये नियमानुसार इसे फिर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: इन की जानकारी में जो बात नहीं है ये कैसे कह सकते है।

श्री भैरोंसिह: इस बारे में मैंन माननीय उप मंत्री को चिट्ठी लिखी थी पिछले सत्र में डा० मदनसिह जी दांता के एक प्रश्न के

Page No 26

(श्री भैरोंसिह)

उत्तर में आपने लिस्ट दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा जो प्रश्न हम यहां उठाते है उस संबन्ध में जो सूची दी जाती है उनमें केवल नाम लिख दिया जाता है क्या उसकी वल्दियत है कहां का रहने वाला है कुछ नहीं होता। अधिकारियों पर मंत्रियों का कन्ट्रोल है नहीं मन चाहे जिस तरह से वे सूचियां दे देते है। जैसे इसी लिस्ट में करणसिंह बलवीर मनफूलसिंह नाम दिये है, आखिर ये कहां के है, इनकी वल्दियत क्या है कुछ नहीं इस प्रकार की लिस्ट से कोई मतलब पूरा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल

तहसील लाडपुरा में भूमि का आवंटन

118. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या उप निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में सन् 67 व 68 में भूमि का आवंटन किया गया है। अगर हां तो सूची मय नाम देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आलनिया प्रोजेक्ट क्षेत्र में भी भूमि का आवंटन किया गया है? अगर हां, तो कितनी कितनी व किस किस को कब कब दी गई?

(3) क्या यह सही है कि आलनिया प्रोजेक्ट में भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता? अगर हां तो उक्त एलाटमेंट के संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : इस प्रश्न का उत्तर तो आया है उसको ठीक नहीं समझा गया। इसका उत्तर फिर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न को स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढा।

भूतपूर्व जैसलमेर स्टेट की कस्टम ड्यूटी की राशि

124. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के समय जागीरदारों को स्टेट की कस्टम ड्यूटी का कुछ हिस्सा दिया जाता था और स्टेट के मर्जर के समय 18000 की राशि बाकी थी और वह राजस्थान सरकार में आज भी बाकी है? अगर हां तो आज तक राज्य सरकार ने जागीरदारों को भुगतान क्यों नहीं किया और भविष्य में कब तक भुगतान कर दिया जावेगा।

(2) क्या राज्य सरकार भुगतान के समय इन बीस वर्षों से पड़ी राशि पर ब्याज देने की भी व्यवस्था करेगी? अगर नहीं, तो क्या कारण है?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम) : इस प्रश्न का संबन्ध टैक्सेशन विभाग से है अगली टर्न पर इसका उत्तर वित्त मंत्री देंगे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : गत दो साल से यह राशि बाकी पड़ी है, यह प्रश्न साल भर से इधर उधर घूम रहा है।

श्री गंगा राम : अगली टर्न पर वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह जो अतारांकित प्रश्न है, उसको दो बार स्थगित किया गया। जयसमन्द झील की मछलियों के ठेके से सम्बन्धित यह प्रश्न है। नीति के सम्बन्ध में है। बाहर से किसी विभाग से कोई रिपोर्ट नही मंगानीं है। सीधा सा प्रश्न है कि (1) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील में मत्स्य पालन के सम्बन्ध में प्रगतिशील रिपोर्ट विभाग द्वारा बनाई गई है? यदि हां तो वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का का श्री एच सी० कपूर को नहीं दिया जाकर विभागीय स्तर पर कार्य कराने का या नीलामी के द्वारा नया ठेका देने का निर्णय कर लिया है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा इसलिये निवेदन है कि यह जयसमन्द झील जिसका ठेका एच० सी० कपूर को दी जाने की मंत्री महोदय की साजिश है। उसका ठेका समाप्त हो गया है। वह आज भी अनधिकृत रुप से मंत्री महोदय की शह से मछलियां पकड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अतारांकित प्रश्न पर यहां चरचा नहीं होती। अन्य किसी तरह से सदन के सामने ला सकते हैं आप इसे। इस तरह से नहीं ला सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री की और केदार की सांठ गांठ होने से बार बार इसे स्थगित किया जा रहा है। नीति सम्बन्धी यह मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे और किसी तरह से उठा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 26 तारीख तक का सदन है। 23,24 को छुट्टी है। इस तरह से राज्य सरकार का प्रति वर्ष 10 लाख का घाटा हो रहा है। सांठ गांठ हो रही है। मन्त्री महोदय, 24,25 या 26 को इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राम किशन (वैर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक तारांकित प्रश्न दिया था धौलपुर में तहसीलदारों के ट्रांसफर के बारे में। कोई लम्बी चौड़ी लिस्ट का भी मामला नहीं था। यही पूछा था कि कितने तहसीलदारों के ट्रांसफर हुए और वे कितनी बार कैंसिल हो गये। इसको कैसे अतारांकित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह अध्यक्ष महोदय के अधिकार में है कि तारांकित को अतारांकित कर सके।

श्री रामकिशन : जानकारी के लिये छोटा सा प्रश्न था। इस तरह का नहीं था। दो ट्रांसफरों की केवल जानकारी लेनी थी। आखिर लम्बी चौड़ी बात भी नहीं थी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त उपाधियां

299. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा पदम श्री, पदम विभूषण आदि की उपाधियां प्रदत्त की गई है और कब?

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इन उपाधियों के प्रदान करते समय किन किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में किस किस प्रकार का साइटेशन विवरण दिया गया? कृपया इस अधिकृत विवरण की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) इन उपाधिकारियों में किन किन को राज्य सरकार द्वारा किस किस प्रकार की क्या सहूलियतें या सहायता प्रदान की गई है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

बारां नगर में उद्योग

300. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राजस्थान में कृषि से संबन्धित व अन्य प्रकार के नये औद्योगिक कारखाने सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर खोलने का निर्णय किया है या मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो किस किस स्थान पर किस किस प्रकार के कारखाने खोलने का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि बारां राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में से एक हैं और यहां पर बनस्पति घी, चावल मील, स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री आदि कारखानों के लिये कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार बारां नगर में भी किसी प्रकार का कारखाना खोलने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां टोंक में लेदर टेनरी सरकारी क्षेत्र में तथा केशोराय पाटन में शक्कर की मिल व गुलाबपुरा में कपड़ की मिल और गंगापुर में सब्जी सुखाने का कारखाना सहकारी क्षेत्र में खोलने का विचार है।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं वेतन निर्धारण

445. **श्री लादूराम सुलानियां(फागी) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सन् 1955 में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित कोई आ शे प्रसारित किये है? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या अल्प वेतन भोगी कमचारियों को उनके होम जिले से बाहर स्थानान्तरण न किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश सरकार द्वारा जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या इन आदेशों की अनुपालना की जा रही है?

यदि नही, तो क्यों नहीं? सूचना मय उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के इस विषय में वेतन की कोई सीमा निर्धारित की है? यदि हां, तो उसका विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। आदश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(2) जी हां। इन आदेशों की यथा-सम्भव अनुपालना की जा रही है, परन्तु पूर्व आदेशों के क्रम में आदेश संख्या एफ० 2 (30)सा०प्र०। का। 66, दिनांक 8-11-66 के अन्तर्गत केवल अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को उसी जिले में स्थापन नहीं किया जा सकता जिस जिले में उनका निवास स्थान हो, उन्हें संभवतः उसी क्षेत्र में रक्खा जा सकता है जहां के वे हैं। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(3) जी हां। वे समस्त कर्मचारी जिन्हें मासिक वेतन रु० 250 से कम मिलता है उनके स्थानान्तरण सामान्यतया उनके होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर न किये जावें, यदि स्थानान्तरण करना अत्यन्त आवश्यक हो तो वह उसी क्षेत्र तक सीमित हो।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

रिवाईज्ड पे-स्केल में फिक्सेशन के मामले

446. श्री गंगासहाय कोली (कठुमर-सु०) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान के विभिन्न विभागों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनका रिवाइज्ड प-स्केल में फिक्सेशन आज तक नहीं किया गया है ? जिलेवार तथा विभाग-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

प्राप्त सूचना के आधार पर जिन कर्मचारियों का रिवाइज्ड पे-स्केल में फिक्सेशन अब तक नहीं हुआ है, उनकी सूची विभाग-वार व जिलेवार संलग्न है।

कुछ विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है वह की जाकर सदन की मेज पर रखदी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से पहले लीव रिफ्यूज

447. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकारी कमचारियों के रिटायर होने से पहले उनकी लीव रिफ्यूज करने के बाबत सरकार ने कोई रूल्स बनाये हैं ? यदि हां, तो रूल्स की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 60 से 68 तक सरकारी कर्मचारियों की लीव रिफ्यूज करने के बाबत सरकार की क्या नीति रही थी व आयन्दा क्या नीति रखने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 89 के प्रोवीजो (Proviso) में इसका प्रावधान है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 89 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) सन् 1960 से 30-6-67 तक उपरोक्त नियम के प्रावधान के अनुसार ही लीव रिफ्यूज करने की सरकार की नीति रही है। जब अधिवार्षिकी आयु 58 से 55 वर्ष किये जाने के आदेश तारीख 13-6-67

Page No 30

(मुख्य मंत्री)

को निकाले और इसके फलस्वरूप काफी संख्या में राज्य कर्मचारी सेवा निवृत्त कर दिये गये। अत: 2-7-67 से 31-8-67 व 1-9-67 से 31-12-67 के समय में ऐसे सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस प्रकार की लीव स्वत: रिफ्यूज मानी जाने का फायदा दिया गया।

सामान्यत: लीव रिफ्यूज नहीं की जाती। अब इस सम्बन्ध में और भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में जो आदेश अब तक निकाले गये हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में किराये की वसूली

448. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में 1 अप्रेल, सन् 1968 से लेकर अब तक किस किस मन्त्री, राज्य मन्त्री एवं उप-मन्त्री के कौन कौन अतिथि कितने कितने दिन के लिये रहे हैं और उनसे कितना कितना किराया वसूल किया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस सम्बन्ध में नियम कब बनाए गए ? कृपया उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या प० 17(ए) (151) जीए०। ए। ग्रुप 1/62, दिनांक 3-1-64 एवं 17 (ए) (96) जीए०।ए।62, ग्रुप 1, दिनांक 13-8-64 की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले के राजनीतिक पीड़ित एवं उनको सहायता

449. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ित हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने राजनीतिकों को सरकार सहायता दे रही है और कितनी-कितनी सहायता दी जा रही है, पंचायत समितिवार सूची सदन में रखें। कितनों को नहीं दी जा रही है ?

(3) राजनीतिक पीड़ितों को किस आधार पर सहायता दी जाती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 60 मान्यता प्राप्त राजनैतिक पीड़ित हैं। पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) इस विषय में राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, 1959 निर्धारित

(मुख्य मंत्री)

किये गये हैं जिनके अनुसार सहायता दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अकाल सहायता कोष में भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त धनराशि

450. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर-सु०): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार को अकाल सहायता कोष में भारत के विभिन्न भागों से कुल कितनी धनराशि जून, 1969 तक प्राप्त हुई? प्रदेशवार विवरण देते हुए यह भी बतलाया जावे कि चारा, अनाज, वस्त्र व धन के रूप में अलग अलग कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) राजस्थान के विभिन्न जिलों से धन, अनाज, चारा, वस्त्र आदि के रूप म कितनी सहायता मिली? इसमें सरकारी कमचारियों का योगदान कितना रहा तथा विधायकों व मन्त्रियों का योगदान कितना रहा? विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में कितने पशु व कितने मनुष्य अकाल के कारण चारे पानी व अनाज के अभाव में काल कवलित हुए?

उत्तर

(1) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में जुलाई, 1969 के अन्त तक कुल राशि रु० 41,69,131.37 न० पै० एकत्रित हुई। राजस्थान तथा भारत के अन्य भागों से प्राप्त राशि का प्रदेशवार विवरण संलग्न सूची में अंकित है। चारा, अनाज व वस्त्र की सूचना संकलित की जा रही है। संकलित हो जाने पर प्रस्तुत की जावेगी।

(2) राजस्थान तथा देश के अन्य भागों से कोष में प्राप्त सहायता का विवरण प्रश्न (1) के उत्तर में आ चुका है। कर्मचारियों, विधायकों एवं मंत्रियों के योगदान की पृथक पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है जिलों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(3) अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूख से किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई। पशुओं की मृत्यु के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मंत्रियों को भेंट की गई थैलियां

451. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अकाल-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करते समय किन-किन मन्त्रियों को रुपयों की थैली किन-किन गांवों में भेंट की गई तथा वह राशि किस कार्य में लगाई गई?

(उत्तर स्थगित किया गया)

मुख्य मन्त्री सहायता कोष से रुपये खर्च करने के नियम

452. श्री हरजीराम बुरड़कनू (लाडनू): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मुख्य मन्त्री सहायता कोष में अकाल सहायता के लिये 1 जनवरी, 69 से लेकर अब तक कितने रुपये कहां-कहां से

(श्री हरजीराम बुरडक)

जमा हुए और उसमें कितना कितना रुपया किस किस कार्य में कब कब खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त सहायता कोष से रुपये खर्च करने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई कमेटी बना रखी है ? यदि हां, तो कमेटी के कौन कौन सदस्य कब से हैं और उक्त कमेटी ने कितना रुपया खर्च किया ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में 1 जनवरी, 1969 से जुलाई, 1969 तक के अन्त तक कुल 26,32,919.20 न० पै० जमा हुए। इससे पहले दिसम्बर, 1968 तक 15,36,26,17 न०पै० जमा हुए थे। जिलेवार सूची संलग्न है। व्यक्तिवार सूची बनाया जाना श्रम एवं व्यवसाध्य नहीं है। इस राशि में से अब तक कुल 31,42,539.35 न० पै० अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) उक्त सहायता कोष से स्वीकृति के लिये कोई अलग से नियम नहीं बने हुए हैं। राशि की स्वीकृति मुख्य मंत्री द्वारा की जाती है।

(3) इस सम्बन्ध में अभावग्रस्त क्षेत्र कल्याण समिति माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षता में राज्याज्ञा क्रमांक प०स०5(51)व्य० एवं पद्धति । 68 दिनांक 8 दिसम्बर, 1968 के अन्तर्गत निर्मित की गई है। कमेटी के सदस्यों की सूची संलग्न है। इस समिति को अब तक कोष से 4,50,000) रु० अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता एवं कल्याण कार्य हेतु दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल पीड़ितों के सहायतार्थ प्राप्त धनराशि का वितरण

453. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मन्त्री सहायता कोष में अब तक अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ कितना धन और सामान कहां कहां से प्राप्त हुआ है ?

(2) इस धनराशि में से पीड़ितों की सहायतार्थ किस रूप में कितना कितना धन कहां कहां खर्च किया जा चुका है ?

(3) किन किन मन्त्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मन्त्रियों और अधिकारियों ने कहां कहां यह सहायता वितरण की है ? इस सम्बन्धी उनके दौरों तथा कार्यक्रमों पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

(4) यह सहायता प्राप्त करने के लिये किस किस ने कहां कहां दौरे किए हैं और उन दौरों में राज्य का कितना व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में 31 जुलाई, 69

(मुख्य मंत्री)

तक भारत एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 41,69,131. 37 पै० की धनराशि नगद चैक एवं ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त हुई। जिलेवार सूची संलग्न है। सामान की सूची जिलाधीशों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत करदी जावेगी।

(2) इस धनराशि म से अब तक कुल 31,42,539.35 पै० की धनराशि अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है।

(3) केवल इस कोष से सहायता वितरण के उद्देश्य से मंत्रियों, उप-मंत्रियों ने कोई दौरे नहीं किय हैं। अकाल राहत कार्य के निरीक्षण आदि के साथ साथ सहायता (रजाई, कम्बल आदि) भी वितरण किये गये हैं

(4) अकाल सहायता कोष के लिये मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री ने बम्बई एवं मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री और उप-मंत्री, नियुक्ति ने कलकत्ता का दौरा किया था जिस पर टी० ए०, डी०ए० के रूप म रु० 5,400.51 पै० का खर्चा हुआ। राजस्थान म अकाल सहायता कोष के लिये धनराशि एकत्र करने के एकमात्र उद्देश्य से कोई दौरे नहीं किये गये।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

मांडलगढ़ एस० डी० एम० कोर्ट और तहसील की इमारत

454. **श्री महेरसिंह मेहता (मांडलगढ)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडलगढ एस० डी० एम० कोर्ट तथा तहसील के लिए नीचे इमारत बनवाने में क्या प्रगति हुई है ?

(2) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो क्या जल्दी ही इमारत का काम प्रारम्भ करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) मांडलगढ एस० डी० एम० कोर्ट तथा तहसील बिल्डिंग के निर्माण के लिये एक लाख रु० के कार्य करने के निमित्त आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं।

(2) इस ही साल कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मंत्रियों, उप-मंत्रियों आदि के दौरों पर हुआ खर्च

455. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मई, सन् 1967 से जनवरी, सन् 1969 तक मन्त्री व उप-मन्त्रियों व राज्य मन्त्री तथा संसदीय सचिवों ने दौरों पर व अन्य सरकारी व गैर सरकारी समारोहों में कितना कितना टी० ए० व डी० ए०, पैट्रोल खर्च किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मन्त्री व उप-मन्त्री आदि के साथ में किस प्रकार का कितना कितना स्टाफ रहा और उन प्रत्येक को कितना कितना टी० ए० व डी० ए० आदि में भुगतान करना पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खर्चे की वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है—(परिशिष्ट-1) ।

(2) खर्चे की वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है—(परिशिष्ट 2-3) ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई)

मन्त्रियों व उप-मन्त्रियों आदि की चिकित्सा व टेलीफोन सुविधाओं पर हुआ खर्च

456. **श्री हरजी राम बुरडक** (लाडनूं): क्या मुख्य मंत्री (मन्त्रि मण्डल सचिवालय) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मौजूदा मन्त्रि मण्डल बनने के बाद अब तक किस किस मन्त्री, उप-मन्त्री व राज्य मन्त्री पर किस किस माह में कितना कितना रुपया यात्रा भत्ते में खर्च हुआ है ?

(2) उक्त अवधि में किन किन मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों व राज्य मन्त्रियों की चिकित्सा सुविधा पर और टेलीफोन सुविधा पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है ?

उत्तर

(1) खर्चे के वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 1)

(2) खर्चे के वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है - (परिशिष्ट 2-3) ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंत्री, उप-मंत्री आदि द्वारा सरकारी गाड़ी से यात्रा व दैनिक भत्ते की वसूली

457. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री (मंन्त्रि-मण्डल) यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 जनवरी से 15 फरवरी, सन् 1969 के बीच कौन कौन मन्त्री, राज्य मन्त्री एवं उप-मन्त्री, राज्य के बाहर रहे और कहां कहां रहे, और कितने कितने दिन तक रहे और इनमें से किस किस ने सरकारी गाड़ी से यात्रा की, और किस किस ने कितना कितना यात्रा एवं दैनिक भत्ता वसूल किया ? इसका पूर्ण विवरण देते हुए एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है - (परिशिष्ट 1 व 2) ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंत्रियों, उप-मंत्रियों आदि पर विभिन्न मदों में हुआ खर्च

458. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में मंत्रि यों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर टेलीफोन, पट्रोल एवं भत्ता (दनिक भत्ता) आदि की मदों में अलग अलग कितना खर्च हुआ ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1 अप्रेल, सन् 68 से 31 मार्च, सन् 69 तक के ग्यारह महीनों में इन लोगों पर अलग अलग उक्त मदों में कुल कितना खर्चा हुआ ? इसका भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस संबंध में बनाये गये नियमों के विपरीत अधिक खर्चा किस किस पर कितना कितना उक्त अवधि में हुआ ? इसका भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त अवधि में किस किस ने कितने कितने किलोमीटर की यात्रा स्टेट गरेज की गाड़ियों से की और जिसका यात्रा भत्ता उक्त विवरण में सम्मिलित नहीं है उसका भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त अवधि में स्टट गरेज की कितनी गाड़ियों के एक्सीडेन्ट हुए जिनमें उक्त प्रकार के लोग यात्रा कर रहे थे ? उन लोगों के नाम और उनकी गाड़ियों की संख्या एवं उनकी मरम्मत पर जो खर्चा हुआ उन सबका विवरण सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखदी है– (परिशिष्ट-क)।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखदी है– (परिशिष्ट-क)।

(3) टेलीफोन व यात्रा भत्ता के व्यय के संबंध में संबंधित नियमावली में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

पैट्रोल के संबंध में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय केवल श्री बी० एन० जोशी, राज्य मंत्री के संबंध में हुआ है, जिन्हें भुगतान हेतु बिल भिजवा दिया गया है।

(4) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखदी है– (परिशिष्ट-म)।

(5) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखदी है– (परिशिष्ट-छ)।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मंत्रियों के दौरें और उन पर खर्च

459. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष किन किन मन्त्रियों ने राजस्थान के किन किन अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया ?

(2) उन क्षेत्रों में कितने समय तक दौरे पर रहे और इस पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

(3) उनकी क्या रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना की 2 तालिकाएं

(मुख्य मंत्री)
सदन की मेज पर रखदी हैं।

(2) वांछित सूचना उक्त तालिका 1 के स्तम्भ 4 व 5 पर अंकित है।

(3) वांछित सूचना उक्त तालिका 1 के स्तम्भ 6 पर अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कस्बा जालौर की सीमा की खसरा नम्बर 560 वाली भूमि

460. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विक्रम सं० 1851, माघ कृष्ण 1 को सिंघवी जीतमल को कस्बा जालौर की सीमा में तत्कालीन जोधपुर नरेश ने 1898 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसका पुराना खसरा नं० 813 था और वर्तमान खसरा नं० 560 है इनाम में दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि सिंघवी जीतमल के निवेदन से उपर्युक्त भूमि को तत्कालीन जोधपुर नरेश ने 6 गांवों (जालोज, देघू, बादनवाडी, सूरपुरा, सांवतपुरा और महेशपुरा) की मवेशी चारागाह हेतु रखने हेतु विक्रम संवत् 1851, माघ कृष्ण 1 को एक आज्ञा निकाली और आज्ञा का उल्लंघन करने वाले पर एक हजार रुपये दण्ड का उसी आज्ञा सनद में लिखा ? संबंधित आज्ञा की सनद की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जावे ?

(3) क्या यह सही है कि संबंधित इस गोचर में से ई० सन् 1907 में एक हजार बीघा श्री मुनीर खां और श्री नसीर खां के नाम बापी हुई थी और ग्राम सांवतपुरा के कृषकों द्वारा आपत्ति उठाने पर सन् 1909 में (तत्कालीन जोधपुर लैण्ड रेकर्ड फाइल नं० 123, ता० 16-7-1907) तत्कालीन जोधपुर सरकार ने बापी रद्द करके गोचर ही कायम रखी थी ?

(4) क्या यह सही है कि फिर सन् 1927 में श्री उदयराज महाजन को इसी गोचर में से बापी पट्टा देने का तत्कालीन एसिस्टेन्ट हवाला सुपरिन्टेन्डेन्ट, जालोर ने निर्णय दिया था परन्तु पुनः आपत्ति आने पर तत्कालीन हवाला सुपरिन्टन्डेन्ट, जोधपुर ने फसले से बापी का निर्णय रद्द करके सारी भूमि को यथावत् गोचर ही कायम रखा था—हवाला सुपरिन्टेन्डेन्ट के ता० 3-4-1929 के इस फसले की प्रतिलिपि सदन की पटल पर रखी जावे।

(5) क्या यह सही है कि कस्बा जालोर में खसरा नं० 560 रकबा 1898 बीघा 16 बिस्वा भूमि सन् 1963 अगस्त के पहले तक गोचर दर्ज था और दस्तूर गांवाई अनुसार यह गोचर जालोर के अलावा अन्य पांचों गांवों (देघू, वादनवाड़ी, सूरपुरा, सांवतपुरा और महेशपुरा) के मवेशियों के लिये भी गोचर निर्धारित था ?

(6) क्या यह सही है कि जिलाधीश, जालोर के अधीन अधिकारियों ने ऐसे ढंग से कागजात बनाकर जिलाधीश, जालोर के समक्ष प्रस्तुत किये जिससे यह आभास हो कि अकेले जालोर कस्बे की मवेशियों के लिये (जबकि जालोर सहित 6 गांवों की यह गोचर वर्षों से चली आ रही थी) यह गोचर अधिक है ? और क्या यह सही है कि ऐसी

Page No 37

(श्री फूलचन्द बाफना)

गलत रिपोर्टों के आधार पर जिलाधीश जालोर ने वर्षों से 6 गांवों के लिये चली आ रही इस गोचर भूमि में से 1200 बीघा भूमि को B.I.G. में (आज्ञा REV ।ए।2605 ता० 26-8-63 से परिवर्तित कर दिया और तहसीलदार, जालोर को भूमि आवन्टन की आज्ञा दे दी ?

(7) क्या यह सही है कि संबंधित छः गांवों की मवेशियों के लिये जालोर चरागाह के काम में आने हेतु ही यह भूदान किया गया था ? अतः क्या वर्षों से इन छः गांवों की मवेशियों के लिये चली आ रही इस गोचर के दानदाता के उत्तराधिकारियों को पूछे बिना (उन्हें जानकारी दिये बिना ही) चुपचाप ही इस प्रकार की भूदान की भूमि की किस्म परिवर्तित कर देना स्वेच्छा से भलाई करने वालों को हतोत्साहित करके स्वेच्छा से दान देने की प्रणाली को निरुत्साहित करने का यह काम नहीं है ? क्या सरकार के लिए ऐसा करना उचित है ?

(8) क्या यह सही है कि गोचर भूमि के लिये यदि किसी ग्राम में पड़त भूमि उपलब्ध हो तो, प्रति बड़ी मवेशी आधा स्टेन्डर्ड बीघा (जो साधारण बीघा से 9।40 एकड़ अधिक होता है) और प्रति छोटी मवेशी (भेड़, बकरी) चौथाई स्टेन्डर्ड बीघा सुरक्षित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो संबंधित इन 6 गांवों के कुल मवेशियों के लिये कितने बीघा भूमि चाहिये ? यदि इन 6 गांवों के लिए संबंधित कुल भूमि पर्याप्त नहीं पड़ती है, तो फिर संबंधित भूमि में से सन् 1966 में भूमि आवन्टित क्यों की गई ?

(9) क्या यह सही है कि उपर्युक्त पृष्ठ भूमि के अनुसार संबंधित भूमि का आवन्टन करना अनुचित था, फिर भी क्या यह भी सही है कि भूमि आवन्टन के पूर्व पालन करने के नियमों का भी पूर्णतया पालन नहीं किया गया और भूमि आवन्टित हो जाने के पश्चात् भी पालन करने के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं किया गया ? कौन कौन से नियमों का पालन नहीं किया गया ?

(10) क्या यह सही है कि भूदान दाता श्री जीतमलजी के उत्तराधिकारियों (जोधपुर निवासी) को इस गड़बड़ का पता लगने पर उन्होंने आप (माननीय राजस्व मन्त्री) को ता० 11-9-68 को विस्तृत आवेदन-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उपर्युक्त पृष्ठभूमि के कारण संबंधित समस्त भूमि पुनः यथावत् गोचर कायम रखने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह कहा जा सके कि भूतपूर्व जोधपुर नरेश ने यह जमीन सिंघी जीतमल जी को इनाम में दी थी।

(2) दस्तूर गांवाई कस्बा जालोर में यह तथ्य अंकित नहीं है कि यह गोचर भूमि 6 ग्रामों के लिये रखी गई और यह भी अंकित नहीं है कि यह गोचर सिंघी जीतमल जी के निवेदन पर निश्चित की गई थी और आज्ञा का उल्लंघन करने वाले पर एक हजार रुपया दण्ड होगा।

(3) ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(4) ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(5) जी हां यह सही है कि कसबा जालोर में खसरा नम्बर 560 रकबा 1898 बीघा 16 बिस्वा भूमि सन् 1963 अगस्त के पहले तक गोचर दर्ज थी।

(6) यह सही है कि मौजा जालोर में प्रति पशु आधा बीघा गोचर भूमि के हिसाब से कुल पशुधन 3092 के लिये भूमि की आवश्यकता होती है। मौजा जालोर में कुल 3105।)1 बीघा गोचर भूमि होने से खसरा नम्बर 560 गैर मुमकिन गोचर भूमि में से कृषि भूमि में परिवर्तन करने के लिये कार्यवाही की गई। हां यह भी सही है कि जिलाधीश, जालोर के आदेश सं० 2605-7 दनांक 26-8-62 द्वारा खसरा नम्बर 560 रकबा 1200 बीघा बी० आई० जी० एम० म परिवर्तित करने के लिये आवन्टन के आदेश दिय गये थे।

(7) ऐसा कोई रेकाड़ उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह बताया जावे कि यह आराजी संबंधित 6 गांवों की मवेशियों के लिये बतौर चारागाह के काम में आने हेतु भूदान की गई हो।

(8) हां यह सही है कि प्रति पशु आधा बीघा गोचर भूमि सुरक्षित रखने का प्रावधान है, किन्तु जिसमें भेड़, बकरी सम्मलित नहीं होती हैं। मौजा जालोर की मवेशी के लिये परियाप्त गोचर होने से खसरा नम्बर 560 में से भूमि का आवंटन किया गया था।

(9) उक्त भूमि आवंटन की अपील विचाराधीन है।

(10) इस संबंध म जांच कराई जा रही है।

सुमेरपुर में आबादी भूमि पर नाजायज कब्जा

461. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या राजस्वमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सुमेरपुर, जिला पाली में किस किस का कितनी कितनी आबादी भूमि पर कब कब से नाजायज कब्जा है ? किस किस नाजायज कब्जे को हटाने हेतु अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या क्या फल हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सुमेरपुर की आबादी भूमि के राज्य के खच से दो बार मास्टर प्लान बनाये ? यदि हां, तो इन मास्टर प्लानों का अब तक क्या उपयोग हुआ ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर व खन्डार में भूमि का एलाटमेंट

462. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर, खण्डार तथा बोंली तहसीलों में ता० 1 अप्रेल, 68 से 31-7-69 तक किस किस गांव में कितनी कितनी भूमि किस 2 काश्तकार को कौन कौनसी तारीख में एलॉट की गई ?

(2) उक्त एलाटीज में पिछड़ी जाति के किन 2 व्यक्तियों को कितनी कितनी भमि (मय खसरा नम्बर व गांव के) उक्त समय में कौन कौन सी तारीखों को वितरित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

समय पर विधान सभा सदस्य, प्रधान तथा विकास अधिकारियों को भूमि वितरण करने की तारीख से सूचित नहीं करते और चुपचाप एलॉटमेंट सरपंचों को साथ रखकर कर डालते हैं।

(4) यदि हां, तो ऐसे तहसीलदारों के विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

(5) यदि नहीं तो क्या सरकार इस संबंध में निष्पक्ष जांच कमीशन नियुक्त करके शीघ्र रिपोर्ट देगी ?

उत्तर

(1) कुल 11562।।।)1 भूमि 2025 काश्तकारों को की गई है। तहसील वाईज विवरण इस प्रकार है ।

नाम तहसील	काश्तकारों की कुल सं० जिन्हें भूमि एलॉट की गई ।	कुल रकबा जो एलॉट किया गया
खण्डार	510	3058।।) 2
सवाई माधोपुर	906	4978।।)
टोंकी	906	3525।।) 4

काश्तकारों की सूची काफी लम्बी है और इस विभाग में देखी जा सकती है ।

(2) पिछड़ी जाति के 654 व्यक्तियों को लगभग 382 बीघा भूमि उक्त तहसीलों में दी गई।

(3) सूचना बराबर दी जाती है। चुपचाप एलॉटमेंट नहीं किया जाता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगाली विस्थापितों की कोलोनी की चद्दरें

463. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की तहसील किशनगंज में स्थित बंगाली विस्थापितों की तीन कोलोनी घट घट्टी, परानिया एवं गोरधनपुरा में बने विस्थापितों के मकानों पर कितनी कितनी नालीदार चद्दरें लगी थीं और अब कितनी कितनी चद्दरें लगी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि विस्थापित कोलोनी में लगाई गई चद्दरों में से बहुत सी चद्दरें गायब हो गई हैं ?

यदि हां, तो कब कितनी चद्दरें गायब हुई और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

चम्बल नहर के लीकेज व सीपेज के पानी से पास की भूमि का खार आदि से खराब होना

464. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला क्षेत्र की तहसील लाडपुरा, दिगोद, पिपल्दा, मांगरोल आदि क्षेत्र में चम्बल नहर के लीकेज व सीपेज के पानी से नहर के निकट के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

किसानों की कई बीघा भूमि खार आदि से खराब हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी खार आदि के कारण खराब पड़त भूमि का लगान व सरचार्ज भी सरकार द्वारा वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम इटावा के हाट का मैदान

465. **श्री महेन्द्रसिंह हाडा** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्राम इटावा में अर्से से अनाज की मण्डी वहां के हाट के मैदान में लगती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस हाट के मैदान में कोलोनी कानून लागू होने से पूर्व की दुकानें चली आ रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब इन दुकानदारों को वहां से हटाये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

भरतपुर जिले के तहसीलदारों के तबादले

466. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष (1968-69) भरतपुर जिले से किन किन तहसीलदारों के तबादले किए गए ? ये तबादले कहां किये गये और किन किन तिथियों को किये गये ?

(2) क्या उक्त तहसीलदारों के तबादलों के आदेशों को बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो किनके और क्यों ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री प्यारेलाल तहसीलदार, नदबई, जिला भरतपुर का तबादला जिला कोटा म दिनांक 2-7-68 को किया था । (1) श्री कन्हैयालाल सेनी तहसीलदार, धौलपुर, जिला भरतपुर का तबादला जिला जैसलमेर में दिनांक 4-7-68 को किया गया था ।

(2) उक्त दोनों आदेश प्रशासनिक दृष्टि से निरस्त कर दिये गये हैं ।

जिलाधीश, जयपुर के कार्यालय में पेन्डिग जागीर व नेहरू बॉन्ड्स

467. **श्री नाथूलाल करोल** (जमवारामगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिलाधीश, जयपुर के कार्यालय में तहसील जमवारामगढ व सांगानेर के जागीर व नेहरू बौन्ड्स किन किन व्यक्तियों के कितने कितने रुपयों के और किस किस ग्राम के पैन्डिग हैं ? तहसीलवाइज एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री नाथूलाल करोल)

(2) उपरोक्त बौन्ड्स उक्त कार्यालय में कबसे पड़े हुए हैं ?

(3) उपरोक्त बौन्ड्स के जागीरदारों को देने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

(4) क्या यह बौन्ड्स तहसीलदारों के द्वारा बटवाये जाते हैं यदि हां, तो आज तक तहसीलों में न भेजने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मार्च 1963 से ।

(3) राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर (कम्पेनसेशन एण्ड रिहैबिलीटेशन बौण्ड) रूल्स, 1956 के रूल 22 के अनुसार।

(4) जी हां, किन्तु तहसीलों में 62-63 से ही बौन्ड्स अवितरित रखे हुए हैं और उनको जागीरदारों द्वारा न लेने के कारण ही बौन्ड्स अब जयपुर ट्रेजरी से ही बटवाये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील खानपुर में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे

468. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील खानपुर के ग्राम जरगा, मरायता, डून्डी गाडरवाडा व ललावता में सार्वजनिक भूमि को फाड देने के कितने मामले सरकार के सामने आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) अनधिकृत कब्जों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये सरकार ने 1962 से अब तक क्या क्या आदेश कब कब जारी किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह भी बतायें कि आखिरी आदेश कब जारी किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि साल दर साल रेगुलेराइजेशन की मियाद बढ़ते रहने की सरकारी नीति के कारण गांवों में अनधिकृत कब्जे करने की मनोवृत्ति को बढ़ावा मिला है ? कृपया तहसील खानपुर में अनधिकृत भूमि की तादाद 1962 से लगायत 1968 तक हर साल की अलग अलग बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील खानपुर में निम्न ग्रामों की भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं :—

1.	डूंडी गाडरवाडा	39
2.	जरगा	12
3.	ललावता	12

अतिक्रमण को रोकने के लिए इन सब पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही की गई।

(2) अतिक्रमण को रोकने के लिये सरकार समय समय पर आदेश प्रसारित करती रहती है उन सब आदेशों का सार अन्तिम परिपत्र संख्या एफ० 3(50)रेवी/बी०/64, दि० 5-10-67 द्वारा जारी किया गया।

(राजस्व मंत्री)

(3) यह सही है कि हर साल अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है लेकिन रेगुलेराइजेशन की नीति ही बढ़ते हुए अतिक्रमण का एकमात्र कारण नहीं है।

(4) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

रामगंज मण्डी में भूमि का गलत अलॉटमेंट

469. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ऊंडवा, ईश्वरपुरा व रामगंज मंडी के अनेकों दूसरे गांवों में तहसीलदार द्वारा गलत अलॉटमेंट कर देने के फलस्वरूप सरकार द्वारा 1966 में तहसील के सारे अलॉटमेंट केन्सिल कर दिये गये थे ? यदि हां, तो किन किन गांवों में कितने क्षेत्र में अलॉटमेंट केन्सिल किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अलॉटमेंट किस कारण रद्द किये गये थे कि 15 बीघा से अधिक भूमि वाले व्यक्तियों को जमीनें अलॉट करदी गई थीं जबकि उन्हीं गांवों के भूमिहीन किसान भी मौजूद थे और उनकी भी जमीन की मांग थी ? यदि हां, तो भूमि वाले और भूमिहीन काश्तकारों का अलॉटमट किस अनुपात से मन्जूर किया गया था ?

(3) क्या सरकार ऐसे अलॉटमेन्ट को जो भूमिहीनों को किये गये थे रेगुलेराइज करने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो उक्त जमीन के लिये भविष्य में क्या प्रोसीजर अपनाया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम ऊंडवा, तहसील रामगंज मंडी में इस अलॉटशुदा जमीन को चरागाह में परिवर्तित करने की मांग ग्राम पंचायत व शिकायत करने वाले भूमिहीन काश्तकारों ने मिलजुल कर की हुई है व चरागाह की इतनी ही जमीन को भूमि अलॉटमेंट के लिये निकाल देने व नये ढंग से अलॉट करने की मांग है ? यदि हां, तो इस मामले पर अब तक गौर नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

पानों की खेती, लाखेरी

470. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी, जिला बूंदी में पानों की खेती सौ डेढ़ सौ वर्षों से होती आ रही है ?

(2) यदि हां, तो यह पानों की खेती कुल कितने बीघा भूमि पर कितने व्यक्तियों के द्वारा की जाती रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व सेक्रेटरी के द्वारा जिस भूमि पर पानों की खेती होती है उसका आठ बीघा रकबा तीन चार परिवार के 17 व्यक्तियों के नाम अलॉटमेंट कर दिया गया और सहकारी बनाने का आदेश दिया है ?

(4) क्या यह सही है कि तमाम भूमि तीन चार परिवार को अलॉटमेंट कर देने से बाकी के पानों की खेती वाले काश्तकार

Page No 43

(श्री देवीदत्त गाढ़िया)
उक्त भूमि से वंचित हो गये हैं एवं उनके प्रार्थना-पत्र पर ध्यान नहीं देकर उन्हें बेकार बना दिया गया है ?

(5) जो काश्तकार पानों की खेती करते आ रहे हैं और पुनः करते रहना चाहते हैं जिन्होंने श्री कलेक्टर साहब, बूंदी को प्रार्थना-पत्र दिये हैं उन्हें कौनसी जगह पान की खेती करने हेतु भूमि दिये जाने के आदेश दिये हैं ?

(6) यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) लाखेरी, जिला बूंदी में पानों की खेती अस्थाई रूप से लम्बे अर्से से होती रही है।

(2) पानों की खेती अस्थाई रूप से सम्वत् 1999 से ।)3 बिस्वां से 4।।) बीघा तक अधिक से अधिक 41 व्यक्तियों द्वारा कम से कम 3 व्यक्तियों द्वारा की जाती रही है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रार्थना-पत्रों के बारे में विस्तृत ब्यौरा न होने की सूरत में इसका उत्तर संभव नहीं है।

(6) इसका उत्तर पैरा 5 में दिया जा चुका है।

राजस्व मंडल की काज लिस्ट

471. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्व मण्डल, अजमेर में राजस्थान के प्रत्येक कोने से आदमी आते हैं और आने जाने में दो तीन दिन तथा काफी धन व्यय होता है ?

(2) क्या राजस्व मण्डल में जितने मुकद्दमें रोज के काज लिस्ट में लगते हैं उनमें से कुछ ही की सुनवाई होती है और शेष बदल दिये जाते हैं ?

(3) क्या राजस्व मण्डल केवल इतने ही मुकद्दमें काज लिस्ट में रखने की व्यवस्था करने को तैयार है ?

(4) क्या यह सच है कि राजस्व अधिकारी जो मुकद्दमे तै करते हैं वे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मुकद्दमें नहीं सुन पाते हैं और जनता को असुविधा होती है ?

(5) क्या राजस्व विषयों के निर्णय में भी राज्य सरकार न्यायिक व्यवस्था को प्रशासनिक व्यवस्था से भिन्न करने को तैयार है ?

(6) क्या राजस्व मण्डल की काज लिस्ट प्रत्येक जिलाधीश के कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्व मण्डल राजस्थान स्तर का एक न्यायालय होने से यहां आदमियों का आना जाना स्वाभाविक है। आने जाने वाले व्यक्तियों का आने जाने में खर्च व समय लगना भी स्वाभाविक ही है।

(2) प्रत्येक वाद में उसकी परिस्थिति अनुसार सुनवाई में समय लगता है और इस

(राजस्व मंत्री)

प्रकार न्यायालय के सम्पूर्ण समय में जितने वाद सुने जा सकते हैं सुन लिये जाते हैं तथा शेष में तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं।

(3) प्रयत्न तो यही किया जाता है किन्तु कई दफा काज लिस्ट को लैप्स होने की शंका से अथवा वकीलों के आग्रह से लम्बी कर दी जाती है।

(4) जी नहीं। यदि किसी कारणवश कोई राजस्व अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यस्त होते हैं तो अन्य सदस्य की एस० बी० व सदस्यों की डी० बी० बनाई जाती है।

(5) यह अभी राज्य के विचाराधीन है।

(6) काज लिस्ट प्रत्यक जिलाधीश कार्यालय में प्रेषित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

तहसील उनियारा के लिपिक के विरुद्ध शिकायतें

472. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मन्नालाल, यू० डी० सी० के विरुद्ध रिश्वत के मामले की एक शिकायत श्री मदनलाल टेलर द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच एस० डी० ओ०, टोंक के पास चल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि आज दिन तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है क्योंकि श्री मन्नालाल, जो कि तहसील उनियारा में नियुक्त हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके गवाहों को दबाता है ?

(4) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि उस व्यक्ति को वहां रखने से सही जांच नहीं हो पा रही है ?

(5) क्या सरकार उसके स्थानान्तरण के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है, जिससे जांच हो सके ? यदि हां तो कब ?

(6) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश द्वारा उसे चार्जशीट दी गई थी ? यदि हां तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 18-8-66 को।

(2) जी नहीं। उप-जिलाधीश द्वारा जांच की कार्यवाही पूर्ण करली गई है।

(3) जी नहीं। श्री मन्नालाल का स्थानान्तरण हो चुका है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी हां। चार्जशीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

तहसील रीआर्गेनाइजेशन कमीशन

473. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा

Page No 45

(श्री दिग्विजयसिंह)

करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा तहसील रीऑर्गनाइजेशन कमीशन नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब और यह कमीशन अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक दे देगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस कमीशन के पास तहसील हैडक्वार्टर्स के स्थानान्तरण मामले भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कुल कितने और कौन कौन सी तहसीलों के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, ज़िला टोंक जिसका मुख्यालय अलीगढ़ है, का विषय भी विचाराधीन है ?

(4) क्या राज्य सरकार जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आवे कोई मुख्यालय को बदलने के आदेश प्रदान नहीं कर सकती ? यदि नहीं, तो क्या उनियारा तहसील मुख्यालय के आदेश उनियारा में स्थापित करने के कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) मंत्रिमण्डल सचिवालय (व्यवस्था एवं पद्धति) विभाग के आदेश संख्या पं० 5(4) व्य० एवं पं०/68, दिनांक 25-6-69 के द्वारा अब इस आयोग का विघटन हो चुका है। अतः अब किसी मामले के विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम कनवास की जमीन का अलॉटमेन्ट

474. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कनवास, तहसील सांगोद में श्री छीतर वल्द गणेश भील को दिनांक 21-8-64 को आराजी नं० 161 में 5 बीघा व आराजी नं० 186 में 5 बीघा कुल 10 बीघा जमीन अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा अलॉट की गई थी और उक्त जमीन का गणेश लगान देता आ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि आराजी नं० 186 की जमीन पथरीली होने के कारण गणेश ने इसी नम्बर की अतिरिक्त भूमि से तब्दीली करने की दरख्वास्त की थी जो मन्जूर नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि 186 नम्बर खसरा की अतिरिक्त भूमि में से कुछ जमीन फूल खां नाम के व्यक्ति को अलॉट कर दी गई थी और इसकी आड़ में पटवारी गणेश की अलॉटशुदा भूमि को भी छुड़ाने का प्रयास कर रहा है ?

(4) क्या सरकार भूमि सम्बन्धी अनेकों व्यवहारिक कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी करने व उन्हें स्थायी तौर से सुलझाने की व्यवस्था करने का विचार करती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पशु चिकित्सालय भवन, लाडनूं की भूमि

475. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कार्यालय, लाडनूं के सामने जो भवन पशु चिकित्सालय के नाम से बना है वह किस किस्म की तथा किस व्यक्ति की भूमि है ?

(2) क्या यह अनधिकृत निर्माण कार्यों की तारीफ में नहीं आता ? यदि हां, तो इस पर तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या इस प्रकार के निर्माण कार्यों के संबंध में लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्या और किस अधिकारी के द्वारा ?

(4) इस संबंध के मामलों में तहसीलदार की क्या जिम्मेदारी होती है ?

उत्तर

(1) तहसील कार्यालय, लाडनूं के सामने जो पशु चिकित्सालय के नाम से भवन बना हुआ है वह मौजूदा रेवेन्यू रेकार्ड में श्री रामप्रताप चेला चतुरदास के नाम दर्ज है किन्तु सं० 2022 में नया भू-प्रबन्ध हुआ तब इस जमीन को अलग नं० 1001/2036 रकबा 7 बिस्वा गै० मु० अस्पताल में दर्ज कर दिया गया अब वह भूमि अस्पताल की है।

(2) चूंकि उक्त अस्पताल सरकारी है व जन हित के लिये बनाया हुआ है, इसलिए अनधिकृत निर्माण नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति विशेष का हित नहीं है।

(3) राजकीय भूमि पर व्यक्तिगत हित के लिये निर्माण कार्य करने पर धारा 91 रा० भू० राजस्व अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के अधिकार तहसीलदार को हैं।

(4) तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है कि अनधिकृत कार्यवाही का निर्माण न होने दे व होने पर कानूनन कार्यवाही करे।

ग्राम प्रान्हेड़ा (केकड़ी) का चरागाह

476. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 65-66 में केकड़ी उप-जिलाधिकारी के आदेश से ग्राम पंचायत प्रान्हेडा ने चरागाह का 1/3 हिस्सा काश्त किया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चरागाह काश्त का केकड़ी उप-जिलाधिकारी द्वारा 12 रु० प्रति बीघा से 4,170 रु० पंचायत द्वारा वसूल कर लिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 3-3-69 को भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने उक्त रुपया पंचायत को वापिस देने का वचन दिया था ?

(4) क्या उपरोक्त रुपया ग्राम पंचायत प्रान्हेडा को वापिस लौटा दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) अगर हां, तो कब तक लौटाने का विचार है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) तत्कालीन उप-जिलाधीकारी के आदेश से नहीं बल्कि अन्य पंचायतों की तरह पंचायत प्रान्हेडा ने भी चरागाह भूमि काश्त की थी ।

(2) जी हां ।

(3-4) ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केकड़ी और सरवाड़ तहसील की सिवाय चक, पड़त व काबिल काश्त भूमि

477. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी और सरवाड़ तहसील में पड़त, सिवाय चक, काबिल काश्त व अतिक्रमण से बेदखल भूमि कितनी पड़त है ?

(2) ऐसी कितनी भूमि है जो आज दिन तक अलॉटमेन्ट में बाकी रही ? सालाना नक्शा सन् 1960 से 1967 तक का मय कुल पड़त भूमि सालाना अलॉट व साल आखीर बकाया सिवाय चक का बतावें और सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कितने भूमिहीन कृषि काश्तकार अब भूमि प्राप्त करने से बकाया हैं ?

(4) भूमिहीन काश्तकारों के होते हुए भी पड़त सिवाय चक भूमि अलॉट क्यों नहीं होती है ?

(5) पड़त सिवाय चक भूमि का अलॉटमेन्ट रेट से क्या लगान होता है ?

उत्तर

(1) तहसील केकड़ी व सरवाड़ में पड़त सिवाय चक काबिल काश्त भूमि क्रमशः 6,888 एकड़ व 2,457 एकड़ है और अतिक्रमण से बदखल पड़त भूमि क्रमशः 2,967 व 2,350 एकड़ है ।

(2) तहसील केकड़ी एवं सरवाड़ में भूमि सन् 1960 से सन् 1967 तक अलॉटमेन्ट से जो बाकी रही, उसकी सूची संलग्न है ।

(3) तहसील केकड़ी व सरवाड़ में क्रमशः 1,426 व 1,018 भूमिहीन काश्तकार भूमि प्राप्त करने से शेष हैं ।

(4) केकड़ी तहसील में आवंटन की कार्यवाही जारी है । और तहसील सरवाड़ में आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

(5) दोनों तहसीलों में पड़त सिवाय चक भूमि का लगान किस्म जमीन पर जो बन्दोबस्त द्वारा तश्खीस कम से कम बारानी तीन की रेट से लगान लगाया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

आबू रोड पर लागू बम्बई प्रान्त के कानून

478. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड में बम्बई व राजस्थान दोनों के कानून लागू होते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से और क्यों?

(2) क्या यह सही है कि आबू रोड में बम्बई पुलिस एक्ट लागू होने के कारण परगना अधिकारी न्यायालय में चलने वाले मुकद्दमों को मुन्सिफ कोर्ट में चलाया जाता है?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि आबू रोड में बम्बई पुलिस एक्ट एवं बम्बई प्रोहीबीशन एक्ट लागू होने के कारण पुलिस को विशेषाधिकार मिले हैं ?

(4) क्या यह सही है कि आबू रोड नगरपालिका ने बम्बई के समय की चुंगी लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों और यह चुंगी की दर राज्य की अन्य नगरपालिकाओं द्वारा लगाई गई चुंगी की दरों से कितनी अधिक है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या सरकार आबू रोड में लागू बम्बई प्रान्त के सभी कानूनों को हटा रही है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । बम्बई (महाराष्ट्र) व राजस्थान राज्यों के कानूनों की सूची संलग्न है । निरस्त न किये जाने के कारण प्रभावशील है ।

(2) इसका सम्बन्ध गृह विभाग से है । प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे मुकद्दमे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, आबू रोड की न्यायालय में चलते हैं ।

जी नहीं ।

(3) इसका सम्बन्ध स्वायत्त शासन विभाग से है । प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं है । नगरपालिका, आबू रोड की चुंगी अनुसूची राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 में विभागीय अधिसूचना क्रमांक टैक्स एफ० 8(183) एल० एस० जी०/61, दिनांक 10-4-64 द्वारा आरोपित की गई है ।

(4) राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं में वहां की स्थानीय परिस्थितियोंवश विभिन्न मदों पर विभिन्न प्रकार से चुंगी दरें प्रचलित हैं, अतः कम बेशी दरों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सारे राज्य भर की नगरपालिकाओं की चुंगी दरों की सूची एकत्रित करना समयाभाव के कारण संभव नहीं हो सकता ।

(5) राजस्थान के अधिकांश कानून आबू क्षेत्र म लागू करके बम्बई के कानून निरस्त कर दिये गये हैं । शे शनैः शनैः निरस्त किये जा रहे हैं । इसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैसलमेर और बाड़मेर में विद्युत व्यवस्था

479. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष के बजट में जैसलमेर, बाड़मेर के लिये पांच-पांच सौ किलोवाट के दो सेट खरीदने का प्रावधान रखा गया था ? अगर हां, तो आज तक नहीं खरीदने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर, बाड़मेर दोनों की पेय जल योजना भी इसी पर निर्भर है ?

(3) बिजली के संबंध में दोनों जगह की जनता हमेशा शिकायत करती रहती है?

उत्तर

(1) विशिष्ट रूप से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है ।

(विद्युत् मंत्री)

प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) स्थानीय पॉवर हाउस पर निर्भर है।

(3) बाड़मेर में 640 किलोवाट की क्षमता के सेट के चालू होने के बाद से अब कोई शिकायत नहीं है। जैसलमेर में बिजली के सम्बन्ध में कभी कभी शिकायत आती रहती है। जिसके हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है और 680 किलोवाट का एक सेट अन्य स्थान से हटाकर लगाया जा रहा है।

खन्डार कस्बे का विद्युतिकरण

480. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील खण्डार कस्बे में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होने से क्या सरकार वहां बिजली लगाने वाली है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) राजस्थान के तहसील केन्द्रों में कौन कौन से कस्बे हैं, जहां अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है ?

उत्तर

(1) अभी कोई योजना नहीं है।

(2) निश्चित समय से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

ग्राम अनगोरा के कुओं पर बिजली लगाने की मांग

481. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब-तहसील, इन्द्रगढ़ के ग्राम अनगोरा के किसानों ने कुओं पर बिजली दिये जाने के प्रार्थना-पत्र विभाग में दे रखे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों को आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अनगोरा और सुमेरगंज मंडी यदि एक ही ग्राम के दो नाम हैं, जैसा कि जनगणना रिपोर्ट से विदित होता है, तो इस स्थान पर कोई कृषि हेतु प्रार्थना-पत्र विचराधीन नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् वितरण

482. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 68-69 एवम् 69-70 में राजस्थान के किस-किस जिले के कितने कितने गांवों को किस किस माह में बिजली दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों में अधिकांश ग्राम ऐसे हैं जो वार्षिक योजना में शामिल नहीं थे ? यदि हां, तो फिर इन गांवों में बिजली किस आधार पर लगाई

(श्री विजयसिंह)

गई थी, कृपया इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला

483. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज विद्युत् मंडल के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला निर्धारण करने के लिये जो वेज बोर्ड बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस भयंकर मंहगाई में यदि वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब हो, तो कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता वेतन भत्ता क्यों नहीं दिया जाता?

(3) वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में राज्य सरकार को क्या कठिनाई है?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने भारत के सभी विद्युत् मण्डलों एवं कम्पनियों के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय वेतन मण्डल गठित किया था। उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को अभी तक नहीं दी है। अतः लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) उपरोक्त वेज बोर्ड ने अपनी 8-9-67 के प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश की थी कि अपने कर्मचारियों को जिनका वेतन 449) रु० से कम हो उनको उनकी वेज म दिनांक 1-7-67 से अन्तरिम सहायता के रूप में 5) रु० से 20) रु० तक की तुरन्त वृद्धि करदें। इसकी तुलना में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा 1-10-66 से 1-6-67 तक अपने कर्मचारियों के वेज में 23) रु० से 95) रु० तक की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1-11-67 से 6) रु० से 11) रु० तक की वेज में वृद्धि की है। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने समय समय पर जो वेज में वृद्धि की है वह केन्द्रीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों से कहीं अधिक है। इसलिये अब और अन्तरिम सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) चूंकि केन्द्रीय वेतन बोर्ड की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं अतः इसे लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्रामीण विद्युत् योजना

484. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विद्युत् मंडल द्वारा 1969-70 में ग्रामीण विद्युत् योजना का क्या प्रोग्राम है और विभाग ने किन आधारों पर विद्युत् विकास करने का तय किया है? बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि मौजूदा प्रणाली में गांवों से लगे हुए ऐसे कुए जो दूसरे गांवों की सरहद में स्थित होते हैं बिजली नहीं प्राप्त कर सकते व कभी कभी उनके गांव का नाम बिजली मिलने वाले गांवों की सूची में दर्ज होने के पूर्व कई वर्ष लग जाते हैं?

Page No 51

(श्री जुझार सिंह)

यदि हां, तो क्या सरकार गांव को आधार नहीं बना कर, कुओं को आधार बना कर बिजली देने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि झालरापाटन तहसील के ग्राम मिलवाडी में आज से करीब 4 साल पूर्व बिजली दी गई थी परन्तु, उसके नजदीक लगते हुए ग्राम पंचायत गादिया, तहसील रामगंजमंडी के गांव गादिया, हनोतिया, उदपुरा आदि में अभी तक बिजली नहीं दी गई है व इसी प्रकार गंगधार तहसील के गांव सांकरिया में भी बिजली नजदीक में उपलब्ध होते हुए भी नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उपरोक्त गांवों में बिजली कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) (अ) 1969-70 की ग्रामीण विद्युत् योजना बनाई जा रही है। समस्त जिलाधीशों से उत्तर प्राप्त होने पर इसको अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

(ब) जहां तक आधार का प्रश्न है, ग्रामों की प्रसारण लाइन के समीप स्थिति, कृषि उत्पादन क्षमता, पानी की उपलब्धि, तकनीकी सहायता, और पुनः प्राप्ति आदि आदि पर निर्भर है। इस वर्ष में जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिश को दृष्टि म रखते हुए योजना बनाई जा रही है।

(2) (अ) जी हां। अस्वीकृत गांवों के कुओं को बिजली नहीं दी जाती है।

(ब) अभी एसा कोई विचार नहीं है।

(3) ये ग्राम स्वीकृत योजना में शामिल न होने के कारण इनका विद्युतिकरण नहीं किया जा सका।

(4) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

पंचायत समिति, सांगोद का विद्युतिकरण

485. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांगोद, जिला कोटा में लिफ्ट सिंचाई की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण विद्युत् विभाग से इस क्षेत्र में बिजली देने के लिये सिफारिश की गई है? यदि हां, तो विभाग ने इस संबंध में क्या प्रावधान किया है?

(2) क्या यह सही है कि उजाड़ नदी में पानी के उपयोग हेतु सरकारी व प्राइवेट डीजल पम्प लगाये हुए हैं परन्तु इस व्यवस्था में खर्चे की अधिकता के कारण पानी का पूरा उपयोग नहीं हो सकने की वजह से प्रशासन से इस क्षेत्र में विशेष तौर से बिजली पंहुचाने का आग्रह किया गया है? यदि हां, तो विद्युत् विभाग ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

(3) क्या यह सही है कि अन्ता से पलायता तक विभाग द्वारा 11 के० वी० लाइन खींची गई है? यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्चा किया गया व कितने क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाये गये? इस लाइन पर आने वास्ते अलग अलग गांवों के नाम व उनमें लिफ्ट से होने वाली सिंचाई का रकबा भी बतावें।

(श्री जुझारसिंह)

(4) क्या यह सही है कि पलायता से उजाड़ के लिफ्ट स्थानों का फासला सीधी लाइन से 8 माइल के करीब से भी कम है जबकि अन्ता व पलायता का फासला 5 मील से गांवों के बीच से है जिनमें चम्बल से सिंचाई के साधन पहले से ही उपलब्ध हैं? ऐसी सूरत में विद्युत् विभाग द्वारा 33 के०वी० लाइन को पलायता में स्ट्रेप डाउन नहीं करके अन्ता में करने के क्या कारण हैं?

(5) विद्युत् विभाग द्वारा इस साल किन किन ऐसे स्थानों को बिजली दी है जिनमें मिनिमम गारन्टी का फार्मूला लागू नहीं होता? कृपया मय पूरी लिस्ट के सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना लाभप्रद नहीं पाई गई, अस्तु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(2) जी हां, डीजल पम्प लगे हुए हैं। खर्चे के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है। योजना लाभप्रद न होने के कारण योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी है?

(3) जी हां, यह लाइन जुलाई के अन्त में ही पूरी हुई है। अतः खर्चे का पूरा हिसाब अब लगाया जावेगा, परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 2.233 लाख रुपयों के खर्चे से यह कार्य होना था इससे केवल पलायता का ही विद्युत्किरण किया गया है सिंचाई के रकबे की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(4) जी हां करीब 8 मील की दूरी है। 1962-63 की स्थानीय वितरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने अन्ता में 33 के० वी० का सब-स्टेशन मंजूर किया। अन्ता की जनसंख्या 4060 व तहसील हैड क्वार्टर्स था। पलायता की 1968-69 में स्वीकार हुआ। 33/11 के० वी० सब स्टेशन पलायता में लगाना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं था।

(5) किसी भी ऐसे ग्राम का विद्युतिकरण नहीं हुवा जो निर्धारित लाभांश के अन्तर्गत नहीं आया हो।

झुंझुनू में विद्युत विभाग का कार्यालय

486. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिला केन्द्र होते हुए भी वहां पर विद्युत् विभाग का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं सहायक इंजीनियर का पद नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) झुंझुनू नगर में विद्युत् विभाग के कौन कौन से कर्मचारी व अधिकारी की नियुक्ति हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि नागरिकों को बिजली के माहवारी या तिमाही बिलों को शहर से दो ढाई मील दूर जाकर जमा कराना पड़ता है? और क्या वहां इस कार्य के लिये सीधे एक दिन का समय विभाग द्वारा निर्धारित कर रखा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुंझुनू में विद्युत् विभाग का अधिशासी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता पद स्थापित नहीं है।

(विद्युत मंत्री)

(2) झुंझुनू नगर में इस समय निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :—

कनिष्ठ अभियन्ता	1
लाइनमैन प्रथम	2
हैल्पर प्रथम व द्वितीय	18

(3) जी नहीं। कैशियर प्रति माह 4 दिन तक कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय में, जो झुंझुनू की नगरपालिका सीमा में ही स्थित है, बैठकर बिलों का भुगतान लेता है।

रतनगढ़ सब-डिविजन में ट्रांसफॉर्मर के जल जाने से विद्युत् की अव्यवस्था

487. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि रतनगढ़ सब-डिविजन के ग्रिड स्टेशन का एक हजार की वाट का ट्रान्सफॉर्मर स्थानीय विद्युत् अधिकारियों की लापरवाही से जल गया है? यदि हां, तो उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं ? और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त ट्रान्सफॉर्मर की जगह अब 600 कि० वाट का ट्रान्सफॉर्मर जयपुर से लाकर लगाया गया है?

(3) क्या यह सच है कि कम शक्ति के ट्रान्सफॉर्मर के कारण ही इस समय विद्युत् सप्लाई में अव्यवस्था हो रही है ? अगर हां, तो पूरी शक्ति का ट्रान्सफॉर्मर कब तक लगा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह एक पुराना ट्रान्सफॉर्मर था जो पहले दो बार जल चुका था और पुनः 10-1-69 को इन्सुलेशन की खराबी के कारण इसकी क्वाइल्स जल गई थी।

(2) 600 के० वी० ए० का नहीं किन्तु 500 के० वी० ए० का ट्रान्सफॉर्मर लगाया गया।

(3) जब तक 500 के० वी० ए० का ट्रान्सफॉर्मर रहा तब तक सायंकाल के समय ओवर लोड की वजह से पॉवर लोड पर प्रतिबन्ध लगाकर विद्युत् सप्लाई ठीक चालू रखी। अब 1000 के० वी० ए० का ट्रान्सफॉर्मर वापिस ठीक करके लगा दिया गया है।

रतनगढ़ में विद्युत् खम्भों पर बिजली लगाने की मांग

488. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या रतनगढ़ नगरपालिका ने रोशनी सुधार हेतु नगर के समस्त विद्युत् खम्भों पर लाइट लगाने का खर्च भार सहन कर बिजली लगाने की मांग की थी? अगर हां, तो क्या सरकार द्वारा वह अस्वीकार कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां परन्तु खच वहन करने के विषय में कोई उल्लेख नहीं था नगरपालिका में बिजली के बिल की रकम बाकी है। अतः इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया है।

एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, चूरू के कार्यालय की जीपें

489. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर० एस० ई० बी०, चूरू के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के कार्यालय स्टाफ में कितनी विहीकल्स हैं (जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप) ? इन विहीकल्स से क्या क्या कार्य लिया जाता है और वे किसके चार्ज में हैं ? इन विहीकल्स में से कितने खराब हैं और कितने चालू स्थिति में हैं ? अगर चालू स्थिति में नहीं हैं तो कबसे और कौन कौनसी गाड़ियां ? इन गाड़ियों पर कितना स्टाफ तैनात है ? नामवार सूची सदन में रखवाने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आर० एस० ई० बी०, चूरू द्वारा मंजूर किये गये कनेक्शन्स के एस्टीमेट में जो लेबर चार्ज व ढुलाई का जो प्रोवीजन होता है वह रकम कार्य शुरू होने के पहले कन्ज्युमर्स से जमा करवाली जाती है और खम्भों की ढुलाई कन्ज्यूमर्स को अपने पास से खर्च करनी पड़ती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, केकड़ी के गावों का विद्युति करण

490. **श्री दवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :—

(1) केकड़ी पंचायत समिति के कितने ग्रामों के बिजली कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र कब कब पेश हुए ? ग्रामवार व नामवार सूची सदन में रखें।

(2) जो प्राथना-पत्र प्राप्त हुए उनमें से कितनों को बिजली कनेक्शन दिये गये ? सूची नामवार सदन में रखें।

(3) जिनको बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया उसका क्या कारण है और पेंडिग प्रार्थना-पत्रों पर अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) केकड़ी पंचायत समिति में केवल केकड़ी ग्राम का विद्युतिकरण किया गया है। अप्रेल, 1968 से दिये गये कनेक्शन प्रार्थना-पत्रों की पूर्ण विवरण संलग्न तालिका 'अ' में है। तालिका 'ब' में पेंडिग कनेक्शन विवरण है।

(2) अप्रेल, 1968 में दिये गये कनेक्शन्स विवरण तालिका 'अ' में दिया गया है।

(3) विवरण तालिका 'ब' दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में विद्युतिकरण करने की योजना

491. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-स०): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) केकड़ी पंचायत समिति को विद्युत्करण करने की योजना सरकार के कबसे विचारधीन है ?

(2) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(3) उक्त योजना किस रूप में है और इसमें कितने ग्रामों को मिलाया जायेगा ?

उत्तर

(1) विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू और लाडनूं की ऊन मिलें

492. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू और लाडनूं में शुरू होने वाली ऊन मिलों में उत्पादन शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब कब से और अब तक प्रति माह कितने कितने मूल्य का कितना कितना उत्पादन हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त दोनों मिलों में अब तक कच्चा माल कहां से कब कब कितने कितने रुपयों का खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) माल कच्चा खरीदने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? यदि इस संबंध में कोई नियम बनाये हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मिलों से उत्पादन हुए ऊनी धागों को बेचा है ? यदि हां, तो कब कब कितना कितना धागा किस किसको बेचा ? किस किस रेट पर बेचा तथा उसका उत्पादन मूल्य क्या था तथा कितना मार्जिन रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उपरोक्त मिलों में उत्पादन हुए धागे को किस प्रकार से बेचा जाता है और इस संबंध में कोई नियम बना रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उपरोक्त दोनों मिलों के निर्माण में कुल कितने कितने रुपये चालू होने तक खर्च हुए थे और उसके बाद कार्यशील पूंजी कितनी कितनी है तथा कितना कितना माल स्टॉक में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) उक्त मिलों के उत्पादन शुरू होने के बाद अब तक प्रति माह किस किस मद में कितना कितना खर्चा और कितनी कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) उत्पादन शुरू होने से लेकर अब तक उक्त मिलों में प्रति माह कितना कितना नफा या नुकसान रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) मिलों में बनने वाले धागे का उत्पादन मूल्य निर्धारित करते समय क्या क्या खर्चा शामिल करते हैं और उसको बेचने के मूल्य में कितना मार्जिन रखते हैं ?

(10) उक्त मिलों को खोलने का उद्देश्य क्या था और उसकी पूर्ति कहां तक हो रही है ?

(11) उक्त मिलों के संचालन के सम्बन्ध में कोई नियम बना रखे हैं तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(12) उक्त मिलों में शुरू से लेकर अब तक किन किन कर्मचारियों ने किस किस पद पर कितने कितने समय तक कार्य किया तथा उक्त पदों के लिये क्या क्या योग्यतायें होनी चाहिये थीं तथा उस पर नियुक्त कमचारियों की क्या क्या योग्याताएं हैं और अब इनमें कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा किसी की सेवाएं समाप्त की गई तो किन किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और कर्मचारियों की सेवाओं के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हों, तो उनकी प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(13) उपरोक्त मिलों का किसी अधिकारी द्वारा अब तक निरीक्षण किया हो तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(14) उक्त दोनों मिलों में कितने कितने मूल्य की कौन कौन सी मशीनें कब कब किस किस फर्म से खरीदी गईं तथा उनका मूल्य किस आधार पर तय किया गया था तथा उनको कितना कितना पमेंट कब कब किया और कितना 2 पेमेंट किन 2 कारणों से बकाया है? मशीनें सप्लाई करने वाली फर्मों के साथ किये गये एग्रीमेंट की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(15) उक्त मिलों में यदि घाटा हो रहा हो तो किन किन कारणों से तथा उसको पूरा करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या क्या कदम उ ाये जायेंगे ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

गंगानगर के लोहाटी ब्रदर्स से कोयले की खरीद

493. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने सन् 64-65 में गंगानगर लोहाटी ब्रादर्स से कोयला खरीद कर गंगानगर व चूरु जिले में सप्लाई किया था? यदि हां, तो किन किन को कितने कितने टन कोयला सप्लाई किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत लघु उद्योग निगम के आदेश अनुसार उक्त कोयला उपभोक्ताओं को भेजा गया था? यदि हां, तो किन किन उपभोक्ताओं ने अपनी मांग संचालक उद्योग केन्द्र के द्वारा भिजवाई थी और उनको कितना कितना कोयला भेजा गया था?

(3) क्या यह सही है कि जितनी मांग उपभोक्ताओं की थी उनसे ज्यादा कोयले भेजे गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कोयला को उपभोक्ताओं ने इसलिये नहीं छुड़ाये क्योंकि वह उनकी मांग से अधिक कोयले भेज दिये गये थे? यदि हां, तो इसमें निगम को कितना नुकसान हुआ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कोयलों को निगम ने अपने खर्च पर रेलवे स्टेशनों पर छुड़ाया और रखा? यदि हां, वह कोयले किस रेट पर पड़े और उनको वापिस किस किस भाव से बेचे।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश से आयात ट्रैक्टरों का वितरण

494. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में इस वर्ष विदेश से ट्रैक्टरों का आयात किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने ट्रैक्टर आ चुके हैं ? किन किन को दिये गये? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) इन ट्रक्टरों को वितरण करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? यदि कोई नियम बने हुए हों या सरकारी आदेश निकाला गया हो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने के कृपा करें ।

(3) इन ट्रैक्टरों के वितरण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र मांगे गये हों तो किस प्रकार से और अब तक किस किस प्रकार के ट्रक्टरों के लिये कितने कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं ? उन प्रार्थना-पत्रों का निपटारा किस प्रकार से किया जायेगा ?

(4) ट्रैक्टर देने में प्रार्थना-पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता हो तो प्राथमिकता किस प्रकार से तय की जा रही है और यदि सीरियल नम्बर से हो तो सीरियल नम्बर जिलेवार है या राजस्थान वाईज ?

(5) ट्रैक्टरों का वितरण करने वाली एजेन्सी अपना क्या कमीशन किस प्रकार से ले रही है ? तथा ट्रैक्टरों को यहां तक आने का मूल्य क्या है और किस मूल्य से काश्तकारों को दिये जा रहे हैं ?

(6) क्या यह सही है कि ट्रैक्टरों को वितरण करने वाली एजेन्सी ने यह जरूरी कर रखा है कि ट्रैक्टर लेने वाले काश्तकार उनके द्वारा निर्मित इम्प्लीमेन्ट्स में से दो इम्पलीमेंट ट्रक्टर के साथ लें ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 75 संख्या में रूमानिया 50 अश्व शक्ति तथा 18 संख्या में बुलगार 30 अश्व शक्ति ट्रैक्टर आ चुके है। ट्रैक्टर जिन काश्तकारों को दिये गये हैं सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) प्राथमिकता पर देने का आधार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में विज्ञापन दिया गया था प्रार्थना-पत्र का पंजीकरण सभी जिलाधीश, उप-जिलाधीश, तहसीलदार, जिला कृषि अधिकारी, विकास अधिकारी एवं कृषि अभियन्ता एवं सचिव के कार्यालय में किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये प्रार्थना-पत्र निम्न संख्या में प्राप्त हुये हैं :—

	संख्या
1. रूमानिया 50 अश्व शक्ति	618
2. जीटर 25 अश्व शक्ति	588
3. जरमन 25 अश्व शक्ति	92
4. रसियन डी० टी० 14 14 अश्व शक्ति	1392
5. बुलगार 30 अश्व शक्ति	10

(कृषि मंत्री)

जिन आवेदन-पत्रों का पंजिकरण पहले हुआ है उन्हें उस जिले में ट्रैक्टर पहले दिया जावेगा। (फर्स्ट रजिस्टर्ड फर्स्ट सर्व)

(4) प्राथमिकता पर देने का आधार सलंग्न है।

(5) आयातित ट्रेक्टरों का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन द्वारा तय किया गया कमीशन ही लेती है। अभी तक रूमानियन 50 अश्व शक्ति ट्रेक्टरों का ही आवंटन किया गया है। जिसका मूल्य 21,040/- रुपये हैं। बोलगार 30 अश्व शक्ति ट्रैक्टर का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।

(6) जी हां। क्योंकि उपरोक्त ट्रेक्टरों के साथ इम्पलीमेन्ट्स का आयात नहीं हुआ है कृषि अभियान्त्रिक मण्डल उपरोक्त ट्रेक्टरों के अनुकूल इम्लीमेन्ट का निर्माण करता है। काश्तकारों को ट्रैक्टर के अनुकूल ही अच्छे तथा आसानी से इम्प्लीमेन्ट सुलभ हो सकें इसलिये यह आवश्यक किया गया है कि कृषि मन्त्रालय द्वारा निर्मित इम्प्लीमेन्ट ही लें।

शंकर किस्म क बीजों का वितरण

495. **श्री प्रमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार शंकर किस्म के बीजों का प्रचार कर रही है तथा इन शंकर बीजों का उत्पादन अधिक है? यदि हां, तो क्या कारण है कि पंचायत समिति छीपाबड़ोद के बी०डी०ओ० ने काश्तकारों की मांग के बावजूद भी शंकर ज्वार का बीज काश्तकारों को उपलब्ध नहीं कराया?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ जो सरकार की पोलिसी के विपरीत काम करता हो, कुछ एक्शन लेना उचित समझती है? यदि हां, तो कब तक एक्शन लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पंचायत समिति, छीपाबड़ोद, राजकीय आदेशों के खिलाफ रसायनिक खाद उधार वितरण कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि केवल अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में उधारी के रूप में वितरण करने के आदेश हैं? यदि हां, तो उधार खाद वितरण करने के क्या कारण हैं?

(स्थगित किया गया)

कोटा जिले में उन्नत किस्म के बीजों की खरीद

496. **श्री ब्रजवल्लभ बोहरा** (झालरापाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में इस साल किस किस फार्म से किस किस किस्म का कितना कितना उन्नत बीज किस किस भाव से खरीदा गया है?

(2) क्या उन्नत बीज की खरीद से पहले किसी अधिकारी ने इस बीज की जांच की थी? यदि हां, तो कौन कौन सी तारीखों को?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अकालग्रस्त क्षेत्रों में बीज के लिए काश्तकारों को ऋण

497. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्रों में बीज के लिये ऋण दिया गया ? यदि हां, तो किस किस जिले को कितना कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त ऋण को काश्तकारों को किस प्रकार से बांटा गया ? इस सम्बन्ध में कोई आदेश सरकार ने जारी किये हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस ऋण को जिले वाइज बांटते समय किस आधार का ध्यान रखा गया ? सबसे ज्यादा किस जिले को दिया गया और उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां । तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) काश्तकारों को यह ऋण राजस्थान पंचायत समिति (ऋण) नियम, 1966 के अन्तर्गत दिया गया । राज्य सरकार के आदेश संख्या 3 (5) कृषि 5/69, दिनांक 1-7-69 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) यह ऋण प्रत्येक जिले में अकाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवंटित कया गया है। बाड़मेर जिले को सब से ज्यादा ऋण की राशि आवंटित की गयी चूंकि वहां पर अकाल का प्रकोप सब से अधिक था ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम फन्दाफल में भू-संरक्षण कार्य की जांच

498. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, सांगोद के ग्राम फन्दाफल में भू-संरक्षण का काम कब और कितने बीघा में करवाया गया था और इस पर कुल कितनी रकम खर्च आई ? वह बताने की कृपा करें।

(2) क्या विभाग ने इस क्षेत्र में करवाए गये भू-संरक्षण कार्य की जांच करवाई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि काम ठीक से नहीं किया जाने के कारण यहां लोगों की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई है व जनता में असन्तोष है ?

(3) क्या विभाग ने इस बात की भी जांच करवाई है कि यहां पर खर्च की गई रकम के अनुपात में ही यहां पर काम किया गया है ? कच्चा व पक्का कितना काम हुआ है ?

उत्तर

(1) लगभग 250 एकड़ भूमि में काय कराया गया इस पर कुल व्यय 7,422.00 रुपये खर्च हुए।

(2) विभागीय जांच तो अभी तक नहीं हुई है, परन्तु जिलाधीश, कोटा ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक जांच कराई है। विस्तृत विभागीय जांच इस रिपोर्ट को ध्यान में

(कृषि मंत्री)

रखकर की जावेगी। जहां तक कृषकों में पैदावार म वृद्धि नहीं होने के कारण असंतोष का प्रश्न है, सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(3) जी हां। कच्चा कार्य 1,76,955 क्यूबिक फीट हुआ व 4 पक्के बन्धे बनाये गय हैं।

कल्याण सोना स्पेशल गेहूं

499. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी अजमेर, ने कल्याण सोना स्पेशल गेहूं 6) 64 रु० प्रति किलो काश्तकारों को बेचा था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भाव में काश्तकारों को अनग्रेडिंग बीज दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि 2) रु० प्रति किलो वापस खरीदने का उक्त अधिकारी ने काश्तकारों को आश्वासन दिया था और वापस लेने का कान्ट्रेक्ट भी किया था ?

(4) जिला कृषि अधिकारी के कल्याण सोना गेहूं की फसल निरीक्षण के कितने चार्जेज हैं और अन्य क्या चार्जेज देने पड़ते हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राजस्थान केनाल में भूमिहीनों की भूमि का अलॉटमेन्ट

500. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या कोलोनाइजशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान केनाल में जिन भूमिहीनों से दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं क्या उनकी जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो उनको मुस्तकिल भूमि कब तक अलॉट कर दी जावेगी ?

(2) भूमिहीन किसानों की जांच के बाद में सही कितनी दरख्वास्तें रह गई हैं जिनको भूमि अलॉट की जावेगी ?

(3) क्या सरकार ने सन 1955 से पहले के किसानों को भूमि अलॉट करने के संबंध में नियम तैयार कर लिये हैं ? यदि हां, तो वे राज-पत्र कब तक शाया कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या भूमि मुस्तकिल अलॉटमेंट के लिये तहसील वाईज सलाहकार समितियों का गठन किया जायगा ? यदि हां, तो एसी कमेटियों में सदस्य कितने होंगे ?

(5) इस संबंधी अपीलों को भविष्य में कौन सुनेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान केनाल म 95,429 भूमिहीनों के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से अब तक कुल 123 कृषकों को भूमि आवंटित की गई है। इन प्रार्थना-पत्रों में से 7,000 की जांच तहसीलदार एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त स्तर तक हो चुकी है। सभी 95,424 प्राथियों को इस वर्ष आवंटन हो जायगा यह नहीं कहा जा सकता है। इस वर्ष 50,000 प्रार्थना-पत्रों के निपटारे का कार्यक्रम रखा गया है ।

(कोलोनाईजेशन मंत्री)

(2) जब तक सभी प्रार्थना-पत्रों की जांच समाप्त नहीं हो जाती तब तक यह कहना कठिन है कि कितनी दरख्वास्तों के भूमिहीन वास्तव में सही भूमिहीन हैं।

(3) 1955 के पूर्व के किसानों को भूमि अलॉट करने से संबंधित नियमों का प्रारूप तैयार हो चुका है और ये नियम राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(4) जी हां, सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है। राजस्व उपनिवेशन (राजस्थान नहर योजना) राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार आवंटन की कार्यवाही सलाहकार समिति परामर्शानुसार की जावेगी जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एवं अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधि के लिये तहसील क्षेत्र का अनुसूचित वर्ग का सदस्य भी इसमें मनोनीत किया गया है।

(5) आवंटन संबंधी अपीलों को जो आवंटन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध होंगी वे उपनिवेशन आयुक्त द्वारा सुनी जावेंगी।

केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री गुरुपद स्वामी की राजस्थान यात्रा

501. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्रीय राज्य मंत्री, खाद्य कृषि सहकारिता तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय के श्री गुरुपद स्वामी राजस्थान की यात्रा पर 11 से 12 मई, 1968 को आये थे ?

(2) क्या मंत्री महोदय ने अपने आगमन की अग्रिम सूचना राज्य सरकार को भेज दी थी ?

(3) उनके स्वागत के लिये स्टेशन पर संबंधित राज्य मंत्री व उच्चाधिकारी कौन कौन गये थे ?

(4) क्या वह स्टेट होटल स्थित खासा कोठी पर राज्य सरकार के अतिथि बनकर रहे थे और क्या उनको वातानुकूलित कमरा दिया गया था ? यदि हां, तो कौन सा ?

(5) क्या 12 मई को केन्द्र के राज्य मंत्री जब लौटने लगे तो पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर रिजर्वेशन देने से इन्कार कर दिया था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मंत्री महोदय के आगमन का कोई कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ पर उनके सहायक सचिव द्वारा स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट, पश्चिमी रेलवे, जयपुर को पत्र भेजा गया था, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को भेजी गई थी, जिसकी प्रति (परिशिष्ट 'अ') पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9-5-68 को मंत्री महोदय के निजी सचिव ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को उनके यात्रा संबंध में टेलीफोन पर बात की थी और रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जो निर्देश दिये गये थे, उसकी प्रति (परिशिष्ट 'ब') पर संलग्न है।

(3) सहकारी विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार मंत्री महोदय के स्वागत के लिए स्टेशन पर दिनांक 11 मई, 68 को गये थे।

Page No 62

(सहकारी मंत्री)

(4) जी हां, बिल का भुगतान माननीय मंत्री महोदय ने किया। कमरे का नम्बर 10 था।

(5) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

सहकारी विभाग के कर्मचारियों का पोस्टिंग

502. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के नियमानुसार जिस तहसील का बाशिन्दा हो वह उस तहसील में नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो श्री हेतराम सारण, काशीराम हरिजन, व श्री हरलाल राम शर्मा, जो कस्बा नोहर के बाशिन्दे हैं सहकारी विभाग तहसील नोहर में कब से काम कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के यह कर्मचारी पार्टीबाजी में भाग लेकर सहकारी आन्दोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो इन्हें यहां क्यों रखा जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि यह 3 कर्मचारी लैण्ड मार्गेज बैंक व सहकारी बैंक गंगानगर शाखा, नोहर में काम करते हैं ? और अधिकतर अपने घर पर रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केवल निरीक्षकों के लिये राज्य सरकार के आदेश हैं कि वे उस जिले में नियोजित न किये जावें जहां के वे रहने वाले हैं, किन्तु इनके बारे में भी यह आदेश उन निरीक्षकों पर लागू नहीं है जो कि सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं। विभाग के श्री हेतराम सारण निरीक्षक हैं किन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर में प्रतिनियुक्ति पर हैं और दिनांक 27-10-67 से नोहर म बैंक द्वारा नियोजित किये हुए हैं। बैंक म प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण इन पर राज्य सरकार का उपरोक्त आदेश लागू नहीं है। श्री काशीराम हरिजन, सहायक निरीक्षक हैं, जो कि उक्त आदेश से मुक्त हैं। ये भी केन्द्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर में प्रतिनियुक्ति पर हैं और बैंक द्वारा ही नोहर तहसील में नियोजित हैं। श्री हरलाल राम शर्मा राज्य कर्मचारी नहीं हैं। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, नोहर के कर्मचारी हैं। ये बैंक द्वारा 1-10-67 से बैंक में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(2) जी नहीं। विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) सर्वश्री हेतराम व काशीराम केन्द्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर की नोहर शाखा में तथा श्री हरलाल राम प्राथमिक भूमि विकास बैंक में काम करते हैं। अधिकतर घर पर रहने के बारे में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आयुर्वेद प्रणाली से किये जा रहे अनुसंधान

503. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में आयुर्वेद प्रणाली से परिवार नियोजन, कैन्सर, धनसवाई (टीटनस) क्षय रोग, हृदय रोग, पागल कुत्ते आदि के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इलाज के लिये क्या क्या अनुसंधान किये जा रहे हैं ? इन पर कितना धन अब तक खर्च किया गया है और कितनी सफलता अब तक मिली है ? आंकड़े देने की कृपा करें।

उत्तर

इस विभाग द्वारा आयुर्वेद प्रणाली से प्रश्नोल्लेखित रोगों में से केवल मात्र परिवार नियोजन पर अनुसंधान किया जा रहा है। इस निमित्त सेठ सूरजमल बम्बईवाला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जयपुर में एक परिवार नियोजन केन्द्र संचालित किया गया है, जिस पर वर्ष 1968-69 में 5,822.00 एवं वर्ष 1969-70 (जून, 1969 तक) 1,707.00 रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

उक्त केन्द्र में संतति निग्रह औषध का सफल परीक्षण किया गया, जिसका अब वृहत-स्तर पर निर्माण कराने की योजना है।

राज्य के आयुर्वेद औषधालय

504. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष में अब तक कहां कहां पर आयुर्वेद औषधालय खोले गये हैं और कितने और खोलने बाकी हैं ?

(2) सी श्रेणी से बी श्रेणी में और बी श्रेणी से ए श्रेणी में कितनों को क्रमोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) चालू वर्ष 1969-70 में 25 औषधालय खोलने का प्रावधान है। एक नया औषधालय किशनगढ, जिला अजमेर में खोल दिया गया है। शेष 24 गत वर्ष से अकाल पीड़ित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, और उन्हें ही चालू वर्ष में अकाल स्थिति समाप्त होने पर विभिन्न स्थानों पर स्थायी रूप से स्थापित किये जावेंगे।

(2) चालू वर्ष 1969-70 में (सी) श्रेणी से (बी) श्रेणी में और (बी) श्रेणी से (ए) श्रेणी में कोई औषधालय समोन्नित नहीं किया गया है।

ग्राम कुराड़ में औषधालय खोलने की मांग

505. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांगोद की पंचायत कुराड में राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद औषधालय खोले जाने का आश्वासन दिया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग ने उक्त स्थान पर औषधालय खोले जाने बाबत सिफारिश की हुई है ? यदि हां, तो इस स्थान पर अब तक औषधालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं, व आगे कब तक आश्वासन पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विभाग की जानकारी में नहीं।

(2) जी हां, वर्ष 1968-69 में

(आयुर्वेद मंत्री)

औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ है किन्तु धनाभाव के कारण अब तक स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

वैद्य व हकीमों के प्रमोशन

506. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि दिनांक 15-10-67 को वैद्य व हकीमों को 'बी' श्रेणी में परिणत किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसके लिये कोई कमेटी बैठी थी ? यदि हां, तो उसने जिन वैद्य, हकीमों को प्रमोशन दिया है वह क्या सीनियोरिटी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है ?

(3) यदि हां, तो किन किन को ? और नहीं तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा जिले के गांवों में औषधालय खोलने की मांग

507. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 67-68 से लेकर आज तक राजस्थान के किस किस जिले के किस किस गांव में औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) गत तीन वर्षों में कोटा जिला की किस किस पंचायत समिति से एवं जिला परिषद् से किस किस गांव में औषधालय खोलन के प्रस्ताव सरकार के पास आये सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सन् 67-68 से अब तक जो औषधालय खोले गये वे किस नीति को लेकर खोले गये ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(3) जिला परिषदों से प्राप्त प्रस्तावानुसार, निशुल्क भवन-व्यवस्था वाले स्थानों पर एवं राज्य-सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर औषधालय खोले गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

कस्बा लाडनूं का आयुर्वेद औषधालय

508. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में कोई आयुर्वेद औषधालय खोला था ? यदि हां, तो कब तथा किस नाम से ?

(2) उक्त औषधालय को किसी

(श्री हजारीराम बुरड़क)

व्यक्ति विशेष के नाम से खोलने का क्या कारण था और इस संबंध में किसी दानदाता से कोई समझौता हुआ हो तो उसका कहां तक पालन हुआ ? उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त दानदाता ने कोई बना हुआ मकान सरकार को इस कार्य के लिए दिया है ? यदि हां, तो कानूनन राज्य सरकार के हक में कब हस्तान्तरण हुआ ?

(4) क्या उक्त दानदाता ने कोई नया भवन बनाकर सरकार को देने का वायदा किया था ? यदि हां, तो अब तक भवन क्यों नहीं बनाया गया ?

(5) उक्त समझौते का पालन कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । औषधालय दिनांक 16-11-64 को श्री ऋदकरण जैन राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के नाम से खोला गया ।

(2) श्री ऋदकरण जैन चेरिटेबिल ट्रस्ट, लाडनूं, द्वारा औषधालय हेतु एक भवन उपलब्ध करने एवं औषधालय आरम्भ उपरान्त एक नवीन भवन बनाकर विभाग को देने हेतु कहने पर उपरोक्त नाम से औषधालय खोला गया। कोई समझौता नहीं हुआ ।

(3) जी हां। अभी तक राज्य सरकार को कानूनन हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

(4) जी हां। औषधालय का उच्च-स्तरीयकरण नहीं होने के कारण भवन नहीं बनाया गया है ।

(5) आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्चस्तरीयकरण अभी संभव नहीं ।

गोगामेडी मेला से आय

509. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार को मेला श्री गोगामेडी से हर वर्ष कितनी आय होती है ?

(2) उस आय में से सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए कितनी धनराशि खर्च करती है ?

(3) गत मेले में खर्च किस किस मद पर कितना कितना किया गया ?

(4) क्या मेला गोगामेडी पर यात्रियों की सुविधा के लिए भविष्य में टीनों के छप्पर बनाने का सरकार विचार रखती है ?

(5) क्या मेला में इस वर्ष बिजली देने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं जब कि बिजली की लाइन मेले के अन्दर से गुजरी है ?

उत्तर

(1) सरकार को गोगामेडी मेले से वर्ष वार हुई आय का ब्यौरा संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) सूची संलग्न है ।

(4) जी नहीं ।

(पशुपालन मंत्री)

(5) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

दूध इकट्ठा करने का ठेका

510. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूध इकट्ठा करने के लिये दूध वितरण केन्द्र के पास क्या क्या साधन हैं और उनमें कौन से साधन से दूध अधिक प्राप्त होता है ?

(2) क्या यह सही है कि दूध इकट्ठा करने का ठेका भी दिया जाता है ? अगर हां, तो ठेके की क्या शर्तें होती हैं ?

(3) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार लोग वर्षा के समय अधिक दूध सप्लाई करते हैं जिससे दूध खपता नहीं है और दूध वितरण केन्द्र को घाटा होता है और गर्मी में जब दूध मंहगा होता है तो पूरी सप्लाई नहीं करते हैं जिससे दूध की पूर्ति भी नहीं होती है ? अगर हां, तो आज तक ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) दूध इकट्ठा करने के लिये योजना के पास निम्नलिखित साधन हैं :—

1. ग्रामों में दुग्ध संग्रहकर्त्ता नियुक्त किये हुए हैं जो दूध इकट्ठा करके योजना को देते हैं। इनके अलावा कुछ दूध उत्पादक सहकारी समितियों से भी दूध प्राप्त होता है।

2. योजना पर भी संग्रहकर्त्ता दूध इकट्ठा कर आस पास के गांवों से लाकर देते हैं।

3. उपरोक्त साधनों में से ज्यादातर दूध दुग्ध संग्रह कर्त्ताओं से ही प्राप्त होता है।

(2) यह सही नहीं है कि दूध इकट्ठा करने के लिये ठेका दिया जाता है लेकिन योजना के मुख्यालय पर जो आदमी दूध लाकर देते हैं उनसे बन्धक-पत्र अवश्य भराया जाता है जिससे कि दूध की मात्रा व समय की पाबन्दी बनी रहे। बन्धक-पत्र की एवं शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) वर्षा के समय वैसे भी दूध का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि दुधारू पशुओं का प्रजनन तथा घास की उपलब्धि काफी मात्रा में हो जाती है जबकि गर्मियों में प्रजनन भी कम होता है व दाना, चारा भी पशुओं के लिये पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं होता।

अतः वर्षा ऋतु के समय दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी में दूध मंहगा होने का एक मात्र कारण भी यही होता है इसलिये गर्मी व सर्दी में दूध प्राप्ति के अनुपात में अन्तर अवश्यम्भावी है।

चूंकि गर्मियों में दूध की मात्रा कम उपलब्ध होती है इसलिये योजना को नुकसान उठाना पड़ता है।

यह सत्य नहीं है कि बन्धक-पत्र भरने वाले दूध देने वाले लोग ही वर्षा में अधिक दूध देते हैं एवं गर्मियों में कम।

दूध देने वाले जिनसे बन्धक-पत्र भराया जाता है अगर उसके अनुसार दूध नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की

Page No 67

(पशुपालन मंत्री)

जाकर शर्तों के पालन में उनके भुगतान से दण्ड स्वरूप धनराशि वसूल की जाती है। आज तक जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री सत्यनारायण
2. श्री मोतीराम, सांगानेर
3. श्री सहकारी समिति, जम्वारामगढ़
4. श्री श्रीनारायण, सांगानेर
5. श्री आर० जी० खण्डेलवाल
6. श्री हेमाराम, शाहपुरा
7. श्री नरसिंह चौधरी।

भेड़ व ऊन विभाग के निलम्बित सुपरवाइजर

511. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1966-67 व 1967-68 में भेड़ व ऊन विभाग के कुछ सुपरवाइजरों को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किस किसको कब-कब और उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर मय आरोप-पत्रों की प्रतियों के रखने की कृपा करें।

(2) निलम्बित किये गये सुपरवाइजरों की जांच के लिए किस-किस अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उन्होंने जांच कब शुरू की तथा कब पूरी की और उन्होंने जांच में क्या नतीजा निकाला ? सूची मय जांच रिपोर्ट की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) निर्धारित नियमों के तहत निलम्बित करने के बाद जांच कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए और उपरोक्त मामलों में इसका पालन किन-किन मामलों में हुआ है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कुछ सुपरवाइजरों को वापस बहाल भी किया गया ? यदि हां, तो निलम्बित करने के कितने समय बाद और उनके खिलाफ क्या क्या आरोप साबित हुए और उनको क्या-क्या सजा दी गई ? सूची मय फैसले की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि जिनको वापस बहाल किया है वह जांच के दौरान निर्दोष साबित हुए ? यदि हां, तो निलम्बित करने वाली अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि वर्ष 1966-67 व 1967-68 में भेड़ व ऊन विभाग के सुपरवाइजरों को निलम्बित किया गया था जिसका सम्पूर्ण विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(2) निलम्बित किये गये सुपरवाइजरों की जांच के लिये विभागीय अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था उन्होंने अपनी जांच, नियुक्ति आदेश के तुरन्त बाद ही जांच प्रारम्भ कर, जांच पूण कर, जांच प्रतिवेदन मय अपनी सम्मति सहित प्रस्तुत कर दिये थे जिसका विवरण संलग्न सूची के कॉलम संख्या 6 से 9 में अंकित है।

(3) नियमानुसार निलम्बित किय

(पशुपालन मंत्री)
गये सुपरवाइजरों की जांच निलम्बन के बाद निर्धारित समय में ही पूर्ण की गई है और उन नियमों का सभी मामलों में पूर्ण-रूपेण पालन किया गया है जिसका विवरण संलग्न सूची में कॉलम संख्या 10 व 12 पर अंकित कर दिया गया है।

(4) जी हां, यह सही है कि कुछ सुपरवाइजरों को बहाल किया गया है। जिन सुपरवाइजरों को बहाल किया गया है उनको निलम्बन की तिथि से बहाल करने की दिनांक तक जो समय लगा है वह संलग्न सूची के कॉलम संख्या 12 पर उपलब्ध है तथा जिनके विरुद्ध जो-जो आरोप सिद्ध हुए हैं एवं उनको सजाएं दी जाकर जो फैसले दिये गये हैं उनका भी विवरण संलग्न सूची के कॉलम संख्या 9 एवं 11 पर अंकित है।

(5) जी हां, यह सही है कि जांच के दौरान केवल एक ही व्यक्ति पूर्णरूपेण निर्दोष पाया गया है जिसका विवरण संलग्न सूची क्रम संख्या 11 पर अंकित है। प्रारम्भिक जांच में प्राइमा फेसी केस पाया जाने पर कर्मचारी को आवश्यकता समझने पर निलम्बित किया जाता है। पूर्ण जांच करने पर यदि उसके विरुद्ध आरोप साबित नहीं होते हैं तो उसे दोष मुक्त किया जाता है। ऐसी दशा में निलम्बित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का एक्शन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अकाल के कारण पशुओं की मृत्यु

512. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1968–69 तथा 1969-70 में अकाल के कारण कितने पशु मरे उसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

भेड़ व ऊन प्रशिक्षणालय, जोधपुर के प्रशिक्षणार्थी

513. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1965-66 ई० में भेड़ व ऊन प्रशिक्षणालय, जोधपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण दिया गया था? अगर हां, तो प्रशिक्षणार्थियों की सूची सदन की मेज पर पेश करें।

(2) क्या यह सही है कि उनसे किसी तरह का बौण्ड लिखाया गया था? अगर हां, तो बौण्ड की प्रतिलिपि सदन में रखें।

(3) कितने प्रशिक्षणार्थियों को उक्त बौण्ड के तहत सर्विसें दी गई और कितनों को नहीं? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(4) जिन प्रशिक्षणार्थियों को अब तक नौकरी नहीं दी गई है उसका क्या कारण है?

(5) क्या सरकार उन प्रशिक्षणार्थियों को अतिशीघ्र नौकरी देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बौण्ड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) सूचना, संलग्न सूची के कॉलम संख्या चार पर प्रस्तुत है।

(4) इसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कटौती है और इसी कारण नये पद सृजित नहीं हो रहे हैं।

(5) राज्य सरकार द्वारा नये पद सृजित किये जाने की दशा में उन्हें कार्य पर लगाया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

जयपुर में मकान व होटल निर्माण के लिए ऋण

1. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मकान बनाने व होटल बनाने के लिये ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो सन् 1962 से आज तक कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ऋण काफी लम्बी अवधि के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी अवधि तक के लिये दिया गया है और ब्याज दर क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है उनसे नियमानुसार किश्तें भी जमा नहीं कराई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने का ऋण लिया गया है उन्होंने मकान तामीर नहीं किये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। मकान बनाने के लिए जिलाधीश, जयपुर के द्वारा मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत 1,624 व्यक्तियों एवं 3 सहकारी समितियों को 62-63 से 1968-69 तक ऋण दिया गया है। उनको मिलाकर 1,687 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है। होटल बनाने के लिए सन् 1962 से जो ऋण दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) मध्यम एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उसके वापिस भुगतान की अवधि 25 से 30 वर्ष तक की है। ब्याज की दर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक है। वर्तमान ब्याज की दर 7 प्रतिशत है। होटल बनाने के लिए ऋण की भुगतान की अवधि 10 से 12 वर्ष तक की है ब्याज की दर सूची में अंकित है।

(3) जिन व्यक्तियों को मकान के लिए ऋण दिया गया है उनसे किश्तें नियमानुसार जमा करवाई जा रही है। जिन व्यक्तियों ने देय किश्तों का भुगतान नहीं किया है उन सबको नोटिस जारी कर दिये गये हैं और वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

होटलों से ऋण की वसूली की सूचना सूची में अंकित है।

(उद्योग मंत्री)

(4) मध्यम आय वर्ग एवं गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये जो ऋण दिया जाता है वह किश्तों में निर्मा कार्य का निरीक्षण कर ही दिया जाता है। जिन मामलात में ऋण भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये दिया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया है उनसे दण्डनीय ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 18 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

जयपुर जिले में आई० ए० एस० व आर० ए० एस० अधिकारी

84. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान निर्माण के बाद अब तक कौन-कौन से आई० ए० एस० व आर०ए०एस० अधिकारी जयपुर जिले या जयपुर नगर में किन किन पदों पर कितने कितने समय तक रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वांछित सूचियां संलग्न हैं जिनमें सन् 1953-54 से उपलब्ध सूचना (सेवा-निवृत्ति अधिकारियों के अतिरिक्त) अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

मंत्रियों व अधिकारियों द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिये दी गई आर्थिक सहायता

135. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 अक्टूबर, सन् 68 से लेकर अब तक राज्य के किन मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री, आई०ए०एस० व आर०ए०एस० अधिकारियों ने अकाल राहत कार्यों के लिये किस किस प्रकार की और कब कब कितनी कितनी आर्थिक सहायता की है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

1 अक्टूबर, सन् 68 से अब तक मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री, आई० ए० एस० व आर० ए० एस० अधिकारियों से राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ सहायता कोष में जो सहायता सीधे मुख्य मंत्री कार्यालय मे प्राप्त हुई है उसकी सूची परिशिष्ट 'क' और 'ख' में संलग्न है। बिलों में इनसे जो सहायता प्राप्त हुई हो उसकी सूचना संकलित की जा रही है, प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

घाटे में चल रहे पंचायत समितियों के कृषि फार्म

182. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य

(श्री हरजीराम बुरड़क)
सरकार ने कुछ कृषि फार्म पंचायत समितियों को सौंपे थे ? यदि हां, तो कौन कौन सा फार्म किस किस पंचायत समिति को कब कब सौंपा गया और उन फार्मों का क्या क्या क्षेत्रफल व क्या-क्या साज सामान व मकान तथा सिंचाई के साधन थे और बुक वैल्यू के आधार पर कितने-कितने मूल्य के थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त फार्मों को पंचायत समितियों को सौंपते समय और आज दिन घाटे नफे की क्या क्या स्थिति है ?

(3) जिस उद्देश्य से कृषि फार्मों की स्थापना की थी उस उद्देश्य की पूर्ति अब हो रही है या नहीं ?

(4) उक्त फार्मों के घाटे में जाने के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिये क्या क्या उपाय काम में लिये गये और लिये जायेंगे ?

(5) इस प्रकार लगातार घाटे में जा रहे फार्मों से आगे चलकर इस योजना का भविष्य क्या होगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

जिला गंगानगर में अवकाश प्राप्त सनिकों की कृषि सहकारी समिति

190. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में अवकाश प्राप्त सनिकों की कृषि सहकारी समिति कुल कितनी व कहां कहां पर हैं और उनकी सदस्य संख्या कितनी है ? प्रत्येक सहकारी समिति को भूमि कितनी व कौनसे चकों में एलॉट है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि अवकाश प्राप्त सैनिकों की कृषि भूमि को हड़पने के लिए अन्य प्रकार के सदस्यों की भर्ती हो रही है ? यदि हां, तो इस प्रकार के सदस्य कौन कौनसी सहकारी समितियों में भर्ती किये गये हैं और इस प्रकार की सदस्यता, किस नियम के तहत दी गई है ? उन नियमों की प्रति व अन्य सदस्यों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(3) क्या नियम विरुद्ध भर्ती किये गये सदस्यों को समिति से पृथक करने का अधिकार राज्य सरकार को है ? यदि हां, तो इस प्रकार के सदस्यों को पृथक करने की कार्यवाही कब की जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अवकाश प्राप्त सैनिक कृषि सहकारी समितियों का ऑडिट सालाना होता है ? यदि हां, तो सन् 1966-67 व 67-68 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में अवकाश प्राप्त सनिकों की सहकारी कृषि समितियों की कुल संख्या 9 है । सदस्य संख्या व भूमि संबंधी सूचना परिशिष्ट (क) संलग्न है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां । राज्य सरकार के समक्ष

(सहकारी मंत्री)

जब भी ऐसा मामला आवेगा तो उचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। जिन सहकारी कृषि समितियों में राजकीय हिस्सा राशि होती है उनके ऑडिट को प्राथमिकता दी जाती है। इन समितियों में राजकीय हिस्सा राशि नहीं है। अतः प्राथमिकता नहीं दी जा सकी तथा ऑडिट स्टाफ की कमी के कारण वर्ष 1966-67 व 67-68 का ऑडिट नहीं करवाया जा सका।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(16-8-69)

ग्राम सुलतानपुर में भूमि की नीलामी

189. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के ग्राम सुल्तानपुर के निवासी श्री मूलचन्द आत्मज श्री रामनारायण खटीक (अनुसूचित जाति) ने दिनांक 14-9-66 को कोलोनाईजेशन विभाग से बोली लगाकर नीलामी में 10 बीघा भूमि खसरा नं० 1629 की खरीद की थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति न नीलामी का चौथान 1395 रु० दिनांक 14-9-66 को जमा करा दिया था? यदि हां, तो क्या उसको अभी तक कब्जा नहीं दिया है? यदि हां तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही है परन्तु क्रेता द्वारा बकाया 15 प्रतिशत राशि नियमानुसार जमा नहीं कराई गई। इसलिये क्रेता को भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया।

(12.03 म० प०)

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष: विशेषाधिकार का प्रश्न। श्री रामसिंह कुडी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर।

श्री उपाध्यक्ष: इसके पश्चात्।

श्री रामसिंह कडी: सभापति महोदय, मैं कल क्वेश्चन आवर के बाद अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिये उनके निजी सचिव के कमरे में बैठा था और उस समय वहां कुचामन पंचायत समिति के प्रधान श्री रामेश्वर आये और आते ही थोड़ी देर तो अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव से बात की और बाद में मुझे कहा कि आपने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को पीटने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में क्यों दिया? आप एम० एल० ए० बन गये हो इसलिये क्या इस तरह की कार्यवाहियां करते हो? मैं चुप रहा। पर वे अपमान भरे शब्दों में कहते हुए आगे बढ़ते ही गये तो मैंने फिर नम्र शब्दों में कहा कि मैं अपने कर्त्तव्य को जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिये और वही मैंने किया है। इसमें आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिये। फिर भी वे नहीं माने और कहते गये "उनकी तो पिटाई की है सो की ही है, मैं तो जेल जाने से डरता नहीं हूं"। इस तरह से कहते हुए मेरे पर भी आक्रमण करने वाले ही थे कि कुछ लोगों के बीच बचाव से मैं बच गया।

(श्री रामसिंह कुडी)

...उसके बाद वे चले गये। मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखित में ऐसी सूचना दी कि अभी भी बाहर जाता हूं तो उसका ऐसा रुख दिखता था कि मेरे साथ पिटाई करने को तैयार है वहां अध्यक्ष महोदय ने इस सूचना पर क्या कार्यवाही की, मुझे मालूम नहीं। पर मुझे यह कहा गया कि वह सदन में इस प्रश्न को कल रक्खेंगे।

इसके बाद घटना यह हुई कि जब मैं इस सदन के फ्लोर से निकल कर रिफ्रेशमेन्ट रूम की तरफ जा रहा था तो सामने आ गये वे। मैंने देखा फालतू में लड़ना अच ा नहीं। मैं भींत से सटकर खड़ा हो गया। तब उनके साथ के दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आज तो कुडी साहब के यहां मूत लें। मैंने फिर उनकी अपमानजनक बातों पर ध्यान नहीं दिया और बचा लिया और दिन भर यही वातावरण रहा। वे सात बजे तक विशिष्ट दीर्घा में बैठे रहे और इस तरह की हरकत करने को तैयार रहे। मैं निवेदन करूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सदन में प्रश्न पूछें और इस पर माननीय सदस्य ो कोई धमकी दे और न पूछे जाने के लिये बाध्य करे तो इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं। जायल से जो माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने घटना का जो विवरण सदन में प्रस्तुत किया है और इस बात की मांग की है कि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार समिति सदन की बनाई हुई एक समिति है। विशेषाधिकार समिति में कई उलझन भरे मामलों में पार्लियामेन्ट्री व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है और उस सम्बन्ध में विचार विमर्श के लिये सुपुर्द किया जाता है।

पर यह तो मामला इतना स्पष्ट है कि हाउस को तुरन्त कॉग्नीजेन्स इस पर लेना चाहिये। न पुलिस में उसको देने की आवश्यकता है न कहीं समिति में देने की जरूरत है। स्वयं सदन को इसका कॉग्नीजेन्स लेकर पुलिस के मार्फत उसको बुलाकर, सदन के बार में खड़ा करना चाहिये। जब उसे पनिशमेन्ट मिलेगा, तब उससे बाकी के लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार क्या है और उस प्रश्न पर उनके विशेषाधिकार पर कोई कुठाराघात करता है इस तरह से, तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है।

इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेजने के स्थान पर सदन डाइरेक्ट इसका कॉग्नीजेन्स ले और निर्णय ले यह ज्यादा उचित होगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न सदन के सम्मुख रखा है वह अत्यन्त गम्भीर है। हरेक माननीय सदस्य इससे चिन्तित है। आम लोगों के बारे में कई तरह के प्रश्न सदन में पूछते हैं माननीय सदस्यगण। उनमें बहुत से प्रश्न बहुतों के लिये बहुत भी अप्रिय भी होते हैं। किन्हीं को बुरा भी लग सकता है।

(श्री दौलतराम सारण)

पर हमें अपनी जिम्मेदारियां, दायित्व और कर्त्तव्य को निभाना पड़ता है और इसी हेतु यहां प्रश्न पूछते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन प्रश्नों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति नाराज होकर किसी जुर्म को करने के लिये आमादा हो जावें, हम पर आक्रमण करने के लिये आमादा हो जावें, उसकी इज्जत उतारने के लिये हमला किया जावे, अपशब्द कहे जावें तो कोई भी विधायक अपना दायित्व निर्भयतापूर्वक नहीं निभा सकेगा। और अपना कर्त्तव्य ठीक प्रकार से निभाने में असमर्थ हो जावेगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसको बहुत गम्भीरता से लिया जावे और जिस किसी भी महानुभाव ने इस प्रकार की हरकत की है उनके खिलाफ इस सदन को अपने अधिकारों के अनुकूल कार्यवाही करनी चाहिये। केवल प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द करने मात्र से ही यह प्रश्न जो है, निर्णित नहीं हो सकेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नत्थीसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह किस्सा ऐसा है कि इसके सम्बन्ध में एक बजे से सात बजे तक यह धमकाना कहना रिपीट होता रहा। अब इसको अगर विशेषाधिकार समिति में भेजना है तो कम से कम 6 महीने और लगेंगे। इसके बाद वह सदन में आवेगा। इस तरह से अगर देरी हुई तो सदन के किसी भी सदस्य के लिये काम करना मुश्किल हो जावेगा।

माननीय सदस्य ने जो तथ्य सदन में रखे हैं उनके आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति को बुलाया जावे हमारे सामने। उसको यहां कहने का मौका मिलेगा और उसकी बात सुन कर ही यह सदन फैसला करे। यह जायज मांग है। इसको क्रियान्वित करना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मुझे कल कुडी साहब कोई एक डेढ़ बजे के आस पास स्पीकर साहब के चेम्बर में मिले थे। घबराये हुये थे वे बहुत ही ज्यादा। कहने लगे कि इस तरह से एक व्यक्ति मेरे पर हमला करने वाला है। मैंने कहा, आओ, चलो, देखें कैसा आदमी है वह। उन्होंने कहा कि मैं लिखकर लाया हूं और स्पीकर साहब को देना चाहता हूं। क्योंकि स्पीकर साहब की तबियत नाशाद सी थी वे चेम्बर के भीतर थे मैं कुडी साहब को वहीं छोड़कर चला आया, यह कह कर कि लिखकर आप दे दें। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो इस सदन के प्रांगण के भीतर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही करने को तैयार हो या इसके बाहर हो। बाहर का सवाल पोस्टपोन हो सकता है परन्तु मैं समझता हूं शायद स्पीकर साहब की तबियत नाशाद है, ऐसा मालूम पड़ता है परन्तु कुछ भी सही जब कि 7 बजे तक दूसरे आदमी को लेकर रेफरेन्स रूम में, रेस्टोरेन्ट में या और कक्षों में घूमता फिरा और एक सदस्य पर नाजायज दबाव डालता रहा कि तुम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठा रहे हो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे यह स्थिति बड़ी विषम है, गंभीर है। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। सदन के कस्टोडियन हैं। यह प्रिविलेज का सवाल तो है ही इसके साथ साथ इस पर तत्परता से कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि और लोग ऐसा साहस न कर सकें। इस सदन के क्या अधिकार हैं हमारे सदन के माननीय सदस्यों का उनका प्रिविलेज है। उनके ऊपर किसी प्रकार की आंच न आये इसलिये तत्परता से कार्यवाही

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

करनी चाहिये। सोमवार को ही उसको सार्जेन्ट के द्वारा या अन्य किसी दीगर आदमी द्वारा उसको सदन के कठघरे में खड़ा करना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मुझे यह घटना सुनकर बहुत ही खेद है कि क्या हमारे सदन के जो नियम हैं, जो सदन को अधिकार प्राप्त हैं क्या वे इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की, उनकी सामान्य शारीरिक रक्षा करने में समर्थ है या असमर्थ। मुझे आश्चर्य होता है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस सदन से बाहर कोई भी सामान्य नागरिक के साथ अगर कोई नागरिक इस प्रकार का व्यवहार करे, उसकी जान पर खतरा पैदा करने की कोशिश करे तो पुलिस में दफा 107 की रिपोर्ट करने के बाद पुलिस द्वारा फौरन कार्यवाही करने के लिये कर्त्तव्य उसका हो जाता है। लेकिन यहां एक माननीय सदस्य के साथ इसी सदन में 1 बजे की घटना है और 7 बजे तक वह घटना उसी प्रकार से रिपीट होती रहे और फिर हमारा यह सदन उस माननीय सदस्य को सुरक्षा न दे पाये, नियमों की सुरक्षा न हो पाये, हमारा आसन इस प्रकार की सुरक्षा ना दे सकें तो मैं समझता हूं यह बहुत ही गंभीर बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कल जिस प्रकार से इस बात की रिपोर्ट की गई उसकी सामान्य जानकारी करने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से इस बारे में अपनी तसल्ली और तथ्यों के बारे में जानकारी करनी चाहिये थी। वह होने के बाद कम से कम तुरन्त माननीय सदस्य को इस प्रकार की सुरक्षा हो जाती कि इस प्रकार की घटना उनके साथ उस वक्त सदन में न हो। ऐसे सदस्य, इस प्रकार के आदमी जिसने इस प्रकार का व्यवहार किया उसके प्रति फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये। जो सामान्य पुलिस स्टेशन में सरक्षा मिल सकती है एक माननीय सदस्य को इस सदन में वह सुरक्षा नहीं मिल सके उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये खेद होता है इस सदन में जो अधिकार आसन को दिये हुये हैं माननीय सदस्यों की सरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये दिये गये हैं उन प्रिविलेज की रक्षा कहां हुई? फिजिकल सुरक्षा सामान्यतः इन्सपैक्टर को करनी चाहिये वह भी नहीं हुई, इसका मुझे खद है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य ने यह जो तथ्य सामने रखे हैं इसको विशेषाधिकार समिति के सामने रखना दुबारा उसी गलती को रिपीट करना है जो गंभीर अपराध उसने किये हैं उसको कन्टीन्यू करते रहने देना जैसा अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आखिर विशेषाधिकार समिति इस सदन की बनाई हुई ही समिति तो है, जो उस पर विचार करके इस सदन के लिये सिफारिश करे। अन्तिम निर्णय इस सदन का होगा। मैं समझता हूं जब इन तथ्यों के बारे में कोई मतभेद नहीं है, अगर मुख्य बात के बारे में मतभेद नहीं है तो इसी के उपर सदन को तुरन्त काग्नीजेन्स लेना चाहिये और माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये उस व्यक्ति को यहां बुलाना चाहिये और यहां बुलाकर उसको एग्जामिन कर लें और एग्जामिन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हाउस के बाहर खड़ा करें और जो सजा यह हाउस समझें वह देनी चाहिये। मैं समझता हूं इसको विशेषाधिकार समिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को देना इस अपराध की गंभीरता को बिलकुल समाप्त कर देना है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, म निवेदन करूंगा अब मैं समझता हूं इसमें लीडर ऑफ दी हाउस; आज है नहीं, उनको शायद इस बारे में किसी के साथ घटना हुई है मालूम न हो। हो सकता है इधर भी बैठने वाले माननीय सदस्यों को एतराज नहीं होगा और यह हाउस इसे गंभीरता से लेगा।

श्री दर्गालाल बाढ़दार — एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान द स शास्त्री एवं श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जहां तक माननीय सदस्यों ने जो स्थिति सदन के सामने व्यक्त की है मैं यहां तक निवेदन करूंगा कि सदस्यों का सम्बन्ध सीधा आसन से होता है। हमारा सारा सम्बन्ध आसन से है और आसन को फुल अधिकार हैं वह अपने घर में किस प्रकार व्यवस्था करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जिस संविधान की सोगन्ध खाकर हम इस सदन में आते हैं— अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये निर्भीक रूप से चाहे राज्य सरकार का वह बड़े से बड़ा मंत्री हो, चाहे बड़ा अफसर हो जो मुद्दे आते हैं इस सदन में निर्भीक होकर इस सदन में आते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं जहां तक सुरक्षा का सवाल है पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं इस प्रकार राजस्थान की जनता की भी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो आपके अपने अधिकारों और दायित्वों की याद दिलाने की दृष्टि से कहता हूं। आसन को अपना दायित्व निभाना चाहिये। घर की रक्षा करने में सक्षम है या नहीं इसका उत्तर-दायित्व आपके कन्धों पर है, आसन के कन्धों पर है। यदि आसन ने इस प्रश्न को गंभीर नहीं लिया तो फिर सदन में आकर कोई व्यक्ति अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकेगा। आज यह घर में होने लगा है कल फिर लोग घेराव करेंगे, बोलने नहीं देंगे— क्या स्वतन्त्रता रही ? आज उसकी रक्षा हमारा आसन नहीं कर सकता है, आज उसकी रक्षा गृह विभाग नहीं रख सकता है तो यह जनतन्त्र का सीधा मखोल है इस लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा इस प्रश्न को अत्यधिक गंभीर रूप से लिया जाना चाहिये और जो सारे माननीय सदस्य मांग करते हैं उसको यहां बुलाया जाय। यह मैं नहीं कहता हूं उसकी बात न सुनी जाय, उसकी बात सुनी जानी चाहिये उसकी जांच होनी चाहिये नहीं तो आयन्दा लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे हो सकता है सदन की कार्यवाही करना असम्भव बात हो जायगी इसलिये आप अपने उत्तर-दायित्व की बात को समझें। यह आपके घर की रक्षा का सवाल है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके साथ मैं यह खेद प्रकट करता हूं

Page No 77

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि ऐसी वारदात इस सदन में हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई ऐसी वारदात होती है जिसका सम्बन्ध माननीय सदस्यों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा से है तो यह प्रश्न विशेषाधिकार का तो है ही लेकिन उससे भी सर्वोपरि अधिकार आपका इस सदन में है। इसकी तत्काल उचित रूप से व्यवस्था जो कुछ आप ठीक समझें-इस बारे में आप छानबीन करके करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह व्यवस्था चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन तो यह होता है कि गृह मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं और आज ही पुलिस जाकर उसको अरेस्ट करे। उसे कहीं बन्द करवा दो क्योंकि कल हाउस नहीं है, फिर सन्डे आ गया और मन्डे को वह हाउस के सामने आये। हाउस की इच्छा है कि आज और कल उसको नुकसान नहीं पहुंच जाये सोमवार को उसको सदन के सामने लाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो अभी अभी एक मसला अपने सदन के माननीय सदस्य श्री रामसिंह कुड़ी ने उठाया है उसके तथ्यों के संबंध में सदन को जानकारी मिल चुकी है। प्रश्न यह है कि इस संबंध में क्या किया जाये ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपका ध्यान हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स न दो रेज्योल्यूशन्स इस प्रकार के मसलों में जो पेश किये उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। दो रेज्योल्यूशन्स पास किये हाउस ऑफ कॉमन्स ने और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने :

'That the assaulting insulting or menacing of any member of this House in his coming to or going from the House or upon the account of his behaviour in Parliament is a high infringement of the privileges of this House, a most outrageous and dangerous violation of the rights of Parliament and a high crime and 'misdemeanour'.

और उसके बाद फिर यह रेज्योल्यूशन पास किया :

That it is a gross breach of the privilege of this House for any person to obstruct and insult the members of this House in the coming to or going from the House and to endeavour to compel by force to declare this in favour or against any proposition then pending or accepted to be brought before the House.

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसमें एक जगह कमेंटरी में लिखा है :

Contempt exfacie is actionable atonce by the House.

इस सिलसिले में :

In such case where the witness prevaricates, gives false evidence or refuses to answer the House proceeds atonce on contempt action. The offender need not be heard unless he offers an apology. If the apology is not

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

acceptable the House punishes him for contempt.

मेरा निवेदन करना यह है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूरा पढ़ा नहीं 'इन प्रजेन्स ऑफ दी हाउस' होना चाहिए उसमें यह कार्यवाही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें तो है नहीं, किसी दूसरी किताब में होगा :

In England both the Houses can issue a general warrant to the contemnors without specifying the object or causes whereon their attendance is required. The offender can be brought in custody. Then the breach of privileges or contempts outside the House or within the precincts, though not in view of the House, may be brought to the notice of the House by complaint from a member, by communication from the Speaker and by report from the Seargent-at-Arms.

तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह तो हाउस की प्रिसिंक्ट्स में ही है उसके बाहर नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष : प्रजन्स. ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रजन्स की मैं नहीं कह रहा हूं। प्रजेन्स की कम्पलेन्ट भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न यह है कि इस मेन हॉल के बाहर चैम्बर या लॉबीज में या आसपास के कमरे म इस प्रकार की घटना घटी और उसके बाद सदन को क्या करना चाहिये—मैं समझता हूं कि प्रिविलेजेज कमेटी को इस मैटर को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस संबंध में यहां से सम्मन या वारन्ट्स इश्यू करके क्योंकि यह हाउस काम्पीटेन्ट है कि जिस आदमी ने ऐसा कुछ किया है तो उस आदमी को मन्डे को हाउस के सामने प्रस्तुत किया जाये और जो कुछ उसे कहना है उसको कहने का मौका दिया जाकर हाउस इस संबंध में निर्णय ले, वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा और विलायत की मिसाल दी। इसकी पहली मिसाल विलायत की प्रधान भी नहीं बादशाह की देता हूं। जिस बादशाह ने हरकत की थी कि पार्लियामेंट के अन्दर चाहे किसी को छुड़ाना चाहते थे या किसी के पक्ष में पड़े थे उनको फांसी मिली थी कि वह इस तरह से अन्दर आकर के उनको छुड़ाना चाहते थे। यह प्रधान का सवाल है और वह भी प्रधान ने सचिव के कमरे में। सचिव और अध्यक्ष का कमरा, मैं समझता हूं, वही माने रखता है जो कि एक विधान सभा के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं। यह असेम्बली के प्रिमिसेस में किया तो उसके लिए उसे भी आदेश देकर होम मिनिस्टर कह सकते हैं कि उसे अरेस्ट करके और उसको पद से हटाकर उसकी इन्क्वायरी करा सकते हैं। गृहमंत्री जी यह आश्वासन दे दें या फिर आदमी की पेशी हो—माननीय सदस्यों से माफी चाहता हूं कि क्या ऐसे आदमी को सदन के बीच में सजा दी जा सकती है तब तो क्यों बहस करते हैं। क्योंकि यह बहस का विषय नहीं है।

(श्री मदन सिंह)

और हरकत हुई है उन प्रधानों के द्वारा जिनको छूट है कुचामन और डीडवाना के प्रधान हैं। यह राजस्थान के राज्य में चाहे जो कर सकते हैं। जिनके संबंध में 19-19 केसेज यहां हाउस में कनविन्स किये थ। वह खुले हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने एरिया में कुछ भी किया है। उसका न पुलिस ने, न मंत्रियों ने कोई कॉग्नीजेन्स लिया लेकिन वह प्रधान अब विधान सभा में घुसकर हरकत करना चाहता है जो कि उन्होंने सांसियों और बावरियों के साथ किया उन्हीं के मित्र दूसरे प्रधान ने यहां ही हरकत की है। वह तो अच्छा था कि इन्होंने कैसे बरदाश्त कर लिया। अगर विधान सभा के सदस्यों को इत्तिला कर देते तो आपकी यह नौबत नहीं आती कि वह इस प्रकार से ऐसा कार्य करते।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और उनके साथ विधान सभा के इस प्रांगण में या विधान सभा के सचिव के कमरे में घटना हुई उस घटना के संबंध में उन्होंने संक्षिप्त वक्तव्य दिया है और उसको हमने सुना। मेरी माननीय सदस्य के साथ सहानुभूति है और इस प्रकार की घटना किसी के साथ हो यह उचित नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि यह माननीय सदस्यों के कर्त्तव्यों में हस्तक्षेप है और अपने कामों को करने में रुकावट पैदा करता है। किसी भी किस्म की धमकी दिया जाना, बहस किया जाना या उसको और किसी प्रकार की खतरनाक बात कहना उसको डराने की संज्ञा में आता है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने उधर से विचार व्यक्त किये हैं, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं, यह भी ठीक है कि इस पृष्ठ भूमि में भी विचार करना चाहिये कि नागौर जिले में जिस व्यक्ति के खिलाफ यह विशेषाधिकार का प्रश्न रखा गया है उनके और माननीय सदस्य के संबंध कैसे हैं। इसको भी देखने की आवश्यकता है। हमारे कर्त्तव्य और विशेषधिकार हैं यह हम मानते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम हमारे विशेषाधिकार के प्रश्नों को यहां रखें और सदन में उस मामले में विचार करें और सदन का उस मामले में उपयोग करना चाहें हमें अधिकार है उपयोग करने का और उपयोग मांगने का भी अधिकार है लेकिन बहुत मामूली और तुच्छ घटनाओं के लिए आपसी बातों को लेकर सदन का समय लिया जाना उपयुक्त नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में यह निवेदन कर दूं।

श्री रामनारायण चौधरी: आपने अपनी बात कह दी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: इसके लिए जो माननीय सदस्य ने कहा हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हो जायं और इसके साथ ऐसी घटना हो तो उसके लिए बुरा मत मानना चाहे वह मिनिस्टर के साथ हो चाहे मेम्बर के साथ हो।

श्री रामनारायण चौधरी: इस प्रकार के छोटे छोटे मामलों में हम सदन का उपयोग करें वह मैं उचित नहीं समझता। जहां तक हमें अधिकार है वहीं तक उसका उपयोग करें।

Page No 80

(श्री रामनारायण चौधरी)

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न है और इसकी रोकथाम हो इसके लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय यहां तक तो इससे सहानुभूति प्रकट करता हूं, लेकिन जैसा कि माननीय श्री भैरोंसिहजी और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि सदन को इसका कॉग्नीजेन्स लेना चाहिये और उसको अदालत की स्थिति में यहां पर पेश किया जाय, इस तरह की यह घटना नहीं है। इस सारी पृष्ठभूमि में इस पर विचार करें। मैं इस बात से तो अपनी सहमति प्रकट करने को तैयार हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति में रखा जा सकता है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: माननीय सदस्यों का इस प्रकार से अपमान है कि जान बूझकर इस तरह से कहें...

श्री रामनारायण चौधरी: आप मुझे कहने दें। आपने अपनी बात कही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: हम किसी की सहानुभूति नहीं लेना चाहते हैं। आप अपनी दया मत दिखाइये।

श्री रामनारायण चौधरी: इससे पूर्व इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। यदि इस मामले में तथ्य गम्भीर हों, तो आप स्वयं इस मामले की जांच कर सकते हैं, और यदि आप उचित समझें तो इस मामले की गहराई में जाकर जांच करने के लिए समिति को सूचित कर सकते हैं, सदन को सूचित कर सकते हैं, आपको सूचित कर सकते हैं जब मामले का इन्वेस्टीगेशन हो जाय और तथ्य क्या हैं, किस तरह से शुरू हुआ है, तब तक यह सदन कोई भी कॉग्नीजेन्स लेने की स्थिति में नहीं है। माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है वह ठीक है कुछ हद तक उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन सदन इसकी कॉग्नीजेन्स ले, इससे मैं असहमति प्रकट करता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्षजी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में ऐसे अहम् प्रश्न के ऊपर यदि राजनैतिक दृष्टिकोण रख कर और इस प्रकार से विशेषाधिकार की अवहेलना करने वालों का राजनैतिक दृष्टिकोण से पक्ष लेकर इस प्रकार से विरोधी दलों के माननीय सदस्यों के साथ इस प्रकार का अमानवीय और अभद्रता का व्यवहार किया गया है, इस प्रकार से उनको मारने की धमकी दी है, ऐसे प्रश्न पर इस प्रकार से कहकर, इस प्रकार से व्यक्तिगत राग द्वेष की बात जोड़कर इसकी बातचीत करें...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह माननीय सदस्यों के साथ में बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले और विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों के सभी के समान अधिकार हैं और जब हमारे समान अधिकारों के प्रश्न पर रोक हो और हम राजनैतिक दृष्टि लें तो उसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसके ऊपर जैसा कि हमारे दल के नेता ने और दूसरे लोगों ने सुझाव दिया है, उसी सुझाव के अन्तर्गत ऐसे अपराधी को चाहे स्पीकर महोदय से निवेदन करें कि उसको गिरफ्तार कराकर यहां बार के अन्दर सदन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के सामने खड़ा करें और उसके साथ सख्त से सख्त कायवाही करें ताकि अन्य लोग जो क्राइम पेशा के लोग हैं जो उस इलाके के अंदर आये दिन सरकारी अधिकारियों का कत्ल कर दते हैं, सरकारी जीप को जलवा देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाने का काम सदन का है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि हमारे जो विशेषाधिकार हैं उनके अन्तर्गत यह किया जायगा।

श्री राम सिंह कुडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे साथी रामनारायणजी ने एक बात व्यक्त की है कि रामेश्वरनाथजी के और मेरे संबंध खराब हैं, उस वजह से मैं इस सदन का उपयोग यहां कर रहा हूं। यह बात कतई गलत है, और मैं इस तरीके का घिनौना काम करने का आदी नहीं हूं कि निजी संबंध खराब हों, तो मुझमें निपटने की शक्ति है। आज तक नागौर जिले में इस तरह का घिनौना कार्य करने की मेरे साथ किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर करेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। मैं सदन की सहायता नहीं मांगूंगा। केवल मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सदस्यों को यह शंका नहीं होनी चाहिए। मैं कभी निजी सहायता के रूप में इस सदन का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो इस तरह की बात कही उसकी मैं माफी चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह मामला ऐसा है कि जिसमें कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि इस सदन में यह घटना होती, तो सब लोग देखते और तथ्यों के बारे में कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं रहती, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपकर लम्बा कर दें, तो इसका महत्व जाता रहेगा। तो मेरा यह सुझाव है माननीय उपाध्यक्षजी कि इस बात की जानकारी करें कि जो तथ्य माननीय सदस्य ने कहे, वे वास्तविक रूप में हुए हैं। इसकी प्रिलिमिनेरी जांच कर लें। अगर वे कन्वीन्स हो जायें तो हाउस में रिपोर्ट कर दें और फिर हाउस उसकी काग्नीजेन्स लेकर उस सदस्य को बुलाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करे। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय इस नतीजे पर पहुंचें कि तथ्यों की पुष्टि नहीं होसकी और कन्ट्रोवर्सी अभी रहती है और प्रिलिमिनेरी तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता तो फिर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाय। उपाध्यक्षजी, मेरा सुझाव इस तरीके का है कि कहीं ऐसा न हो कि गलत तथ्यों पर यहां एक्ट कर लें और इस तरह से ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसे गंभीर आरोप यों ही चले जायं जिसका कि बुरा असर पड़े।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो सुझाव माननीय रामानन्दजी ने रखा है इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। चूंकि यह प्रिविलेज का मोशन है, अध्यक्ष महोदय स्वयं एक्स्प्लेनेशन कॉल कर सकते हैं उस परसन का जिसने इस हाउस की प्रिसिन्क्ट्स में गड़बड़ की है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उनका एक्स्प्लेनेशन कॉल करके आगे कार्यवाही फौरन की जानी चाहिए कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजना चाहिए या सदन में ही एक्स्प्लेनेशन काल करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: गृह मंत्रीजी कई बार भेज चुके हैं वह हमारी जानकारी के अंदर है। गृह मंत्री महोदय, सेक्रेटरी साहब को बार बार इशारा करके बुलवायें, इसकी जानकारी हमें है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: वे इस तरह से अपमान करते हैं चेयर का। हमें शर्म आती है कि चेयर को वे इस तरह से इन्स्ट्रक्शन्स भेजते हैं। अगर उनको कोई बात कहनी हो तो सदन में खड़े होकर कहें। हम अपनी बात सदन में खड़े होकर कहते हैं इस सदन में गृह मंत्रीजी की कोई विशेष पोजीशन नहीं है। उनके और अन्य माननीय सदस्यों के अधिकार बराबर हैं। यह तरीका गलत है कि वे सेक्रेटरी साहब को इशारा देकर बार बार बुलायें और सेक्रेटरी साहब आपके पास आयें और चिट भेजें, इसका कारण है... ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमें यह शक होता है कि सेक्रेटरी साहब को इशारों से बुलाकर वे चेयर को डाइरेक्शन्स देते हैं, जो चेयर के लिए सम्मानीय चीज नहीं है और शोभा नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष : न तो चेयर किसी की डाइरेक्शन लेती है। चेयर तो दोनों की पक्ष की बात सुनकर जो उचित चीज होती है उसके अनुसार निर्णय देती है। आपको बहम हो गया है कि इस तरह की बात गुजरती है। एसी बात नहीं है इसका मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री हीराभाई : इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न है उसमें सदन को दोषी व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार है। उसमें दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। एक प्रक्रिया यह है कि सदन स्वयं दोषी व्यक्ति को अपने सामने बुलाकर उसी वक्त वहां पर उसको दण्ड की तजवीज करे। दूसरी प्रक्रिया यह होती है कि सदन द्वारा गठित विशेषाधिकार समिति को उस मामले को सुपुर्द कर दिया जाय और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सदन उस पर निर्णय दे। आम तौर से पहली प्रक्रिया सदन तब अपनाता है जब कि सदन के सामने कोई घटना घटित होती है, उसकी जानकारी सदन के अधिकतर सदस्यों को या जो सदस्य सदन में होते हैं उनको होती है, लेकिन जहां पर घटना सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों के सामने नहीं होती है, वहां पर मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाता है ताकि तथ्यों की जानकारी करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें और जो सदन ठीक समझ वह करे। सदन को अधिकार है कि वह दोषी व्यक्ति को अपने सामने गिरफ्तार करके बुला सकता है, जवाब ले सकता है, उसके प्रतिवेदन को स्वीकार करे या न करे, कम सजा दे या अधिक दे, ये सब सदन को अधिकार हैं। सजा देने का आखरी अधिकार सदन को है कमेटी को नहीं है।

इस घटना का जहां तक प्रश्न है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह घटना सदन के अधिकतर सदस्यों के सामने नहीं हुई, इसलिए इसमें जानकारी

(श्री उपाध्यक्ष)

लेने की आवश्यकता होगी कि तथ्य क्या है ताकि सदन उस पर उसके प्रतिवेदन के आधार पर गहराई से विचार कर सके।

यह कोई बात नहीं है कि विशेषाधिकार समिति इस पर लम्बा समय लगाये। लम्बा समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को रूल नं० 161 के अन्तर्गत सौंप दिया जाये तो वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक..

(भारी शोरगुल अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर.... (अश्रव्य)..लगाने का मतलब है, सदस्यों का अपमान होता रहेगा।

(लगातार शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आपको नोटिस दे दिये जाने के बाद, मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस ऑफिस में एक आदमी बैठा हुआ है। गालियां देने पर उतारू है। तो, मेरे पास कोई आधार नहीं है। कल एक बजे आसन के नोटिस में ला दिया गया। 7 बजे तक वह आदमी मौजूद था। इतनी सिक्युरिटी फोर्सेज मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं ढाई सौ आदमी आपके ? इस तरीके से एक आदमी यहां पर आकर बोले। क्या फायदा है ढाई सौ से ? ये हमारी रक्षा करने के लिए है या हमारे ऊपर सी० आई० डी० करने के लिए ? कौन क्या रेजोल्यूशन देता है ? कौन क्या करता है ? क्या यह जानने के लिए हैं ? एक आदमी यहां लोगों को धमकी दे। कल एक बजे सूचना दे दी गई। 7 बजे तक वह लगातार पीछा करता यहां वहां फिरता रहा। आसन की तरफ से क्यों नहीं कदम उठाया गया ? उठाया गया तो क्या कदम उठाया गया ? अगर इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहन देते रहे, फिर तो यह प्रिसीडेंस डालना हुआ। प्रिविलेज कमेटी को दिया गया तो 6 महीने में रिपोर्ट आयेगी। तो उसके क्या परिणाम होंगे ? कल 1 बजे आसन के नोटिस में ला दिया गया। 7 बजे तक यह हाउस चला। इस बारे में क्या आपत्ति थी ? क्या दिक्कत थी आसन के सामने यह स्पष्ट कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: एक बजे माननीय सदस्य ने नहीं दिया। जिस समय घटना हुई। एक दो माननीय सदस्य देखते। 7 बजे तक वह पीछा करता रहा तो सदन में वह माननीय सदस्यों को कह सकते थे और माननीय सदस्य भी कह सकते थे तो स्थिति दूसरी होती। चूंकि यह घटना सदन में नहीं हुई....

श्री रामसिंह कुड़ी: मैंने जो लिख दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको जरा सदन में पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं वह पढ़ता हूं-
"विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना :

निवेदन है कि मैं अभी आप के निजी सचिव के कमरे में किसी काम से आया था वहां श्री रामेश्वर लाल प्रधान, पंचायत समिति कुचामन भी आ गये उन्होंने मुझे धमकी देते हुए अपमान जनक शब्दोंमें कहा कि तुमने मेरे खिलाफ जिस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने तो प्रस्ताव में उल्लिखित अधिकारी को पीट दिया है, वैसा

Page No 84

(श्री उपाध्यक्ष)

ही तुम्हारे साथ सलूक होगा। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

अतः यह एक विशेषाधिकार का मामला है। इस पर तुरन्त कार्यवाही करावें। श्री रामेश्वरलाल अभी सदन में घूम रहा है, एवं मेरे साथ मारपीट करने को उतारू है।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और अधिक क्या चाहिये ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : निजी सचिव स्पीकर महोदय के ही हैं। उनकी जानकारी में यह घटना हुई है। आप सदन के सामने बुलाकर उनकी साक्षी ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें व्यवहारिक दिक्कत होगी। सदन की बैठक इसके लिए रोकें। सदन के रूबरू जिसके कि सदन के माननीय सदस्य साक्षी हों तो सदन उस व्यक्ति को सजा की तजबीज कर सकता है।

श्री मदनसिंह : यह हो सकता है कि अध्यक्ष फौरन उसे गिरफ्तार करा सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : तो भी स्थिति यह है कि सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों को उसकी निजी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि जिन किन्हीं व्यक्तियों ने इस घटना को देखा है, वह उसके साक्षी रूप में प्रस्तुत हो जावें। उन व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह अपने बचाव के लिए जो कहना चाहें, या वकील लाना चाहें तो वह ला सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं समिति कुछ भी कहे तो भी सजा तजवीज करने का अधिकार इस सदन को ही है। सदन की कमेटी सदन को सूचना देगी। सजा देने का अधिकार माननीय सदस्यों को है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समिति 6 महीने तक इसको पड़ा रखेगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ-अश्रव्य)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मेरे को अंदेशा है कि यह केस बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। धारा 15 के अनुसार गिरफ्तार कर सकते हैं। जब तक निर्णय नहीं हो जाये तब तक उसको गिरफ्तार करवालें। 6 महीने तक विधान सभा में निर्णय होगा। तब तक के लिए उसे गिरफ्तार करवा लिया जाये। नहीं तो फिर चाकू लेकर आगे मिलेगा। इसके बारे में तत्काल कार्यवाही की जाये। यह केस बिगाड़ने का तरीका है। कार्यालय के रूबरू घटना होती है। उस पर केस बन सकता है। वह कांग्रेस पार्टी का रूलिंग पार्टी का प्रधान है। इसलिये मैं यह कहूंगा, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें रूलिंग पार्टी का कोई सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं..

(अनेक सदस्य एक साथ-शोरगुल)

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : मेरा एक सुझाव है। मैं समझता हूं अभी जो बताया है, यह जो घटना माननीय सदस्य के साथ घटी, यह घटना राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली घटना है। घटनाएं और घटी होंगी। विशेषाधिकार समिति

Page No 85

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के प्रस्ताव आये होंगे पर वह ऐसा है, जैसा सामान्यतया किसी माननीय सदस्य को पुलिस ने रोक दिया या डिमान्ट्रेशन हो रहा था और कोई बात हो गई। यह सदन नहीं चल रहा हो। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की स्थिति आ चुकी है। लेकिन assault intimidation and pressure and what not....

(1 म० प०)

श्री मूलचन्द डागा: How do you call it an assault ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Minus assault everything admitted by Shri Dagaji.

श्री मूलचन्द डागा: एक बात यह निवेदन करनी है कि आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मत रखिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : Assault can be by..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: माननीय सदस्य, एसाल्ट की परिभाषा जानना चाहते हैं, मैं उनको बताऊं:—

Assault can be by language, assault can be by gesture or by..

श्री मदनसिंह: By facial impression.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: कर्री कर्री आंखें दिखाना भी उसमें आता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यह वकालत नहीं करते है, अब भूल गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पाली से आने वाले माननीय सदस्य 'एसाल्ट' की परिभाषा को समझने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि वह केवल डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह एसाल्ट की परिभाषा में आता है। कुछ कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डाकूमेंट पर आधारित होते हैं अखबार, बुकलेट, लीफलेट पर आधारित होते हैं, उनके सम्बन्ध में मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जा सकता और किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें वह पोजीशन नहीं है, इसमें पोजीशन [illegible]री है। इसमें डाकुमेंट का सवाल नहीं है। . . मामले की कम्प्लेंन्ट आपके सामने हुई है, यह घटना हाउस की प्रिसिंक्ट्स में, हाउस की प्रिमिसेज में हुई है, और जब सदन का सत्र चल रहा था, उस समय हुई है। मैं समझता हूं कि यह गंभीर स्थिति है, इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना, अनहोनी घटना राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार हुई है। अब इसको तय करने के सम्बन्ध में प्रोसीजर क्या हो, मैं समझता हूं कि इसको तय करने के लिये आप भी रूल्स की स्टडी कर लें, विधान सभा का सेक्रेटेरियट इस सम्बन्ध में तैयारी कर लें, हम भी रूल्स की स्टेडी कर लें और प्रिविलेजेज कमेटी के माननीय चेयरमैन यहां मौजूद हैं, उनको यह आदेश दे दें कि वह प्रिविलेज कमेटी की इमरजेन्ट मीटिंग बुला लें और प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग बुला कर इस सम्बन्ध में विचार करके आज हाउस के उठने के पहले पहले इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दें। इसके साथ ही आपने जो

Page No 86

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवस्था दे दी है, उस व्यवस्था के ऊपर विचार करके, सोमवार को उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए वारन्ट जारी किया जाय, उसके नाम सम्मन जारी किया जाय और सोमवार को इस मसले पर विचार करके इसके ऊपर निर्णय किया जाय। अगर आज नहीं तो प्रिविलेज कमेटी मन्डे को इस हाउस के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे और मन्डे को इस सदन में वचार करके हाउस के उठने के पहले पहले इस मामले में वह कोई निर्णय ले सकता है। मन्डे को उस व्यक्ति को आने के लिए वारन्ट इश्यू कर दिया जाय, सम्मन इश्यू कर दिया जाय और आज या कल प्रिविलेज कमेटी अपनी एक इमरजेन्ट मीटिंग करके इस मामले पर विचार करके अपनी रिपोर्ट मन्डे को सदन के सामने पेश कर दे। सदन उसको कन्सीडर करे और उसके सम्बन्ध में निर्णय करे। दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि प्रिविलेजेज कमेटी इसके ऊपर आज विचार करे और इसके ऊपर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दे, हम भी उसके ऊपर हमारे जो कुछ भी सुझाव होंगे, वह रख देंगे, उसके बाद हाउस के उठने से पहले पहले हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले सकते हैं। या फिर जिस आदमी ने ऑफेन्स किया है, जो आफन्डर है, उसको मन्डे को without the matter being referred to the Privileges Committee इस हाउस के सामने पेश किया जाय, हाउस उसके डिफेन्स को सुन ले, उसके एक्सप्लेनेशन को सुन लें और सुनने के बाद में अगर हाउस उचित समझे और फरदर इन्क्वायरी की आवश्यकता समझे, तो प्रिविलेजेज कमेटी को द द, नहीं तो इमीजियेट नें पनिशमेंट के लिए प्रिविलेजेज कमेटी को भेजने की आवश्यकता नहीं है If it needs further enquiry, the matter can be referred to the Privilege Committee.

उपाध्यक्ष महोदय, आपने वबेरी की थी, पहले मैंने इसका पहला पोर्शन पढ़ा था कि इस प्रकार के कन्टेम्प्ट कुछ डाक्यूमेंट पर आधारित होते हैं, कुछ डाक्यूमेंट पर आधारित नहीं होते, कुछ किसी स्ट्रेन्जर के किसी एक्शन ोते हैं। तो आपने कहा था कि इस प्रकार की स्थिति राजस्थान विधान सभा के इतिहास में नहीं हुई, न राजस्थान विधान सभा के सामने ऐसा मसला आया है, जिस पर इस प्रक ार का कोई निर्णय लेने की आवश्यकता हो, इसलिए क्योंकि यह पहला मसला है, इसे इमीजियेटली कोई निर्णय लेने के लिए प्रिविलेजेज कमेटी को भेज दिया जाय। मैं समझता हूं इस व्यवस्था को आप विदहोल्ड करें, इसको रिवाइज और रिव्यू किया जाय और सायंकाल तक इस सम्बन्ध में पूर्णतः विचार करने के बाद हाउस के उठने के पहले यदि आवश्यक समझा जाय तो इसका प्रोसीजर तय करना हो, वह तय करें और उस व्यक्ति के नाम से वारन्ट इश्यू करने का निर्णय ले, उसके बाद वह मन्डे को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हो, यहां पर प्रस्तुत होकर डिफेन्स देना चाहे तो वह दे और उसके बाद में उसके डिफेन्स के आधार पर इस सारी घटना के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय और जो डिसीजन या जजमेंट देना हो वह दे दिया जाय। अगर जजमेंट में सदन डिवाइडेड हो जाय तो उसके होने के बाद प्रिविलेजेज कमेटी को यह मामला भेज दिया जाय। मैं पहले इसका पोर्शन पढ़ चुका हूं लेकिन इस सम्बन्ध में व्यवस्था पर पुन-

Page No 87

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विचार करने में मदद करने के लिए आपको कहना चाहूंगा कि यह कैटेगरीज ऑफ कम्पलेन्ट हैं, जो मैंने पहले सदन में पढ़ा उसके आगे मैं पढ़ देता हूं :

(a) Complaints against stranger not founded on document,

(b) Complaints against strangers not founded on documents,

(c) Complaints arising from reports of committees,

(d) Complaints against members.

Contempt exfacie is actionable atonce by the House.......... The offender need not be heard unless he offers apology. If the apology is not acceptable, the House punishes him for contempt.

(10.05 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तो, अध्यक्ष महोदय, जो कम्पलेन्ट् में के बारे में कमेंट्री दी गई है उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा था, उस सिलसिले में यह है :

"where a complaint is against the stranger but is not founded on documents, the House issues an order to the person to attend the House. He is then examined as to his conduct. If his explanation is satisfactory or if he expresses his contrition, the House drops the matter. If the matter is not thus disposed of, it is referred to the committee of Privileges of that House."

इसलिए मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में है वह यह है, मेरा निवेदन करना यह है कि जो कम्पलेंट आई है वह बहुत सीरिअस है, वह कम्पलेन्ट आई है और उसमें जो फेक्ट्स दिये गये हैं, इस प्रकार की घटना इस सदन में, हमारे राजस्थान विधान सभा के इतिहास में, कभी नहीं घटी है। मैं समझता हूं कि मेम्बर्स की सीक्योरिटी और उनके स्मूथ फंक्शन के लिए हाउस इस पर तुरन्त निर्णय ले कि कुचामन के...

श्री नत्थीसिंह : कुचामन पंचायत समिति के प्रधान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुचामन पंचायत समिति के प्रधान ने जिस प्रकार का व्यवहार माननीय सदस्य के साथ, जिस समय विधान सभा का सत्र चल रहा था, सचिव के कमरे में किया, उसके बारे में यह हाउस निर्णय ले कि उसके खिलाफ वारन्ट जारी करके उसको मन्डे को इस सदन के सामने पेश किया जाय, और उसके डिफेन्स को सुनने के बाद विचार करके हाउस यदि समझता है कि इसको माफीनामा नहीं दिया जाय, उसके बाद प्रिविलेजेज कमेटी सारे मामले की इन्क्वायरी करके अपनी रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दे और हाउस अगर सोचता है कि उसका माफीनामा लेकर छोड़ दिया जाय तो माफीनामा लेकर उसे छोड़ दिया जाय। यह मैंने आल्टरनेटिव रखा है, इस सम्बन्ध में आप अभी निर्णय लें या सायंकाल इस सदन के उठने से पहले लें, इस तरह का मेरा सुझाव है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

यह प्रश्न खेदजनक भी है, चिन्तनीय भी है। अब तक जो प्रश्न इस सदन के सम्मुख आते रहे हैं वह सदन में प्रांगण पर विशेषाधिकार के हनन के तो आय हैं लेकिन सदन के प्रिसिंक्ट्स में विशेषाधिकार को हनन करने का प्रश्न सदन के सम्मुख नहीं आया। ऐसे प्रश्न पर हमारी जो विशषाधिकार समिति है उसमें कभी कोई विचार नहीं हो सका। मैं इस प्रश्न से अवगत हूं और स्वयं, इस व्यवहार को, जो व्यवहार उन्होंने दिखाया, उसको आपत्तिजनक मानता हूं। प्रश्न सिर्फ दो हैं-जहां एक माननीय सदस्य ने जो सदन के सम्मुख प्रासीजर के सम्बन्ध में विचार रखे प्रक्रिया के नियम 161, के अन्तर्गत ऐसा प्रश्न जिसमें प्राय: जब कभी सदन का सत्र नहीं हो, विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाता रहा हैं किन्तु और जिस प्रश्न की अहमियत, जिनका महत्व अधिक हो, और सदन के अन्दर जिनके सम्बन्ध में सोचा जाना भी आवश्यक हो—उन प्रश्नों को सदन के सम्मुख भी रखा जा कर भी निर्णय लिया जाता रहा है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न सदन के सम्मुख रख दिया गया है, यह समझ कर कि यह सदन इस प्रश्न को विशषाधिकार समिति के सुपुर्द स्वयं कर दे। लेकिन मैं इस सदन के मानस की उग्रता को समझता हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदन के माननीय सदस्य व्यग्र हैं। दोनों रूप से मुझको इस प्रश्न को लेने में आपत्ति नहीं है। यदि सदन स्वयं इस प्रश्न को लेना चाहे तब भी इस प्रश्न को लिया जा सकता है और यदि विशषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये तो उसे भी सुपुर्द किया जा सकता है। मैं केवल यह चाहता हूं कि प्रोसीजर ऐसा हो जो एक परम्परा के रूप में बन पाये और हम कहीं इस प्रश्न पर प्रोसीजर के सम्बन्ध में जल्दबाजी करने में त्रुटि न करें। माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने प्रोसीजर एडोप्ट करने के सम्बन्ध में अभी सुझाव दिया कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और चूंकि अभी सत्र के पास बिजनेस है इसलिये एक या दो दिन, या जल्दी से जल्दी इसम कार्यवाही करके इसकी रिपोर्ट को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दें। इसके साथ सम्भवत: एक यह भी सुझाव है कि जो व्यक्ति इसमें षेषी है उसको सम्मन्स और वारन्ट के जरिये बुला लिया जाय। सदन सक्षम है उसको सम्मन्स या वारन्ट इश्यू करने में, अन्य डाइरेक्शन देने में भी कि वह व्यक्ति विशेषाधिकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत हो। सदन विशेषाधिकार समिति की तारीख और समय यहां से निश्चित करने मे भी सक्षम है। यह सदन उसको ट्राइल करे—यह प्रासीजर भी हो सकता है लेकिन जो सुझाव दिया गया है कि विशेषाधिकार समिति इसकी प्रारम्भिक जांच करके और इस सदन के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे कि यह प्रोसीजर सबसे अच्छा है बनिस्बत उसके कि यह सदन खुद अपने प्रांगण में बुला कर उसका ट्रायल करे। लेकिन इससे पूर्व मैं चाहूंगा, क्योंकि इसमें कान्स्टीट्यूशनल और लीगल पाइन्ट है और यह प्रश्न ऐसा है जो पहली बार इस सदन के सम्मुख आया है अत: आप यदि चाहें तो मैं विधि मंत्री से निवेदन करूं कि वे उस प्रोसीजर को बतलायें कि जिससे इन दोनों तरीकों में से कौनसा प्रोसीजर उपयुक्त हो सकता है।

Page No 89

(श्री अध्यक्ष)

इसके पश्चात इसमें से जो भी सुविधाजनक प्रोसीजर हो, बहरहाल उसको अख्तयार कर लिया जायगा। मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न आगे न बढ़, इसमें विलंभ न हो, जल्दी से जल्दी इसमें न्याय किया जाय और दोषी को, अगर दोषी ठहरता है, तो उसको सजा दी जाय। उस पर मैं विधि मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह इस पर प्रकाश डालें प्रोसीजर के संबंध में।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी है कि माननीय सदस्यों को पूरी आजादी है अपने विचार प्रकट करने की, अपने तरीके से राय देने की। जब हमारा संविधान बना तो हाउस ऑफ कामन्स के जितने प्रिविलेजेज थे...

श्री मदनसिंह दांता : वही प्रोसीजर एडाप्ट किया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : उस दिन तक वहां के जो प्रिविलेजेज थे हाउस ऑफ कामन्स के वे हमने माने। इसका मतलब यह निकलता है कि उस दिन तक का जो प्रोसीजर था और जो संविधान ने माना है कि वह प्रोसीजर लागू होगा। जहां हमारा संविधान साइलेंट है, तो हाउस ऑफ कामन्स के अंदर जो प्रिविलेजेज डिफाइन किए गए हैं और कन्टेम्पट् डिफाइन की गई है, वह बहुत ज्यादा क्लीयर है। उसके अंदर खुद लोक सभा ने माना है। जब हाई कोर्ट दिल्ली ने समन्स जारी किया तो उसको भी कन्टेम्पट् ऑफ हाउस माना है। इस तरीके से मैं समझता हूं कि यदि किसी भी सदस्य को थ्रेटिन किया जाय कि तुमने इस तरह क्यों कहा, यह सवाल क्यों उठाया, इस मुद्दे पर किस तरह वोट दिया, तो क्लीयरली यह प्रिविलेज इश्यू बनता है और कन्टेम्पट् ऑफ दी हाउस है, क्योंकि किसी भी सदस्य पर बाहर का दबाव नहीं आ सकता और बाहर के दबाव लाने का नतीजा यह निकलेगा कि जो हम फ्री वोट देना चाहते हैं वह फ्री वोट बंद हो जायगा और पार्लियामेंट-असेम्बली खतरे में पड़ जायेंगी। उसके साथ साथ एक सवाल और आता है, वह यह कि..

श्री मदनसिंह : यह चीज इंदिराजी पर भी लागू होगी?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं सीरियस बातें करने जा रहा था, मजाक नहीं। लेकिन यदि माननीय सदस्य को मजाक करने का शौक है तो बाहर कर सकते हैं, सदन के अंदर नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे राइट्स और प्रिविलेजेज और हमारी फ्रीडम गारंटीड है। उसके अंदर जो दखल करेगा वह सजा पाएगा। यह हिंदुस्तान के तमाम सदनों व संसद की परम्परा है। अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इसके साथ-साथ यह भी प्रश्न आता है कि किसको बार आफ दी हाउस में बुलाकर सजा दी जाय। बार आफ दी हाउस में सजा देने का अधिकार हमारे पास है। उसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन सोचना पड़ेगा कि उसकी ग्रैविटी ऑफ ऑफेन्स क्या है क्योंकि आज जनता ने हमें चुनकर भेजा है और जो हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों का किस हद तक जायज तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, क्योंकि नैचुरल जस्टिस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हिंदुस्तान में नैचुरल जस्टिस को माना गया है और नैचुरल जस्टिस का मतलब यह है कि No body will be deemed guilty unless he is proved guilty.

(श्री बरकतुल्ला खां)

और वह चीज उस समय हो सकती है जब दूसरी पार्टी को सुनने का मौका दिया जाय, एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाय, उस समय किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरी यह मान्यता है कि सदन अगर चाहे, सदन के सामने कई ऐसी घटनायें हुई हैं, सदन के अंदर कूद जायं, उस पर सदन ने लोगों को सजा दी है, अरेस्ट किया है, इसी बार के सामने कन्डेम किया है और जेल भेजा है। इसलिये यह समझ लेना कि हमारे पास अधिकार नहीं हैं, ऐसा नहीं हैं। मेरी अर्ज है कि इस मसले को सोचना चाहिए कि हमारे प्रिविलेजेज जो बने हुए हैं, जो अधिकार हमें सुपुर्द किए हैं, इसमें कुछ शुबह है क्या? अगर शुबह नहीं तो निश्चित तौर से हम प्रिविलेजेज कमेटी को कह दें कि माननीय सदस्य को सुन लें, उनकी जो शिकायत है, उसको देख लें, उसके बाद जो अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी सम्मन करें। अगर सम्मन नहीं होता है तो वारंट जारी किया जाय, वारंट पर नहीं आता है तो अरेस्ट करें। उसको बुलाकर सुनें, प्रारंभिक इन्क्वायरी करें, उसके बाद सदन के सामने तथ्य रखें, उस पर सदन का फैसला आखिरी फैसला होगा। प्रिविलेजेज कमेटी के जो सजेशन्स हैं, वे रिकमेंडेटरी नेचर के होंगे प्राइमा फैसी.....

श्री भैरोंसिंह: विधान सभा के एक माननीय सदस्य को थ्रेटिन कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव के कमरे में यह होता है, वहां पर और भी विधायक बैठे ह, क्या यह एवीडेंस इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि हाउस स्वयं इस पर काग्नीजेन्स ले?

श्री बरकतुल्ला खां: मन पूरे तथ्यों को नहीं सुना था। अगर यह हो जाय कि यह बात ऐसे हुई, क्योंकि मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे गलत नहीं समझें, क्योंकि नैचुरल जस्टिस के मामले पर कई बार हाई कोर्ट ने रिट के मामले में काग्नीजेन्स ली है और मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसा प्रोसीजर एडाप्ट न करें जो लीगली लोगों के गले न उतरे और ऐसा मालूम हो कि एक्शन सदन ने hurriedly ले लिया जिस आदमी ने थ्रेटिन किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। इसके लिए हमेशा मेरा वोट होगा, इसमें दो राय नहीं कि जो सदस्य को थ्रेटिन करे, उसको कोई कम सजा हम दे लेकिन सजा देते समय जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि Justice should also seem to have been done. इन्साफ होना चाहिए और दुनिया को भी मालूम होना चाहिये कि हमने इन्साफ किया। आज के दिन जो मुद्दा है वह यह है कि बाहर के किसी एक आदमी ने चाहे वह पंचायत समिति का सदस्य या और कोई भी हो, उसने माननीय सदस्य को डांटी दी, सदन जागरुक है कि क्या ऐसा जमाना आ गया है कि किसी माननीय सदस्य को बाहर के लोग बैठकर डांटी दें और सदन में सवाल उठे या नहीं उठे। एक बात यह कही गई कि काल एटेन्शन नोटिस देना चाहिये या नहीं। अगर इस तरह से बाहर के आदमियों ने गाइड किया तो हमारी फ्रीडम खतम हो गई, लेकिन उनके साथ-साथ नैचुरल जस्टिस को हाथ से नहीं जाने देना चाहिये। इसलिये मेरी अर्ज है कि प्रिविलेजेज कमेटी के सामने सारा प्रश्न रखा जाय और उसके लिए दो तीन दिन का समय निर्धारित किया जाय, समिति अपनी रिपोर्ट दो तीन दिन में पेश कर दे।

श्री भैरोंसिंह : विधि मंत्री न सारे प्रश्न पर, नैचुरल जस्टिस व्यक्ति को मिल जाय, मीमांसा की है। मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि विधान सभा सदस्य यदि ऐसे प्रश्न पर विचार करें, कोई निर्णय लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सदस्य विधान सभा में ऐसा नहीं बैठा होगा कि जिस समय उनको जज के रूप में व्यवहार करने का अवसर मिले, वहां कोई दलगत राजनीति आए या किसी के प्रभाव में आकर विचलित हो जाय। मेरा अनुभव है, विधान सभा में कई घटनायें हुई हैं, विधान सभा को तुरन्त कॉग्नीजेन्स लेना पड़ता है और कॉग्नीजन्स लेने के साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने कोई घटना की है, उसको बुलाया गया, सेक्रेटरी महोदय ने उसका स्टटमट लिया, मार्शल का स्टेटमेंट हुआ और उस स्टेटमेंट को अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष महोदय ने उस पर आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बार ऑफ दी हाउस में खड़ा किया जाय, जो सजा दी जाती है, वह सुनाई जाय। यह भी प्रोसीजर है कि प्रिविलेजेज और कन्टम्प्ट को सिद्ध करके चलना पड़ेगा एक व्यक्ति का विशेषाधिकार है और उधर हाउस का कन्टेम्प्ट है। व्यक्ति का विशेषाधिकार सामूहिक रूप से हाउस के कन्टेम्प्ट से कम है। जिस व्यक्ति ने थ्रेटिन किया, अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव के कमरे में जाकर, इस प्रकार की घटना की है, जितना यह सदन पवित्र है, उसके हिसाब से अध्यक्ष महोदय का कमरा और उनके निजी सचिव का कमरा जो अध्यक्ष महोदय के कमरे का पार्ट है, वह भी उतना ही पवित्र है।

आज कोई हमें यह कह दे कि, अध्यक्ष महोदय के कमरे में कोई दुर्घटना हो गयी है, चूंकि मेम्बर्स ने नहीं देखा है डिफेन्स का मौका देना कोई भी बुद्धिमान आदमी तारीफ नहीं करेगा कि उसके लिए तुरन्त एक्शन न ले। हालत यह हो जावेगी, अध्यक्ष महोदय, यदि तुरन्त एक्शन न लेकर कुछ व्यक्ति बाद म गिरफ्तार करें। इस सदन के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दूसरे माननीय सदस्य ने देखा है। अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव न उस घटना को देखा है। उसके बाद विवाद नहीं रहता है। निजी सचिव के माध्यम से सारा ब्यौरा तैयार कर सकते हैं। वह पर्याप्त है तो वारन्ट जारी करके हाउस में प्रस्तत करने का नहीं है, प्रिविलेज कमेटी के सामने खड़ा किया जाय। लेकिन वारन्ट फौरन इश्यू करने का प्रश्न है और फिर प्रिविलेज कमेटी के सामने खड़ा करें, पहले हाउस का वारन्ट इश्यू करें। इन दोनों प्रश्नों को प्रिविलेज कमेटी को बुला उसके सामने और सत्रावसान के पहले 2 यह करें, यह तरीका उचित होगा।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय भैरोंसिंह जी और मेरे बीच में कोई डिफ्रेन्स ऑफ ओपिनियन नहीं है। उन्होंने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। मैं नैचुरल जस्टिस की बात कर रहा था इसलिये कि कुछ केसेज हाई कोर्ट में चले गये थे। माननीय सदस्य ने कहा कि निजी सचिव के सामने कहा है प्राइमा फसी केस तो वहीं पर बन जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रोसीजर को यही थोड़ा ठीक कर दूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं एक मिनिट के लिए निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : दो मुद्दे हैं इस प्रश्न के । यह सदन उनको बुलाने के लिये वारन्ट और सम्मन इजरा करे या तो स्वयं सदन के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिये या विशेषाधिकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये । लेकिन वह वारन्ट बेलेबल या नॉन-बेलेबल हो । इस पर सदन की सहमति लेना चाहूंगा ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न रहता है नॉन-बेलेबल वारन्ट या बेलेबल वारन्ट ?

कई माननीय सदस्य : बेलेबल वारन्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन का वारन्ट नॉन-बेलेबल है ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह चाहता हूं कि कोई प्रश्न ऐसा न हो कि जिसमें विरोध की बात हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप पर ही छोड़ते हैं, आप उसकी अटेन्डेन्स कैसे भी सीक करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जस्टिस के तरीके से आप जो उचित समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसे मामलों में वारन्ट बेलेबल जाता है या नॉन-बेलेबल जाता है, बेलेबल नही जाता है तो निश्चित रूप से वह नॉन-बेलेबल जावेगा ।

अब प्रश्न दूसरा रहा कि जसा माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने, भैरोंसिहजी ने, विधि मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि सदन की सहमति है प्रथम विशषाधिकार समिति को इस मामले को दोषी व्यक्ति के साथ सुपुर्द कर दिया जाय ।

तीसरा प्रश्न यह रहता है कि विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट सत्र के अवसान, समाप्ति, अंत....

कई माननीय सदस्य : अंत नहीं ।

श्री अध्यक्ष : इस सत्रावसान, इसकी संधि कर दूं....

श्री भैरोंसिह : सदन के लिये 'अन्त' शब्द का प्रयोग करना भी एक विशेषाधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसे विशेषाधिकार में प्रोसिडिंग्स में से ढूंढने लगूंगा तो कोई इससे विमुक्त नहीं होगा ।

तो इससे पूर्व विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोट प्रस्तुत करें ।

अब प्रश्न यह रहा कि विशेषाधिकार समिति की बैठक कब हो ? इसके लिये वारन्ट आज चला जावेगा, जिसके माध्यम से वारन्ट जावेगा उस एजेन्सी को सक्रिय करूंगा । दो दिन की छुट्टी है, तीसरे दिन इसकी तारीख फिक्स अप कर दूं । 25 को विशेषाधिकार समिति की बैठक 3 बजे मैं फिक्स करता हूं ।

म क्षमा चाहता हूं । आज मैं कुछ रुग्ण हूं ।

(1.27 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसी प्रकार की एक घटना परसों एक थानदार ने मेरे साथ की है । उसकी मैंने

(श्री विजयसिंह)

आपको सूचना दी है। मेरे पास सिवाय गवाह प्रहरियों के और कोई नहीं है। उन पर थानेदार का वश है और वह उनको दबा कर कहता है कि गिरफ्तार करा दूंगा। प्रिविलेज कमेटी के सामने मैटर जावेगा उसमें समय लगेगा, तब तक प्रहरियों को डरा धमका कर वह चुप करा देगा। इसलिये मेरा भी यह प्रश्न सदन के सामने रखना चाहिये। जितना महत्व ये माननीय सदस्य रखते हैं उतना ही मैं भी रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें जानकारी चाही जा रही है। उसके लिये भी व्यवस्था की जावेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि ग्राम नेवाड़ी, तहसील अलवर में नाजायज एलॉटमेंट के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्हीं के द्वारा एक और स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी गई है, जिसमें ग्राम बोराज, तहसील दूदू में दो अधिकारियों द्वारा नाजायज तौर पर अपने लड़कों के नाम से जमीन एलॉट करा का उल्लेख किया गया है। इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है, जिसमें कक्षा 4 में पढ़ाये जाने वाले राजस्थान एटलस के पृष्ठ 44-45 पर तहसीलों के नाम गलत प्रकाशित कराने तथा अंकगणित कक्षा 4 के पृष्ठ 12 पर प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 1 में दो पुस्तकों में अलग अलग अंक प्रकाशित कराने का उल्लेख किया है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुटविहारीलाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने पंचायत समिति, वैर, के विकास अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोप प्रमाणित होने पर भी, उसके स्थानान्तरण को रद्द कराये जाने का उल्लेख किया है।

इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर, मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त कुछ और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं मिली हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) श्री दिग्विजयसिंह व श्री फतेह सिंह, सदस्य विधान सभा, ने ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील उनियारा, जिला टौंक में दिनांक 6-3-69 को सरपंच, नगर पंचायत समिति, देवली, द्वारा फर्जी पुलिस फोर्स ले जाकर एक काश्तकार की फसल को जबरन कटवायी जाकर कुछ व्यक्तियों के सुपुर्द कर दिये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला लगभग साढ़े पांच महीने पुराना है और इसे गत सत्र में उठाया जा सकता था।

(2) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य विधान सभा, ने अजमेर में घंटाघर पुलिस

Page No 94

(श्री उपाध्यक्ष)

चौकी पर अतिरिक्त अधीक्षक की उपस्थिति में ठले वालों को बुलवाकर उन्हें पीटने तथा उन्हें अपमानित कि े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें यह बतलाया गया है कि राजस्थान में करीब 6 ऐसे फार्म हैं, जहां पर भवन बनाये गये हैं, बिजली उपलब्ध है तथा सिंचाई के डीजल इंजन भी हैं, किन्तु वहां बीज बना कर उत्पन्न करना बन्द कर दिया गया है, जिससे हजारों बीघा जमीन बिना काश्त पड़ी हुई है।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री विजय सिंह मकराना, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से आबू पर्वत पर जमीन पर कब्जा करने तथा उस पर निर्माण करा लेना बतलाया गया है। इसमें एक व्यक्ति विशष के वि द्ध शिकायत करना प्रतीत होती है।

उप ोक्त सभी मामले इतने अविलंबनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

म माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कर देता हूं कि श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा द्वारा जयपुर स्थित स्टेनले लैबोरेटरी द्वारा निर्मित इंजेक्शन बायोसिन में खराबी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिनांक 20 अगस्त, 1969 को दी गई थी। इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, किन्तु सदन को यह सूचित कर दिया गया था कि इस संबंध में जांच करवायी जाकर माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा। इस विषय में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया गया है कि मैसर्स स्टेनले लैबोरेटरी, जयपुर, द्वारा निर्मित इंजेक्शन बायोसिन एम्पुल को, जिसमें कीड़े वगैरह होने का संदेह है, उसे भारत सरकार की कलकत्ता स्थित लैबोरेटरी में विश्लेषण हेतु भेज दिया गया है तथा इस लैबोरेटरी की औषधि को सीज करने के आदेश दे दिये गये हैं। यह संस्था चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग की एप्रूव्ड लिस्ट में सम्मिलित नहीं है तथा संस्था को यह आदेश दे दिय गये हैं कि वे इंजेक्शन के निर्माण कार्य को तत्काल स्थगित कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रस्ताव दिये थे एलॉटमेंट के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : उनकी जानकारी चाही गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही 26 तारीख तक चलने वाली है और आपने कहा कि सूचना मांगी गई है, तो मेरा निवेदन यह है कि दो पी० एज० ने, एक होम मिनिस्टर के पी० ए० उमानाथ शर्मा और दूसरे सिंचाई मंत्री के पी० ए० मदन लाल जैन, इनके खिलाफ आरोप है कि जो जमीन पहले ही एलॉटमेंट कमेटी द्वारा ी....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, इसकी जानकारी चाही गई है। सत्रावसान के पहले जानकारी प्राप्त कर दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह अलवर में जो जय कृष्ण शर्मा को एलॉटमेंट किया गया है, उसमें एक महीने से दर्खास्त दी हुई है नकलों के लिये लेकिन उसकी नकल नहीं देते और कल लिखकर दे दिया कि नकल नहीं मिलेगी। इसलिये निवेदन है कि जो एलॉटमेंट एलॉटमेंट कमेटी को करना है उसका सेक्रेटेरिएट में एलॉटमेंट हो जाये, अगर कानूनी तरीके से लोग रिट करना चाहें तो उसकी नकलें नहीं दी जायें और लोगों की खड़ी फसलें गैर कानूनी तरीके से ले ली जायें, क्योंकि वे होम मिनिस्टर के पी० ए० हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, इसकी जानकारी चाही गई है, उसके बावजूद आप बोलते जा रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि सत्रावसान के पहले जानकारी प्राप्त कर ली जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर 26 तक जानकारी ही आये तो फिर उस पर स्टेटमेन्ट कब होगा ? सत्रावसान के पहले इस पर मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वे पुलिस को ऑर्डर दें, ऐक्शन लेने के लिये। इनके पी० ए० ने और सिंचाई मंत्री के पी० ए० ने कुम्हारों की जमीन दबा रखी है और जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोराज गांव में दो कुम्हारों को चार साल पहले जमीन एलॉट हुई थी, उनके पास कब्जा है, खसरा गिरदावरी की नकल है, लेकिन आपके उमानाथ शर्मा और मदन लाल जैन ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है, आपके डिपार्टमेंट से नकलें मांगते हैं आॅर्डर की तो नकलें नहीं मिलतीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां राजस्व मंत्री आश्वासन दे दें कि वे 25 तारीख को स्टेटमेंट दे देंगें। आखिर क्या रहता है उन गरीबों के लिये। कम से कम नकलें तो मिलें ताकि लोग अदालत में जा सकें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई उत्तर तो मिले। क्या इस तरह से एलॉटमेंट कमेटी के ऊपर मिनिस्टर एलॉटमेंट कर दें और फिर ऑर्डर की नकल नहीं मिले....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया कि इसकी जानकारी चाही गई है, जानकारी सत्रावसान के पहले प्राप्त कर ली जायगी, उसके बाद निर्णय लिया जायगा कि मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 27 तारीख से पहले आप स्टेटमेंट ले लें, 26 तारीख को स्टेटमेंट हो जाये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आपने सूचना दी है कि उसकी जानकारी चाही गई है। पंचायत समिति, वैर के विकास अधिकारी के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप हैं, गबन के मामले में और दूसरे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने के संबन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, इस तरह से चर्चा नहीं होती। आप अगर इस तरह से चर्चा कर लेंगे, तो जानकारी के बाद जब स्टेटमेंट दिया जायेगा, उस वक्त आप वंचित रह जायेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसमें यह भी है कि राज्य के उप-मंत्री श्री रामचरण वहां पहुंचे तो वहां पर शराब पीकर....

श्री उपाध्यक्ष ऑर्डर प्लीज, यह सभी बातें आप....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वहां पर जाकर ये खरगोशों को कटाते हैं और शराब पीकर आम जनता के लोगों को बुलाते हैं और उनको कोड़े मारते हैं। इस प्रकार के उप-मंत्री....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पंचायत समिति ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह विकास अधिकारी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान में जो विकेन्द्रीकरण हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पूरी पंचायत समिति कुछ नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह एक अहम् मसला है। इसके ऊपर जानकारी आनी चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो छोटे मोटे मामले होते हैं, उनको तो हम अधिकारियों से कह कर करवा देते हैं, बातचीत करके करवा देते हैं। परन्तु अजमेर में घण्टाघर की जो पुलिस चौकी है, यह चौकी बिजनैस का एक अड्डा बन चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री भगवानदास शास्त्री : गरीब लोगों को, ठेले वालों को बुला कर वहां पीटा जाता है। इस तरह पुलिस उनका शोषण करती है। आप उनका चालान कर दें, कोर्ट में पेश कर दें, जुर्माना कर दें। वे जुर्माना भरने को तयार हैं। मगर ऐसा न करके उनको कमरे में बंद करके बैंत लगाते हैं, उनकी हड्डी हड्डी तोड़ देते हैं, यह कहां तक उचित है। अजमेर के बारे में आपको मालूम है। इसके लिये बार बार अधिकारियों से निवेदन करते हैं। उनको सुविधाजनक और सन्तोषजनक वातावरण में सलाह देते हैं। डा० अम्बालाल और मैंने कई बार अधिकारियों को कहा है। परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया है। घंटा घर पुलिस चौकी आज एक अड्डा बन चुकी है जहां गरीबों को बुला कर मारना और उनसे पैसा ऐंठने का काम होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना पर्याप्त है। काफी कह दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर आपने जो व्यवस्था दी है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उसम जानकारी मांगी है सरकार से। मैं सरकार को और जानकारी दे दूं। मैं आपसे कह रहा हूं, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : अब यहां प्रश्न नहीं उठता। आपने सूचना दे दी और सरकार से सूचना ली जा रही है। यह एटलस उनके पास भी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कक्षा चार का एटलस है यह। इसके पेज 44, 45 म तहसील, जिले और डिवीजन हैड-क्वाटर्स के नाम हैं। उनको पढ़कर सुनाते हूं। जयपुर तहसील में सकराय, बसती, चकचु वगैरह इस तरह तहसीलों के नाम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें काफी गलतियां हैं माननीय सदस्य।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारे यहां टौंक जिले में टोडरायसिंह, नदई, उणियर। इस तरह के तहसीलों के नाम दिये हैं। इन तहसीलों के नाम अगर दूसरे प्रान्त वाले पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे। इस तरह 100 नाम इसमें गलत हैं। आप इसको पढ़ाना चाहते हैं।

यह, उपाध्यक्ष महोदय, एटलस है कक्षा 5 का इसी तरह से कक्षा 4 की गणित है। इसके पेज 15 पर प्रश्नावली है और उसी किताब के उसी पेज पर प्रश्नावली 15 का 7वां प्रश्न, वह दूसरी तरह का है। एक किताब में कुछ फिगर्स हैं और दूसरे में कुछ। दोनों में उत्तर एक ही मिलता है।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह हालत है बच्चों की पुस्तकों की जिनमें इतनी गलतियां हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी है, पांच महीने पहले इसको रख सकते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन दिनों विरोधी दल धरने पर बैठा हुआ था। वे कैसे स्थगन प्रस्ताव रख सकते थे......

श्री उपाध्यक्ष : धरने से कभी नुकसान भी हो सकता है यह भी देखना चाहिये।

श्री दिग्विजयसिंह : उस दरमियान अगर कुछ गड़बड़ कर दें। गृह मंत्री महोदय इसकी जांच भी कर चुके हैं, जब दौरे पर पधारे थे टौंक में फाइल देखी है। पांच महीने पहले हो सकता था, हम जब उपस्थित ही उस समय नहीं थे, कैसे रख सकते थे?

श्री भैरोंसिंह : श्रम मंत्रीजी इन्जीनियरिंग उद्योगों के श्रमिकों की हड़ताल के संबंध में स्टेटमट देने वाले हैं वे देंगे या नहीं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मजदूरों का जलसा आया हुआ है, वे इन्तजारी में हैं आप क्या जवाब देते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : वे तो स्ट्राइक पर हैं?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : बाढ़ के संबंध में स्टेटमेंट होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री रामकिशन : गृह मंत्रीजी बयान दें उससे पहले सिंचाई वाला बयान जरूरी है वह विवादग्रस्त नहीं है। बाढ़ वाला मामला पहले ले लिया जाय !

श्री उपाध्यक्ष : पहले गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे दें।

– **श्री भैरोंसिंह** : माननीय सदस्य भरतपुर जाना चाहते हैं इसलिये इनको सुनने का तकाजा है।

शासकीय वक्तव्य

छात्रों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार संबंधी

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 1969 को जयपुर नगर में छात्रों एवं पुलिस के बीच कुछ छुट पुट घटनाओं के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने मुझे तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिये आदेश दिये हैं।

अभी तक जो तथ्य सामने आये हैं, उनके अनुसार पाया जाता है कि दिनांक 18-8-69 को सुबह प्रोसेशन गेट (नया दरवाजा) के चौराहे से एक साईकिल पर दो विद्यार्थी बैठे ट्रैफिक के लाल सिगनल को दरगुजर कर आग निकलने लगे। मौके पर तैनात ट्रैफिक के सिपाही ने उनको ऐसा करने से रोका और उस ही मामले से क्रुद्ध होकर, यह लड़के उस सिपाही को आगे समझ लेंगे, ऐसी आगाही कर चले गये।

उसके थोड़ी ही देर बाद 50-60 विद्यार्थी उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैफिक की कैबिन में बैठे सिपाही को, जिसका घटना से कोई संबंध भी नहीं था, मारपीट की और इसमें साईकिल की चैन से भी मार पीट की। ट्रैफिक कैबिन व लाइट सिगनल्स की तोड़ फोड़ भी की गई।

दिनांक 19-8-69 को सुबह 2 विद्यार्थी एक साईकिल पर सवार होकर एडवर्ड मेमोरियल वाले चौराहे से रेड सिगनल की अवहेलना करते हुए आगे बढ़े। उनको रोक कर उनका चालान भरा गया, परन्तु मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्पर्क के फलस्वरूप उन्हें जाने दिया गया। उनकी साईकिलें भी लौटाई गईं।

उस ही दिन इस घटना के कुछ देर बाद ही सवाई मानसिंह अस्पताल के चौराहे पर खड़े सिपाही के साथ 10-12 लड़कों ने मारपीट की, उसका साफा उसके सिर पर से उतार कर सड़क पर फैंक दिया गया एवं उसकी सीटी छीन कर ले गये। सूचना पाकर फ्लाइंग स्क्वायड मौके पर पहुंचा और उस सिपाही को कन्ट्रोल रूम में ले आये।

यह खबर पाकर कि उक्त विद्यार्थीगण एक सी०टी०एस० बस द्वारा गांधी नगर की तरफ गये हैं, ट्रैफिक पुलिस पार्टी उनके पीछे गई और उन्होंने तेरह विद्यार्थी बापूनगर से पकड़ लिये और उन्हें कन्ट्रोल रूम पर लाया गया। राज्य सरकार के सामने यह भी शिकायत आई है कि इन लड़कों का इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं था और इनको विश्वविद्यालय के बाहर पकड़ते समय पुलिस ने इनसे मारपीट भी की थी। इस घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कन्ट्रोल रूम पर पहुंचे, वहीं विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी पहुंच गये। पूछताछ की जाकर इन छात्रों को छोड़ दिया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसके बाद कुछ विद्यार्थीगण एक जुलूस बनाकर चौड़ा रास्ता होते हुए विधान सभा पर आये। रास्ते में उन्होंने अकेले दुकेले जाने वाले पुलिस कर्मचारियों से मारपीट की। इसमें खासकर वायरलैस के एक असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर को जो एक स्कूटर पर वायरलस का सामान लेकर आ रहा था, काफी चोट पहुंचाई, यहां तक कि उसका दांत टूट गया व ो हिल गये हैं। इस जुलूस के लड़कों ने चौड़े रास्ते पर कन्ट्रोल कैबिन व लाइट सिगनल्स की भी तोड़ फोड़ की। भद्दी गालियां निकालता हुआ यह जुलूस विधान सभा के अहाते में पहुंचा। इस जुलूस में काफी संख्या में विद्यार्थी लाठियां भी लिए हुए थे।

उप-कुलपति विधान सभा पर आये और माननीय मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी एवं गृह मंत्रीजी से मिले। पुलिस महा-निरीक्षक भी वार्ता में शामिल हुए। लड़कों के एक शिष्ट मंडल से मुलाकात भी की गई। इस शिकायत पर कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने ऐसे छात्रों को, जिनका इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं था, ीटा, पुलिस महानिरीक्षक ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जुलूस को शिक्षा मंत्रीजी, उप-कुलपति एवं पुलिस महानिरीक्षक ने समझा कर वापिस किया।

इसके बावजूद भी जब इस जुलूस के कुछ लड़के सी० टी० एस० की बस द्वारा वापस जा रहे थ तो सूचना केन्द्र के पास एक हैड कॉन्सटेबल को पीटा और उसका डन्डा एवं रैंक बजज भी छीन कर ले ग।

उस ही दिन रात्रि के समय अजमेरी गेट पुलिस चौकी के **पास** एक पुलिस एस० आई० से मारपीट की, उसकी साईकिल ले गये एवं पुलिस चौकी पर ंगा फसाद किया।

पुलिस महानिरीक्षक ने एक एस० आई०, एक हैड कॉन्सटेबल व चार सिपाहियों को बापूनगर में छात्रों के साथ मारपीट के कथित आरोप में निलम्बित कर जांच के आदेश दे दिये हैं।

राज्य सरकार को अत्यन्त खेद है कि इस प्रकार की घटनाएं एक छोटी सी बात को लेकर घटीं। इन मामलों में जो भी दोषी पाये जावेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

मेरे खयाल से, अब इस विषय पर, अधिक वाद-विवाद करना उचित नहीं होगा। मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार एवं समस्त संबंधित वर्ग एक सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाये रख की सतत चेष्टा करते हैं व का ून एवं व्यवस्था कायम रखने के विषय में भी राज्य सरकार का पूरा ध्यान है।

(1.48 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्रीजी से दो बातों की जानकारी करना चाहता हूं। आपने स्वयं यह स्वीकार किया पुलिस ने छात्रों की पिटाई की, और पिटाई करने के बाद उन छात्रों की इन्जरी रिपोट नहीं कराई गई केवल मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया ?

दूसरा प्रश्न यह है प्रारम्भ की घटनाओं

Page No 100

(श्री भैंरोंसिंह)

में बताया पुलिस कान्स्टेबल को कुछ छात्रों ने मारा हैं, क्या आप यह बता सकते हैं वे छात्र थे या छात्रों के नाम पर अराजकीय तत्व काम कर रह थे ?

तीसरा प्रश्न यह है कि पुलिस अधिकारी काफी संख्या में पहुंचे क्या इस पहुंचने के संबंध में बड़े अधिकारी शामिल नहीं जिन्होंने पुलिस सिपाहियों को कहा किसी कॉलेज के विद्यार्थी ने पीट दिया है इसलिये तुम सवारियों को लेकर युनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंच जाओ और जो भी विद्यार्थी मिलें, उनको ठोक डालो तीन बातों की जानकारी चाहता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : गाड़ियों में सिपाही गये थे किसके आदेश से गये थे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं जो आपन स्टटमेंट मे कहा कुछ विद्यार्थियों न ट्रैफिक के सिपाहियों को पीटा। क्या कोई रिपोर्ट इस टाइप की सिपाहियों द्वारा कार्यवाही विद्यार्थियों के खिलाफ नामजद दर्ज करवाई ? अगर दर्ज की गई तो वे कौन हैं ? और उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही करने के आदेश उस समय अधिकारियों ने दिये ?

नम्बर दो, कि जो आपके पुलिस के लोग सवारियां लेकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, वे वहां किसके आदेश के तहत वहां पर गये ? किसके कमाण्ड पर गये और कौनसी शिकायत पर गये और उनको जाने वालों को क्या आदेश दिया गया था ? क्या कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था ?

नम्बर (3) यह जब लोग यूनिवर्सिटी पर आपकी पुलिस की टुकड़ी पहुंची तो क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से, वाइस-चान्सलर से उन्होंने कोई सम्पर्क स्थापित किया ? उस सिलसिले में इस प्रकार की कोई सूचना दी कि कोई अभियुक्त, जिसका कि किसी क्राइम में नाम दर्ज है, जिसको यदि वे पकड़ने गये हों तो उसको वे चाहते हैं या उसको अरेस्ट करना चाहते हैं या कार्यवाही करना चाहते हैं । इस प्रकार का सम्पर्क यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर से किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छात्रों ने ट्रैफिक के पुलिस के सिपाही को पीटा। पीटने की जो बात आपने कही है तो क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि उसके बदले में पुलिस कानूनी कार्यवाही करने के बजाय उन छात्रों को पीट सकती हैं, अगर नहीं पीट सकती तो उन दोषी पुलिस के आदमियों के साथ आपने क्या कार्यवाही की ? कहीं कोई मुकद्दमा दर्ज किया है और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने जो वक्तव्य दिया उससे दो बातें स्पष्ट रूप से मालूम होती हैं । आपने कहा कुछ छात्रों ने पुलिस के सिपाहियों के साथ मारपीट की। आप यह कहना चाहते हैं कि छात्र ने की तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिये कि वह छात्र किस कॉलेज या स्कूल का था। पर अगर केवल प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वह छात्र था तो आप छात्र शब्द का प्रयोग न करें।

आप यह भी तथ्य मान कर चलते हैं कि तदुपरान्त सिपाही संख्यावद्ध होकर यूनिवर्सिटी के प्रागंण में गये और वहां छात्रों के साथ मारपीट की। यह तथ्य अगर मानते हैं तो निश्चय रूप से उन्होंने ट्रेस पास किया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जाकर ।

श्री शिवचरणसिंह : मैं निवेदन करूं कि विश्वविद्यालय के प्रांगण की बात कहीं नहीं कही ।

श्री दुर्गालाल बादृदार : मान लीजिये, प्रांगण में नहीं गये । तो यह मारपीट करने को आज्ञा पुलिस को कहीं ताजीरात हिन्द की दफा में दी है । अगर अनुचित है तो पुलिस के उन सिपाहियों व अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पुलिस के सिपाहियों को छात्रों द्वारा पीटा होना बताया जाता है तो उन्होंने कोई रिपोर्ट कहीं दर्ज कराई ? या बिना दर्ज कराये ही या बिना मुलजिमों को नामजद किये ही यूनिवर्सिटी गये और बिना किसी के ऑर्डर के गये और वहां जाकर जो भी छात्र मिला, उसको पीटना शुरू कर दिया । और क्या यह भी सही है कि यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी से इस संबंध म सम्पर्क स्थापित किया ही नहीं, और न किसी मुलजिम के बारे में उनको जानकारी दी ताकि उसे अरेस्ट करने म सुविधा हो ? और क्या यह भी सही है कि पुलिस इस प्रकार गिरोह बनकर बदले की भावना से किन्हीं उच्च अधिकारियों के हुक्म से गई थी और वहां जाकर अन्धाधुन्ध मारपीट शुरू कर दी ?

श्री मदनसिंह : मैं एक स्पेसिफिक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिन छात्रों ने पुलिस को पीटा उन छात्रों पर हमला न करके दूसरे छात्रावास में जाकर दूसरे छात्रों को पीटा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, जो वक्तव्य दिया माननीय मन्त्री ने, माननीय सदस्यों को उससे सन्तुष्ट होना चाहिये ।

पुलिस के कर्मचारियों ने जो हरकत बेजा की उस पर उनको सस्पेन्ड कर दिया गया और उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है । फिर यह सवाल पैदा नहीं होता कि पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की । उनके खिलाफ तो कार्यवाही उसी रोज उसी वक्त कर दी गई और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी ।

अब जहां तक पुलिस कॉन्स्टेबल को पीटने का सवाल है, उनकी इन्जरी रिपोर्ट भी है । केस भी दर्ज हुआ है उसी टाइम ।

जहां तक स्टूडेन्ट्स का सवाल है उनकी भी इन्जरी रिपोर्ट तैयार हुई है और उनका भी डॉक्टरी मुआयना हुआ है । इसलिये यह अर्ज करना है कि विद्यार्थियों के मामले में पुलिस वालों ने जितनी गलती की है, पुलिस वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जावेगी । यह विश्वास दिलाता हूं । अब किसी अफसर ने उनको ऐसा कोई हुक्म दिया हो, हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है । कोई गाड़ियां गई हों ऐसा नहीं है । अब फ्लाइंग स्क्वैड की जहां तक बात है, वह तो आप हम सभी बुला सकते हैं । तो जैसे हम आप बुला सकते हैं, वैसे उन्होंने भी बुला ली ।

सवाई मानसिंह अस्पताल के पास में सिपाही को पीटा गया, कॉल आई थी, इसलिये फ्लाईंग स्क्वैड आ गई । कॉन्स्टेबल और सब-इन्सपेक्टर उसमें बैठकर चले गये । उनके खिलाफ शिकायत है कि मारपीट की उन्होंने और जिनका संबंध उससे नहीं था

(श्री दामोदर लाल व्यास)

उन छात्रों को पकड़ लाये। रहा सवाल इस बात का कि जहां तक कॉन्स्टेबल को पीटा और पीटकर सिटी बस में बैठकर गये थे वे उधर विश्वविद्यालय की तरफ गये थे, उनके कहने के हिसाब से वे वहां मिल गये। अब देखने की बात यह है कि उनका पॉवर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना सही था और कितना सही नहीं था। पर बहरहाल पीट कर जो उन्होंने गलती की है उसके लिये सजा उनको अवश्य दी जावेगी, कोई रियायत नहीं की जावेगी।

और जहां तक सवाल इस बात का है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेफिक के कन्ट्रोल के काम पर एक कॉन्स्टेबल अपनी ड्यूटी पर या बीट पर जाता है, अब अगर उसके साथ इस तरह की घटना होती रही कि दो-चार विद्यार्थी या जनता के आदमी उसको पीटते रहे तो यह कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा और मैं समझता हूं कि आपका हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस प्रकार की समाज विरोधी हरकतों को प्रोत्साहन मिले। यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस ज्यादती करती है तो बराबर सजा देंगे उसे भी।

परन्तु अगर कोई दूसरा व्यक्ति हरकत करता है जो उसे नहीं करनी चाहिये। तो उसके खिलाफ भी कायवाही करने के लिय हमें संकोच नहीं करना चाहिये मैं समझता हूं आप सभी माननीय सदस्यों की इसमें सहमति होगी।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सिंचाई मंत्री।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापतिजी, राज्य म. इन्जीनियरिंग उद्योग म हड़तालों की स्थिति पर श्रम मन्त्री द्वारा वक्तव्य होना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : पहले सिंचाई को रखा है। श्रम मन्त्री बाद में।

(2 म० प०)

राज्य के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि चालू वर्षा काल में राज्य के पूर्वी जिलों में विशेष कर भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, कोटा एवं झालावाड़ जिलों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन जिलों में गत 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कई स्थानों पर भीषण वर्षा हुई, जिनका जिलेवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

भरतपुर: गंभीर नदी के आवर्तन क्षेत्र में जो करौली एवं हिन्डौन उप-खंड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में अप्रत्याशित वर्षा हुई है। दिनांक 13-8-69 को करौली के पास 198 मिलिमिटर तथा जगर बान्ध के पास 114 मिलिमिटर वर्षा हुई। 14 तारीख को फिर जगर के पास 100 मि० मि० वर्षा हुई। बयाना रेलवे ब्रिज पर अधिकतम गेज 18.5 फीट रिकार्ड किया गया, जब कि अब तक अधिकतम रेकार्डेड गेज सन् 1924 में 17 फीट था। सेवला हैड पर से अधिकतम 60 हजार क्यूसेक जल निकला। बाढ़ के कारण कुरका किकर एवं कुरका बन्ध टूट गया तथा बाढ़ का पानी सीधा अजान बन्ध में जाने लगा, जिसका अधिकतम निर्धारित गेज 11 फीट के बजाय 12.2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फीट दिनांक 15 को पहुंच गया। अतः बन्ध को सुरक्षित रखने व क्षति से बचाने के लिय रेगूलेटर खोलकर पानी निकाला पड़ा।

गंभीर में बाढ़ आ जाने के कारण व उसके नीचे के क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण, तथा अजान बान्ध के द्वारा अधिक जल छोड़ने से कुछ सिंचाई के तालाब तथा मार्जनल बैंक्स टूट गये। इसके कारण नीचे की ओर सीमावला डैम तथा भैंरया बन्ध क्षतिग्रस्त हो गये। सैंवला पर पुराना बोलडर डैम भी क्षतिग्रस्त हो गया। चिकसाना नहर का जल कई स्थानों पर किनारों से ऊपर बहने लगा। इस प्रकार कुल मिला कर लगभग 21 सिंचाई के कार्यों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है।

भरतपुर, बयाना तथा भरतपुर रूपबास की सड़कें जलमग्न हो गईं तथा कई स्थानों पर टूट गईं। इस बान्ध के कारण रूपबास तथा बयाना तहसीलों के लगभग 150 ग्राम प्रभावित हुये हैं। बयाना कस्बे के नीचे के क्षेत्र में बसे कुछ मकानों की क्षति हुई है। कुछ समय के लिये बयाना से भरतपुर, हिन्डौन व रूपबास की बड़ी रेलवे लाइनें अवरुद्ध हो गई। अभी तक किसी व्यक्ति की बाढ़ के कारण मृत्यु होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि 15 पशुओं के गुम हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जिला अधिकारियों न ठीक समय पर राहत पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। जैसा कि जलमग्न क्षेत्र से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना व उनके रहने की व भोजन की व्यवस्था करना आदि। इस बाढ़ के द्वारा मकानात एवं धन की हानि, फसल के नुकसान का अनुमान राजस्व विभाग द्वारा आंका जा रहा है। लगभग 175 वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित हुआ है और फसलों को भी हानि हुई है। 4,135 मकानों को क्षति पहुंची है। 25 हजार की तात्कालिक सहायता के रूप में भेजने का निश्चय किया है।

जिला सवाई माधोपुर : इस जिले के कई स्थानों पर दिनांक 13 व 14 अगस्त को अतिवृष्टि हुई। नादोती में 284 मि०मि०, गंगापुर में 135 मि० मी०, करौली में 198 मि० मि० वर्षा हुई। इसके फलस्वरूप लगभग 50 पंचायत समिति के व गांवाई तालाब टूट गये, टूटने का मूल कारण बन्धों पर से अधिक पानी बहना है। पानी के इस तेज बहाव के कारण सिंचाई विभाग के 6 बन्धे व नहरें क्षतिग्रस्त हो गये। इनमें से 4 बान्धों की आंशिक मरम्मत करवा दी गई है। सवाई माधोपुर तहसील का पांचोलास बान्ध जो गत जुलाई में पाईपिंग हो जाने के कारण टूट गया था, उसकी भी आंशिक मरम्मत कर दी गई है, तथा इस बान्ध का ऊपर से पानी बह रहा है।

प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 गांव भंयकर वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। इसके फलस्वरूप लगभग 1,300 मकानों को भारी क्षति पहुंची है। एक बालिका के मरने की सूचना प्राप्त हुई है तथा लगभग 125 पशु गुम हो जाने या मर जाने का अनुमान है। फसल की क्षति का अनुमान राजस्व

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विभाग द्वारा आंका जा रहा है। प्राथमिक सूचना के अनुसार लगभग 20 हजार एकड़ भूमि में नुकसान होने का अनुमान है।

इस बाढ़ के कारण गंगापुर से लालसोठ, करौली, हिन्डौन एवं नादौती की सड़कों को भारी क्षति पहुंची है। गंगापुर-हिन्डौन की बड़ी रेलवे लाइन जलमग्न हो जाने के कारण रेल का आवागमन कुछ समय के लिये अवरुद्ध हो गया था। जैसे ही पानी का स्तर कुछ कम हुआ आवागमन पुनः चालू हो गया। जिला अधिकारियों द्वारा उचित व ठीक समय पर बाढ़ग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का व उनके भोजन व रहने आदि की उचित व्यवस्था कर दी गई है। राहत हेतु 24 हजार रुपय की धनराशि तत्काल स्वीकृत की गई है।

चित्तौड़गढ़ : जिल के कई स्थानों पर दिनांक 16 व 20 अगस्त को अत्यधिक वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर मापी गई वर्षा का ब्यौरा निम्न प्रकार है :— मैं इन आंकड़ों में ज्यादा न जाकर 10-10 फीट और 12-12 फीट बरसात हुई है। अधिक वर्षा के कारण इस जिले की गम्भीर, वागन, बैडच सिवेना आदि नदियों में भीषण बाढ़ आ गई, जिससे निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी प्रभावित हुई। गंभीरी नदी के किनारों पर बसे हुय अनेक गांवों को इस बाढ़ के कारण व पानी के किनारों के बाहर फैल कर बहने के कारण अत्यधिक क्षति पहुंची। निम्बाहेड़ा बेगू कस्बों के निचले भागों में व आस पास के गांवों को भी गंभीरी नदी के पानी से भारी क्षति पहुंची। बेगू कस्बे के कुछ मोहल्लों के दुकानों व मकानों में पानी भर गया। अतुल्य गल्ले व अन्य सामान की क्षति हुई। बड़ी सादड़ी में 38 मकान व मंजवा ग्राम के कई मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं। प्रतापगढ़ में पंचायत समिति के तीन बान्धों के टूटने की सूचना प्राप्त हुई है। गंभीरी बान्ध, मौराई व मुरलिया बान्ध की नहरों व मुरलिया बान्ध के गाइड बान्ध को काफी नुकसान हुआ है। इस जिले की अनेक सड़कें भी जलमग्न हो गई थीं। खरीफ की फसल का नुकसान राजस्व विभाग द्वारा आंका जा रहा है।

धरियावाद तहसील म जाखम नदी के किनारों से ऊपर होकर पानी बहने लगा, जिसके कारण चारों ओर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ी संख्या में पेड़ गिर गये और नदी के दोनों किनारों पर कुछ रकबे में खरीफ की फसल नष्ट हुई है। इसके कारण जाखम नहर को भी क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। जाखम पिक-अप वियर के ऊपर 14.5 फीट पानी चला।

जिला अधिकारियों द्वारा समय पर राहत दी गई। जलदाय योजना की मुख्य लाइन, जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह तुरन्त ठीक कर दी गई। पांच हजार रुपयों की तात्कालिक सहायता की स्वीकृति भेजी जा रही है। मैंने स्वयं 20 व 21 अगस्त को मौके पर जाकर झालावाड़ व कोटा जिलों में भीषण बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुये कुछ क्षेत्रों की स्थिति का अवलोकन किया।

जिला झालावाड़ : झालावाड़ व झालारा पाटन कस्बों म दिनांक 15 व 16 को अत्यधिक एवं अप्रत्याशित रूप में

Page No 105

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

पर सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुलिस की घनघोर वर्षा हुई। झालावाड़ म 24 घंटे में 12 इन्च व झालारापाटन में 24 घंटे में 16.17 इन्च वर्षा हुई। इसी तरह से बकानी में दिनांक 15 व 16 को 21 इन्च वर्षा हुई। जिले के अन्य तहसील व समिति मुख्यावासों पर भी इसी तरह से 10 न्च के आसपास घनघोर बरसात 24 घंटों में हुई।

मध्य प्रदेश के क्षत्रों म भी अत्यधिक रूप से वर्षा होने के कारण झालावाड़ जिलों में बहने वाली नदियों में अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ गई है। इन दो दिनों में सारे तालाब व बान्ध भर गये व उनके ऊपर से पानी बहने लगा। सिंचाई विभाग द्वारा काली सिन्ध पर 73 लाख रुपये की लागत का निर्माणाधीन मीडियम प्रोजक्ट हरिश्चन्द्र सागर पिक-अप वियर, जिसमें लगभग 20 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी, पर से लगभग 20 फीट पानी निकला। पुराने बने हुये वियर की दीवार लगभग 200 फीट में टूट गई। काली सिन्ध नदी अपने पुल से ऊपर लगभग 25, 30 फुट बह रही थी। माह नदी उससे भी अधिक ेग से बाढ़ में आ गई थी। झालावाड़ शहर के पास गांवड़ी का तालाब भर कर उसकी दीवारों के ऊपर बहुत जोर से बहने लगा।

इसी तरह से पाटन का खण्डिया तालाब, मदन सरोवर तालाब, महल्या खड़ी तालाब, सभी उनके किनारों के ऊपर बहुत जोरों से बहने लगे। इस पर भी वर्षा उपरोक्त रूप से घनघोर हो रही थी। पाटन शहर के मदन सरोवर तालाब से फौरन खतरा हो गया व मदन सरोवर तालाब की दीवार टूट कर पाटन शहर में पानी भरने लग गया। शहर के नीचे की दुकानों में पानी भरने लगा। शहर के नीचे की दुकानों में पानी भरने लगा। शहर के नीचे दुकानों में पानी भर गया। पाटन व झालावाड़ के बीच यातायात, फोन व संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप्प हो गई। पाटन को किसी भी तरह से कोई भी सहायता कहीं से भी नहीं पहुंचाई जा सकती थी। जब पाटन को उपरोक्त रूप से खतरा हो गया तभी झालावाड़ शहर में भी काली सिन्ध नदी का पानी भरना शुरू हो गया जिसके फलस्वरूप कई मोहल्लों में पानी भर गया व मकानात डूब गये। लोग सुरक्षा के लिए छतों पर चढ़ गये थे। जिला प्रशासन की ओर से फौरन व्यवस्था की गई। शहर व जिले की सारी मोटर व गाड़ियों, बसों व ट्रकों को एकत्रित किया जाकर लगभग 2,000 व्यक्तियों को नीचे के स्थानों से निकाल कर कलेक्ट्रेट, गवर्नमट कॉलेज, गर्ल्स हाई स्कल, तोपखाना आदि अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उनके खाने, रहने आदि की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई। इसी तरह काली सिन्ध के किनारों पर कई गावों को खाली कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

पाटन शहर की नालियों में मुख्य मार्गों पर जब पानी भरने लगा तब एकाएक मून्डल्या सेडी के तालाब की दीवार, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, टूट गई। उसके फलस्वरूप पाटन शहर में भरने वाला पानी उस मार्ग से निकल गया व पाटन शहर का खतरा कम हो गया। मूडल्या सेडी तालाब की दीवार पर वाटर वर्क्स विभाग का कार्यालय व उसके कर्मचारी ह। वहां

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुलिस की टंकी के ऊपर चढ़ गये तथा वहां पर बहुत देर तक उन्हें इसी तरह की हालात में रहना पड़ा, क्योंकि उनके चारों ओर कई फर्लांग दूरी तक पानी ही पानी भरा हुआ था व बाहर से किसी भी तरह से मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी। उनको निकालने के सभी प्रयत्न असफल रहे।

जिला प्रशासन द्वारा कोटा कलेक्टर तथा कोटा की थल सेना के अधिकारी को फौरन सैनिक सहायता देने के लिए निवेदन किया गया।

कोटा से सनिक सहायता नहीं पहुंच सकी, क्योंकि कोटा और झालावाड़ के बीच आहू नदी के मख्य पुल के पास दूसरा पुल जो बना हुआ था, वह आहू नदी की बाढ़ से बह गया। फलस्वरूप सैनिक सहायता के लिए आई हुई अग्रिम पार्टी को झालावाड़ से केवल 9 मील दूर से ही वापिस कोटा लौटना पड़ा। न केवल उपरोक्त पुल ही टूट गया अपितु आहू नदी के मुख्य पुल के आगे कोटा की ओर एक फर्लांग तक सड़क टूट गई। फिर भी राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलेरी के जवान 5 नावों को लेकर दिनांक 17-8-69 सुबह लगभग 10 बजे झालावाड़ पहुंच गय, किन्तु उनके आने से पहले ही पाटन के जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़े हुए राजकीय कर्मचारियों व पुलिस के सिपाहियों को निकाल दिया गया था।

दिनांक 17-8-69 को वर्षा लगभग नहीं हुई तथा नदियों का पानी भी शहर के अन्दर से कम होने लगा। दिनांक 18-8-69 को भी वर्षा नहीं हुई।

उपरोक्त बाढ़ व अतिवृष्टि से कुल कितना नुकसान हुआ इसकी तो अभी जांच की जा रही है क्योंकि झालावाड़ जिले के देहात के क्षेत्रों में अभी भी नदी में बाढ़ रुकने के कारण किसी तरह का सम्पर्क स्थापित किए जा सकने में कठिनाइयां हो रही हैं। झालावाड़ व पाटन में लगभग 100 मकान गिरे हैं। गंगधार में लगभग 50 मकान, रायपुर में 100 मकान व इसी तरह से अन्य कई स्थानों पर मकानात गिरे हैं। रायपुर की स्थिति काफी खराब हो गई है क्योंकि यहां पर फसलों को भी भारी हानि हुई है।

राज्य सरकार द्वारा तत्कालिक राहत हेतु 1 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है तथा सभी प्रभावित क्षेत्रों व व्यक्तियों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

उक्त नकसानों के अतिरिक्त रायपुर से पिड़ावा के बीच कई स्थानों पर सड़क टूट गई, पिड़ावा व सोयल के बीच दो पुल टूट गये। सांयल व डूंगर गांव के बीच सड़क टूट गई। इसी प्रकार रायपुर व डाबल के बीच सड़क टूट गई। पाटन शहर के पास चन्द्रभागा नदी पर घने मन्दिरों के कुछ भाग धराशायी हो गय व पास में नदी धर्मशाला आदि का नामोनिशान ही मिट गया। जलदाय योजना की व्यवस्था पूर्ण ठप्प हो गई व मुंडलिया सेड़ी तालाब के टूटने से उसमें लगे वड़े नल जिनके मार्फत पानी पाटन से झालावाड़ आता था बह ग । इससे झालरापाटन शहर व झालावाड़ कस्बे में पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप्प हो गई।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

झालावाड़ से कोटा के बीच यातायात व्यवस्था बिलकुल ठप्प हो गई। जो अब पुनः चालू कर दी गई है। झालावाड़ जिले में इतनी घनघोर वर्षा का होना पिछले 100 वर्षों में नहीं पाया जाता व अब तक का अधिकतम रेकर्ड है। इस बारे में क्या क्या सहायता वहां के लोगों को पहुंचाई जानी चाहिए, कितनी मवेशियों का व कितना माल तथा फसलों का नुकसान हुआ है उसका विस्तृत ब्यौरा बनाया जा रहा है।

झालावाड़ जिले म आम तौर से वर्षा ठीक होती है किन्तु गत 15 व 16 अगस्त को एक साथ अत्यधिक वर्षा व नदियों के पष्ठक्षत्र में उपरोक्त रूप से अत्यधिक वर्षा होने के कारण ऊपर लिखित स्थिति उत्पन्न हो गई है। झालावाड़ शहर से अब पानी काफी दूर तक खतरे के बाहर हट गया है। पाटन कस्बे में भी अब पानी नहीं है व गंगधार कस्बे में भी अब खतरा नहीं है, अकलेरा व बानसूर की विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है।

यद्यपि नुकसान का विस्तृत ब्यौरा भिन्न भिन्न एजेन्सियों द्वारा तैयार करवाया जा रहा है किन्तु प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर सड़कों, सिंचाई कार्यों, विद्युत् लाइनों, जल प्रदाय योजना, मकानों, फसलों व मवेशियों आदि को जो नुकसान हुआ है, वह लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपया आंका गया है। विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही हैं जो कि सम्भव है, इससे कुछ अधिक हो सकती है।

जिला : कोटा :यह जिला तथा इसका आसपास का क्षत्र बड़ी बड़ी नदियों चम्बल, काली सिंध, परवन, अहू एवं कई अन्य छोटी नदी नालों से घिरा हुआ है। यह सब नाले अन्त में चम्बल नदी ही में मिलते हैं। इस नदी पर गांधीसागर, राणा प्रतापसागर व कोटा बांध स्थित है। सिवाय कोटा बांध के तीनों बांध पूर्ण हो चुके हैं।

उपरोक्त चारों योजनाओं का आवर्तन क्षत्र क्रमशः 8,600, 9,600, 10,500 तथा 10,600 वर्गमील है। इस विशाल आवर्तन क्षेत्र की औसत वर्षा 32 इंच है।

सन् 1960 में गांधीसागर के बनने के पश्चात् इस के आवर्तन क्षेत्र में बहुत कम वर्षा के कारण यह बांध अपने पूरे घेराव 1,312 के सतह तक कभी नहीं भरा। इस वर्ष के अगस्त के तीसरे सप्ताह में गांधीसागर के आवर्तन क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का अनुभव हुआ तो 15-8-69 को साढ़े सात से नौ इंच रेकार्ड किया गया। अतः चम्बल नदी में बाढ़ आई। गत 15 व 16 अगस्त को रात्रि को गांधीसागर में 59,000 क्यूसेक्स पानी आया इस कारण बांध में पानी की सतह 1,287.04 हो गई। बाढ़ की यह स्थिति तेजी से मध्य रात्रि तक 2.73 लाख क्यूसेक्स तक पहुंच गई जो 16 तारीख को प्रातः 2 बजे तक रही व उस दिन बांध में पानी की सतह 1,288.02 तक पहुंच गई। यह क्रम बराबर चलता रहा। 16 अगस्त को पानी का गेज 1,302 हो गया। अधिकतम गेज 1303.35 तक पहुंचा जब कि 1963 में अधिकतम गेज 1,308.15 था। इस प्रकार तेजी से बढ़ते जा रहे भराव को देखकर बांध की सुरक्षार्थ फाटक खोल देने पड़े ताकि लगभग ढाई लाख क्यूसेक्स जल राणाप्रताप सागर में पहुंच सके। अब गेज 1,301.27 है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दिनांक 16 अगस्त को राणाप्रताप सागर डेम के आवर्तन क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण 2.27 लाख क्यूसेक्स तक पहुंच गया। पानी तल 19 तारीख को 1,150.35 तक पहुंच गया। इसी दिन गांधीसागर के फाटक बंद कर दिये गये ताकि इसके आवर्तन क्षेत्र का अतिरिक्त जल और हो सके। इसका भी ध्यान रखा गया है कि राणाप्रताप सागर व जवाहर सागर का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। अतः राणाप्रताप सागर से भी पानी छोड़ दिया गया जो दिनांक 18 को 86 हजार क्यूसेक्स से घटाकर 30 हजार क्यूसेक्स कर दिया गया। राणाप्रताप सागर बांध सहित अन्य सब भाग सुरक्षित हैं। अब गज 1,149.75 है।

इस प्रकार अतिवृष्टि के फलस्वरूप उत्तर में बने गांधीसागर व राणाप्रताप सागर बांधों द्वारा छोड़े गय पानी के कारण कोटा बराज में भी भारी बाढ़ अनुभव की गई। अधिकतम 80 हजार क्यूसेक्स जल बराज से निकाला गया। इसके फलस्वरूप बैराज के 'स्पिल वे' के नीचे की ओर चट्टानों में काफी कटाव हो गया जो कि काफी खतरनाक है। यदि यह कटाव इसी तरह होता रहा तो 'स्पिल वे' को नुकसान हो सकता है। एकदम पानी के निकास के फलस्वरूप बैराज में मिट्टी के बांध वाले क्षेत्र में पिचिंग ब गई व रॉकफिल वाला मार्ग में भी कुछ क्षति है।

16 व 17 अगस्त की इस अतिवृष्टि के फलस्वरूप काली सिंध, परवन नदियों में दाईं मुख्य नहर को क्रास करती हैं, में भीषण बाढ़ आई। 16 अगस्त की मध्य रात्रि से लेकर 17 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक नदियों में जल का स्तर बढ़ता ही गया। जो दाईं मुख्य नहर में काली सिंध तथा परवन पर क्रमशः ई० एल० 830 व 790 देखा गया। जब कि डिजाइन के अनुसार अत्यधिक क्यूसेक्स ई० एल० 813 व 794 है। काली सिंध एक्वाडेक्ट पर बाढ़ का पानी निर्धारित सतह से 17 फीट ऊंचा पहुंच गया तथा परवन एक्वाडेक्ट पर 4 फीट ऊंचा। आवागमन का साधन मय रेलवे आदि के ठप्प हो गया। लगभग 1 मील की लम्बाई म काली सिन्ध नदी का जल परवन नदी में 20 फीट की ऊंचाई से गिर रहा था तथा ऐसा मालूम होता था कि पानी की एक विशाल चट्टान प्रपात के रूप में गिर रही हो। चंडालया एक्वाडेक्ट जो केवल बंडालिया नाले के जल लेने हेतु बनाया गया था, वास्तव में काली सिन्ध व उजाड़ नदियों का पानी ले रहा था। यहां पर 150 फीट लम्बाई में बाढ़ का पानी राइट मैन कैनाल में गिरने लगा। इस स्थान पर यदि पूर्ण सावधानी न बरती गई होती तो असाधारण घटना घट जाती, क्योंकि इस स्थान पर पानी ने अपना मार्ग बना लिया था। परवन व काली सिन्ध एक्वाडेक्ट के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गये। उजाड़ व काली सिंध के गाइड बन्ध बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिसके फलस्वरूप नये पाले बन गये व चन्डालिया एक्वाडेक्ट के कार्य आदि भी विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। अतः इन क्षतिग्रस्त कार्यों को तुरन्त ठीक कराना नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार राजगढ़ व गूरला माइनर जो बाईं मुख्य नहर से निकलती है, काफी लम्बाई में बह गई। लगभग 30 वर्गमील क्षेत्र जलमग्न हो गया। 30-40 गांव चारों ओर से पानी में गिर गये। ऊंचे टीबों के

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जान बचाने को पेड़ों पर व छतों पर चढ़ गये। करीब 300-400 पशु बहने तथा 200-300 मकान गिरने की सूचना मिली है।

इस प्रकार के अतिवृष्टि के फलस्वरूप दाई मुख्य नहर के किनारे नीचे बैठे गये हैं तथा उन पर भारी रेनकट हो गये हैं। किनारों की मिट्टी नहरों में ढ़ह गई है। फलस्वरूप नहर के मार्ग बन्द हो गये हैं। जिस कारण नहर की पानी ले जाने की क्षमता की कमी आगई है बाई नहर के सिस्टम मुख्यतया बूंदी ब्रांच जो अन्दर कैनाल हैं व जिस पर अनेक पक्के कार्य बने हुए है उसके किनारे कई स्थानों पर विशेष क्षतिग्रस्त हो गये हैं। घोड़ा पछाड़, तालेड़ा एवं मांगली नदियों जो बाई मुख्य नहर को क्रौंस करती है उनमें भीषण बाढ़ के कारण नहरों के किनारे व उस पर बने पक्के काम अधिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कुल क्षेत्रों में इस वृष्टि के कारण नहरें विशष रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं जो क्षेत्र पहले से ही वौटर लाग्ड थे बाढ़ से अधिक भारमय हो गय ह।

अतः उपरोक्त क्षतिग्रस्त कार्यो को पुनः ठीक करने में राज्य सरकार को 50 लाख रुपया लगाना होगा ताकि नहरों की व्यवस्था सिचाई हेतु ठीक हो सके। तथा सिचाई की वृद्धि में कोई कमी न होने पावे।

जिलाधीश द्वारा दी सूचना के अनुसार 14 अगस्त को 549 मि० मि० वर्षा रिकार्ड की गई है। काली सिंध, परवण व उजाड़ नदियों म आई भारी बाढ़ के कारण धन, जन पशु व सम्पत्ति, फसलों, सड़कों व नहरें आदि की क्षति अभी आंकी जा रही है। संचार व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाने से इसमें देरी व कठिनाई हो गई है। जो 14 गांव इस बाढ़ से भयंकर रूप से प्रभावित हुए हैं उनमें राजगढ़, खरोली, गाटोल व हरिपुरा प्रमुख हैं। इनमें काफी मकानों की क्षति हुई है किन्तु किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लगभग 16 पशु धन की हानि हुई है। जो कभी लहलहाते खेत थे या गांव की सड़क या गली थी, वहां आज 40 फीट से 60 फीट तक गहरे खाल पड़ गये हैं। ऋन्दनपुर जाने वाली सड़क नष्ट हो गई है व अनेकों कुटुम्बों के खाने पीने आदि का सामान प्रायः नष्ट हो गया है। इसके अलावा काली सिंध पर बसे पलायता ग्राम के पास बिजली की लाइनें व उनके खम्बे गिर गये हैं, फलस्वरूप अन्ता, बारां, मांगरोल, सांगोद, अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ोद व अकलेरा का विद्युत् संचार ठप्प हो गया।

राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु 25 हजार रुपया स्वीकृत किया गया। व स्थानीय अधिकारियों द्वारा राहत कार्यों के अन्तर्गत खाद्य सामग्री का वितरण व रहने की उचित व्यवस्था भी है। सम्पत्ति व फसलों की क्षति का अनुमान राजस्व विभाग द्वारा लगाया जा रहा है।

इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से 1,21 30,000 रु० के सिंचाई के कामों का नकसान हुआ और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की सड़कों का करीब करीब 80 लाख का नुकसान हुआ है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में जागृत है, बाढ़ग्रसित क्षेत्रों मे जो भी राहत पहुंचाई जाने की है उसके पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामकिशन: सभापति महोदय, भरतपुर के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने जो बयान दिया है उसमें दो तीन बातों की जानकारी चाहूंगा। आपने अपना वक्तव्य देते हुए यह बताया है कि बरसात ज्यादा हुई है और सन् 24 के और अब के आंकड़ों की तुलना की है, तो एक तो यह बतायें कि सन् 24 के बाद पानी का युटिलाइजेशन बढ़ गया है। जितना पहले पानी के काम में आने की क्षमता थी उससे अब ज्यादा काम में लाया जाता है।

इसके अलावा एक वर्ष पहले जब बाढ़ आई थी और खासतौर से गम्भीरी नदी में तो राज्य सरकार ने उस इलाके में बाढ़ को रोकने के लिए कुल कितना रुपया खर्च किया? मैं सारे जिले का नहीं पूछता हूं केवल चार तहसीलों का पूछता हूं। जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है उन पर कितना पैसा खर्च किया ?

इसके अलावा बयाना कस्बे की हरिजन बस्तियां निरन्तर जब ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ में डूब जाती हैं, तो पहले यह तय किया था कि इनको ऊंचे स्थानों पर बसाया जायगा तो पिछले 15 वर्षों के अंदर इनको ऊंचे स्थानों पर क्यों नहीं बसाया गया?

इसके अलावा एक प्रश्न और भी है कि सरकार ने बाढ़-पीड़ितों को जो ग्रान्ट दी है, वह 25 हजार की एडहॉक सहायता दी गई है। बाकी वहां से रिपोर्ट आने पर देंगे। वहां पर चार हजार तो मकान टूट गये तो एक एक मकान के लिए 6-6 रुपया मरम्मत के लिए देना क्या आप उचित समझते हैं?

इसके अलावा वहां पर बाढ़ के कारण मकान टूट गये, सड़कें टूट गई, उसके लिए सरकार पैसा देगी, लेकिन कम से कम 40 गांव बयाना तहसील में ऐसे हो गये हैं कि जहां पर नदी ने खेतों में 8-8 फीट मिट्टी डाल दी है, उन गांवों तक पहुंचने में सरकार को समय लगेगा।

आज से दो साल पहले बाढ़ आई थी भरतपुर जिले में। उस बरसात में फर्क हो सकता है। उस समय बाढ़नियन्त्रण योजना बनाई गई थी और यह खयाल किया गया था कि अधिकतम वर्षा यह हो सकती है। उसके हिसाब से सारे काम हुए। भरतपुर में डैम वगैरह बने जिससे सोचा था कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन सरकारी विभाग के काम इस प्रकार के हैं कि एक बारिश आने के बाद दुबारा बाढ़ आती है तो नुकसान की तादाद बढ़ जाती है और बरसात का कारण बताया जाता है और कहा जाता है कि बरसात ज्यादा हो रही है तो नुकसान भी ज्यादा बढ़ता है। सन् 24 के बाद भरतपुर में जितनी बाढ़ें आई हैं उनके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने और पहले की स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रबन्ध किये हैं, उन सबके कारण 47 से पहले पहले इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है।

इस प्रकार एक बात और भी है कि जितने भी स्टेट के बन्धे और सड़कें टूटती हैं तो स्टेट मरम्मत करवा लेती है, लेकिन पंचायत समिति क्षेत्रों में जो पंचायतों के बन्धे टूट जाते हैं, आज से दो साल पहले बाढ़ आई थी, उसमें पंचायत समितियों के टूटे हुए बन्धों की मरम्मत के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। बाढ़ से नुकसान इसके कारण भी ज्यादा है कि ये बन्धे टूटे हुए पड़े हैं। और पानी की रोक नहीं होती है। कितनी ही लिखा पढ़ी की गई कि पंचायत समितियों

(श्री रामकिशन)

के बन्धे जो टूटे हुए पड़े हैं। उनके लिए सिंचाई विभाग पैसा द दे तो उनकी मरम्मत हो जाय, लेकिन पंचायत समितियों के करीब 28 बन्धे टूटे हुए पड़े हैं लेकिन उनके लिए राज्य सरकार ने एक नया पैसा भी मरम्मत के लिए नहीं दिया। पिछले साल तक ऐसी लिखा-पढी चलती रही। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आखिर कोई योजना भी है कि भरतपुर को निरन्तर पानी मिलता रहे और बाढ़ को भी रोका जा सके। सिंचाई मंत्रीजी यह कह कर चलेंगे कि कामा में कुरका में रोका हुआ है, रूपारेल में भरतपुर में रोका है। तो ऐसे रोकने की बात नहीं है। इसको इस तरह से रेग्यूलेट करें कि भरतपुर को पानी मिलता रहे और साथ में पानी को चैनेलाइज भी करते रहें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यह ेक्निकल डिपार्टमेंट इतना बड़ा किस काम के लिए है? जब भी यह प्रश्न आता है तो यह बहाना करते हैं कि ज्यादा बरसात हो गई। मैं यह मानता हूं कि बरसात ज्यादा हुई है और थोड़े समय में ही हो गई, लेकिन साथ-साथ इसके और कुछ करने की भी आवश्यकता है। जो बन्धे टूटे हैं, उनकी कोई योजना नहीं की जा रही है जिस प्रकार से बाण गंगा पर मार्जिनल बन्धे बनाये गये क्या राज्य सरकार गंभीरी नदी पर भी मार्जिनल बैन्क्स बनायेगी? बयाना तहसील के 40 गांव हैं वे कभी भी बाढ के कारण वसे नहीं हैं। इसका प्रबन्ध करेंगे।

जो नुकसान की आज सूचना हो रही है सब से पहले उसके बारे में 25 हजार की मदद रखी है। सरकार के पास रिपोर्ट आ जायेगी। कलेक्टर तैयार कर रहे हैं। पंचायत समितियों ने नक्शे तैयार कर लिए हैं भेजने के लिए। जिनके मकान टूट गये हैं उनको तत्काल रिलीफ दिया जाय। इस प्रकार से जो सड़कें टूट गई हैं, उनकी मरम्मत सिंचाई विभाग देगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गम्भीर मामला है।

श्रीमती सभानेत्री : और भी हैं।

श्री रामकिशन : यह सवाल ही ऐसा है।

बाढ़ का जहां तक सवाल है, सिंचाई विभाग को आप पैसा देते हैं। सड़क हर साल ूट जाती है तो सड़क के लिए पैसा मिलता है और जो पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग होता है, यह नवाव साहब को भी पता है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि बयाना—रूपबास सड़क को बचाने के लिए अस्थाई प्रबन्ध होगा या स्थाई प्रबन्ध भी होगा?

उनको ऊंचा किया जाये। गंभीर नदी की जो पोजीशन है। अधिकतम बरसात हुई। उसके नियमानुसार क्या रूपवास की सड़क को ऊंचा न ीं किया जा सकता है। बार बार खर्च करने के बजाय उसे सही तरीके से एक बार कर दिया जाये। भरतपुर में बाढें आई हैं। पिछली बार जो पैसा दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन भरतपुर में पिछली बार जिन असिस्टेंट इन्जीनियर्स को नियक्त करके भेजा गया था, वह लखपति हो गये हैं। कितने मामले पड़े हैं। पमेंट हो गये ैं। गंभीर मामले हैं। अब रुपये दें तो यह ख्याल न रखें कि रुपये का उपयोग क्या हो रहा है? मैं आप से चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाये हैं करौली में उनको जनरैलाइज करने के लिए . . . .

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : भरतपुर का आप ने बता दिया है।

श्री रामकिशन : भरतपुर ही ले लीजिए।

श्री श्रवणकुमार : भरतपुर के साथ साथ सवाई माधोपुर का प्रश्न ज्वाइंट है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : हमारे रे जिले की बाबत आजायेगी।

श्रीमती सभानेत्री : संक्षेप में कहें।

श्री मकुट बिहारीलाल गोयल : बयाना कस्बे को बाढ़ के उफान से बचाने की कोई योजना है या नहीं। पिछले कई वर्षों से मैं इस नक्शे को (एक नक्शा दिखाकर) लेकर कहता फिर रहा हूं कि जो हजारों रुपये लगाकर आप करते हैं, वहां कुछ हजार रुपये लगाकर बयाना कस्बे को बाढ़ से बचा सकते हैं। आप का ओवरसीयर है उसने केवल एक हजार रुपये लगाकर एक नाला ठीक किया। पिछले डेढ़ दो साल से एक यहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो डिवीजनल ऑफीसर लगे हुए है लेकिन वहां इर्रीगेशन नहीं होती है मैं पूछता हूं कि बयाना का एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर बड़ा है या ओवरसीयर बड़ा है जब करौली सब-डिवीजन में एक्सेस रेन हुई तो बयाना के अधिकारियों का क्या कर्त्तव्य नहीं था कि वह सूचना देते कि फ्लड चल पड़ा है इससे 100 गांवों के लोग भाग कर अपनी जान बचा सकते थे ?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, हमारे यहां अकाल नहीं पड़ता है। बाढ़ आती है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : 40 गांवों के इर्रीगेशन कुऐं रद्द हो गय है। पता नहीं चलता है कि यहां पर कुऐं थे। इसी तरह से सड़कों का सवाल है।

श्रीमती सभानेत्री : यह तो रामकिशन कह चुके हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सड़कों का सवाल एक ही तरह से हल हो सकता है। यहां पर पी० डब्ल्यू० डी० के ऑफिसर्स सभी बैठे हैं जो कि सुन रहे हैं। बांध से ऊपर होकर निकले तो हो सकता है। नीचे होकर निकालगे तो नहीं। गंभीरी नदी अपना रुख बदल रही है। बम्बई से लगाकर दिल्ली तक जानेवाला जो रेलमार्ग है, बी० बी० एण्ड सी० आई० आर० का जो मार्ग है, सेण्ट्रल गवर्नमट इन कार्यो में मदद करे। मिलकर सामूहिक योजना बनाये। इससे रेल मार्ग भी सुरक्षित रहेगा। गंभीर नदी का रुख चेंज हो गया है। मैं चाहूंगा कि मास्टर प्लान बनाया जाये। परन्तु उसको उसके साथ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अत्यन्त नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसान परेशानी में हैं। ऐसे वक्त में आप हमारी सहायता करें। जिन गांवों में फसल बरबाद हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि.....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य कह चुके हैं। मन्त्री महोदय समझ चुके हैं।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : आप घंटी बजा रही हैं। मैं हमेशा ही अनुशासन मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक तरफ आदमी मर रहे हैं। बहुत से आदमी बरबाद हो

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

रहे हैं। कितने ही आदमी बह गये ह। लाशें सड़ रही हैं। पुलिस में सूचना के बावजूद पुलिस नहीं आयी। एक दूसरा गांव है, कन्सारी। एक दस वर्ष का लड़का कहीं से बहकर आ गया। उसका सोने का तावीज भंगी ने ले लिया। लाश को बहा दिया। और कई लाशें बहकर आयी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला हो सकता है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस इलाके से पूरा सम्पर्क कट चुका है। मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही लिबरल तरीके से मदद दी जाय और बाढ़ के बाद जो आने वाली विपत्तियां हैं, जो माहमारी के रूप में हैं। उनके लिए जो प्रोटेक्शन लिया जाना चाहिए, वह लिया जाना चाहिए, ताकि महामारी न फैले। पशुओं के लिये चारे का इन्तजाम करना चाहिए। तभी कुछ हो सकेगा।

श्री रामकिशन : एक एक जिले का जवाब दे दीजिए।

श्री शिवनाथसिंह : ए पॉइंट ऑफ आर्डर.....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया,..

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य पॉइंट ऑफ आर्डर है।

श्री शिवनाथसिंह (गढ़ा) : सभापति महोदया, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था गुढ़ागोरजी जो झुंझुनू जिले में बान्ध है। उसके टटने के सम्बन्ध में था। पिछली बार बाढ़ आयी थी। बहुत से रुपये लगाकर वह बना दिया गया था। इसके लिए कलेक्टर साहब भी गये। उन्होंने देखा। 2 मील के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। उसके लिए मंत्री महोदय, को कोई सूचना देनी थी।

श्री रामप्रसाद लढ़ढ़ा (सिंचाई मंत्री) : मझे इस बात का ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई आदेश चेयर की तरफ से दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्री से जवाब दिलवा दीजिये यह बहुत छोटा सा है, दो मिनट में हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : बाढ़ का जो मामला है वह तो चलेगा काफी देर तक, उसको पोस्टपोन करके माननीय श्रम मंत्री से स्टेटमेंट दिलवा दें और उसके बाद में यह बाढ़ का मामला ले लिया जाये तो उचित रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्रम मंत्री।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री): नैशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज की हड़ताल 16 तारीख से चल रही है, इस सम्बन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों और उद्योग के प्रतिनिधियों से बात चीत अभी, भी, जब मैं हाउस में नहीं था, जारी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बातचीत का सिलसिला आज शाम तक या कल तक चलेगा और कुछ समझौता हो जाने की आशा है। इसलिये मैं इस समय सदन को वक्तव्य न दे कर सोमवार को सारी स्थिति सदन के सामने रख दूंगा।

श्री केदारनाथ : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिन प्रोपोजल्स पर मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों की बात टूटी थी, उसके बाद कोई नये प्रोपोजल्स आये हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार ने कुछ प्रोपोजल्स रख ह और दोनों पक्षों के हित में यह होगा कि आमने सामने बैठकर कुछ तय कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कोई ट्राईपार्टाइट बॉडी मजदूरों और एम्पलॉयर्स के रिप्रेजन्टेटिव्ज को बुलाकर बातचीत कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं चेम्बर में यही बात कर रहा था और अभी मैं यहां से लेबर डिपार्टमंट में जाकर फिर उद्योग के प्रतिनिधियों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बलवाकर बातचीत कर रहा हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : गये साल जब बाढ़ आई थी तो सवाई माधोपुर में कई जगहों पर नुकसान हुआ, उनमें एक पांचोलास का बांध भी था, तो अभी जो दुबारा वहां क्षति हुई है, उसमें वहां पर लगाया हुआ सारा पसा मटियामेट हो गया । वहां पर जो पैसा आपने मरम्मत पर व्यय किया था वह भी ठीक ढंग से हुआ या नहीं, इसमें संदेह तो नहीं है, और यह भी नहीं कह सकते कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ इसलिये ही पांचोलास का बांध टूटा, क्योंकि सरगस के बांध पर भी यही बात हुई थी कि काम खराब हुआ था, अधिकारियों के नोटिस में लाना पड़ा और बाद में वह काम डिपार्टमेंटली करवाया गया, वर्ना वह बांध भी आज टूटा हुआ मिलता। इन सभी बांधों का पानी गम्भीरी नदी में आता है और नदी में बाढ़ आ जाती है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गंभीरी नदी राजस्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ लाती रहती है, इसलिये इस बाढ़ को रोकने के लिये कोई विस्तार पूर्वक योजना बनानी चाहिये। जहां तक बांधों का सवाल है और मीडियम वर्क्स का सवाल है, उनकी पालें कम ऊंची हैं, अगर उनको थोड़ा थोड़ा और ऊंचा किया जाय तो दो तीन फुट ऊंचाई बढ़ जायेगी और पानी जो अब बह कर गंभीरी नदी में आता है उस पर भी रुकावट पड़ेगी। पांचोलास का बांध, मुई का बांध, इनकी पालों को अगर थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर दिया जाये तो उससे तीन चार गांवों की पिलाई भी हो जायगी और साथ-साथ बाढ़ पर नियन्त्रण भी हो जायेगा।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह था कि गम्भीरी नदी पर अगर बांध बनवाया जाता तो आगे के क्षेत्र में जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वे भी बच जायेंगे।

(2.45 म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): सभापति महोदय, गुजरी 15-16 तारीख को जो झालरा पाटन, मंडावर, भवानी मंडी, रटलाई, पचास साठ गांवों म जो बा आई, उसम नदी के किनारे के इन गांवों में कई पशु नष्ट हुये और बीस हजार से अधिक लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी फसलें खत्म हो गईं। झालरा पाटन, झालावाड़, रायपुर और मंडावर को मंत्री महोदय ने भी देखा था, मैं भी उनके साथ था, वहां पर पांच सात सौ मकान गिर गये, और इसके अलवा जो वहां

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

पर ऐतहासिक मंदिर था, जिसके साथ धर्मशाला थी, जिनकी कीमत करीब पांच लाख की थी, वह सारा नष्ट हो गया। मंत्री महोदय ने कहा कि वहां के पीड़ितों के लिये एक लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। वहां पर पचीस गांव बाढ़ पीड़ित हो चुके हैं तो उनको इस कम पैसे से क्या सहायता मिल सकती है ? यह पैसा बहुत कम है।

इसके अलावा जो इर्रीगेशन टैंक हैं, गोमती सागर, मुड़लीया तालाब, झालरापाटन, वहां पर पानी बराबर बहता जा रहा है, उसको बन्द करने के लिये योजना बनाई जाये ताकि उसके पीवत से 2 हजार बीघा की सिंचाई की व्यवस्था हो सके। कई जगह पर पुलियाएं टूट गई हैं। चन्द्रभागा व छोटी पुड़िया का बांध टूट चुके हैं। इसलिये जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है उनका राजस्व माफ कर दिया जाये और आगे की फसल के लिये लोन दिया जाये। जितना रुपया इन को दिया जा रहा है वह बहुत कम है, वह ज्यादा होना चाहिये।

झालरापाटन में हर साल बाढ़ आती है, 1961 में आई, 1962 में आई, 1967 में आई और अब फिर आई है। मनोहर थाना परवन नदी के कारण डूब जाता है, इसको रोकने के लिये कोई योजना होनी चाहिये। इसमें बांध बनाने की योजना बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें। सहायता भी जल्दी से जल्दी देनी चाहिये। मंत्री महोदय के आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, और वहां पर 2,000 परिवारों के लिये, जो झालरापाटन, रायपुर, मंडावर आदि क्षेत्र के है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को सहायता पहुंचाई जाय।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय अभी दो तीन दिन पहले ही झालावाड़ और कोटा क्षेत्र का दौरा करके आए हैं। बाढ़ की क्या गंभीरता थी और उससे क्या नुकसान हुआ है, उस बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि वे सब चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। अभी मैं खासकर सांगोद क्षेत्र के बारे में बोलूंगा, क्योंकि झालावाड़ के बारे में झालरापाटन के माननीय सदस्य ने बता दिया है। सांगोद के बारे में मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनका परमानेन्ट महत्व है। झालावाड़ के माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि मनोहर-थाना की नदी में बाढ़ आई हुई है और काली सिंध इत्यादि सभी नदियों का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। ये सारी की सारी नदियां अल्टीमेटली जिस गांव का अभी मंत्री महोदय ने जिक्र किया "राजगढ़" में आकर मिलती हैं। अगर सांगोद में पानी कम या ज्यादा बरसे तो ज्यादा या कम पानी बरसने का असर तो उस भूमि पर होगा ही, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं भी बरसे और झालावाड़ क्षेत्र में या इन नदियों के कैचमेंट एरिया में कहीं भी पानी बरसेगा, तो वहां का असर भी इस क्षेत्र में होगा, जैसे अभी ही हुआ है। इसलिये इन नदियों के पानी के नुकसान से इस क्षेत्र को बचाने के लिए क्या परमनेंट योजना बनानी चाहिए, इस बारे में मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(श्री जुझारसिंह)

दूसरी बात यह है कि सांगोद ऐसा क्षेत्र है, जिसमें चंबल सिंचाई विभाग के करीब एक करोड़ के Aqua ducts बने हुए हैं। महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स हैं। 46 लाख से कालीसिंध में, 34 लाख से परवन व दूसरी जगह चंडाली आदि में भी लाखों रुपए के नाले बंधे हुए हैं। ये सारे इर्रीगेशन वर्क्स करीब एक करोड़ रुपए के हैं इन तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। इसी साल बहाव कुछ और अधिक होता तो चंडाली का नाला टूट जाता जिससे राइटमैन कैनाल को बड़ा नुकसान होता। इस साल तो आप बच गए हैं, परन्तु आगे के लिए वहां पहुंचने के लिए क्या साधन जुटाने हैं ? इर्रीगेशन रोडस को सीमलिया से सांगोद और राजगढ़ तक पक्का करनेके मैन रोड तक मिलाने के लिए आपको शीघ्र प्रबंध करना चाहिए, अगर विलम्ब किया गया तो आपका भी नुकसान है और उन गांवों में जो आपने देखे हैं, उनका भी नुकसान है।

सांगोद के करीब 40 गांवों में बाढ़ आई है। आज तक कलेक्टर, एस०डी०ओ०, मंत्री महोदय या राज्य सरकार को किन-किन गांवों में क्या क्या नुकसान हुआ है, इसकी पूरी खबर नहीं है। मंत्री महोदय जानते हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की कि यह किसी तरह सांगोद पहुंच सकें लेकिन कालीसिंध में बाढ़ की वजह से इन्हें कोटा लौटना पड़ा और केवल राजगढ़ तक चंबल नहर के रास्ते से पहुंच सके, इन्होंने जो कुछ आइडिया लिया है, वह राजगढ़ गांव को देखकर ही लिया है लेकिन मेरे पास अधिक जानकारी है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं; क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और राजगढ़ से 4 मील दूर मेरा खुद का गांव है। राजगढ़ के क्षेत्र में 16 गांवों में नुकसान हुआ है कुंदनपुरा, किशनपुरा, तेलोरी, धाटोलीया, मंदीता, अरालिया, अद्रसा, कुराड़िया कलां, राजगढ़, थोनपुर, हरीपुरा, झोपड़ियां, काठन, गुधाना, गेहादा, खेरली। ये सब गांव तीन नदियों के बीच के गांव हैं। इन गांवों में जैसा मंत्री महोदय ने एडमिट किया है 5-10 फीट ऊंची पानी की बाढ़ थी इससे कितना नुकसान हुआ है, राज्य सरकार के पास अभी पूरी सूचना नहीं है। इसलिये इस इलाके को परमानेन्टली बाढ़ से कन्ट्रोल किया जा सकता है, ऐसा उपाय किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में तीनों नदियां बराबर बहती रहेंगी और किसी जगह भी ज्यादा पानी बरसा तो उसका इस क्षेत्र पर असर होने वाला है। अबकी बार ज्यादा पानी हुआ है, ऐसा आगे भी नहीं आएगा, उसकी क्या संभावना है? किसी दूसरे क्षेत्र में ज्यादा पानी होने की वजह से भी इस क्षेत्र में तो नुकसान हो सकता है इसलिए यह क्षेत्र हमेशा एप्रोचेबुल हो, इसको सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। आगे भी खतरा हो सकता है और राहत पहुंचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सांगोद क्षत्र के बारे में मैं करीब 15 वर्ष से जबसे मैं पहली विधान सभा में आया था, कहता चला आ रहा हूं कि इस क्षेत्र में सॉइल इरोजन की बड़ी समस्या है। अब आपने स्वयं देखा कि खाल पड़ गई है। राजगढ़ में सेठ जमनालाल का दो मंजिला मकान था, मंत्री महोदय नहीं पहुंच सके, उसमें आज विधान सभा हाल जितनी हाइट तक के रेविन्स हैं, इससे आज क्या नुकसान हुआ है इसका अनुमान लगा सकते हैं। आज एक ही गांव का एक आदमी दूसरे घर म

(श्री जुझारसिंह)

नहीं जा सकता। राजगढ में तीन 2 जगह 30-40 फीट के रैविन्स हैं तीन तीन माइल्स के स्ट्रक्चर व सड़कें कट चुके हैं। 15-20 साल से राज्य सरकार के सामने सांगोद में सॉइल इरोजन की समस्या को रक्खा जाता रहा हैं, अबकी मैग्नीटयूड ज्यादा है लेकिन 10-10, 20-20, 30-30 फीट हर साल हमारे यहां रिवसॉइल, रैविन्स की वजह से कटता जा रहा है। तीन नदियों में एक दूसरे का फासला एक मील से ज्यादा नहीं है। अगर इन पर प्रोटेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए या सॉइल कन्जर्वेशन के काम को हाथ में नहीं लिया गया तो तीनों नदियां किसी समय एक हो जायेंगी। इस साल के लिए तो राहत पहुंचा दी जायगी, परंतु इससे काम नहीं चलेगा, आपको कोई मुस्तकिल प्रोटेक्टिव काम करना चाहिए और सॉइल इरोजन को दुरुस्त करने के लिए बुलडोजर्स भेजने चाहिए। सोइल लेवलिंग के लिए हेवी मशीनरी भेजनी चाहिए थी। इस स्थान पर तीन नदियों का बहाव है और एक नदी का दूसरी नदी से लेविल नीचे है। अबकी बार राजगढ में 20 फीट ऊंची पानी की शीट गिरती थी। इस क्षेत्र में, सरकार के इन्ट्रेस्ट में है कि सॉईल प्रोटेक्शन का मुस्तकिल किया जावे। जो नुकसान हो गया है उस बारे में आपके पास रिपोर्ट आएगी और आप भी रिपोर्ट लेंगे, लेकिन ऐसे काम जैसे थौनपुर, मंडीता इत्यादि में कराए थे सॉइल कन्जवेशन के, वहां अब कुछ नहीं रहा हैं। ऐसे कृषकों के खेतों पर सॉइल कन्जर्वेशन के कामों को देखें तो आज उनके स्थानों पर कुछ नहीं रहा हैं और आपने लोन दिया है व सब्सिडी दी है, सब नष्ट हो गई है। सब्सिडी तो राइट ऑफ हो जायगी लेकिन जो लोन दिया है उसका क्या होगा? अगर इस लोन को राइट ऑफ नहीं किया तो सॉइल कन्जर्वेशन की समस्या, जिसके लिए आज कल्टीवेटर सहयोग दे रहा है, आगे सॉइल कन्जर्वेशन वर्क्स में सहयोग नहीं देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा जाय। यह काम सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी देखकर आए हैं। उन्होंने देखा है कि सड़कों का किस तरह नुकसान हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पलायता और भौनरी की लूप रोड बनानी थी, वह अब तो पूरी की जानी चाहिए। रास्ते का नुकसान इतना हुआ है कि फोर व्हीलर पर जाना भी मुश्किल है। इस क्षेत्र को आगे के लिए बाढ़ की वजह से ज्यादा नुकसान न होने पाए, उस बारे में निवेदन करूंगा कि आप कोई स्थाई कदम लें, यहां से हेवी मशीनरी भेजकर रिपेयर करवाये और स्थाई सॉल्यूशन दें।

श्री सभापति: श्री मोहनलाल मोदी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: मुझे कोई मौका बोलने का नहीं मिलता, झालावाड़ जिले में काम चल रहे हैं.......

(3 म. प.)

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन

(व्यवधान)

करूंगा कि गम्भीरी और बाणगंगा ये दो विशाल नदियां हैं जिसके कारण काफी नुकसान इस बयाने के इलाके को होता है। इसलिये गुडियाना पर बांध बना दिया जाय तो

(श्री मोहन लाल मोदी)

इससे पानी की बाढ़ रुक जायगी और सिंचाई से लोगों को काफी लाभ भी पहुंचा और

(व्यवधान)

जान माल को भी क्षति नहीं होगी। इससे भरतपुर को भी पानी दिया जा सकेगा। सिंचाई के लिये काश्तकारों को पानी दिया जा सकेगा और इससे काफी लाभ मिलेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: श्री विट्ठल प्रसाद।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (इकलेरा): माननीय मंत्री महोदय, ने झालावाड़ जिले के बारे में अभी वक्तव्य दिया। वहां की क्षति का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि 1।। करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान का एसेसमेंट झालावाड़ और पाटन का हो सकता है जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अभी भी झालावाड़ क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र है, न तो एस०डी०ओ०न ही कलेक्टर वहां की स्थिति का अध्ययन कर पाये हैं और न जानकारी ही मिल पायी है। मैं अर्ज करूँ कि झालावाड़ का जिला पूरा मध्यप्रदेश से मिला हुआ है।और मध्यप्रदश से निकलने वाली नदियां झालावाड़ में बहती है। अधिक वर्षा वहां होती है तो बाढ़ झालावाड़ में आती है। झालावाड़ में 68 इंच के करीब बारिश हो गयी है। इतनी कहीं बारिश राजस्थान में नहीं हुई होगी। बारिश अधिक हुई तो लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ना ही चाहिये नदियों में बाढ़ आना स्वाभाविक है।

उसी झालावाड़ जिले के अंदर मनोहर थाना है। आज से नहीं वर्षों से वहां पर कन्टीन्युअस फ्लड आता है। हजारों लोग बेघरबार हो जाते हैं। मनोहर थाना एक आइलेंड बन गया है। पहले दीवार थी शहर के लेकिन बाढ़ में बह जाने से सारा पानी शहर में घुस जाता है। कोटा स्टेट के जमाने से ही मांग करते आये हैं कि यह दीवार बना दी जाय तो हजारों लोगों के डूबने का प्रोब्लम दूर हो जावेगा। इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झालावाड़ से मनोहर थाना जाने का और कोई रास्ता नहीं है कोई साधन नहीं है, एक टापू जसा हो जाता है, और वहां पर केवल देहली बाम्बे ग्रान्ड ट्रन्क रोड पर मनोहर थाना से चांचोड़ा रोड 22 मील है। यह मध्यप्रदेश ने कम्पलीट कर दिया और राजस्थान की ओर से सन 52 से आज तक यह लिंक रोड का 9 मील का टुकड़ा नहीं बना है, जिससे कि ग्रान्ड ट्रन्क रोड से जोड़ सकें। इस रास्ते के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। राजस्थान सरकार का पी० डब्ल्यू०डी०विभाग सन 52 से आज तक इसको नहीं बना पाया है। मनोहरथाना और किस रास्ते से जावें? कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से इकलेरा होकर मनोहरथाना जाया जा सकता है। यह बहुत दूर और चक्करदार पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 9 मील का चांचोड़ा रोड़ का टुकड़ा कम्प्लीट कराया जाय, जिससे ग्रान्ड ट्रन्क रोड से लिंक हो सकें। बाढ़ के समय आप उसी रोड से फायदा पहुंचा सकते हैं। 1।। करोड़ का झालावाड़ और पाटन में नुकसान हुआ यह आपने फरमाया लेकिन परवन नदी पर बसने वाले मनोहरथाना और सैकड़ों गांव हैं और हजारों बीघा जमीन है वह नदी की बाढ़ में आ जाती हैं और बरबाद हो गई है। इसलिये कलेक्टर और एस० डी० ओ० को आदेश प्रदान करें कि जिन जगहों की रिपोर्ट नहीं मिली हैं वहां की स्थिति क्या है, इसका

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

पता लगा कर रिपोर्ट करें। जो चुकारा एक लाख का किया वह अपर्याप्त है। जरा उदारता से सोचिये और गांवों के लिये भी जहां कि सहायता नहीं पहुंची है, वहां पर भी उदारता से सहायता पहुंचायी जाय।

श्री सभापति: श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल: माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान में अकाल पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है उसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या है। एक साल को छोड़ कर दूसरे साल करोड़ों रुपयों की क्षति, जानवरों की और अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। गत साल को छोड़ कर अगले साल में सभापति महोदया.....

श्री सभापति (सभापति महोदय को सभापति महोदया सम्बोधित करने पर): आपत्तिजनक है।

श्री श्रवणलाल: क्षमा करें।

इस बाढ़ के कारण बड़ी क्षति हुई है। आज मंत्री महोदय ने इस बाढ़ की समस्या को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। जिसके अन्दर सवाई माधोपुर में 13 तालाब टूटे हुए हैं यह बताया और 1300 मकान और 125 जानवारों के बह जाने का समाचार है। माननीय सभापति महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वहां पर स्थिति यह है कि गम्भीरी नदी हमारी करौली तहसील से स्टार्ट होती है और छोटे 2 नालों के रूप में बयाना के पास पांच नदियां के रूप में परिणत हो जाती है। यदि इस नदी को यहां पर बांध दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और गंगापुर और हिन्डौन में आये दिन नुकसान उठाना पड़ता है, उसके साथ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बयाना और अमुक 2 गांव इसमें आते हैं उनकी भी समस्या हल हो सकती है इसके साथ साथ हमने कई बार राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि इस नदी में आने वाले नालों पर कुछ छोटे 2 बांध बना दिये जायं, तो हमेशा के लिये समस्या हल हो सकती है। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि पचास बांधों के टूटे जाने के कारण हमारे डिस्ट्रिक्ट में नां ोती तहसील है जहां तालाब से पीने का पानी लेते हैं, उनके टूटे जाने के कारण बारिश का अनुमान नहीं है, फिर वे भरें या नहीं भरें तो मनुष्यों के लिये और जानवरों के लिये पीने के पानी की भी बड़ी समस्या होगी, इसलिये उसको बांध दिया जाय तो मनुष्यों और जानवरों की रक्षा कर सकेंगे। आज वहां के रहने वाले इन्सानों के लिये कल पानी की समस्या खड़ी हो सकती है। हो सकता है कुछ समय पानी बारिश का होने से वे तालाब थोड़े बहुत भरे जायं और उनमें पानी नहीं भरा तो समस्या हो सकती है। यदि उन बांधों को बांध कर पानी को रोका नहीं गया तो मनुष्यों और जानवरों के पानी का बड़ा भारी संकट खड़ा हो जावेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि चाहे पंचायत समिति या सिंचाई विभाग के तालाब हों, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, किसी भी प्रकार से टूटे हों तुरन्त ही क्षति-पूर्ति के लिये वहां के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से इमिडियेटली कार्यवाही करनी चाहिये। उन्होंने यह बताया कि 1300 मकानों की क्षति हुई है।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी उस नदी के किनारे गांव थे आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कि जिस गांव के अन्दर सारी मवेशी न बह गयी हो। खाना, पीने का सामान तक बह गया। सभापति महोदय, आज

(श्री श्रवणलाल)

ऐसे गांव हैं, जिनके काश्त थी, जिनके कुए थे, उनका पता तक नहीं है कि कुए किस जगह थे। काश्त किस जगह की थी। जिस स्थान पर काश्त की थी, उस स्थान का पता तक नहीं है। आज उनको मालूम नहीं है कि हमारी काश्त कहां है। आप वहां पर देखेंगे, 5, 5 फीट रेती जमीन पर पड़ी है और जमीन का लेविल का पता नहीं है। यह जमीन एसी बन गयी है कि उसमें किसी प्रकार का पौधा नहीं पैदा हो सकते।

जैसा मन्त्री महोदय ने यहां बताया है कि जिस प्रकार की क्षति हुई है, उसकी सूचना हम अधिकारियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जो सहायता आपने उन्हें दी है, वह 25 हजार रुपया दिया है, इमीडियेट सहायता के रूप में। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि वहां करीब 1300 घर हैं। उनके सारे घरबार बर्वाद हो गये। 1300 घर में कितनी फेमिली रहती है, आप अन्दाजा लगाइये। एक घर को 5 व्यक्ति की फेमिली मान कर चलें तो 6,500 व्यक्ति होते हैं और उनको हम दे क्या रहे हैं, सिर्फ 25 हजार रुपये। 25 हजार से क्या हो सकता है? जिस प्रकार से आज चने का भाव है, वहीं खरीद कर उनको बांटें तो एक मुट्ठी भर चना उनको नहीं बांट सकते। इस प्रकार जो 25 हजार की दक्षिणा सरकार ने दी है, उसके लिये मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि वह किसी प्रकार की सहायता नहीं है। इसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ पुनः यह प्रार्थना करूंगा कि वहां एक गंभीर बांध है। जब तक आप इसका सॉलूशन नहीं निकालेंगे, याने पांचना जो स्थान है, जहां पांच नदियां मिलती हैं, वहां बांध नहीं बनाया गया तो समस्या का हल नहीं होगा। इसलिये राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस नदी की बाढ़ का हमेशा के लिये हल करना है तो आपको गंभीर नदी के ऊपर पांचना के पास बांध बांधना चाहिये। इसी के साथ-साथ हमारे जिले के लिए एक दूसरी योजना है। भरतपुर के लिये पानी जाता है बाण गंगा से। यह भी एक पुरानी समस्या है। वहां की योजना मंजूर हो गयी, ऐसा सुना था। यदि इस पर बांध बांध दिया गया तो वहां के किसानों की माली हालत सुधर सकती है और आये दिन जो भरतपुर में बाढ़ आती है, वह समस्या किसी हद तक हल की जा सकती है।

इसके साथ ही यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो बांध टूटा था, जिसके कारण मवेशी वह गये, घर-बेघर हो गये, उन लोगों की तुरन्त सहायता की जाये। उनके रहने के लिये, उनको ठहराने के लिये ऐसी व्यवस्था की जाये जब तक उनके अपने घर ठीक न हों, उनके लिये तम्बुओं की व्यवस्था की जाये। उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाये। वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि कुओं के अन्दर फ्लड का पानी चला गया है, इसलिये उसमें दवाइयां डलवायी जायें। इन कैम्पों में दवाइयों की व्यवस्था की जाये।

इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करूंगा कि जो छोटे-छोटे तालाब थे वे टूट गये हैं, उनकी तुरन्त मरम्मत करायी जाये। अभी जो मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है और उन्होंने जानकारी मांगी है कि कितनी क्षति हुई है। उनकी जानकारी के लिये मैं

(श्री श्रवणलाल)

बता रहा हूं कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जो क्षति हुई है, वह करोड़ों के करीब जाकर के बैठती है। निवेदन करूंगा कि 25 हजार की सहायता के रूप में जो रकम आपने भेजी है, वह काफी कम है। सबसे ज्यादा फ्लड के अन्दर हरिजनों की बस्ती बही है। उनके कच्चे मकान ह। जिनके पक्के मकान है, उनकी वस्तुएं वैसी की वैसी रह गयीं और जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनका सारा सामान बह गया है। उनके सामने भयंकर समस्या है। इस फ्लड के अन्दर उनके घर बर्बाद हो गये। चाहे समाज कल्याण के द्वारा, चाहे और किसी रूप में हो, राज्य सरकार गांव-गांव के हरिजनों को, हरिजन बस्तियों को, उन गांवों को जो नदी के किनारे थे, सहायता पहुंचाये। उनको बसाने के लिये इमीडियेट्ली एक योजना, एक प्लान तैयार करना चाहिये जिससे कि इस प्रकार की समस्या, इस बाढ़ के कारण उनकी बर्बादी न हो सके।

श्री सभापति : चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार-सु०) : सभापति महोदय, मैं सवाई माधोपुर कस्बे के बारे में निवेदन करूंगा। पिछली साल भी सवाई माधोपुर में नुक्सान हुआ था। इस साल भी 10-8-69 को इतनी गजब की बरसात हुई कि सवाई माधोपुर में अगर आध घन्टे बरसात और होती तो गजब हो जाता। उसका पता नहीं लगता। पहले एक स्कीम बनायी गयी थी कि सवाई माधोपुर के पास, उसके ऊपर एक बांध बांधा जाये। यह निर्णय किया था और यदि वह बन जाता तो सवाई-माधोपुर का फ्लड से बचाव हो जाता। वहां जो हरिजन बस्ती है, वह नाले के पास बसी हुई है और पिछली बार जब गृह मन्त्री महोदय ौरे पर पधारे थे उन्होंने मौका निरीक्षण किया था। 2 लाख 85 हजार भारत सरकार से मंजूर हुआ है, लेकिन उसका पता नहीं है। मेरी यह अर्ज करना है कि सवाई माधोपुर कस्बे की तरफ ध्यान दिया जाये और इन दो बांधों का निर्माण कराया जाये और जो हरिजन बस्ती है, उसके लिये जो लोन मंजूर हुआ है, उसको प्राप्त कर बसाया जाये और जो बांध हैं, उसको बनाया जाये, जिससे सवाई माधोपुर खतरे से बच सकता है।

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा (पीपल्दा) : अभी मंत्री महोदय ने बयाना में जो काली सिन्ध की बाढ़ आने के कारण एवं तालाबों के टूट जाने के कारण काली सिन्ध में जो अचानक बाढ़ आ गयी और राजगढ़ गांव में जो नजदीक है, इस बाढ़ का पानी 30 वर्ग मील के एरिया में फैल गया, ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि तहसील सांगोद के बाद इस नदी का पानी जो तहसील बारां, अन्ता और दीगोद में बहता है, इन तहसीलों बारां, अन्ता और दीगोद में पहुंचा और किस प्रकार से क्षति पहुंचायी है। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि तहसील बारां और अन्ता में कम से कम 60 ग्रामों से अधिक ग्रामवासियों को इस बाढ़ के पानी के कारण क्षति निश्चित रूप से पहुंची है और यह जानकारी कहां तक सत्य है, उसके लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार की जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, उसमें अगर तथ्य न हो तो

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

इस सदन के समक्ष खड़े होकर डिटेलवा ज, प्रत्येक ग्रामवार, तहसीलवाईज, प्रत्येक गांव, तहसील के अंदर किस किस की कितनी 2 क्षति इस बाढ़ के द्वारा, ग्रामवासियों को क्षति पहुंची है, वह आप बताने का कष्ट करें।

श्री **सभापति**: श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया: सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर शायद ऐसा वर्ष बीता होगा जबकि बाढ़ नहीं आती होगी। और विशेषकर कोटा जिले के अंदर। प्रतिवर्ष किसी न किसी स्थान के ऊपर बाढ़ आती है और बा आने के बाद, सभापति महोदय, यह बात निश्चित है कि सरकार द्वारा सहायतार्थ पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार ने अपने 22 वर्षों के इस लोकतांत्रिक शासन में अब तक बाढ़ आने के कारणों के ऊपर जांच नहीं करवा सकी है। लोकतन्त्रीय शासन में अब तक बाढ़ आने के कारणों पर जांच नहीं कराना और राज्य सरकार द्वारा अब तक यह घोषणा न करना कि अमुकअ-मुक स्थान पर बाढ़ किन कारणों से आती है ठीक नहीं है। उनके कारणों पर ोक लगाने के लिये क्या उपाय सरकार कर रही है?

मैं सभापति महोदय, आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कोटा जिले के अंदर रियासतों के समय जो बान्ध बने हुये थे आज उन बांधों की स्थिति समय निकल जाने के कारण, जो बान्ध बहुत पहले बन्ध थे कमजोर पड़ गये। उदाहरण की तौर पर शाहबाद पंचायत क्ष म बहुत बड़ा बान्ध है गढ़ बान्ध। उस क्षेत्र के अंदर उस बान्ध से तीस हजार बीघा की सिंचाई होती है। लेकिन गतवर्ष अधिक वर्षा के कारण वह बान्ध रियासतों के जमाने का बन्धा हुआ, था वह कमजोर पड़गया और टूट गया, उसके कारण तीस हजार बीघा फसल नष्ट होगई। मैं सिंचाई मं ी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जितने भी बान्ध, पक्के बान्ध रियासतों के समय से बने हुये थे, उनकी जांच कराई जाय, किस किस हिस्से के अंदर कमजोरी आगई है। इसके बारे में उस बान्ध के नीचे जो गांव हैं उनसे पूछा जाय और उनके कहने के अनुसार उस हिस्से की मरम्मत कराई जाय, ताकि वे बर्षा से टट नहीं सकें।

सभापति, महोदय, बारां के अंदर 1957 में बाढ़ आई 67 में बाढ़ आई, इससे सकड़ों परिवार बेघरबार होगये, हजारों एकड़ फसल नष्ट होगई इन कारणों को सरकार जांच करवाये। मुझे ध्यान है कि 1957 में कलझड़े का तालाब टूटा था वह कच्चा था। राजस्थान के अंदर जिन जिन रियासतों के बान्ध बने हुये थे, चाहे उनमें से कुछ पक्के हों उनकी भी एक क्षमता होती है। समय ज्यों ज्यों व्यतीत हुआ वे भी कमजोर होगये। राजस्थान के अन्दर कम से कम बाढ़ आये, कोटा जिले के अन्दर जितने रियासतों के समय के बान्ध हैं, उनकी पानी की क्षमता क्षीण होगई है इसलिये ऐसे सब तालाबों की जांच करवाई जाय। इसके लिये एक स्पेशलिस्ट इन्जीनियर जो विशेषज्ञ हो नियुक्त किया जाय और उसके आदेश के अनुसार उनकी तुरन्त मरम्मत की कार्यवाही की जाय।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कोटा जिले के अदर 15 और 16 अगस्त को चार मुख बान्ध थे वे भर गये उसके साथ साथ यह भी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

स्वीकार किया कि गांधीसागर बान्ध में 15,16 अगस्त को लगभग 54 हजार क्युसेक पानी चढ़ने से उसमें चट्टानों में काफी कटाव आगये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : केवल पूर्वी राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में बाढ़ आयी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कटाव होने के कारण खतरा दा हो गया है। इसके साथ-साथ बैराज में पानी निकलने के फलस्वरूप उसमें तरेड़ सी आगई है। यदि कोटा बैराज को तरा हो गया, तो उससे सारे का सारा कोटा ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी सैकड़ों गांव हैं वे सब तबाही के शिकार हो जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मंत्री महोदय से कि इस चीज को हल्केपन से न लेकर, ज्यादा सतर्क होकर कोटा राज के चट्टानों में जो कटाव है बान्ध में ब्रीच हुआ है, वह टूटने न पाये, उसके लिये जल्दी से जल्दी जितने धनकी आवश्यकता हो वह उपलब्ध कराकर उसकी मरम्मत की जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ रियासतों के समय के जो बान्ध बने हुये हैं, तालाब सिंचाई के बने हुए हैं उनमें से कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के है उनकी जांच करायी जाय ताकि जिन बान्धों में कमजोरियां आगई हैं, उनको ठीक करके- उनको मजबूत बनाया जा सके, इसलिये जांच कराना आवश्यक है।

अब राज्य सरकार जिस समय बाढ़ आती है, उस समय सहायतार्थ पैसा देती है, उसका भी सही वितरण नहीं होता है। सिंचाई मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि कोटा जिले में बाढ़ के कारण जहां हजारों एकड़ भूमि पर फसलें थीं वह नष्ट होगई हैं, उन लोगों को लगान माफ कर दिया जाय। इसके साथ साथ कर्जे की वसूली नहीं की जाय, कम से कम एक वर्ष ही नहीं पांच साल के लिये कर्जे की वसूली रोक ली जाय। और उनको खरीफ की बुवाई के लिये साधन उपलब्ध कराये जायं, बीज और खाद सही समय पर दिया जाय, ताकि वे कृषि में जुट सकें। इस बाढ़ के कारण हजारों मवेशी बह गये। इसका भी किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जिन जिन इलाकों के अन्दर बाढ़ के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गईं, उनको मुआवजा दें। इसमें लगान वसूल न करने से काम नहीं चलेगा। लगान उस क्षेत्र में माफ ही कर दिया जाय और कर्जे की वसूली पांच साल के लिये रोक दी जाय। और खाद और बीज सरकारी स्तर पर पहुंचाया जाय।

(3.30 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कोटा जिले की काली सिन्ध नदी में बाढ़ के कारण शाहबाद सड़क जो राष्ट्रीय यातायात मार्ग है, वह इस नदी में आई बाढ़ के कारण टूट गई है। बारां और अन्ता की सड़क टूट जाने से रेलेवे की पुलियायें भी टूट गईं। इस तरह से सड़क और रेल यातायात दोनों रुक गये। मैं इस बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा-शाहबाद राष्ट्रीय मार्ग है, उसके ऊपर दो नदियां काली सिन्ध और पार्वती

(देवीदत्त गाड़िया)

गुजरती हैं, पुलियायें नीचे हैं और पानी उसके ऊपर से बहता है, इस कारण पानी फैल जाता है। इस तरह से इस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव अधिक से अधिक होता जा रहा है। इससे कृषि भूमि भी बकार होती जा रही है। काली सिन्ध नदी पर पुल बनवाने की योजना राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी थी और उसकी स्वीकृति भी हो गई थी। 61-62 मे उस पर बड़ा पुल बनाने के लिये पार्वती नदी पर साठ लाख रुपये स्वीकार किये थे। चाइना एग्रेशन के समय यह योजना स्थगित करदी थी। लेकिन आये दिन काली सिंध और पावर्ती नदी में फ्लड आते हैं। पुल नीचे होने के कारण पानी निकल नहीं पाता तो मैं सार्वजनकि निर्माण मंत्री से कहूंगा कि काली सिंध और पावती नदी के पुलों को जो कोटा-शिवपुरी मार्ग पर है, बड़ा बनाया जावे।

बाढ़ के कारण कोटा जिले में जितने आवागमन के साधन सड़कें वगैरह खराब हुए हैं उनके लिये म आशा करता हूं कि आप यह घोषणा करेंगे कि जितनी सड़क फ्लड के कारण टूटी है उनका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करा दिया जावेगा।

बारां के निकट आपने 54 म बान्ध बनाया था लसाड़िया गोपाल पुरा ग्राम के पास, मुझे याद है उसका उदघाटन उस समय के विधान सभा के अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी ने किया था। वह बान्ध बाद में दो चार सालों में टूट गया उसको आज तक वापिस आपने ठीक नहीं कराया जिससे हजारों बीघा में सिंचाई होना बन्द हो गया। उसे आप देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि पुरानी रियासतों के समय के जो कच्चे पक्के बान्ध बनवाये गये थे, उनमें आज कहीं मिट्टी भर गई है तो कहीं टूट गये हैं, फट गय हैं। आप उनकी जांच करावें ताकि जो बचे हैं वे टूट न पावें और जो टूट-फूट गये हैं वे दुरुस्त हो जावें। उनकी मरम्मत के लिये पैसा दें ताकि वे ठीक हों तो बाढ़ भी आनी कम हो और विस्तृत पैमाने पर बाढ़ आने के कारणों की भी जांच कराकर उनको दूर करने का प्रयत्न करें। नदियों में बाढ़ आने के कारण कटाई जमीन की भी बहुत हो रही है, तो उसके लिये भी जांच कमेटी आप बिठावें। उसकी रिपोर्ट आवे तो उस पर मनासिब कार्यवाही करें और सदन की मेज पर रक्खें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय सभापतिजी, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने दो बातें रक्खीं। एक तो यह कि भरतपुर म बाढ़ रोकने के लिये कितना काम किया गया, क्या खर्चा हुआ और इसके बावजद भी बाढ़ का आना बन्द क्यों नहीं आ? और दूसरी यह कि नीचे के विभाग के लोगों न और इन्जीनियरों वगैरह ने काफी बईमानी की है और भ्रष्टाचार किया है, जिससे जितना काम होना चाहिय और जसा होना चाहिये वह नहीं हुआ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिय निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से पिछले साल और इस साल दो सालों म लगभग 273 काम बाढ़ रोकने के लिए और पुराने कामों को रेस्टोर

Page No 125

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

करने के लिए हाथ में लिये, जिनमें लगभग एक करोड़ का खर्चा हुआ। इसके साथ ही साथ नये काम भी हाथ में लिये। दोनों पर मिलाकर 1½ करोड़ रुपया भरतपुर जिले में बाढ़ को रोकने के लिये और बान्धों को रेस्टोर करने और मरम्मत में खर्च किये और अब लगभग 50 लाख का और खर्चा होना बाकी है।

जो योजना भरतपुर जिले में बाढ़ रोकने के लिए बनाई थी वह पूरी हो गई। इस तरह काफी प्रयत्न किया है।

अब जो आरोप भ्रष्टाचार और बेईमानी के लगाये उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि इस तरह के कोई भी स्पेसिफिक केस किसी के भी विरुद्ध सामने लाये जावेंगे तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्यवाही जो भी हो सकती है करेंगे।

अब एक प्रश्न यह आता है कि सवाई माधोपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने और सीकर जिला से आने वाले नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं कि सवाई माधोपुर में जब इतना पानी है इतनी बाढ़ आती है तो हमारे यहां पर क्यों नहीं बान्ध बनाये जाते हैं? दूसरी तरफ भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाढ़ भी आनी चाहिये, पर बाढ़ से किसी को नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। दोनों सवाल एक दूसरे से परस्पर विरोधी हैं और बड़े डेलीकेट पॉइन्ट भी हैं। भावनाओं का प्रश्न भी इससे जुड़ा है। मैं इस समय कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहता। यह विचारा जा सकता है कि इसमें किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए, क्या क्या किया जा सकता है क्या नहीं। पर इसके लिये अभी तहकीक तौर पर कुछ नहीं कह सकाता।

दूसरा यह बताया गया कि यहां के नुकसान को देखते हुए जो 25 हजार की मदद दी जा रही है वह कम है। चाहे भरतपुर जिला हो, भीलवाड़ा हो चाहे कोटा जिला हो जहां कहीं भी सक्शन दी है, ये एडहॉक सक्शन है, क्योंकि सक्शन के दिन तक हमारे पास पूरी सूचना नुकसान की नहीं पहुंची थी और जो असैसमेन्ट होना चाहिये था, वह भी नहीं हुआ था। इसलिये हमने यह तात्कालिक सहायता के लिये एडहॉक रूप से सैंक्शन दी है या दी जा रही है। पर ज्यों-ज्यों डिटेल्ड एस्टीमेट रिपोर्ट आती जावेंगी, त्यों-त्यों अधिक मन्जूरियां जहां जहां आवश्यक होंगी देंगे चाहे वह गिरे हुए मकानों को सबसीडाइज करना हो, चाहे बीज के लिये हो। जो भी सरकार की नीति है, उसके अनुसार मन्जूरियां दी जावेंगी। इस समय की मन्जूरी से यह नहीं समझना चाहिये कि आग और नहीं दे । दिस इज नॉट लास्ट सक्शन। इसलिये इस बारे में सदस्यों की शंका दूर कर देना चाहता हूं।

सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो तालाब टूटे हैं, उनकी रिपेयर होनी चाहिये और उनमें पानी बिलकुल नहीं रहेगा इस लिये पानी की कमी महसूस होगी। जो सिंचाई विभाग के 6 बन्ध टूटे हैं, बाकी सब में आज की तारीख में भी पानी है और दो को छोड़कर सबको वापिस रेस्टोर भी कर दिया गया है। जो नहीं हुए हैं उनके रेस्टोरेशन की कार्यवाही चालू है। पर जब इतने बड़े पैमाने पर बाढ़

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

आई है और कई जिलों में आई है, तो सबको एक ही साथ थोड़े दिनों में रेस्टोर नहीं कर सकते, इसलिये इसके लिये योजना और एस्टीमेट बनाने पड़ेगे और सैंक्शन भी लेनी पड़ेगी और धन की उपलब्धि होने पर ही बाकी का काम पड़ा है, उसको पूरा कर सकेंगे। इसके लिये पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री श्रवणलाल : छः बान्ध टूटे हैं। पांच की आपने मरम्मत कर दी है। पर जो पंचायत समितियों के तहत बान्ध आते हैं,जो छोटे छोटे हैं उनका आप क्या करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : आप मझे पूरा सुनें तो सही।

पंचायत समितियों के बान्धों के लिय गये साल भी राजस्थान में जो फ्लड से खराब हुए थे 50 लाख की मन्जूरी दी गई थी और उनसे पंचायत समितियों के बान्धों की मरम्मत की गई थी। इस साल भी बान्धों को, कौनसे टूटे हैं, कौनसे नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट राज सरकार के पास डिटेल म आई नहीं है। आने पर उनके नुकसान का एस्टीमेट करके उनको रेस्टोर करने में क्या रुपया दे सकेंगे, इसके बारे में मांग की जावेगी भारत सरकार से प्लानिंग कमीशन से और फाइनेन्शियल कमीशन से। मांग होने पर और धन के उपलब्ध होने पर जिस किसी एजेन्सी द्वारा काम किया जाना होगा, किया जावेगा। आज तत्काल उनकी मरम्मत शुरू कर देना, मेरे हाथ की बात नहीं है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि बरसात का बड़ा दौर निकल गया है, पर अब यह नहीं कह सकते कि कितनी बरसात और होने वाली है। पर यह मानकर चल सकते है कि मुख्य सीजन तो समाप्त हो चुका है। तो अब अगर उन तालाबों को शीघ्र ही नहीं ठीक किया गया तो उन लोगों का क्या हाल होगा जिन लोगों का पानी पीने का और मवेशियों को पिलाने का एकमात्र वे ही साधन है। ऐसी स्थिति में सरकार को कहीं से भी धन जुटाना होगा।

श्री सभापति : आपका आशय मंत्रीजी समझ गये हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं ऐसा कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। जब धन की उपलब्धि होगी। पंचायत समिति का विभाग है, संबंधित विभाग है जिसके द्वारा धन की सहायता दी जानी चाहिये उससे बाकी संबंधित विभाग काम कर सकते हैं। धन उपलब्ध होने पर तत्काल इसका काम शुरू कर दिया जायगा और वर्षा का पानी रोक दिया जायगा। सवाई माधोपुर जिले.....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं है, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, ठीक है परन्तु सवाल यह है कि उन बान्धों को नहीं रोका गया और ठीक नहीं किया गया तो पानी कैसे रुकेगा। पानी की आगे की स्थिति क्या होगी, मवेशी भी उन्हीं से पानी पीते हैं। दो तहसीलों की बात है, गंगोत्री और नादोती—वहां पर इस प्रकार

(श्री श्रवणलाल)

के तालाब हैं कि आदमी भी पानी पीते हैं और मवेशी भी पानी पीते हैं। इसकी किसी तरह मरम्मत कराई जाय। यह जो वर्षा होने वाली है, वह पानी निकल जायगा।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : यह 50 की जो संख्या बताई नाड़ियों की, गांवों के जो तालाब हैं जिनका लुक आफटर गांव वाले करते हैं—सिंचाई विभाग उनको रेस्टोर करें यह सम्भव नहीं है। पंचायत समितियां हैं वे करेंगी। गये साल 50 लाख रुपया पंचायत समितियों के साधनों के लिये दिया था, उनके साधनों की कमी होने की वजह से कोशिश करके फ्लड से टूटे हुए तालाबों की मरम्मत हेतु दिये गये थे—वैसी कोशिश की जा सकती है लेकिन मैं सिंचाई विभाग की ओर से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं, आप चाहे कितना ही कहते रहें।

सवाई माधोपुर का जो तालाब टूटा पांचोलास, उसके लिये माननीय सदस्यों ने कहा क्या यह उसी जगह से टूटा है जहां पहले टूटा था या किसी और जगह से। 1957 में जब यह तालाब बन रहा था एक बार टूटा था। इस बार जो ब्रीच हुआ वह उस स्थान पर नहीं हुआ है, दूसरी जगह हुआ है। हमने इसको रेस्टोर करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसमें पानी भरा हुआ है। इसको रेस्टोर करेंगे क्योंकि यह सिंचाई विभाग का तालाब है। इसकी माननीय सदस्यों को चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कोटा बैराज को खतरा पैदा हो गया है, आवश्यक कार्यवाही की जाय। मैं माननीय सदस्यों के लिये यह जानकारी देना चाहता हूं कि कोटा बैराज को ऐसा खतरा नहीं हुआ है, जिससे आपको और हमें चिन्ता करनी है। बाढ़ आती है कुछ डेमेजेज होना स्वाभाविक है लेकिन ऐसा खतरा नहीं है जो आपको अधिक चिन्ता करनी पड़े। फिर भी जो आवश्यक कार्यवाही सरकार की ओर की जानी चाहिए उसके लिए हम जागरूक हैं।

सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने काली सिन्ध पिकअप वैयर और उजाड़ नदी के बाढ़ के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कालीसिन्ध पिकअप वैयर पर और उजाड़ नदी पर एक करोड़ के साईमन बने हुए हैं। अगर वहां पर खतरा आ जाय तो वहां पर पहुंचने के लिये कोई अप्रोच नहीं, कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में यह बात सही है। लेकिन बरसात के दिनों में मिट्टी काली होने की वजह से अप्रोच बन्द हो जाती है इसलिये समय पर खतरा हो जाता है इसलिये यह सड़क पक्की हो जाती है तो रास्ता मिल जाता है और रास्ता तो मैं जब अभी मौके पर गया था तो मैंने इसकी आवश्यकता को महसूस किया था। जो सर्विस रोड है केनाल की उसको पक्की करने की कार्यवाही करेंगे, जिससे यह सुविधा मिल सके। आपने कई सुझावों के बीच में यह भी कहा कि सोइल इरोजन होता है यह सही है कि यह गंभीर समस्या है, लेकिन इस गंभीर समस्या के होते हुए, मैं अपने विभाग की ओर से कुछ मदद नहीं कर सकता। संबंधित विभाग इस काम को करा सकते हैं, आवश्यकतानुसार जहां जरूरत होगी, मैं इसमें कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जहां जहां

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर सैंक्शन की है वहां पर डिटेल सूचना प्राप्त होने पर और आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धि पर जो भी राहत पहुंचाने का निर्णय है, निश्चय है या पहुंचानी है, उसको पहुंचाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : } एक साथ खड़े होकर बोलने पर
श्री जुझारसिंह :

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। काली सिन्ध पिकअप वैयर बनने के बाद यह चौथी या पांचवीं बार टूटा है। यह पुरानी जगह से टूटता है और जो डाऊन स्ट्रीट विलेजेज हैं जैसे राजगढ़ जो अभी आपने रियेलाईज किया—आगे भी टूटने की सम्भावना है तो इसको एक बार खाली करा कर नये सिरे से नहीं बनायेंगे? इसका आपने कोई परमानेन्ट सोल्यूशन सोचा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस मसले को हमने इंजीनियरों से डिसकस किया था यह बात सही है, इसका पुराना स्ट्रक्चर जहां से टटा हैं इसके पास वाला स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। हमने निर्णय किया है, इसमें गेट्स लगायेंगे जैसा राणा प्रताप सागर बान्ध में हैं। फ्लड गेट्स लगायगे, जहां पानी रोकना चाहें, रोका जाय और जहां पानी निकालना हो, निकाला जाय ताकि यह रेगूलेट हो जायगा और जो टूटने की शिकायत आती है वह नहीं होगी। इसका डिटेल ऐस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और इस काम को हम हाथ में लगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल!

श्री कृष्णकमार गोयल : क्या राज्य सरकार ने यह पहली बार अनुभव किया है कि गान्धी सागर पर जो लेवल बढ़ा है, वह हमेशा हाईएस्ट रहता है। क्या राज्य सरकार इस अनभव के आधार पर गान्धी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बराज, क्या इनके डिजाईन पर परिवर्तन करने का विचार करती है? इन अनुभवों के आधार पर क्या....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह पहली बार अनुभव नहीं है। इस समय 1303.03 गान्धी सागर का हाईएस्ट लेवल रहा है, इसके बनिस्बत पहले 1963 में 1308 पाइन्ट कुछ रहा था, इसलिये यह कोई मेक्सि-मम लेवल जिस पर पहुंचना चाहिये नहीं है, बल्कि इसकी क्षमता 1312 है, इसलिये क्षमता में चेन्ज करना, यह प्रश्न सामने नहीं है। सवाल तो केवल इतना है 8 बजे से 4 बजे 12 घंटे में या 24 घंटे में लोकल केचमेंट और एम०पी० का केचमेंट में हेवी रेनफाल हुआ है इसलिये 12, 14 फीट पानी बढ़ गया। अभी न तो गान्धी सागर को खतरा हुआ है, न राणा प्रताप सागर को और न कोटा बैराज को। हमको अभी यह करना है कि कोटा बैराज को खाली करने के लिये गान्धी सागर के पानी को ले सकें और 65 हजार क्यूसेक के हिसाब से बाहर निकालें। उसमें जोड़ों में पानी पड़ने से कुछ खड्डे पड़ जाते हैं। कोटा बराज को खतरा नहीं है, लेकिन आयन्दा यह चीज नहीं हो, इसलिय हमको उन कामों के स्ट्रक्चर को देखना है।

श्री रामकिशन : यह एक जगर बान्ध है हिन्डौन में है । क्या राज्य सरकार यह नहीं समझती है कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाय ? गान्धी सागर में पानी नहीं आता है, तो भरतपुर में पानी का बहाव कम हो जाता है । यह ईरीगेशन में काम आ सकता है । इसलिये जगर बान्ध की कैपेसिटी को बढ़ाया जाय ।

दूसरा यह ह कि सड़कों के संबध में आपने तो अपने डिपार्टमेन्ट की बात कह दी, लेकिन सड़कें टूटी हैं और हर साल टूटती हैं उनका क्या है ?

तीसरी बात यह है कि गम्भीरी के सिस्टम पर क्या खर्च किया है आपने टोटल खर्चा तो भरतपुर का ठीक बताया लेकिन गम्भीरी फ्लड लेता है, उसमें कितना खर्च किया है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : सारी सूची की सूची मैं आपको दे दूंगा । मैं कहां जोड़ता फिरू ? यह थोड़े से समय में नहीं हो सकता । मेरे पास सूची है और जगर के बांध के बारे में जो सवाल रखा है We will examine it if it can be raised.

श्री रामकिशन : आप हिन्दी में बता ताकि रेकार्ड में आ जाय । मुझें गांव वालों को जाकर बताना है ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : इसकी कैपेसिटी बढ़ सके चाहे वह ऊंचा करने से, चाहे फ्लड गेट लगाकर उस मामले को हम एग्जामिन करेंगे । जांच पड़ताल करेंगे और यह सम्भव हुआ तो हम काम को करेंगे ।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न है कि जो एरियाज फ्लड के लायेबल हैं और जिनमें सम्भावना हमेशा बनी रहती है, उनके लिए प्रिवेन्टिव मेजर्स लेने के लिये कुछ नहीं कहा आपने ? मैंने यह भी कहा था । कहीं कैचमेन्ट में बरसात हो जाये, उसके लिए प्रिवेन्टिव स्टैप्स क्या लिये जायेंगे यह बता दें ।

दूसरे जैसा अभी रामकिशनजी ने कहा कि आपके डिपार्टमेंट के लिये तो आपने कह दिया, लेकिन टोटल ओवरआल प्रौबलम है, सड़कें भी टूटी हैं और दूसरे डेमेजेज भी हुए हैं । इसलिये उनके बारे में क्या कुछ सहायक हैं, उसके लिये भी कह दें ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैंने कहा था कि लगभग 1 करोड़ रुपये का अन्दाजा है सड़कों के टूटने से नुकसान का । डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेन्ट के पास आयेगी तभी पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर कुछ कहेंगे ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैंने सिरवालू बांध और मउ का बांध के बारे में कहा था कि उनको रेज कर दिया जाये, तो उनकी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा पानी भी मिलेगा और इसके अलावा बाढ़ में भी सहायक होगा ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : सभापति महोदया यह सुझाव सब अच्छे हैं, लेकिन फ्लड की बहस को तो यहीं समाप्त कर दिया जाय, और यह जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं; मैं फिर उनसे प्राप्त करता रहूंगा और आवश्यक कार्यवाही करता रहूंगा । मेरे ख्याल से बहुत काम बाकी है ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मैंने झालावाड़ और झालरापाटन...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, इस तालाब में पानी रोकने के लिए मुझे झालावाड़ और झालरापाटन के लिए कहा था। उसके पानी रोकने की व्यवस्था कर दी गई है और उसमें पानी रुकेगा ?

दूसरे तालाब में काम होने वाला है। लेकिन एक तालाब में पानी रुकेगा तो मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है और उस पर काम शुरू कर दिया गया होगा।

संविधान के बाईसवें संशोधन पर विचार

श्री सभापति : श्री बरकतुल्ला खां।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा-पारित संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 द्वारा भारत के संविधान में, उसके अनुच्छेद 368 के परन्तुक के क्षेत्रान्तर्गत किये जाने हेतु प्रस्थापित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय विधि मंत्री महोदय ने एक यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत 22वें संविधान संशोधन विधेयक, 1969 जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, उसके अनुमोदन की दृष्टि से इस सदन की स्वीकृति चाही है।

सभापति महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक के अधीन हमारे देश में स्वतन्त्रता के पश्चात, जिस प्रकार राज्यों की रचना की गयी थी और उस रचना में सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के पश्चात् और उसके प्रतिवेदन पर लिए गए निर्णयों के पश्चात जिस प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया, उसके अलावा आसाम राज्य के अन्तर्गत पहाड़ी इलाकों का एक अलग राज्य बनाने का प्रश्न इस संविधान संशोधन विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिकार देने का प्रश्न आया है।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी मिलने के बाद इन 22 सालों में हमने हमारे देश के संविधान में 22 बार संशोधन किया है। प्रति वर्ष एक संशोधन यह उसका एवरेज आता है। मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी मुल्क में उस देश के किसी भी संविधान में इतने संशोधन इतने अल्पकाल में करने पड़े हों। यह हमारी कांग्रेस पार्टी और देश में जो पिछले 22 सालों से जो केन्द्र पर राज्य करती आई है उस लोगों की अदूरदर्शिता का परिणाम है कि वे देश के संविधान में आये वर्ष एक संशोधन करते आये हैं और अब जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालात में तो यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के सन् 67 के आम चुनावों के परिणामों के पश्चात देश में जो हालात पैदा हुए हैं और देश के विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार गैरकांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ है और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न गैरकांग्रेसी सरकारें और केन्द्र में कांग्रेसी सरकार के मध्य जिस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए हैं, उन सारे विवादों के बीच देश में अब यह महसूस किया जाने लगा है कि हमारे देश के लिये एक नये संविधान की आवश्यकता है। हमारा यह फैडरल कान्सटीट्यूशन हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सका है और मैं यह समझता हूं कि हमारे देश की बदलती हुई परिस्थितियों में हमें हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था को बदलकर और इस फैडरल स्ट्रक्चर को बदल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर एक यूनीटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक नये संविधान की आवश्यकता है।

देश के हालात सभापति महोदय, जिस प्रकार से बदलते जा रहे हैं, उन हालातों में आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले 22 सालों में कांग्रेस ने जिस प्रकार की नीतियां इस देश में अपनाई, उसी का यह परिणाम है कि आज देश की आजादी खतरे में है, आज देश विघटन के कगार पर खड़ा है, आज देश में पृथकतावादी शक्तियां जोर पकड़ती जा रही हैं, देश की सीमायें हमारी सुरक्षित नहीं हैं, देश में अराजकता की स्थिति है, शांति और व्यवस्था का नाम नहीं है–इन सब हालात में यह प्रश्न पैदा होता है कि आया हमारे देश का यह संविधान जो हमने 26 जनवरी, सन् 1950 को देश में लागू किया जिसको देश की संसद ने स्वीकार किया, वह पिछले 22 सालों की कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं ? मैं समझता हूं, सन् 1967 के आम चुनावों के पश्चात, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनमें यह मांग जोर पकड़ती जा रही है और मैं समझता हूं कि इस मांग में वजन है कि हमें हमारे देश में एक नये संविधान की आवश्यकता है और वह नया संविधान देश की परिस्थितियों के अनुरूप हो, देश का विधान देश को प्रगति पर ले जा सके, देश का विधान देश की आजादी को अखंडित रख सके, देश की एकता को बनाये रख सके और देश के 22 करोड़ लोगों को अग्रसर कर सके। इस प्रकार के नये विधान की आवश्यकता है और इसलिये मैं इस अवसर पर इस मांग को दोहराता हूं कि हमारे देश के शासन के संचालन के लिये, हमें भारत के नये संविधान की आवश्यकता है और इस संविधान के निर्माण के लिए हमको लोकसभा और संसद से एक एक्सपर्ट हाई पावर कमीशन बैठाना चाहिए जो कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए देश में फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेन्ट के स्थान पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेन्ट स्थापित करने के लिए एक नये प्रकार के विधान का निर्माण करे।

(4 म० प०)

सभापति महोदय, मैं समझता हूं आज हमारे देश में जिस समय हमारे देश में हमको आजादी मिली, जिस समय मुल्क आजाद हुआ, हमारे देश का विभाजन हुआ, इस हिन्दुस्तान में, दुर्भाग्य से कांग्रेस ने इस देश का विभाजन स्वीकार किया, मुल्क के दो टकड़े हुए, उसके कारण जो बरबादी हुई, उस बरबादी की ओर मैं सदन का ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं। जो झगड़े हुए उस अवसर पर उस की ओर नहीं ले जाना चाहता और मुल्क में झगड़े होने के कारण किस प्रकार की इस देश की बरबादी हुई है, लेकिन, सभापति महोदय, यह बात निश्चित है कि सन् 47 से सन् 1956 के बीच में जिस समय राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया था, और 56 में जिस समय स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन का निर्माण किया और जिस समय उसका प्रतिवेदन आया और जब उसे स्वीकार किया गया और जब हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों का हमने पुनर्निर्माण राज्यों के आधार पर किया तो अनेक राज्यों में झगड़े पैदा हुए अपने अपने राज्यों में। भाषावार राज्यों का निर्माण करके भाषाओं की समस्या को, उलझनों में डाल दिया। भाषाओं की समस्या के आधार पर राज्यों में झगड़े पैदा कर दिये। हिन्दुस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समय में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भाषावार राज्यों के निर्माण पर भाषाई दंगे हुए, झगड़े हुए और भाषा के सवाल को लेकर लोगों में आत्मदाह की स्थिति पैदा हुई, लोग सुसाइड करने को तैयार हो गये। हिन्दुस्तान के राज्यों में जो झगड़े इस प्रकार पैदा हुए इसका एकमात्र कारण था कि जिस प्रकार से राज्यों का निर्माण किया गया था वह राज्यों का निर्माण साइन्टिफिक और राशनल नहीं था। सभापति महोदय, आज देश में यह मांग भी प्रबल होती जा रही है कि हमने भाषावार राज्यों का निर्माण करके बहुत भारी भूल की है।

इतना ही नहीं, सन् 1956 में जिस समय हमारे देश में, सभापति महोदय, भाषावार राज्यों का निर्माण किया गया, वे बनाये गये उसके बाद बम्बई और गुजरात का झगड़ा खड़ा हुआ। उसके बाद भी राज्यों का पुनर्गठन हो गया, देश में भाषावार राज्यों का निर्माण हो गया, उसके बाद भी अलग अलग राज्य निर्माण करने की मांग जोर पकड़ती चली गई, विघटनकारी और पृथकतावादी नीतियां देश में जोर पकड़ती चली जा रही हैं। केन्द्रीय हुकूमत और कांग्रेस नेतृत्व पृथकतावादी नीतियों के सामने घुटने टेकती हुई चली गई। मुझे याद है कि जिस समय प्रधान मंत्री जवाहरलालजी नेहरू थे और जिस समय पंजाब के विभाजन की मांग की गई थी उस समय पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने कहा था कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा और किसी भी कीमत में नहीं होगा। उसके बाद स्वर्गीय लालबहादुरजी शास्त्री ने कहा था कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा, देश के टुकड़े और नहीं होंगे। पंडितजी चले गये, लालबहादुरजी चले गये और इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा का निर्माण हुआ, नागालैण्ड हुआ। बड़े बड़े राज्यों में से छोटे छोटे राज्य बने। अलग अलग राज्य बनाये जायें, इस प्रकार की स्थिति नागालैण्ड में पैदा हुई। उसके सारे तथ्यों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि 22 साल पहले जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली तो इसके दो टुकड़े हुए। दुनियां के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि आजाद होने के बाद किसी देश की सीमाएं घटी हों। वह केवल दुर्भाग्य, की स्थिति हिन्दुस्तान की है कि केन्द्र में कांग्रेस की हुकूमत में हिन्दुस्तान की सीमाएं सिकुड़ी हैं। आज हिन्दुस्तान की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा कि आजाद होने के बाद जिसकी सीमाएं सिकुड़ी हों। यह बदकिस्मती हिन्दुस्तान की है कि जिसकी सीमाएं सिकुड़ी हैं।

आज हिन्दुस्तान में जिस तरह की हालत पैदा हुई है, उस हालत के अन्दर राज्यों में झगड़े पैदा हो गये। आसाम के टुकड़े हुए, जिसके लिए संविधान में यह संशोधन का विधेयक लाया गया है, जिस पर कि आज सदन विचार कर रहा है। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात जो आसाम का राज्य बना तो राज्य के अन्दर रहने वाले लोगों ने जो पहाड़ी लोग थे और जो मैदानी इलाके के लोग थे, तो पहाड़ी इलाके के लोगों ने यह मांग की कि उनके अलग अलग राज्य बनने चाहिएं, हमारी ऑटोनामस स्टेट होनी चाहिए जो असम से अलग होना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार की सिचुएशन थी उसको मिसहैन्डिल किया, जिस प्रकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की सारी स्थिति थी उसको जिस प्रकार से सम्हालना चाहिए था उसको सम्हालने में अपनी असमर्थता प्रकट की। परिणामस्वरूप आन्दोलन जोर पकड़ता गया, हिन्सात्मक कार्यवाहियां हुईं, अशान्ति और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। नतीजा यह हुआ कि इसी केन्द्रीय सरकार ने ऑटोनामस स्टेट की व्यवस्था की, राज्य के अन्दर राज्य की नीति का समर्थन किया, राज्य के अन्दर राज्य बनाने की नीति का परिपालन किया, राज्य के अन्दर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार किया। नतीजा यह हुआ कि देश के संविधान को 22 साल पहले बनाने की प्रक्रियाएं की प्रारम्भ की गई थी जिसको सन् 1950 में लागू किया उसमें राज्य के अन्दर राज्य बनाने की व्यवस्था नहीं की गई थी, एक राज्य के अन्दर दूसरा राज्य होगा इस प्रकार से राज्य के अन्दर राज्य होने की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी। इसीलिए अब इस संविधान में संशोधन किया जा रहा है कि आसाम राज्य में छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों का राज्य अलग से बनाया जाय जिस राज्य में गारो हिल्स होगी, युनाइटेड खासी और जयन्तिया हिल्स होगी, और बाद में जाकर युनाइटेड मीजो हिल्स और शामिल की जायगीं। इस प्रकार की प्रक्रिया हमने आसाम के सिलसिले में जारी की। परिणाम क्या हुआ? पिछले 22 साल से कांग्रेस का नतृत्व जितना कमजोर रहा, पिछले 22 साल से केन्द्र में जिस प्रकार की हुकुमत कमजोर रही, कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार की जो घटना-टेक नीति रही इसका परिणाम यह हुआ कि इस वक्त तेलंगाना का आन्दोलन चल रहा है। तेलंगानावासी आन्ध्र से अलग होने की मांग कर रहे है और वहां पर हिन्सात्मक कार्यवाहियां हो रही हैं। बसें जलाई जा रही हैं रेलवे रोकी जा रही हैं, पोस्ट ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है हिन्सा की अनेक घटनाएं तेलंगाना के क्षेत्र में हो रही हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हिन्सात्मक कार्यवाहियां इस देश में कांग्रेस के नेता करा रहे हैं। अहिंसा की बात करने वाले गांधीजी के नाम को लेने वाले तेलंगाना का अलग राज्य निर्माण कराने के लिये सारे हिन्सात्मक आन्दोलन का नतृत्व कर रहे हैं। यह सारा कांग्रेस के लोग करा रहे हैं, कांग्रेसी नेता करा रहे हैं आपसी वैर वैमनस्य और राजनैतिक विद्वेष के कारण सारे देश में हिन्सा का वातावरण बना रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अगर देश में किसी के ऊपर है तो वह कांग्रेस के नेताओं पर है जो अपने निहित स्वार्थों के लिये राज्य के छोटे-छोटे टुकड़े करा रहे हैं और झगड़ा पैदा करा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति, जैसा कि आसाम में पैदा हुई आन्ध्र में चल रही है। इसी स्थिति विदर्भ का अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही हैं। इस प्रकार का आज 6-7 वर्षों से मामला चल रहा है। इस प्रकार की मांग 6-7 वर्षों से चल रही हैं। इस प्रकार की मांग पंजाब और हरियाणा में हुई और कांग्रेस की हुकुमत ने अपने घुटने टेक दिये। नागालैण्ड का राज्य बना और आसाम में राज्य के अन्दर राज्य बना, और तेलंगाना का राज्य भी बनकर रहेगा अगर कांग्रेस की हुकुमत देश में बनी रही तो। घुटने टेक की नीति के कारण, कमजोर नीति के कारण, कम्प्रोमाइज के एटीट्यूड के कारण, आज हिन्दुस्तान में यह स्थिति पैदा हुई है।

सभापति महोदय, इसका एक परिणाम यह हुआ कि हरियाणा में विशाल हरियाणा की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बात चल रही है। यह मांग चल रही है कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े किये जायं। उत्तर प्रदेश कुमाऊं हिल्स का जो इलाका है उसका अलग राज्य बनाया जाय। उत्तर प्रदेश के जिलों को हरियाणा में मिलाकर विशाल हरियाणा की मांग की जा रही है। राजस्थान के गंगानगर और भरतपुर जिलों को मिलाकर विशाल हरियाणा बनाया जाय। इस प्रकार की पृथकतावादी नीति आज पनप रही है। पिछले 22 साल से केन्द्र ने जो कमजोर नीतियां अपनाई हैं, जो सन्तुष्टिकरण की नीति अपनाई है, जो अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई है, जो वायोलेंट एक्टीविटीज के सामने घुटना टेक की नीति अपनाई है, उसका नतीजा यह है कि हर राज्य के अन्दर राज्य बनाने की कोशिश हो रही है, राज्यों के टुकड़े करने की कोशिश हो रही है, और यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि अगर इस प्रकार से कांग्रेस की हुकुमत केन्द्र में बनी रही तो जिस प्रकार की स्थिति पिछले गत कुछ दिनों से दिखाई पड़ रही है मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। उससे हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा है, हिन्दुस्तान की एकता को खतरा है, और हिन्दुस्तान की प्रगति को तो खतरा ही पैदा नहीं होता है।

इस राज्य में भी, सभापति महोदय, मुझे दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि आज राजस्थान में यह मांग जोर पकड़ रही है और उसका नेतृत्व राजस्थान की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। स्पष्टतया यह बात सही है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में जो, पिछले दिनों रीजनल असन्तोष पैदा हुआ है, क्षत्रीय असन्तुलन पैदा हुआ है, राजस्थान के निवासी यह कहते हैं कि राजस्थान के विकास के नाम पर केवल एक क्षेत्र में ही जितना खर्च किया जा रहा, वह दूसरे क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है, विशेष तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया ने जबसे गद्दी संभाली है तबसे उदयपुर क्षेत्र में जो खर्चा किया गया है, उसकी अपेक्षा जालोर में सबसे कम पर कपिटा खर्च किया गया है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, चूरू जिलों के शिकायत करने के बावजूद यह बात सही है कि राजस्थान की हुकूमत ने पश्चिमी जिलों के विकास के लिए धन नहीं दिया। यही कारण है कि दुर्भाग्य से जब हिन्दुस्तान–पाकिस्तान संघर्ष जिसमें कि हमारी सेनायें विजयी हुई, भारतीय सेना के माथे पर लगे कलंक का टीका जिन्होंने धो दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1965 की लड़ाई में राजस्थान में पाकिस्तान की सेनायें घुस आयीं। राजस्थान में एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। राजस्थान के माथे पर यह कलंक का टीका लगा रहेगा। इसका और कोई कारण नहीं है, उसका यही कारण है कि हमने उस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। वहां पर हमने सड़कों का निर्माण नहीं किया। इसीलिए उस क्षेत्र के रहने वाले लोग विकास की मांग करते हैं। लोग यह मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके के उस क्षेत्र का अलग रीजन बनाया जाये। पूर्वी राजस्थान के लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास की उपेक्षा की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसका दोष वर्तमान कांग्रेस सरकार पर है जिसने क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा किया है। आज राजस्थान एक हो गया है, लेकिन राजस्थानी एक नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों से लगातार

Page No 135

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कांग्रेस शासन चलता आया है । रीजनल लीडरशिप के अलावा राजस्थान के लेबल पर कोई कांग्रेसी नेता बन नहीं पाया है । जो कुछ थे, उनको खत्म कर दिया गया है । यही कारण है, कि जिस प्रकार का राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व पनपा है, उसी का पोषण हो रहा है । इसी कारण राजस्थान में क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हुआ है, हाई कोर्ट आन्दोलन को ही लीजिये, राज्य की जनता को सस्ता न्याय नहीं मिला, सुलभ न्याय नहीं मिला, उसके लिये पूर्वी राजस्थान के लोग आन्दोलित हुए, कांग्रेस हुकूमत यह दावा कर सकती है कि हमने उस आन्दोलन को दबा दिया है । आप कह सकते हैं कि हमने कोटा का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है । लेकिन उसका श्रेय यह हुकूमत नहीं ले सकती है । वहां चम्बल है । रेलवे की बड़ी लाइन है । हमने इस बारे में दिया गया वक्तव्य भी पढ़ा है । आज पूर्वी राजस्थान की इस कांग्रेस हुकूमत ने कितनी उपेक्षा की है । इर्रीगेशन की जयपुर म क्या स्थिति है ? जयपुर म कारखाने नहीं हैं । यह सारी स्थिति यहां पर हुई है । सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस सारी हालत में, यह स्थिति पदा हुई है ।

मैं राजस्थान के टुकड़े करने के पक्ष में नहीं हूं । मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं । लेकिन यह मांग बड़े जोरों से चलाई जा रही है । यदि इस मांग को उठायेंगे जोधपुर के भूतपूर्व एम०पी० सिंघवी कुछ उठाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि दौसा से चुने जाने वाले नवलकिशोर को भी वक्तव्य देना पड़ता है। पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के नाम पर जो राजस्थान में प्रतिक्रिया-वादी नेताओं को बढ़ाया जा रहा है । मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी हालत में यह स्थिति पैदा हुई है । इसका इलाज क्या होगा ? क्या हम संविधान में संशोधन करते जाएंगे ? पिछले 22 सालों में जिस समय आंध्र की बात आयी थी । रामुलू ने बलिदान दिया था । पहले कहा गया कि आन्ध्र नहीं बनेगा । लेकिन निर्णय बदल दिया गया । जनता जब किसी बात की मांग करती है तो उसको मानते नहीं हैं । प्रस्ताव मानते नहीं हैं । प्रस्ताव का कोई असर नहीं है । आप पर प्रदर्शनों का कोई असर नहीं है, शान्त प्रदर्शनों का कोई असर नहीं है । डेपूटेशन जाये तो आप सुनते नहीं हैं । सरकार काग्नीजेंस देती है तब जब वायलेंस होता है । भले ही दबा देते हों । लेकिन हिंसा के बिना सरकार सुनती नहीं है । हिंसा होगी तो सरकार सुनेगी । जनता ने यह समझ लिया है कि सरकार को अपनी आवाज पहुंचानी है तो सरकार हिंसा की भाषा समझती है । इसीलिए जनता इस बात के लिए मजबूर हुई है कि हिन्सात्मक कार्यवाही की जायें । उसके द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व समझ पाता है ।

सभापति महोदय, यह दृष्टिकोण हमारे सामने आता है, इसीलिए सारे संविधान में संशोधन के विधेयक पेश किये जा रहे हैं । इसीलिए समस्याओं का हल होने वाला नहीं है । आसाम में रहने वाले लोग भी पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं । समस्याओ का समाधान होने वाला नहीं है । मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस द्वारा कानून पेश किया जाएगा तो कांग्रेस का जो बहुमत हुआ....

श्री पी० के० चौधरी : टू थर्ड मेंजोरिटी से पास हुआ है ।

Page No 136

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राष्ट्रपति चुनाव से पहले । अभी आगे मामला बढ़ा नहीं है । नये अन्तरात्मावादी....

एक माननीय सदस्य : सर्व सम्मति से होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक नया अन्तरात्मावाद चला है । अब क्या स्थितियां पैदा होंगी ? लेकिन इस गम्भीर संकट से आंख मूंदकर नहीं चलते हैं । अभी वह चीज पिछली कांग्रेस में चलती आयी हैं । जैसे कोई टी०बी० की थर्ड स्टेज में यह कहता है कि वह बहुत स्वस्थ है । कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि हिन्दुस्तान में राज्य करने के लिए हमी पैदा हुए हैं । जैसे अंग्रेजों के जमाने में यह कहा जाता था कि उनके शासन में सूरज अस्त नहीं होता है । आज वह कितना रह गया है । हिन्दुस्तान में टू थर्ड कांग्रेस का राज खत्म हो गया । आप रेल में बैठकर इलाहाबाद को चलें तो रास्ते में कांग्रेस राज दिखाई नहीं देता है ।

श्री पी० के० चौधरी : यू० पी० में कांग्रेस राज आ गया है ।

एक माननीय सदस्य : वह भी टूट जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस का राज्य तो टूट रहा है । यह बात सही है कि जब किसी घर में दादी मरती है तो उम्मीद यह लगाते हैं कि दादी अभी जिन्दा रहे । आप भी यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि दादी मरे नही । लेकिन जब यह कांग्रेस मरने वाली है, अब मर रही है, यह आखि ी सांस ले रही हैं, अब श्रीमती इन्द्रा गांधी भले ही प्रगतिवाद का नारा लगा कर इसको कितना ही आक्सीजन चे देने का प्रयत्न करें । यह आयु का प्रश्न है । आदमी की जब आखिरी सांस निकलती है, तो जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले एक बार तेजी से झपकता है उसी प्रकार आदमी भी मरने से पहले बोलने लगता है । यह आखिरी सांस के पहले अब बोल रही है, लेकिन इस के पर कब्र में लटके हुए हैं, इसकी सांस टटने वाली है, इसकी अर्थी के लिए तैयारी हो चकी है, सब सामान आ चुका है...

श्री हंसराज आर्य : यह गुलशन यों ही रहेगा हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जायेंगे ।

श्री बरकतल्ला खां : प्रगतिवाद आक्सीजन नहीं है, यह तो मैटर आफ टाइम है

श्री हंसराज आर्य : यह गुलशन यों ही रहेगा, हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जायेंगे ।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, यह बता ें, जो जानवर कहा गया है, यह क्या विधान सभा के सदस्यों के लिए कहा गया है ?

श्री हंसराज आर्य : नहीं, नहीं ।

श्री रामकिशन : पटवारीजी ने जो कविता कही है, उसमें अगर जानवर विधान सभा के सदस्यों के लिए कहा है तो नम्बर एक जानवर के कौन हैं ?

श्री केसरी सिंह हाडा : जानवर भी लड़ते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : नखलिस्तान के ऊंट में है इनकी गिनती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, इन सारी हालात के बावजूद भी आप कभी इस बात को मानने वाले नहीं हैं और आपको माननी भी नहीं चाहिए। लेकिन यह बात निश्चित है कि अब जो उम्र कांग्रेस ने पाई है, आज करीब 84 साल की कांग्रेस की उम्र हो गई है, तो यह बात सही है कि 84 साल की उम्र के बाद भी कई आदमी जिन्दा रह सकते हैं लेकिन 60-65 की उम्र के बाद आदमी अपनी इन्श्योरेन्स की पॉलिसी को सम्भालने लग जाते हैं। इसलिए अब आप बीम की पॉलिसी को सम्भाल लीजिये, वैसे तो आपको उसका भुगतान हो रहा है....

श्री दौलतराम सारण : आज कल उसी में लगे हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो रहा है भगतान। अब गोकुल प्रसाद जी आप क्या समझते हैं कि मंत्रिमण्डल में सब आपसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हैं? आपसे ज्यादा काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन काबिल व्यक्ति रह गये और नाकाबिल लोग मंत्री बन गये हैं। आपके जो साथी हैं उनकी भी मैं हालत देख रहा हूं। फिर आप ऐसे ही चीख रहे ह, आपको कोई कैबिनेट में शामिल करने को तैयार नहीं हैं। मूलचन्द जी एडवोकेट हैं, अच्छे पढ़े-लिखे हैं, अच्छा बोल लेते हैं लेकिन इनको कोई कैबिनेट में लेन वाला है? गोकुल प्रसाद जी, आज बीस साल से बठ हैं, लेकिन इनको कोई कैबिनेट में लेने वाला है? गोकुल चन्द जी इतने सालों से यहां बैठे हैं, इनको कोई कैबिनट में लेने वाला है? केवल गिरधारी लालजी को राजी करने के लिए इनको चीफ व्हिप बना कर कुछ सहूलियतें इनको दे. रहे हैं....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कतई नहीं है मंत्री बनने की इच्छा हमारे मन में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है। अब चौधरी साहब की हालत भी खराब है। मैं समझता हूं कि यह हाउस के बहुत एनलाइटन्ड मेम्बर्स में से एक हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इस हाउस के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण है। 1957 और 1962 के बीच में इसी विधान सभा में यह बफर ग्रुप में बैठते थे। इस सदन में विरोधी दल 1957 में इन बैंचों पर बैठता था, उधर रूलिंग पार्टी के लोग बैठते थे, लेकिन एक बफर ग्रुप इन बीच की बचों पर बैठता था, जिनमें चन्दनमलजी थे, बरकत साहब थे, आप थे और बहुत सारे लोग थे। यह बात सही है कि वह बफर ग्रप मिट गया, टूट गया, क्योंकि चन्दनमलजी तो चुनाव में हार गये, बरकत साहब को कैबिनेट में शामिल कर लिया और पी० के० चौधरी अधर में आज भी झूल रहे हैं....

श्री बरकतुल्ला खां : यह आपकी भावना है। हम सब साथी ही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चन्दनमलजी तो चुनाव में हार कर चले गये, लेकिन आपकी हालत भी मैं जानता हूं। क्योंकि नवाब साहब आपकी छाती पर बठे हैं इसलिए आपकी भी हालत खराब है।

श्री बरकतुल्ला खां : नवाब साहब हमारी छाती पर नहीं, हमारे सिर आंखों पर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी राजस्थान से पिन्ड छुड़ाना चाहते हैं, आप भी राजस्थान से चले जाना चाहते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, अखबारों में भी आ रहा था कि आप एम्बेसेडर होकर जा रहे हैं। लेकिन बीच में झगड़ा हो गया, प्रेसीडेंट के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बंट गई, सिण्डीकेट, इंडीकेट का झगड़ा हो गया, और आज आपके सामने भी अंधेरा है। तो क्या आप अन्दाज कर सकते हैं कि कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं वह सब के सब आप लोगों से अधिक काबिल हैं? पी०के० चौधरी कैबिनेट के किसी मिनिस्टर से बीस गुना अधिक कौम्पीटेंट हैं, क्या यह पढ़े-लिखे नहीं हैं? क्या इनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है? क्या यह अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं? यह हिन्दी भाषी नहीं हैं, बंगाल के मोशाय हैं, रसोगोल्ला बोलते हैं लेकिन राजस्थान में आकर इस विधान सभा में जीत कर आये हैं....

श्री बरकतुल्ला खां : यह कांग्रेस की तारीफ है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, प्रान्त का भेदभाव नहीं है, भाषा का भेदभाव नहीं है, रंग का भेदभाव नहीं है, वजन का भेदभाव नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो वजन को भवन बोलते हैं, वह राजस्थान विधान सभा में फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर आये हैं, इन्होंने चुनाव जीतने में संघर्ष किया है, उसके बाद में इलेक्शन पिटीशन लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो वहां से भी जीत कर आये हैं, यह किसी भी कैबिनेट के मिनिस्टर से बीस गुना अधिक कौम्पीटेंट हैं, लेकिन आज केवल पी०सी०सी० के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक गाड़ी और एक नौकर दे दिया है कि आराम करो, लेकिन इनको कैबिनेट में नहीं बैठायेंगे। इस प्रकार की हालत पैदा हो रही है। इन सबको....

श्री दौलतराम सारण : कैबिनेट में लूले लंगड़े बैठे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लूले लंगड़े की बात तो सब जानते हैं। वह मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा....

श्री सभापति : कृपया संकल्प पर आयें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है, मैं अपना भाषण तो बहुत जल्दी समाप्त कर देता, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट किया है, इसलिए इतना समय मुझे और लेना पड़ेगा। खैर मैं इस पर कुछ अधिक समय नहीं बोलना चाहता, लेकिन, सभापति महोदय, मुझे रह रह कर मेरे इन सब मित्रों पर रहम आता है कि इनका क्या होगा? जो हालत आज देश के अन्दर हो रही है, जिस तरह की हालात में से देश गुजर रहा है उसमें देश की हालत बिगड़ रही है। इस समय आप यह मत समझ लें कि हिन्दुस्तान के अन्दर हालत बिगड़ी और हिन्दुस्तान में किसी तरह से साम्यवाद आया तो आप सब लोग बच जायेंगे। दुनिया का इतिहास आज इस बात का साक्षी है कि साम्यवाद के आते ही दो तरह के लोग सबसे पहले शिकार होते हैं एक तो वह जो सत्तारूढ़ लोग हैं, जो राज्य करने वाले वर्ग के लोग हैं और दूसरा वह जो कि पूंजीपति वर्ग है। इसलिए साम्यवाद का सबसे पहले शिकार यह कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे क्योंकि इन्होंने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साम्यवादियों से गठबन्धन किया है। हिन्दुस्तान के इतिहास में वह दुर्भाग्य का दिन था जिस दिन कि साम्यवादियों से सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों का गठबन्धन हुआ क्योंकि जो कामरेड भूपेश गुप्ता, ज्योति बसु और नम्बूद्रीपाद आदि आज इन्द्राजी के नारे लगा रहे हैं लेकिन यही लोग गैरजिम्मेदारी से देश को बांटने की और देश की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाने की बात करते हैं। यह इनके साथ में एक नापाक गठबन्धन रहा है। अगर इसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान में साम्यवाद आया, तो जो यह हालत आज कांग्रेस के लोगों ने ही पैदा की है, यही कांग्रेस पार्टी उस साम्यवाद का पहला शिकार होगी। इस बात को आप आज सोच कर चलें कि हिन्दुस्तान में जो हालत पैदा कर रहे हैं, हिन्दुस्तान को जिस रास्ते पर आप ले जा रहे हैं उससे साफ मालूम होता है कि आज सत्तारूढ़ दल तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। मैं समझता हूं, इन हालातों के अन्दर आज देश का संविधान टूट रहा है, संविधान की मान्यतायें टूट रही हैं, देश के अन्दर आज अशांति और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, आज हिन्दुस्तान में अराजकता का बोलबाला हो रहा है, देश के अन्दर आज हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा है। हिन्दुस्तान में और राजस्थान में सत्ता पर काबू पाने के लिए कांग्रेस ने बहुमत पाने के लिए जो गठबन्धन किया ह, जो कांग्रेस के नापाक गठबन्धन किये हैं, उसके लिए कांग्रेस के चोटी के नेता जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और गद्दी पर बने रहने के लिए नापाक गठबन्धन किये हैं। यहीं केवल मात्र उनका मकसद है जिनकी पार्टी के सिद्धान्तों का, लोकतंत्र की रक्षा में, राष्ट्रीयता में, देश की अखण्डता में और मातृभूमि की रक्षा में विश्वास नहीं है, जिन लोगों का प्रेरणा का स्रोत रूस है, चीन है — ऐसे लोगों के साथ में कांग्रेस ने नापाक गठबन्धन किया हैं। यह नापाक गठबन्धन जल्दी ही रंग लायेगा और कांग्रेस के नेताओं को यह खायेगा और देश के अन्दर खूंरेजी की स्थिति पैदा होगी, और इससे हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में पड़ जायगी।

तो संविधान में जिस संशोधन के विषय में जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, असम और आन्ध्र में अलग अलग राज्य बनाने की आवाज जिस तरह जोर पकड़ती जा रही है, आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्दर युनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाय और उस युनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट के अन्दर में रीजनल कौंसिल बनाई जाय, एडवाइजरी बोर्ड बनाये जायं। इससे बड़े भारी खर्च का भार भी कम हो जायगा और देश के विकास के लिए पैसा भी मिल जायगा। आज जो दूसरे मुल्कों से देश के विकास के लिए पैसा लेते हैं, उसमें अमेरिका देता है, रूस देता रहा है और आप कमर तोड़ टैक्स लगाते रहे हैं और दूसरे मुल्कों से पैसा लेते हैं वह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए आज खर्च को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि मंत्रिमण्डलों में मंत्रियों की संख्या कम की जाय। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को इस विधान सभा के द्वारा यह सिफारिश की जानी चाहिए कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि देश के अन्दर युनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो। मैं जो युनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कहता हूं, वह सलिए कहता हूं कि पिछला अनुभव इस बात का साक्षी है, सभापति महोदय, अंग्रेजों के जमाने में 1939 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान था कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या वन टेन होगी। लेकिन क्या नमने हमारे भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की है ? इसलिए मैं कहता हूं कि नया संविधान बनाया जाय, उसमें इस प्रकार का प्रावधान डाल दें जैसा कि 1939 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या सदन की सदस्य संख्या की वन टेन से ज्यादा नहीं हो सकती है। जिस प्रकार राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या 184 है तो मिनिस्टर 18 हों और चार अधिक होने पर 19 से ज्यादा आज की विधान सभा की सदस्य संख्या को देखते हुए मंत्रिमण्डल में मिनिस्टर नहीं हों। लेकिन हिन्दुस्तान के संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था हो नहीं सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो सिफारिश की उसको आप स्वीकार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने वन टेन ऑफ टोटल नम्बर ऑफ मेम्बर्स का सिद्धान्त तय कर लिया और संविधान के अन्दर अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई तो आपका हिन्दुस्तान और राजस्थान के अन्दर राज्य कहां टिकेगा ? आखिर राजस्थान ने ही इस हिन्दुस्तान में यह हालत पैदा की है कि पार्टी के लोग डिफेक्ट करने लग गये। आज आपकी सत्ता डिफेक्टर्स के आधार पर टिकी हुई है। आप एक तरफ डिफेक्शन को कन्डेम करते हैं, डिफेक्शन को आप कन्डेम करते हैं और उसके लिए लोक सभा की एक कमेटी बनाते हैं और वह कमेटी जो रिपोर्ट देती है, वह चव्हाण साहब संसद में पेश करते हैं। लेकिन वही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हिन्दुस्तान में डिफेक्शन की एक प्रवृत्ति पैदा हुई थी। उसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जिम्मेदार हैं और उसके लिए हिन्दुस्तान के केन्द्रीय गृह मंत्री, चव्हाण साहब जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 1967 में राजस्थान में यह डिफेक्शन का एक सिलसिला चालू किया। अगर वह सिलसिला चालू नहीं होता तो राजस्थान म भले ही राष्ट्रपति का शासन कुछ दिनों के लिए रहता, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में डिफेक्शन का सवाल पैदा नहीं होता। यह हो सकता था कि आपके हाथों से राज्य सत्ता निकल जाती, लेकिन वैसा न करके आपने डिफेक्शन का एक सिलसिला चलाया वह हिन्दुस्तान की राजनीति में चला गया। अपको डर था, कहीं हमारे हाथ से राजस्थान न चला जाय, राजस्थान राज्य की सत्ता न चली जाय, सलिए ही आपने गोलीकाण्ड करवाया, गोलीकाण्ड में मासूम बच्चों को गोली से भून दिया और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया, उसमें लोगों को धमकाया..

श्री सभापति : यह विषय नहीं है। आप विषय पर बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोगों को धमका कर, डाके डाल कर लोगों को उठा कर, लोगों को तोड़ कर आपने राजस्थान में अपनी हुकूमत बनाई।

आपने हुकूमत बनाई, आपने यह नहीं सोचा कि इसके परिणाम कितने भीषण होंगे। हिंदुस्तान में डिफेक्शन्स का सिलसिला चल पड़ा और उसके जनक राजस्थान में श्री सुखाड़िया हैं। अगर भारत में पद्म श्री या पद्म विभूषण डिफेक्शन्स के लिये दिया जाना हो तो श्री सुखाड़िया को राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। बढ़ावा दिया। राज न आने से क्या होता? राज आते हैं और जाते हैं। कई गैर कांग्रेसी सरकार आईं, चली गईं, आपका राज भी यहां से चला जायगा। राज आयेंगे और जायेंगे, देश चलता रहेगा, नीतियां गलत न डालें, परम्परायें गलत न डालें। देश में ऐसी हालात पिछले 20 साल में कांग्रेस हुकूमत ने पैदा की हैं और हिंदुस्तान की वर्तमान परिस्थितियों के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। इसलिये हमने मांग की कि देश के लिए युनिटरी फार्म आॅफ गवर्नमेंट हो, नया संविधान हो, हाई पावर कमीशन बैठे और आने वाले 50 साल के लिए क्या व्यवस्थायें हो सकती हैं, वह संविधान में की जायं। आज गिरी के चुनाव के लिए कम्यूनिस्टों के साथ लग गए वही मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट थे, इधर नंबूरीपाद उधर भूपेश गुप्त। चव्हाण ने कहा था कि हम बंगाल को कन्ट्रोल करेंगे मिलिट्री भेजेंगे। श्री ज्योती बसू ने कहा कि हम मिलिटरी का मुकाबला कर सकते हैं, केन्द्र से निपटना जानते हैं, ऐसे आदमियों से आप चुनाव के लिए साथ मिल गए निहित स्वार्थों के लिए। देश कहां जा रहा है? इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में, परिवर्तित परिस्थितियों में, देश के लिए युनिटरी फार्म आॅफ गवर्नमेंट के लिए हाई पावर कमीशन बिठायें, सारी बातों पर विचार करने के लिए, नया संविधान इस देश को दें, जिससे भारतवर्ष की 52 करोड़ जनता की प्रगति हो सके और उन्नति के रास्ते पर आए। इसलिए जिस पृष्ठभूमि में यह लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं और अपना कथन समाप्त करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा इरादा इस संशोधन विधेयक पर बोलने का नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य जो जयपुर से आए हैं, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, उनको मैंने शांतिपूर्वक सुना। वह मेरे मित्र हैं, उनके विचारों की मैं बहुत इज्जत करता और एक हद तक उनके विचारों का समर्थन भी करता हूं। विधान का संशोधन सिद्धांततः एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है और संविधान में 22 वर्ष की आजादी के समय में 22 बार संशोधन करना, मैं समझता हूं, एक घृणित कार्य है। आप संविधान बनाते हैं, दूसरे देश भी संविधान बनाते हैं। जनतंत्र के सिद्धांतों पर शासित देश हैं, उनमें भी संविधान में इतने संशोधन लाने की प्रक्रिया हुई हो, ऐसा मैं अनभव नहीं करता हूं। चाहे यूनाइटेड स्टेट्स आॅफ अमेरीका हो, चाहे यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस आदि हैं, लकिन इसके साथ-साथ इसकी वास्तविकता को भी देखना चाहिए। देश की परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। मैं संविधान की अक्षुणता को मानता हूं। अगर परिस्थितियां अनिवार्य हो जायं, अगर परिस्थिति ऐसी हो जायं कि मजबूरन संविधान में संशोधन आवश्यक हो जाय, तो ऐसा करना बहुत बुरी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चीज हो, ऐसा मैं नहीं मानता। इतना तो अवश्य कहूंगा कि वनमहोत्सव के मुताबिक 22 वर्ष में 23 संशोधन करना बुरी चीज है, इसका मैं समर्थन कभी नहीं करता।

हमारा देश आजाद हुआ और हमने जनतंत्र का एक सिद्धांत अपनाया। देश का विभाजन हुआ लेकिन जनतंत्र के सिद्धांत को अपनाने के पश्चात्, मैं समझता हूं, देश का विभाजन अनिवार्य हो चुका था और उस विभाजन को हमने माना इन गुड ग्रेस एज फेट एकम्पली। उसके बाद जो देश का मानचित्र हमारे सामने आया, हमने विधान निर्मात्री परिषद् द्वारा संविधान बनाया। उस मानचित्र को देखते हुए 22 वर्ष के अंदर, हम कभी अनुमान भी नहीं कर सकते थे कि देश के सामने ऐसी जटिल समस्यायें उत्पन्न होंगी। मेरे पूर्ववक्ता माननीय सदस्य ने इसका उत्तरदायित्व शासनारूढ़ दल कांग्रेस पर रखा। इसका एक हद तक मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं। यह भाषावाद, संकीर्णवाद, यह अवसरवाद, जो कुछ भी हमारे देश के अंदर प्रक्रिया व्याप्त है और दिनों दिन, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, बढ़ती जा रही है, इसका कारण, मेरे ख्याल में, "यथा राजा यथा प्रजा" सिद्धांत के अनुसार शासनारूढ़ दल पर एक हद तक उत्तरदायित्व की बात है, यह मैं निश्चित रूप से मानता हूं।

रहा सवाल युनिटरी संविधान का, तो हमने निर्णय कर लिया था कि हमारा विधान फेडरल बेसिस पर होगा और उस फेडरल बेसिस को जब हमने अपनाया, तो हमें दृढ़ता के साथ फेडरल बेसिस को निभाना है लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, जिस तरह से राज्यों का विघटन आ, यह प्रक्रिया आंध्र से शुरू हुई। मैं सदन का विशेष समय नहीं लूंगा। तत्पश्चात् बम्बई का विभाजन हुआ और तेलंगाना का आंदोलन चल रहा है, हरयाणा-पंजाब आदि, जो कुछ छोटे बड़े राज्य हुए, उनको देखते हुए, मैं यह नहीं मानता कि इन छोटे-बड़े राज्यों के निर्माण के द्वारा, हमारा केन्द्र कमजोर हुआ। केन्द्र कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन छोटे राज्यों के निर्माण से, केन्द्र कमजोर हुआ, यह मेरी मान्याता नहीं है। मैं यही मानता हूं कि छोटे राज्यों में जीवनी शक्ति होती है, क्योंकि छोटे राज्य हमारे देश में और संसार में भी हैं जैसे स्विटजरलैंड, नारवे, स्वीडन, डेनमार्क। छोटे राज्य, मेरे ख्याल से, सुशासित होते हैं, यह निर्विवाद बात है। लेकिन जिस सिद्धांत को मजबूरन मानकर और नागालैंड की मांग हमने मानी और एक राज्य के अंदर राज्य का निर्माण किया, वह मेरे ख्याल से, विवशतापूर्ण करना पड़ा। हमारी अदूरदर्शितापूर्ण नीति द्वारा तिब्बत, जो हमारी ढाल थी, वह समाप्त हो गई और चीन हमारा पड़ौसी बन गया। यह निर्विवाद बात है कि चीन विस्तारवादी है और महत्वाकांक्षी है, और हमारे पूर्वी क्षेत्र के अंदर चीन की प्रक्रिया यही थी कि असम का विघटन कराया जाय। नागा लोगों को, जो बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, उनको भी चीन ने बहकाया, उकसाया और हर तरह से तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करने के लिये उनको आमादा किया। उस स्थिति के अंदर अगर नागाओं को संतुष्ट करने के लिये राज्य के अंदर राज्य का निर्माण किया। केन्द्र को उससे कोई क्षति हुई हो या देश का विघटन हो गया हो, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। केन्द्र अगर निर्बल हुआ है तो उसके

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन नागालैंड के निर्माण से केन्द्र कमजोर हुआ हो और देश का/विघटन हुआ हो यह मैं नहीं मानता। भाषावार सिद्धांत को मान्य किया और एक सिद्धांत को मजबूरन मान लिया और तामीलनाडू जैसे प्रांत को मानना पड़ा, तैलंगाना को भुगतना पड़ेगा और राजस्थान की क्या स्थिति होगी, अभी माननीय सदस्य ने विचार प्रकट करते हुए कहा यह भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन छोटे राज्यों के निर्माण के द्वारा देश को क्षति पहुंचती है, यह मेरी मान्यता नहीं है।

हमारा देश एक प्राचीन और गौरवान्वित देश है और हमारे देश की पद्धत्ति हमेशा यह रही है कि देश की एकता विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। यूनिटी बेस्ड ओन डाइवर्सिटी। अगर इस सिद्धांत को हम अपनायें तो उत्तर प्रदेश वाले भी हमारे देश के अंदर रह सकते हैं और गोआ और नागालैंड वाले भी रह सकते हैं। क्षेत्रीय परिस्थिति से कोई चीज हो तो बुरा है, ऐसा मैं मानता हूं। कांग्रेस में बुराइयां हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन जिस परिस्थिति में राज्य के अंदर राज्य का निर्माण होकर नागालैंड का जन्म हुआ, वह अनावश्यक मैं नहीं समझता। हमारी मजबूरियों को मानते हुए यह कहते हुए कि यह अच्छी चीज हुई है मैं निवेदन करूंगा...

(4.43 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

.....कि यह संशोधन विधेयक इस सदन के द्वारा समर्थित किया जाय तो अनुचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक इस सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है, इसकी एक खासियत है। हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था अगर संविधान निर्माता चाहते तो यह भी तय कर सकते थे कि लोक सभा और राज्य सभा राज्य के निर्माण को पास कर देगी तो अन्य राज्यों की विधान सभाओं में पास करने की बात नहीं होगी। जब संविधान पास हुआ, हिन्दुस्तान एक है और यह बड़ा प्रश्न है कि जहां देश की अखंडता पर दूसरा असर होता हो तो सब स्थानों पर विचार होना चाहिये अन्यथा लोक सभा और राज्य सभा ने इसको पारित कर दिया और केवल हम अनुमोदनार्थ सदन में विचार कर रहे हैं।

सदन में जिस प्रकार से विचार कर रहे हैं वैसा नहीं। सतीशचन्द्रजी के विचार सुने और महारावल साहब के भी विचार सुने। महारावल साहब ने तो बात ही दूसरी कही। जनसंघ के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि देश में नागाओं के अलावा और कोई राज्य बन जाता है तो ऑटोनौमी खत्म हो जावेगी और शक्ति खंडित हो जावेगी जिस Unitory Form of Government की आप बात करते हैं वह संकीर्ण सिद्धांत हो वैसी बात नहीं। फेडरल केरेक्टर है और अलग अलग राज्य है तो वहां भी ऐसा नहीं है। हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थायें हैं, जिस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सामना करना पड़ रहा है, उसमें जनता को कैसे संतुष्ट करें। आसाम की हालत देश के अन्य राज्यों से

(श्री रामकिशन)

भिन्न है। यह बिलकुल सही है उसकी सीमा पर चीन ब ा है, पाकिस्तान बैठा है। चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये शक्तिशाली फौज होनी चाहिये। लेकिन केवल शक्तिशाली फौज किसी देश को नहीं बचा सकती, जब तक कि जनता का मनोबल ऊंचा न हो।

छोटे 2 जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनकी तीन मांगें हैं। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रति व्यक्ति एलॉटमेंट होता है वह कम हो रहा है। मैं उसका समर्थन करता हू। जब इस पर चर्चा हुई हैं तो हम अपने इस बारे में विचार प्रकट किये हैं। प्लानिंग बोर्ड और दूसरे इस पर विचार क तो सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की तस्वीर को देखें और जो सबसे कमजोर पक्ष है उसको पुष्ट करना चाहये। आसाम की यह मांग है कि योजना का जो आवंटन है वह प्रति व्यक्ति उनको कम मिला है इस कारण असंतोष है। आसाम की दूसरी स्थिति भी है। पहाड़ी इलाका है और वहां पर विशेष प्रकार की जातियां रहती हैं जिनको ट्राइबल्स कह कर टाल ते हैं। जहां जहां पहाड़ हैं और मैदान हैं वहां आपस में असमानता है। ट्राइबल लोग जंगलों में बसाये गये हैं। या तो उन विजेताओं ने उनको खदेड़ दिया हो या उनको प्रकृति प्यारी लगी हो। 34 लाख लोग ऐसे हैं जो भिन्न 2 संस्कृतियों के है। हिन्दुस्तान में ट्राइब्ल्स हैं वह अलग-अलग कबीलों के । उनकी भाषा, विकास और सांस्कृतिक विभिन्नतायें और समस्यायें हैं। आसाम को खुश करने के लिय यदि छोटे 2 राज्य बनाते ह तो केन्द्र कहां कमजोर हो जाता है ? खण्डित होने का सवाल कहां होता है ? पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदों का निर्माण किया राजस्थान में तो इस विकेन्द्रीकरण से कहां कमजोर हो गये ? सत्ता को बांटा है। सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिये कहां देश कमजोर हो सकता है ? जनसंघ के माननीय सदस्यों ने बात कही कि देश को कमजोर करते हैं। जनसंघ और इस प्रकार की पार्टियां सत्ता के केन्द्रीयकरण की बात करते है, धन को संगठित करके पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। रूस का कम्युनिज्म भी सत्ता के केन्द्रीयकरण की बात करता है और सारी बात को लेकर दोनों समाजवादियों से लड़ने के लिये तैयार हो गये। जहां एक सत्ता और पूंजीवाद की बात करते है, वहां समाजवादी विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। सत्ता और धन का बंटवारा। दो विचारधारायें हैं। एक सत्ता और दूसरा धन का सत्ता का के ीयकरण। लेकिन आत्मा को परखने की बात करें। ऊपरी न देखें। आसाम के लोग कुछ नाराज थे। हमारे बारे म शिकायत थी वह कुछ दूर हुई है। यह बिल सम्पूर्ण नहीं है। आज भी आसाम की हालत खराब है, विशेष अधिकार रहे हैं। चाहते हैं कि अधिकार मिले। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विदेश नीति की यह असफलता है कि चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं वे और हमारे दिमाग में यह रहता है कि हमारी फौजें कितनी संगठित रहें। हाईड्रोजन बम्ब हो या नहीं। लेकिन दर्शन के प्रभाव को जो जानते हैं वे यह जानते हैं कि फौज के मुकाबले जनता का मनोबल ऊंचा होना चाहिये। प्रश्न यह नहीं है कि किस इलाके को ऑटोनोमी दें और किस इलाके को नहीं। हिमालय की सीमायें गर्म हो रही हैं। चीन ऊपर बैठा हुआ है। फौजी ताकत भी उसके पास है। इसलिये सीमा के जो ट्राइबल्स हैं

(श्री रामकिशन)

उनकी माली हालत को सुधारा जांय, उनमें किसी प्रकार का असंतोष न हो यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट के नाते चीन और उसका प्रभाव कम कर दें उससे काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समस्या वहां यह नहीं है कि एक स्टेट को ओटोनोमी दें। इससे काम नहीं चलता कि मणिपुर के बाद नागालैंड बना दें। आज इस देश में 3 करोड़ के करीब आदिवासी हैं जो बांसवाड़ा से लेकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और आसाम की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। उनकी माली हालत क्या है, यह आपने सोचा है? उनकी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक हालत सबसे गिरी हुई है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम कांस्टीट्यूशन में कोई भी प्रावधान करके, इस प्रकार का प्रावधान करें कि जहां जहां आदिवासी रहते हैं, शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उनके कल्याण के लिये अधिक धन खर्च करें और उनको यहां तक ले आयें कि वे अपने देश को अपना देश समझें। चीन का आक्रमण हो तो वे उसका डटकर मुकाबला करें। यह भाव हम उनमें पैदा कर दें। आज नागालैंड में हथियार उठा रहे हैं। उनको हमने क्या ज्ञान कराया है। क्या यह ज्ञान कराया है कि यह देश हमारा है। अंग्रेजों ने यह कहा था कि मैदानी लोगों का इन पहाड़ी लोगों से मिलना नहीं होना चाहिये और आज हिन्दुस्तान ने अपने इन 22 सालों में जो विदेश नीति, स्वराष्ट्र नीति अपनायी है, वह अंग्रेजों द्वारा प्रतिपादित वैसी की वैसी है। उसमें हमने कुछ भी अपनी अक्ल नहीं लगायी है। इसमें क्या है; यह मैं पूछता हूं। मैदानी लोगों को पहाड़ी लोगों में क्यों नहीं जाने दिया जाता। आज हम अपने शब्दों का ही हिन्दीकरण नहीं कर पाये हैं। नागालैंड, नेफा के नाम पर इतनी समस्या खड़ी हो सकती है, उस पर विचार नहीं किया है। जिस इलाके को नेफा कहते हैं, उस इलाके में गांधी का चित्र नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि मैदानी लोग वहां जा सकें। इससे विलक्षण शासन दुनियां में मुझे और नहीं दिखायी देता और यही आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने का एक कारण है। यह कहा जाता है कि अगर मैदानी लोगों को पहाड़ी इलाके में जाने दिया गया तो ट्राइब्स नाराज हो जायेंगी। मैं यह नहीं मान सकता। उद्योग लगाने, जमीन खरीदने का अधिकार आप उनको मत दें। मगर पहाड़ी और मैदानी लोगों को न मिलने दें तो विघटन की प्रवृत्तियों को कैसे हम दूर कर पायेंगे। मैदानी लोगों को नागालैंड जाने के लिये इस तरह से परमीशन लेनी पड़ती है जैसे हम अमेरिका या किसी विदेश में जा रहे हों। हमें कहते हैं सुरक्षा के लिये यह किया जाता है। हिन्दुस्तान की सरकार ने गलतियों का ढेर इन 22 सालों में इतना कर दिया है और इतना कूड़ा कर्कट इकट्ठा कर दिया है कि यदि कभी हमारे लोगों की सरकार भी आजाय तो हमें उसकी सफाई करने में बरस लग जायेंगे। हमारी सरकार का हर मामले में पिछड़ापन है। आर्थिक, सामाजिक और सीमा पर जो राज्य हैं उनमें भी। हम चाहते हैं कि उनका भी विकास हो। समाजवाद नीतियां तेजी से वहां लागू हों। वहां की गरीबी को मिटाया जाय। अगर ये दो, तीन बातें हम कर दें तो चीन का मुकाबला वे ही लोग कर लेंगे और चीन आज जो कहता है, उसके मुकाबले में हमारे देश की हालत उसकी अपेक्षा जब ज्यादा अच्छी होगी, तो उनमें साहस आयेगा। जनसंघ के सदस्य यह कहते हैं कि यह करते हैं तो देश का

(श्री रामकिशन)

विघटन होगा । अमेरिका कितना शक्तिशाली है फिर भी वहां 56 स्टेट्स हैं । क्या इससे वह कमजोर राष्ट्र हो गया है ? अधिक स्टेट्स होने के कारण वह कमजोर नहीं होता । देश के कमजोर होने के जो कारण हैं, वे हमें दूर करने चाहिये । मैंने इस सम्बन्ध में अभी जिक्र किया था तीन करोड़ के करीब आदिवासी इस देश में रहते हैं । किसी ने आज तक इन आदिवासियों की तरफ नजर डाली है ? आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासियों की क्या हालत है ? आज नहीं तो, कल या परसों यह सवाल उठ खड़ा हो सकता है । मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान का बंटवारा हो । परन्तु राजस्थान के आदिवासियों की पुरानी जिन्दगी में परिवर्तन करना है । यह मांग कर सकते हैं कि राजस्थान से मिलती जुलती मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य में जो एक बैल्ट चली गयी है, उसका एक अलग राज्य बनाया जाये । इससे कोई फर्क नहीं पड़ जायेगा । यह बात जब तक नहीं होगी जब तक केन्द्रीय सरकार अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेगी और तब तक इन सारे मामलों को हम छू नहीं सकते । इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा । सतीशजी ने यहां पर अभी कहा है कि यह सरकार प्रस्ताव की भाषा नहीं समझती, आन्दोलन की भाषा नहीं समझती, विधान सभा के वाद-विवाद की भाषा नहीं समझती । यह तो सिर्फ हिंसा की बात समझती है । इसके लिये मैं एक ही मिसाल बताता हूं । नागालैंड का उदाहरण आप सबके सामन है । नागाओं ने आन्दोलन किया, सरकार ने उनकी बात नहीं समझी । उनने सोचा हम लोग कमजोर हैं । हिंसा पर उतारु हुए तो यह सरकार उनकी बात समझ गयी । आज नागालैंड में चार लाख के करीब ट्राइब्स हैं और केन्द्रीय सरकार इन चार लाख के लिये 25 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है, क्योंकि उन्होंने हिंसा से अपनी बात मनवायी है । चार लाख के लिये 25 करोड़ का प्रावीजन भारत सरकार ने किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह बैकवर्ड है इसलिये कर रखा है ।

श्री रामकिशन : आप मेरी बात समझ नहीं सकते, आपके दिमाग नहीं तो बीच में मत बोलिये । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि नागालैंड को 25 करोड़ की सालाना मदद कर रहे हैं, और वहां दूसरी पहाड़ियों में आदिवासी रहते हैं । उनको आप क्या देते हैं ? जो नागाओं की हालत है, वही मिजो की हालत है और वही दूसरे जिलों में हालत है । वही हाल नागालैंड से 35 मील दूर रहने वालों की हालत है । सिर्फ 4 लाख आदमियों के लिये आप 25 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, जो वहां के दूसरे हिस्से में रहते हैं, उनके विकास के लिये आप चार लाख रुपया खर्च करते हैं । इस प्रकार हमारी सीमाओं के ऊपर मणिपुर का राज्य है । उसका हमारी राजनीति में विशेष स्थान रहा है, क्या सांस्कृतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में उसका विशष महत्व का स्थान रहा है । उर्वशी, मणिपुर की थी । यह मणिपुर क्या है ? इसकी कलाएं 5000 वर्षों से से अधिक आकर्षक रही है । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खुबसुरत स्त्री, उर्वशी और दूसरी कहां की थी ? वह मणिपुर की थी । यह मणिपुर और नागाओं का बैल्ट हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में विशेष महत्व का रहा है । आज मणिपुर

(श्री रामकिशन)

के लोग मांग कर रहे " कि, हमारी स्टेट की 8 लाख की आबादी है परन्तु उनकी स्टेट अलग से नहीं हुई । वही मणिपुर के लोग आन्दोलन पर उतारू होते हैं, हिंसा पर उतारू होते हैं या हथियार उठाते ह तब यह सरकार उनको अधिकार देने ये हिचकेगी नहीं । देश को विकास के लि अलग अलग बांट दिया जाय, उससे शक्ति कमजोर नहीं होगी । जनसंघ का एक विशेष दृष्टिकोण है । उसके कुछ सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किये हैं । वह अपने आर्थिक विचारों में पिछड़ा हुआ है । इसी प्रकार के कुछ विचार के सदस्य कांग्रेस में भी हैं । उनको संजीवनी देने की कोशिश की है, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस सम्पूर्ण मर रही थी, मरने की सी स्थिति में आ गयी थी ...

श्री रामनारायण चौधरी : आप इस आशा पर जीवित हैं तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रसंग पर रहिये ।

श्री रामकिशन : मैं प्रसंग पर ही लेा रहा हूं । इस कांग्रेस को जो संजीवनी देने की कोशिश की गई थी.....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय दस मिनिट के लिये और ब या जाता है ।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय । इस सदन में रोजाना एक परम्परा पड़ रही है कि जब सरकार का कार्य हो, सरकारी पक्ष की ओर से समय बढ़ाने की प्रार्थना की जाती है । यह रोजाना नहीं होना चाहिये । ऐसी कोई जल्दी नहीं पड़ रही है कि सदन को जल्दी से जल्दी खतम करें । रोजाना यह नियम बना लिया कि 5 बजे के बाद 8 बजे तक बिठाया जाय, यह गलत है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही 5 बजे के बाद नहीं चलायी जाये और यह सदन जितने दिन का काम हो, उतने दिन तक चलाया जाय । 2-3 घन्टे रोज ऐक्स्ट्रा समय के लिये नहीं बिठाया जाय । इसलिये आज इनको समय नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नत्थीसिंहजी की बात को मानते हुए निवेदन करता हूं कि जो दूसरा बिल है उसको आज नहीं लिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : केवल दस मिनिट का समय बढ़ाया गया है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मण्डे को रख दिया जाय ।

कई माननीय सदस्य : मण्डे को रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप समय सीमा में समाप्त कर दें ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस समाप्त हो रही थी, जिसको संजीवनी देने की कोशिश अबकी बार जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी ने की । लेकिन संजीवनी कमजोर मिल गई और संजीवनी संजीवा रेड्डी को ले बैठी अब तो गिरधारी लालजी समझ लेंगे ।

Page No 148

(श्री रामविलास)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, देश की जिस प्रकार की हालत है, उसमें हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

जैसा कि महारावल साहब ने कहा यह 22वां संशोधन है 22 साल में आपने 22 संशोधन कर डाले, यानि प्रति वर्ष एक संशोधन कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में रोष प्रकट किया है। मैं कहना चाहता हूं यह रोष की बात नहीं है। आज भारत की जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें तो हमें सारे संविधान में दुबारा परिवर्तन करना पड़ेगा। नागालैंड जब हम अलग प्रान्त बना सकते हैं, वहां हमें फण्डामण्टल राइट्स में चेन्ज करना पड़ेगा। आज जो लोग पूंजी पर बठे हुए हैं, कुछ ही लोग कुबेर पति हो रहे हैं, इस तरह के संविधान को बदल कर ही हम इस प्रकार की पूंजीवादी प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। यह संशोधन इस बात के लिये नहीं है कि यह देश खंडित हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कहीं राजसत्ता पर कोई तानाशाह आकर न बैठ। हमें आम जनता के कल्याण के लिये, हर नागरिक को उसके फण्डामेण्टल राइट्स की प्राप्ति के लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा इसमें कन्जर्वेटिव दृष्टिकोण से नहीं चल सकते। वेदान्त की तरह इसमें नहीं चल सकते। वेदान्त में जो बात कहदी वह हमेशा वैसी ही रहेगी इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे संविधान में नहीं हो सकती।

आज हमारे सामने दो तरह की विचारधारा है, एक तो विचार जनसंघ की तरफ से आते हैं देश में युनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिये। उनके ख्याल से राजनैतिक और आर्थिक हालातों में तब्दीली न हो, पूंजीपतियों को अपनी पूंजी में वृद्धि करने दी जाय, वे राजाओं की पेन्शन भी बन्द नहीं करना चाहते।

दूसरी तरफ दूसरी प्रकार की विचारधारा है। कम्युनिस्ट विचारधारा के जिनका यह ख्याल है कि केन्द्र कमजोर हो और राज्य मजबूत हों। जनसंघ चाहता है केन्द्र मजबूत हो और राज्य कमजोर हों। ये दोनों विचारधारायें अमान्य हैं। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि देश के जितने भी राज्य हैं वे चाहें तो सेन्टर से अलग हो सकते हैं यह उनको आजादी होनी चाहिये। मैं उनसे कहना चाहता हूं वे अपने रूस और चाइना की तरफ नजर डालें, वहां पर कितने भयंकर सीमा संघर्ष हो रहे हैं। पूर्वी यूरोप के संबंध में युक्रेन, साइबेरिया की जो मांग है उस पर आप विचार करें आज इस दृष्टि से विचार करने वाले, सिद्धांत रूप में यह ग्रहण कर लें मैं समझता हूं ये दोनों ही प्रकार की विचारधारायें अमान्य हैं।

इसके अलावा जो एक विचार धारा है लोकतन्त्री विचारधारा, वह है गरीब और अमीर में फर्क मिटाया जाय। यही सारी व्यवस्था भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो असन्तुलन है, उसको दूर कर सकती है राजस्थान में इस दृष्टि से विचार करें तो हमारा जो आदिवासी बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है, उन लोगों की गरीबी मिटाने के लिये हमें चाहे कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े हमें वह स्वीकार करनी चाहिये। इन लोगों में असन्तोष है यह एक बैल्ट है, जो बांसवाड़ा से आसाम तक चला जाता है, सभी आदिवासी हैं यह सारा इलाका एक है, उनकी मूल भावना एक जैसी ही है।

(श्री रामकिशन)

जब उनकी रोटी रोजी और कपड़े का प्रबन्ध करने का सवाल आता है, मौजूदा सरकार नहीं कर सकती। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो पार्लियामेंट और राज्य सभा से पारित है इसका स्वागत करते हुए मैं कहता हूं यह अधूरा प्रयोग किया गया है।

आसाम की कुछ समस्यायें ह, दूसरे लोगों की समस्यायें है, मणिपुर की समस्या है। इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में और इसकी आर्थिक सांस्कृतिक ढांचे पर मे विचार नहीं किया गया। इसके बारे में भी विचार करना चाहिये, इसके बिना हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

जिस कांग्रेस सरकार ने हमारी प्रतिष्ठा जिस प्रकार की देश विदेशों में बना रखी है, उसमें यह कभी चटनी चूरण बतांकर जो प्रतिष्ठा बनाना चाहते है, हमें तो इस मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

आज जो यह कहते हैं कि गिरी भी हमारे और रेड्डी भी हमारे। मैं तो यह कहना चाहता हूं इन्दिराजी भी आपही की रहेगी। मौजूदा ढांचा अगर टूटेगा तो जो अन्तरात्मा की आवाज पर चलने वाले हैं उनसे टूटेगा। मैं उन अन्तरात्मा वालों की तीन चार दिन तो तारीफ करूंगा और देखूंगा कि इस कांग्रेस को तोड़ने में उनका कितना हाथ रहता है। इस कांग्रेस में राजस्थान में तो केवल चार सदस्य ही अन्तरात्मा वाले मिले, बाकी तो सुखाड़ियाजी के हण्टर से दबे हुये थे। जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हुए हैं वे मुख्य मंत्रीजी के दया पर हैं, व्यासजी देखते हैं अब बुढापे में क्या अलग हुआ जाय, शोभारामजी जिनका चरित्र इतना ऊंचा है उनके सामने भी अपने बच्चों का मोह है, वे अन्तरात्मा की आवाज से चल नहीं सकते। मेरा तो आपसे निवेदन है कि अन्तरात्मा के सवाल पर विचार करो और इस कांग्रेस को तोड़ो ताकि समाजवादी एक तरफ और गैरसमाजवादी दूसरी तरफ। तभी जाकर आत्मा की परीक्षा होगी। जिन माननीय सदस्यों ने अन्तरात्मा का परिचय दिया है, मैं उनकी दो चार दिन तारीफ करूंगा और यदि इस कांग्रेस को तोड़ने में पूरा योग दिया तो हमेशा वे प्रशंसा के लायक रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 25 अगस्त, 1969 की प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही 5.10 बजे सोमवार दिनांक 25-8-69 को प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 297 की सूची)

पब्लिक नोटेरीज की सूची

क्रम सं०	नाम	स्थान
1.	श्री जगदीश बिहारी लाल	जयपुर
2.	श्री हरसरन सहाय सक्सेना	जयपुर
3.	श्री जयसिंह नरूला	जयपुर
4.	श्री बसंतीलाल महेश्वरी	अजमेर
5.	श्री बेनीमाधव शर्मा	कोटा
6.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	अलवर
7.	श्री जीवनमल जोशी	सुजानगढ
8.	श्री दलपतसिंह चौधरी	भीलवाड़ा
9.	श्री जयलाल शर्मा	जोधपुर
10.	श्री द्वारकानाथ कक्कड़	झुंझुनू
11.	श्री रोशन लाल सामर	उदयपुर
12.	श्री पूनम चन्द खड़गावत	बीकानेर
13.	श्री शिव शंकर व्यास	गंगानगर ।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं० 301 की सूची

List of pending applications

S. No. 1	Name of village; Name of applicant 2	Date of application 3	Load in B H P requested 4	Reasons for not releasing the connections 5
	SAGWARA SUB-DIVISION:			
	Builuda village			
1.	Shri Umar Shanker	11-12-68	5 Bhp.	'L' Form received. Connection could not be released as L. T. Line not completed.
2.	Shri Kodar	11-12-68.	5 Bhp.	—do—
3.	Shri Lalji	11-12-68	5 Bhp.	'L' Form not received. L. T. Line not completed.
4.	Shri Jagan Nath	11-12-68	5 Bhp.	'L' Form received. Connection could not be released as L. T. Line is not completed.
	Salota village			
1.	Shri Hira Lal	27-1-69	5 Bhp.	Estimate is under preparation. 'L' Form not received.
2.	Shri Kirpa Shanker	27-1-69	5 Bhp.	—do—
3.	Shri Durga Shanker	27-1-69	5 Bhp.	—do—
	Meheton ka Padla			
1.	Shri Roopaji	22-4-69	5 Bhp.	—do—
2.	Shri Govindji	22-4-69	5 Bhp.	—do—
	Jhora			
1.	Shri Bhawar Singh	23-4-69	5 Bhp.	—do—
2.	Shri Khanji	7-7-69	5 Bhp.	—do—

1	2	3	4	5
	Dungarpur			
1.	Shri Susichang s/o Sajjandas	5-5-69	3 Bhp.	Power position is not satisfactory.
2.	House Hold, Udaipur		5 Bhp.	—do—
3.	Shri Narain s/o Bhuraji	9-6-69	2 Bhp.	—do—
	Kodaria			
1.	Magji s/o Shri Budruji	21-1-69	5 Bhp.	—do—
	Simalwara			
1.	Shri Augum Gandhi	13-9-69	5 Bhp.	Application cancelled due to not depositing the demand notice amount.
2.	Shri Shiv Lal S/o Madan Lal	18-11-68	5 Bhp.	Demand Notice amount not deposited.

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

माही कमाण्ड एरिया

311. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा माही कमान्ड एरिया में माना गया है? यदि हां, तो कितनी जमीन कमाण्ड एरिया में आई है?

(2) क्या वहां के किसानों ने भूमि पर नाजायज कब्जे भी किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां के किसानों को जमीन एलॉट नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1, 11,344-41 एकड़ भूमि माही कमांड एरिया में आती है।

(2) जी हां। भूमि एलोटमेंट का कार्य तहसीलों द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि का आवंटन सरकार के विचाराधीन है।

मंत्रियों के टेलीफोन पर व्यय

312. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर-सु०) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1968-69 के बजट में मंत्रियों के लिये टेलीफोन के लिये कितने रुपयें का प्रावधान रखा गया था और दिसम्बर, 1968 तक वास्तविक खर्चा कितना हुआ?

उत्तर

वर्ष 1968-69 के बजट में मंत्रियों के लिये टेलीफोन की मद में रु० 3,25,000/- का प्रावधान था तथा दिसम्बर, 1968, तक रुपये 2,97,573.73 का वास्तविक खर्चा हुआ।

हिन्डोन-खादी उत्पादक सहकारी समिति लि० का विधान

313. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करगें :-

(1) क्या यह सच हैं कि हिन्डोन खादी उत्पादन सहकारी समिति लि०, हिडोन में नया विधान लागू कर दिया गया है?

(2) यदि हां, तो कब से लागू किया गया है और उसमें कौन कौन किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं?

(3) क्या यह भी सच है कि अभी भी पुराने विधान के अनुसार ही कार्य चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह विधान (नये उपनियम) 29 अगस्त, 1967 से लागू हैं इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति उनके समक्ष लिख पद पर कार्य कर रहे हः—

(सहकारिता मंत्री)

क्रमांक	नाम सदस्य	पद
1	श्री सच्चिदानन्द पण्डा	अध्यक्ष
2	श्री बसन्त कुमार	सदस्य
3	श्री सुखाराम	सदस्य
4	श्री पांच्याराम	सदस्य
5	श्री नहनरिया राम	सदस्य
6	श्री चन्दन राम	सदस्य
7	श्री सुखाराम	सदस्य
8	श्रीमती रामोती देवी	सदस्य
9	श्री किशोरी राम	सदस्य
10	श्री बद्री प्रसाद गर्ग	सदस्य (खादी बोर्ड का का प्रतिनिधि)

(3) जी नहीं।

गंगानगर शुगर फैक्ट्री द्वारा गन्ने की खरीद

314. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर फक्ट्री में पंजाब प्रदेश के गांवों से गन्ना आया था ? यदि हां, तो क्या यह गन्ना अपने आप वहां के किसान लाये थे या फैक्ट्री की ओर से मंगाया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने टन गन्ना आया था और उसे किस भाव से खरीदा गया था? कितनी कीमत उस गन्ने की फैक्ट्री की ओर से चुकाई गई थी ?

(2) उस गन्ने को कहां पर तोला गया था और जिन गांवों से गन्ना आया था उनके नाम क्या थे ? क्या कहीं पर कांटा भी लगाया गया था ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव में ?

(3) क्या कांटा फैक्ट्री से ले जाया गया था ? यदि, हां, तो कांटे को कौन ले गया था ?

(4) गन्ने को गांवों में तोल कर लाया जाता है तो क्या वह रास्ते में कम नहीं हो जाता है ?

(5) पिछले तीन सालों में इस फैक्ट्री में क्या नफा-नुक्सान रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह गन्ना मिल की ओर से मंगवाया गया था। 1968-69 सीजन में कुल 1960·659 टन गन्ना आया था। यह गन्ना 9.68 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था जिसकी कुल कीमत 1,89,791·72 रुपये है।

(2) इस गन्ने को मिल में तोला गया था। यह गन्ना बोदीवाला, गुमजाल और पन्नीवाला इन तीन केन्द्रों से आया था। इन तीनों केन्द्रों में मिल की ओर से कांटा भी लगाया गया था।

(3) जी हां। कांटे को मिल का मिस्त्री ले गया था।

(4) क्योंकि गन्ने का तोल मिल में किया जाता है इसलिए कमी का प्रश्न नहीं उठता।

(5) पिछले तीन सालों में इस फैक्ट्री में नफा-नुकसान के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

1965-66	87,466	शुद्ध लाभ
1966-67	70,153	शुद्ध लाभ
1967-68	71,950	शुद्ध लाभ

सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

315. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य कर्मचारी जो 55 व 60 साल की उमर पूरी होने पर रिटायर होंगे उनके रिएम्प्लॉयमेन्ट के बाबत सरकार की आइन्दा क्या पालिसी रहेगी ?

(2) सन् 1962 से 1968 तक उपरोक्त उम्र में रिटायर होने वालों के प्रति सरकार की क्या पॉलिसी रही ?

(3) रिएम्प्लॉयमेन्ट के बाबत क्या सरकार ने कोई नोटिफिकेशन, आर्डिनेन्स, आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो उनकी कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

भाग (1)व(2)—वैसे तो आर०एस० आर० के नियम 56 के अनुसार राज्य शासन को पूरा अधिकार है कि वह पब्लिक ग्राउन्ड्स पर चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को 55 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् उसके सेवा काल में वृद्धि या उसे पुनर्नियुक्त कर सकती है परन्तु शासन की नीति यही रही है कि अधिवार्षिकी आयु (सुपैनुएशन) प्राप्ति पर राज्य सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् सामान्यत: अधिकारियों व कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में कतिपय सेवाओं जैसे मेडिकल, शिक्षा के ऐसे व्यक्तियों की अमुक अवधि के लिए सेवा में वृद्धि या पुनर्नियुक्ति 60 साल तक नियुक्ति विभाग की सहमति से की जा सकती है।

भाग (3)—सेवा-काल में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति के विषय में जो राज्याज्ञाएं अब तक प्रसारित की गई हैं वह सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

देसूरी तथा बाली तहसीलों के सिविल जज, सिरोही के पास विचाराधीन मामले

316. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि पाली जिले की तहसील देसूरी और बाली के सभी सिविल मुकदमात पाली सिविल जज अदालत में पेश न होकर सिरोही जिले के सिविल जज की अदालत में पेश होते हैं।

(2) पाली जिले के देसूरी और बाली तहसीलों के कितने मुकदमात सिरोही जज की कोर्ट में पेन्डिग हैं ?

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जो मुकदमात सिरोही में बाली और देसूरी तहसीलों के वे सिविल जज, पाली की कोर्ट में स्थानान्तर कर लिये जावें ? यदि हां, तो फिर सरकार इस पर अमल क्यों नहीं करती ?

(4) क्या यह सत्य है कि पहले भी सिरोही सिविल जज की कोर्ट से बाली और देसूरी तहसीलों के मुकदमात पाली सिविल जज की कोर्ट में स्थानान्तर किये गये थे ?

उत्तर

(1) हां, इन तहसीलों में मुंसिफ के श्रवणाधिकार के दीवानी मुकदमे इस क्षेत्र में स्थित मुंसिफ कोर्ट स में ही सुने जाते हैं।

(विधि मंत्री)

(2) इस क्षेत्र से उत्पन्न दीवानी व फौजदारी मुकदमात निम्नलिखित संख्या, में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरोही की न्यायालय में पैन्डिग हैं।

1. सैसन्स केस	22
2. क्रिमिनल अपील	6
3. क्रिमिल रिविजन्स	3
4. सिविल सूट	47
5. सिविल अपील	9
6. एक्जीक्यूशन केस	44
	131

इनमें से कुछ ऐसे भी मुकदमात हैं जो व्यवहार न्यायाधीश के श्रवणाधिकार के हैं।

(3) यह प्रश्न नहीं उठता। मुकदमें एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तर करने के अधिकार जिला न्यायाधीश व उच्च न्यायालय में निहित हैं, न कि राज्य सरकार में।

(4) हाल ही में जिला न्यायाधीश, पाली ने 34 दीवानी दावे जो इस उप-खण्ड से उत्पन्न हुए थे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरोही, की न्यायालय से व्यवहार न्यायाधीश, पाली की न्यायालय में स्थानान्तर किये हैं।

आदिवासी किसानों के खाते दर्ज भूमि

317. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिविजन प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में जहां पर वर्षों से आदिवासी खेती कर रहे हैं, वन विभाग के नोटिफिकेशन से आदिवासियों की जमीन का जिनमें मकान एवं कुए हैं नियमित करने में राजस्व अधिकारी, वन खण्ड की भूमि बताकर नियमित नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने किसानों की मिसलें पेन्डिग हैं एवं खारिज कर दी गई हैं तथा इन आदिवासी किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है।

(2) क्या यह भी सच है कि जिन अदिवासी किसानों की जमीन खाते दर्ज हो चुकी है, वह वन विभाग एवं राजस्व विभाग के बीच समन्वय नहीं होने से एक तरफ राजस्व विभाग द्वारा लगान लिया जाता है तथा दूसरी तरफ वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो गरीब आदिवासियों को राहत देने एवं वास्तविक सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) वन खण्ड की भूमि पर कब्जा नाजायज होने और नियमित किये जाने सम्बन्धी कोई मामले तहसील में प्रस्तुत नहीं हुए हैं।

(2) जिन खातेदारों के नाम भूमि अंकित है उससे वन खण्ड की भूमि बता बेदखल किये जाने सम्बन्धी कोई विवाद तहसील प्रतापगढ़ में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। आदिवासियों के जहां नाजायज कब्जे थे और जो कब्जे नियम से नियमन करने योग्य थे उनको नियमित किये जा चुके हैं।

मंत्रियों के निजी मकान और सुविधाएं

318. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री विजयसिंह)

(1) कितने मंत्री ऐसे हैं जिनके राजधानी में निजी मकान हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे मंत्रियों को बिजली, पानी, बगीचा व मकान मरम्मत की क्या सुविधाएं दी गई हैं?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(2) राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार केवल बिजली व पानी एवं बगीचे की ही सुविधा दी जाती है।

जिन जिन मंत्रियों के राजधानी में निजी मकान हैं उन की तालिका:–

क्रम सं०	मंत्री का नाम व पद
1	श्री मथुरादास माथुर, वित्त मंत्री
2	श्री दामोदरलाल व्यास गृह मंत्री
3	श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मंत्री
4	श्री बृजसुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री
5	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मंत्री।
6	श्री राव धीरसिंह, उप-मंत्री, शिक्षा

संयुक्त कृषि सहकारी समिति बूड़सू

319. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त कृषि सहकारी समिति, बूडसू जिला नागौर की सम्पत्ति के नाम पर श्री रामचन्द्र ने यह जानते हुए कब्जा किया कि वह समिति की जायदाद नहीं है व 8-7-68 को असली मालिकों को जबरदस्ती पुलिस की मदद से बाहर निकलवा दिया?

(2) क्या यह सही है कि समिति के मंत्री व जायदाद मालिकों ने तार द्वारा व अन्य प्रकार से शिकायतें अधिकारियों को भेजी।

(3) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई व इस जबरदस्ती की गई कार्यवाही से हुए नुकसान का जिम्मेदार कौन है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) समिति अवसायन में थी व अवसायक ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 79 (2) के अनुसार समिति की सम्पति को कब्जे में ली थी। अतः नुक्सान व जबरदस्ती का प्रश्न नहीं उठता है।

बूंदी जिले में मछली पकड़ने के ठेके

320. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार के मछली पालन विभाग ने गत पांच वर्षों में बून्दी जिले में कहां 2 के ठेके दिये, किसको और कितने में?

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(2) ठेकेदार से सरकार किस प्रकार का मुहायदा करती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि ठेकेदार सुरक्षित स्थान में चोरी से मछलियां मारते हैं ? इसके कारण मछली वंश की वृद्धि होने के बजाय मछली वंश प्रायः समाप्त हो रहा है ?

(4) क्या यह सत्य है कि ठेकेदार डाइने माईट का उपयोग करते हैं और इसके कारण बडी मछलियों के साथ साथ सैंकड़ों बच्चे मारे जाते हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि ठेकेदार बारीक जाल को काम में लेने के फलस्वरुप छोटी मछलियों को पकड़ लेने से मछली वंश प्रायः नष्ट होता जा रहा है ?

उत्तर

(1) पशु पालन विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में दिये गये मछली के ठेकों से संबंधित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सरकार द्वारा फिशरीज एक्ट एवं रूल्स 1953 तथा 1958 के तहत जो मुहायदे किये जाते हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। यदि कोई ठेकेदार नियमों के प्रतिकुल जालों का प्रयोग पकड़ने में करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर क्षेत्र की पंचायतों की भूमि

321. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र की पंचायतों को 15 बीघा भूमि देने का आदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायतों को 15 बीघा भूमि न देकर 100 किला भूमि पंचायत समितियों को एलॉट करने का नियम बनाया है ? यदि हां, तो इससे पंचायतों को क्या लाभ होगा ?

(3) क्या यह सही है कि बारानी क्षेत्र में अभी तक 15 बीघा भूमि पंचायतों को देने का आदेश है ? यदि हां, तो नहरी क्षेत्र में बन्द क्यों किया गया है ?

(4) जिला श्री गंगानगर में नहरी क्षेत्र की कितनी पंचायतों को 15 बीघा भूमि दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि जिन पंचायतों को भूमि दी गई है वह कीमतन दी गई है ? यदि हां, तो पंचायतों को इस प्रकार भूमि देने से क्या लाभ है ?

(6) क्या यह सही है कि पंचायतों की भूमि पर सरकारी रेट से 33 प्रतिशत कीमत अधिक वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो किस नियम से ऐसा किया जा रहा है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(7) कितनी पंचायतों से भूमि की कीमत जमा करा ली गई है ? पंचायतों के नाम कुल रकम पंचायत वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम, 1967 में कोई अब प्रावधान न होने के कारण ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायतों को 15 बीघा न देकर 75 बीघा भूमि पंचायत समितियों को देने का राजस्थान उपनिवेशन राजकीय भूमि आवंटन एंव विक्रय नियम, 1967 के नियम 19 (11) में प्रावधान है। पंचायत समितियों को आवंटित भूमि का लाभ समितियों के उत्पादन में व आय में वृद्धि होने से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु मिल सकेगा। जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के करने में लाभांवित होगा।

(3) सरकार के विचाराधीन है।

(4) जिला श्री गंगानगर में राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में शुमार होने वाली 13 ग्राम पंचायतों को 15 बीघा भूमि प्रत्येक को दी गई है जिनकी सूची संलग्न है।

(5) जी हां। इस प्रकार भूमि देने से भूमि की कीमत अदा करने पर उक्त भूमि पर ग्राम पंचायतों का स्वामित्व हो जायेगा और पंचायतों को सम्पूर्ण अधिकार हासिल हो जायेंगे। इस भूमि पर कृषि करके यह पंचायतें कृषि की आय से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने में सफल होंगी।

(6) जी हां। ऐसा राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 4(34) आर० सी० पी० डी० /62 दिनांक 26-11-62 के अनुसार किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है)।

(7) 11 ग्राम पंचायतों से भूमि की कीमत 17034-69 रुपया जमा कराली गई है, पंचायतों के नाम व रकम कुल जमा शुदा पंचायत वाईज की सूची संलग्न है। दो पंचायतों से रकम जमा करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

बाड़मेर जिले के गांवों का विभाजन

322. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करें :

(1) बाड़मेर जिला के सुन्दरा, हरसाणी मदूसर, गिराव एवं जैसिंघर ग्रामों का क्षेत्रफल कितना है ?

(2) उन गांवों को कितने रेवेन्यू गांवों में विभाजित करने के लिये विभाग में क्या कार्यवाही चल रही है ?

(3) यह कार्यवाही कितने अरसे से चल रही है और इस देरी के क्या कारण हैं ?

(4) कब तक विभाजन का कार्य सम्पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) क्षेत्रफल इस प्रकार है:—

नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ में
1. सुन्दरा	331840 ,,
2. हरसाणी	99439 ,,
3. मेदूसर	79527 ,,
4. गिराव	100160 ,,
5. जैसिंघर	91379 ,,

(राजस्व मंत्री)

(2) इन ग्रामों को 14 ग्रामों में विभाजन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) यह कार्यवाही सन् 1965 से चालू है। आपत्कालीन स्थिति होने के कारण शासकीय इकाईयों की तब्दीली नहीं की जा सकती थी।

(4) इस मामले पर पुनर्सीमा निर्धारण कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश करने के उपरान्त ही विभाजन की कार्यवाही करना संभव होगा।

नागौर सेन्ट्रल कोआँपरेटिव बैंक लि० डीडवाना के विरुद्ध शिकायतें

---

323. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० नागौर द्वारा खोली गई डीडवाना शाखा के संबंध में कई शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई और उन पर जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या अनियमितताएं पाई गई और कौन कौन व्यक्ति दोषी पाये गये, उनके संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गई ?

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) जांच रिपोर्ट के अनुसार निम्न अनियमितताएं पाई गई :

1. डीडवाना ब्रांच के लिए बैंक द्वारा 24,000) रुपये का ऋण गलत तरीके से भवन रहन रख दिया जाना।

2. जमीन जिस पर भवन बना है, उस पर स्वामित्व विवाद ग्रस्त होना।

3. बिना टेन्डर आमन्त्रित किये ब्रांच डीडवाना के लिये सामान क्रय करना।

4. अध्यक्ष, द्वारा अग्रिम राशि बैंक से प्राप्त करना।

उपरोक्त अनियमितताओं में क्रम संख्या 1 व 2 के लिये निम्न व्यक्ति दोषी पाये गये :—

1. श्री चैनाराम, अध्यक्ष, नागौर को० सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० नागौर।

2. श्री राम करण, उपाध्यक्ष, नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० नागौर।

3. श्री दरदीनराम, सदस्य, नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० नागौर।

4. एम० देव, सदस्य, नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, नागौर।

5. श्री उदीराम, सदस्य, नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, नागौर।

(सहकारिता मंत्री)

6. गंगाशंकर, ट्रेजरी ऑफिसर, मनोनीत सदस्य।

7. श्री एस० पी० भण्डारी, कार्यवाहक सहायक रजिस्ट्रार, मनोनीत सदस्य।

8. श्री जीवन चन्द्र जैन, मैनेजर नागौर सैन्ट्रल कोआपरेटिव ंक लि०, नागौर।

अनियमितताओं पर निम्न प्रकार कार्यवाही की गई:—

1. उपरोक्त व्यक्तियों के संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965, की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार उक्त अधिकारियों के आचरण जांच हेतु सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 74 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

2. जिस जमीन पर भवन बना हुआ है, वह मामला विवादास्पद है और इस मामले को पुलिस में दिये जाने हेतु राज्य सरकार विचार कर रही है।

3. सामान क्रय करने के बारे में संचालक मण्डल में पुष्टि 5-9-68 को प्रस्ताव संख्या 6 के द्वारा करदी है। अतः इस पर आगे कोई कार्यवाही करनी उचित नहीं समझा।

4. अग्रिम राशि का समायोजन अध्यक्ष के यात्रा भत्ता बिलों में कर दिया गया है। इसलिये कोई कार्यवाही करना वाजिब नहीं समझा गया।

राज्य में बनाये गये कानून

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दस वर्षों में राज्य में कितने कानून बनाये गये हैं?

(2) उन कानूनों में से कितनों के अन्तर्गत रूल्स बनाये गये? और उनका पालन किया गया?

(3) किन कानूनों के अन्तर्गत अभी तक रूल्स नहीं बनाये गये और क्यों?

उत्तर

(1) पिछले दस वर्षों में (सन् 1959 से 1968 तक) राज्य में कुल 265 कानून बनाये गये हैं।

(2) ऐसे अधिनियमों की संख्या 33 है। सभी नियमों का पालन होता है।

(3) बकाया अधिनियमों के अन्तर्गत नियम नहीं बनाये गये। कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनमें नियम बनाये ही नहीं जाते जैसे विनियोग अधिनियम, संशोधन अधिनियम आदि। नियम आवश्यकता के अनुसार बनाये जाते हैं। राज्य सरकार नियम बनाती रहती है।

खण्ड मंडलाधिकारी, किशनगढ़ के पास विचाराधीन मामले

325. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान खंड मंडलाधिकारी किशनगढ़ में कब से काम कर रहे हैं?

(2) जब से इन्होंने काम करना शुरू किया उस वक्त राजस्व विभाग व फौजदारी ताल्लुक के कितने मुकद्दमे पेन्डिंग में थे व

(श्री सुमेरसिंह)

इनके चार्ज सम्भालने के बाद राजस्व व फौजदारी के कितने नये मुकद्दमें आज तक दायर हुए ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान खंड मंडलाधिकारी का कार्य उक्त मुकद्दमों के डिस्पोजल को देखते हुए सन्तोषप्रद नहीं है ?

(4) यदि हां, तो उक्त मुकदमात के शीघ्र डिस्पोजल कराने के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है व इनकी तरफ से जो डिस्पोजल कार्य धीमा किया जा रहा है उसके बारे में राज्य सरकार द्वारा इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) वर्तमान खण्ड मंडलाधिकारी, श्री जी० बी० सक्सेना दिनांक 2-9-67 से किशनगढ़ में काम कर रहे हैं।

(2) जब से इन्होंने काम करना शरू किया उस वक्त राजस्व के 155 व फौजदारी के 149 मुकद्दमे विचाराधीन थे इनके चार्ज सम्भालने के बाद दिनांक 8-8-69 तक राजस्व के 1030 तथा फौजदारी के 1124 नये मुकद्दमे दायर हुए हैं।

(3) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा खण्ड मण्डलाधिकारी के लिये निर्धारित डिस्पोजल राजस्व के 40 व फौजदारी के 15 मुकद्दमे प्रति माह किया गया है। वर्तमान खण्ड मण्डलाधिकारी ने किशनगढ़ में अब तक 23 महीने व कुछ दिन कार्य किया है निर्धारित डिस्पोजल के हिसाब से 23 महीनों में राजस्व के 920 मुकद्दमे फैसले होने चाहिये जब कि उनके द्वारा 986 मुकद्दमे फैसले किये गये हैं तथा फौजदारी के 345 मुकद्दमें फैसले होने चाहिये जब कि इनके द्वारा 1044 मुकद्दमे फैसले किये गये हैं। उपरोक्त डिस्पोजल को देखते हुए सन्तोषप्रद प्रतीत होता है।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

विदेशी यात्रियों के लिये गाड़ियां

326. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा विदेशी यात्रियों एवं राज्य के बाहर से आने वाले अन्य यात्रियों के उपयोग के लिये कुल कितनी गाड़ियां कितनी कीमत की अब तक खरीदी गई हैं ? उनके संबंध में खर्च और आमदनी का पूर्ण विवरण अलग अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि ट्यूरिस्ट गाड़ियों का उपयोग ना हानि ना लाभ के आधार पर किया जायेगा ? यदि हां, तो फिर इस मद में इतना अधिक घाटा क्यों रहा ?

(3) क्या यह सही है कि ये गाड़ियां मंत्रियों एवं अधिकारियों के उपयोग में लिये जाने के लिये नहीं हैं परन्तु इसके बावजूद भी इनका उपयोग इन लोगों के द्वारा होता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? गत पांच वर्षों में किन किन मंत्रियों ने इन ट्यूरिस्ट गाडियों का उपयोग किया है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विदेशी यात्रियों एवं राज्य के बाहर से आने वाले

(मुख्य मंत्री)

अन्य यात्रियों के उपयोग के लिये कुल 12 गाड़ियां तीन लाख अठारह हजार आठ सौ बियालीस व तीन पैसे (3,18,842.03) कीमत की खरीदी गई हैं इनके संबंध में खर्च और आमदनी का पूरा विवरण संलग्न तालिका (क) में दिया गया है।

(2) जी नहीं।

इनकी दर 1) रु० प्रति मील रखी गई है। यही दर नगर में अन्य इस प्रकार की टैक्सीज की है। उससे अधिक दर रखने में इनका उपयोग और घट जाने का भय है। कार के स्टेंडिंग चार्जेज तो रहते ही हैं—अतः ट्यूरिस्ट आदि की मांग कम मात्रा में आने के कारण गाड़ियां घाटे में चलीं।

(3) यह गाड़ियां मुख्यतः ट्यूरिस्टों के लिये ही आई हैं लेकिन ट्यूरिस्टों की मांग जब इन गाड़ियों की नहीं होती हैं तो मंत्रियों के भी काम में ले ली जाती ह। क्योंकि गाड़ियों को चालू हालत में रखने के लिये भी उनका काम में लेते रहना आवश्यक है। गत पांच वर्षों में सभी केबिनेट स्तर के मंत्रियों के उपयोग में ये गाड़ियां आई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम खोड़ में बिजली

327. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रानी स्टेशन (जिला पाली) से ग्राम खोड (जिला पाली) को बिजली देने का सरकार का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त क्षेत्र दो फसली क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत कुए खुदे हुए हैं परन्तु पानी निकालने की समस्या बनी हुई है? यदि हां, तो सरकार इस समस्या को हल करने हेतु उपर्युक्त विद्युत् लाइन कब तक देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अभी कोई योजना नहीं है।

(2) कुओं की संख्या के बारे में जानकारी इस विभाग को नहीं है। विद्युति कर की योजना अभी कोई नहीं है।

हवाई स्क्वेडन के लिये एकत्रित धनराशि

328. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1965-66 में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व स्व० प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री को भारत पाक युद्ध के समय एक स्क्वेर्डन विमान राजस्थान की ओर से देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो किस स्थान पर घोषणा की और उस पर कितना रुपया व्यय होने वाला था और क्या वह भेंट किया?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने इस कार्य हेतु धन संग्रह किया था? यदि हां, तो किस किस स्थान से किस किस व्यक्ति से कितना कितना रुपया इकट्ठा किया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि बारह नेट विमानों के एक

(मुख्य मंत्री)

स्क्वेडन के लिये राजस्थान से एक करोड़ अड़सठ लाख रुपये दिये जावेंगे। यह स्क्वेडन भेंट नहीं किया गया।

(2) जी हां। घोषणा के अनुसार धन राशि एकत्रित करने का पूरा प्रयत्न किया गया जिसके फलस्वरूप चौरानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ चौरानवे रुपये उन्नचास पैसे तथा ग्यारह हजार छः सौ ग्यारह ग्राम स्वर्ण एकत्रित किये गये। यह धनराशि एवं स्वर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा करा दिये गये हैं। चूंकि समस्त देश में जुलाई, 1967 से सुरक्षा कोष के लिये धन संग्रह का कार्य बंद कर दिया गया है। अतः शेष रकम एकत्रित नहीं की जा सकी।

वांछित सूचना एकत्रित करने में बहुत अधिक समय व परिश्रम लगेगा अतः सूची सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

इन्सपेक्टर ऑफ लण्ड रिकार्ड के पद पर नियुक्तियां

329. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल रिट पिटीशन नं० 284/63 में अपने निर्णय दिनांक 23-1-67 द्वारा राजस्व विभाग में इन्सपेक्टर ऑफ लैण्ड रिकार्ड की कुछ नियुक्तियों को गलत माना है और श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल अमीन को इस पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक उच्च न्यायालय के इस फैसले को लागू नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त श्री जगदीश प्रसाद को सैटिलमेंट अफसर, भीलवाड़ा ने बिना पूर्व स्वीकृति अवकाश बढ़ोत्तरी के आरोप में दिनांक 7-7-67 नौकरी से बरखास्त कर दिया है?

(4) क्या यह सही है कि बरखास्तगी के निर्णय में ही उक्त सैटलमैंट अफसर ने उक्त जगदीश प्रसाद का बिना स्वीकृति बढ़ाये गए अवकाश का बिना वेतन अवकाश स्वीकृत कर दिया है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त सैटलमैंट अफसर को उक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी को बरखास्त करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं?

(6) क्या उक्त अधिकारी की उक्त कर्मचारी को बरखास्त करने की कार्यवाही राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने के कारण दण्डित करने की दृष्टि से नहीं की गई है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, परन्तु अपील में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-9-68 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद को बहाल किया जा चुका है।

(4) जी हां, परन्तु अब राज्य सरकार ने दिनांक 10-9-68 को डीनोवो इन्क्वायरी के आदेश दिये हैं अतः डीनोवो इन्क्वायरी के बाद जो निर्णय होगा उसमें इसके बाबत में निर्णय लिया जावेगा।

(5) जी हां।

(राजस्व मंत्री)

(6) उस कर्मचारी को बरखास्त करने की कार्यवाही उच्च न्यायालय में जाने के कारण दंडित करने की दृष्टि से नहीं की गई है।

टोंक में बड़ा उद्योग न होने के कारण बेरोजगारी

330. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक व उसके आस पास के क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा उद्योग नहीं होने के कारण वहां की मजदूर जनता बेरोजगार है।

(2) क्या सरकार वहां कोई उद्योग खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेकारी संबंधी जानकारी इस विभाग को नहीं है। यह सूचना श्रम विभाग ही दे सकता है।

(2) जी हां। चमड़े का कारखाना खोलने की योजना है। निश्चित तारीख अभी बताना संभव नहीं है।

ग्राम उम्मेदपुरा में भूमि का आवंटन

331. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम उम्मेदपुरा (वीरान) पंचायत बावेर में हरीगढ़ के व्यक्तियों को भूमि आबाद करने के आदेश राजस्व विभाग से जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? कृपया आदेश की कॉपी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें व जिन व्यक्तियों के नाम भूमि एलॉट की जानी है उनके नाम मय रकबा के भी बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन में से 118 बीघा भूमि एलॉटमेंट कमेटी द्वारा भी कुछ व्यक्तियों के नाम एलॉट की जा चुकी है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम आदेश की कॉपी व तारीख एलॉटमेंट की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बावेर में मुख्यतया भूमिहीन आदिवासियों की आबादी है और उम्मेदपुरा भी ग्राम बावेर की सरहद में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो यहां के भूमिहीन परिवारों को जमीन नहीं दिलवाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बावेर के व्यक्तियों द्वारा पेश की गई दरख्वास्तें फाड़ डाली गई हैं और श्री तोताराम, श्री हेमचन्द व श्री दुलीचन्द ग्राम हरीगढ़ के नाम बाद में जोड़े गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। जिन 55 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की जाने वाली है उनकी सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि तहसील एडवाइजरी कमेटी भूमि आवंटन की सलाह से 11/12-8-67 को 15 व्यक्तियों को बावेर ौर 10 व्यक्तियों को हरिगढ़ की 140

(राजस्व मंत्री)

बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की गई। आदेश सलाहकार समिति की प्रतिलिपि मय सूची आवंटन संलग्न है।

(3) ग्राम बावेर में सन् 61 की गणना के अनुसार 55 परिवार हैं इनमें 31 परिवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं। ग्राम उम्मेदपुरा बाघेर की सरहद में नहीं है। बल्कि पृथक ग्राम है व पंचायत क्षेत्र बाघेर में यह ग्राम है। चूंकि उक्त आदेश अव्वल 55 भूमिहीन व्यक्तियों को जिनके प्रार्थना-पत्र पेंडिंग थे आवंटन करने के हैं इसलिये उनको प्राथमिकता दी जावेगी और बचा हुआ रकबा दीगर भूमिहीन व्यक्तियों को दिया जा सकता है।

(4) यह सही नहीं है। ग्राम बावेर के व्यक्तियों द्वारा पेश हुए प्रार्थना-पत्र नष्ट नहीं किये हैं बल्कि तहसील खानपुर में पेंडिग हैं। श्री तोताराम दुलीचन्द हेमचन्द के बारे में ज्ञात हुआ है कि पूर्व प्रार्थना-पत्र सन् 62 में पेश हुए थे वे न मिलने पर भूतपूर्व तहसीलदार, श्री रामनारायण शर्मा ने 15-6-67 को पुनः इनके प्रार्थना-पत्र लिये थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाइलोन फैक्ट्री में पत्थर पालिश का कारखाना

332. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में स्थापित जे० के० सिन्थेटिक्स ने अपनी नाइलोन फैक्ट्री के अहाते में एक पत्थर पोलिश का कारखाना लगाया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पत्थर पोलिश का कारखाना लगाने के लिये जमीन सब-लीज की गई है ?

(3) अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पाली में पावर लूम के लिये बिजली

333. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (पाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली नगर में पावर-लूम लगाने हेतु विद्युत् कनेक्शन पाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) उन्हें कितने समय में विद्युत् उपलब्ध की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) एक भी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना

334. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना में क्या लागत लगी है ? यह कब शुरू हुई थी ?

(2) इसमें कुल कितने दूधारू पशु हैं और रोजाना का कितना दूध होता है ?

(श्री केशरी सिंह हाडा)

(3) इस योजना में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनका वेतन क्या है ?

(4) इसमें कितने वाहन हैं और माहवारी उनका क्या खर्चा आता है ?

(5) वर्ष 1968 में दूध किस माह तक शहर में बराबर बूथों पर जाता रहा ?

(6) दूध की सप्लाई किस माह से बन्द हुई और क्यों ?

(7) क्या यह सत्य है कि दूध का जयपुर शहर में वितरण नहीं होने से दूसरे दूध विक्रेता काफी मंहगा भाव पर बेच रहे हैं ?

(8) सरकार से इस योजना में कितना कर्ज दिया गया है ?

उत्तर

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना में अब तक 27,37,192.00 की लागत लगी है। यह योजना 1964 में चालू हुई थी ?

(2) योजना के अन्तर्गत कोई दुधारू पशु नहीं रखे जाते।

(3) जयपुर दुग्ध वितरण योजना में कुल 224 कर्मचारी कार्य करते हैं। जिनका वेतन 31,124)03 पैसे हैं।

(4) इस योजना में 13 वाहन हैं और इनका माहवारी खर्चा ओसतन 23,367) रु० है।

(5) वर्ष 1968 में माह मई, 68 तक शहर में बराबर बूथों पर दूध जाता रहा है।

(6) पर्याप्त मात्रा में दूध प्राप्त न होने से दूध की सप्लाई माह जून, 1968 से बन्द हुई।

(7) दूध की कमी के कारण भाव बढ़ना स्वाभाविक है।

(8) सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को 8 लाख 55 हजार रुपये का कर्ज दिया गया है।

	रु०
1963-64	50,000
1964-65	3,05,000
1965-66	
1966-67	5,00,000

बिजली की असुविधा

छबड़ा, छीपाबड़ोद एवं अकलेरा कस्बों में बिजली की असुविधा

335. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि बारां से अटरू होकर छीपाबड़ोद को जो बिजली की लाइन आई है वह अक्सर खराब रहती है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जून, 1969 में करीब 15 दिन तक छबड़ा, छीपाबड़ोद व अकलेरा कस्बों को बिजली न मिल सकी जिससे यहां की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। 15 दिन तक एक साथ बिजली बन्द नहीं रही। 9 जून को भारी

(विद्युत् मंत्री)

तूफान के कारण बिजली अवश्य बन्द हो गई जो करीब 68 घन्टे बाद ही पुनः चालू कर दी गई। उसके बाद 14 जून से 21 जून, 69 तक केवल प्रातःकाल 6 घन्टे लाइन की मरम्मत आदि के कारण बिजली बन्द की गई थी।

ग्राम डाबर बम्बोरी में आयुर्वेद औषधालय

336. **श्री कृष्णकुमार गोयल** : (कोटा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की पंचायत समिति, सुल्तानपुर में स्थित ग्राम मंडावरा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर व आयुर्वेद औषधालय दोनों स्थित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सुल्तानपुर ने अपने निर्णय द्वारा मांग की है, आयुर्वेद औषधालय मंडावर ग्राम से ग्राम डाबर बम्बोरी में स्थानान्तरित कर दिया जावे ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत डाबर बम्बोरी ने अपने ग्राम में औषधालय भवन निर्माण करवा लिया है ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पत्र दिनांक 19-7-67 द्वारा मांग की गई।

(3) जी हां। सरकार के विचाराधीन है।

भोज पर खर्चा

337. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के तत्कालीन जन-सम्पर्क मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने दिनांक 5-12-67 को राजस्थान के जन-सम्पर्क अधिकारियों को खासा कोठी में शाम का भोज दिया जिसमें मंत्रीजी के अलावा राज्यमंत्री श्री जयकिशन, और करीब 60 आदमी और थे ? यदि हां, तो उस भोज का कितना खर्चा राज्य के बजट से किया गया ?

(2) क्या यह भी सच है कि 25 आदमियों से ज्यादा के भोज पर सरकार ने नियंत्रण कर रखा है ? यदि हां, तो फिर सरकार के मंत्रीजी ने यह कानून क्यों तोड़ा ?

उत्तर

(1) जी हां। संबंधित भोज में 704) रु० व्यय हुआ।

(2) यह सच है कि भोज पर सरकार ने नियन्त्रण कर रखा है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा संबंधित भोज के लिये छूट के आदेश प्राप्त होने पर ही भोज दिया गया था अतः कानून तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

बारां नगर में चूने के भट्टे के लिये ऋण

338. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के बारां नगर के श्री रामचरण शर्मा (पटवारी) को चूने का भट्टा लगाने के लिये करीब दस हजार रुपया का ऋण दिया गया था ? यदि

Page No 169

(श्री श्रवणलाल)

हां, तो किस तारीख को, किस एग्रीमेंट के आधार पर कितने रुपया का ऋण दिया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध रकम वसूली के लिये पी०डी०आर० की कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो किस तारीख को कार्यवाही हुई और क्या रकम वसूल कर ली गई है ?

उत्तर

(1) जी, हां । दिनांक 14-10-60 को इन्हें इनके राजपुरा वार्ड बारां स्थित 40,000) ० के मकान के रहन के विरुद्ध 10,000) रु० का ऋण दिया गया था ।

(2) जी हां । दिनांक 31-8-64 को पी०डी० आर० के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही हुई । रकम अभी तक वसूल नहीं हुई है ।

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 445 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

[General Administration (A) Department]

ORDER

No. D. 3097/F. 5(4) GA/A/55. *Dated Jaipur, the 15th March 55.*

It has come to the notice of the Government that Officers are Generally transferred outside their home Districts and sometimes even outside their Divisions thereby causing great hardship to the low paid employees. Government have, therefore, been pleased to order that all officers drawing less than Rs. 250/- p. m. may not ordinarily be transferred outside their home Districts and if the transfer is unavoidable it should as far as possible be confined to the Division.

KISHEN PURI,
Chief Secretary to Government.

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (क) विभाग

संख्या प० 2 (30) सा०/प्र०/क/66 जयपुर, दिनांक 8-11-66

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की तत् विषयक सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा आदेश प्रदान करते हैं कि:—

(1) अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों का स्थानान्तरण क्षत्रीय स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्र की परिसीमा के अन्तर्गत कर सकते हैं।

2) विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारी जिलाधीश के परामर्श के उपरान्त अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को जिले के अन्दर संबंधित विभाग में ही स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(3) अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों को सामान्यतया एक जिले में कम से कम पांच वर्ष तक रखा जाना चाहिये। ऐसे अधिकारियों के संबंध में अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेंगे।

(4) अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों का स्थापन उन जिलों में नहीं किया जाना चाहिये जहां उनका घर हो, परन्तु जहां तक संभव हो उन्हें उसी क्षेत्र में रक्खा जायेगा जहां के वे हों।

उपरोक्त आदेशों के प्रचलन के बाद इस विषय पर अब तक जो आदेश उपलब्ध हों वे असंगति की सीमा तक निरस्त माने जायेंगे।

आज्ञा से
ह० (शरफ अली),
उप-शासन सचिव।

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 449 की सूची)

राजनैतिक पीड़ित जो अजमेर जिले में राजनैतिक पीड़ित पेंशन पा रहे हैं, पंचायतवार सूची निम्न प्रकार है:—

1	अजमेर शहर	47
2	ब्यावर	4
3	केकड़ी	3
4	किशनगढ़	2
5	सिलोरा पंचायत	2
6	भिनाय पंचायत	1
7	पिसांगन पंचायत	1
	योग ..	60

उन राजनैतिक पीड़ितों की सूची जिनको सहायता दी गई है/दी जा रही है।

1	अजमेर शहर	11
2	ब्यावर	1
3	केकड़ी	2

नामों की सूची निम्न प्रकार है:—

1	श्री प्रभूदास, अजमेर	500) रु०
2	श्री मुखम चन्द अरोड़ा, अजमेर	500) रु०
3	श्री मोतीलाल, अजमेर	2000) रु०
4	श्री स्वामी कुमारानन्द, अजमेर	2000) रु०
5	श्री कन्हैया लाल आर्य, अजमेर	1000) रु०
6	श्रीमती कस्तूरी बाई, अजमेर	1000) रु०
7	श्री झामूमल, अजमेर	500) रु०
8	श्री आलूमल डोडो मल, अजमेर	2000) रु०
9	श्री गंगाराम, अजमेर	500) रु०
10	श्री टोपनदास, अजमेर	1000) रु०
11	श्री सेवाराम भाटिया, अजमेर	1000) रु०
12	श्री सूरजमल मौर्य, ब्यावर	4000) रु०
13	श्री सोहन लाल मेड़तवाल, केकड़ी	3000) रु०
14	श्री रामदयाल झंवर, केकड़ी	3000) रु०
	योग ..	22000) रु०

परिशिष्ट 6

(प्र० प्र० सं० 449 की सूची)

राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल व बाढ़ सहायता कोष में राजस्थान एवं भारत के विभिन्न प्रदेशों से 31 जुलाई, 69 तक प्राप्त धनराशि का विवरण।

1. राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्राप्त सहायता 30, 78,419.73 रु०

2. भारत के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त सहायताः

1. महाराष्ट्र	1,39,960.30
2. प० बंगाल	85,031.00
3. आसाम	5,08,541.00
4. मद्रास	44,319.30
5. मैसूर	924.00
6. उड़ीसा	1,409.00
7. उत्तर प्रदेश	22,937.39
8. मध्य प्रदेश	14,275.91
9. गुजरात	21,794.00
10. हरियाणा	331.50
11. गोआ	2,355.00
12. देहली	1,35,759.70
13. पंजाब	1,07,109.47
14. केरल	5.25
15. जम्मू कश्मीर	10,190.00
16. बिहार	726.00
17. हिमाचल प्रदेश	40.82
18. आन्ध्र प्रदेश	12.00
योग ..	10,90,711.64
कुल योग ..	41,69,131.37

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 453 की सूची)

राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल व बाढ़ सहायता कोष में 31 जुलाई, 69 तक प्राप्त धनराशि

1.	मुख्य मंत्री कार्यालय में सीधे प्राप्त (चैक व नकद)	23,59,570.98
2.	जिला कोष कार्यालय में पी० डी० अकाउन्ट में जमा:—	
1.	जयपुर	1,88,580.92
2.	सवाई माधोपुर	22,737.01
3.	अलवर	1,95,419.15
4.	सीकर	44,340.11
5.	झुन्झुनू	1,25,896.17
6.	भरतपुर	89,932.65
7.	जोधपुर	42,916.05
8.	पाली	42,965.07
9.	जैसलमेर	12,646.82
10.	बाड़मेर	43,576.00
11.	सिरोही	10,296.15
12.	नागौर	20,452.18
13.	जालोर	16,619.97
14.	कोटा	96,536.93
15.	बूंदी	21,768.29
16.	झालावाड़	25,987.13
17.	बीकानेर	7,335.77
18.	अजमेर	2,30,056.63
19.	चूरू	18,826.67
20.	श्री गंगानगर	35,371.97
21.	उदयपुर	51,864.62
22.	डूंगरपुर	56,157.47
23.	बांसवाड़ा	1,14,740.62
24.	चित्तौड़गढ़	1,32,344.04
25.	भीलवाड़ा	1,60,380.33
26.	जयपुर (सचिवालय कोष)	1,811.87
	योग —	41,69,131.37

राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से दी गयी सहायता की सूची

क्र०सं०	स्वीकृति दिनांक	नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	2-11-68	जिलाधीश, उदयपुर।	छः वैगन अनाज के भाड़े के भुगतान हेतु।	8,000)रु०
2	17-12-68	जिलाधीश, झुंझुनू।	नवलगढ़ के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ।	10,000)रु०
3	19-12-68	चेयरमैन, गो सेवा समिति, उदयपुर।	निदेशक, कुनाल चित्रा, उदयपुर गो सेवा समिति के लिये चैक प्राप्त हुआ उसे कोष में जमा कर संस्था को भेजा गया।	5,001)रु०
4	18-4-69	जिलाधीश, पाली।	राहत कार्य पर काम करते हुए मजदूरों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवारों को आर्थिक सहायता।	500)रु०
5	5-6-69	जिलाधीश, चित्तौड़गढ़।	चित्तौड़गढ़ जिले में मारवाड़ से आई हुई अकाल पीड़ित गायों की सहायतार्थ।	1,000)रु०
6	1-1-69	चेयरमैन, राजस्थान अकालग्रस्त कल्याण समिति, जयपुर।	अकालग्रस्त क्षेत्र में सहायता एवं कल्याण कार्य हेतु।	2,50,000)रु०
7	20-1-69	सहायता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।	हनुमानगढ़ में गायों के छप्पर बनाने हेतु।	17,000)रु०
8	9-1-69	दी महालक्ष्मी मिल्स के० लि०, ब्यावर।	अकालग्रस्त क्षेत्र में वितरण हेतु, रजाइयों के भुगतान हेतु।	1,25,000)रु०
9	"	दी राज० स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०, जयपुर।	"	1,00,000)रु०
10	"	जिलाधीश, जोधपुर (द्वारा सहायता आयुक्त)।	"	75,000)रु०

Page No 176

1	2	3	4	5
11	31-1-69	श्री दधिमती शक्ति औषधालय, जोधपुर (द्वारा जिलाधीश, जोधपुर) ।	विभिन्न राहत कैम्पों पर मजदूरों को औषधि वितरण करने हेतु ।	1,000) रु०
12	24-3-69	दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपो० लि०, जयपुर द्वारा सहायता आयुक्त, जयपुर ।	रजाइयों के भुगतान हेतु ।	53,270) 60 रु०
13	19-4-69	राजस्थान गो सेवा संघ, जयपुर द्वारा अ० सहायता आयुक्त ।	अभावग्रस्त क्षेत्र से सस्ते दाने की व्यवस्था हेतु ।	2,00,000) रु०
14	8-4-69	जिलाधीश, जयपुर ।	ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों की सहायतार्थ ।	50,000) रु०
15	"	जिलाधीश, सीकर ।	"	25,000) रु०
16	"	अध्यक्ष, बाड़ली कैठल केम्प, जोधपुर द्वारा जिलाधीश, जोधपुर ।	बाडली कैम्प के पशुओं की सहायतार्थ (राज० सेवा समिति एतदर्थ प्राप्त) अनुदान का कैम्प के लिये भेजा गया ।	77,165) रु०
17	30-4-69	राजस्थान रिलीफ सोसायटी, बम्बई ।	अभावग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य हेतु ।	20,000) रु०
18	24-4-69	चेयरमैन, राजस्थान अभावग्रस्त कल्याण समिति, जयपुर ।	अकालग्रस्त क्षेत्र में सहायता एवं कल्याण कार्य हेतु ।	2,00,000) रु०
19	17-5-69	सहायता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।	जिला बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को रियायती दर पर ब्याज एवं गुड़ दिये जाने हेतु ।	5,00,000) रु०

1	2	3	4	5
20	12-5-69	ज़िलाधीश, गंगानगर।	ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों की सहायतार्थ।	50,000) रु०
21	17-5-69	सहायता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।	राहत शिवरों पर मजदूरों के लिये सिरकियों की व्यवस्था हेतु।	2,00,000) रु०
22	15-5-69	जिलाधीश, बाड़मेर।	धानेरी नाड़ी कम्प पर कार्य करने वाले मजदूरों की मृत्यु के कारण उनके परिवारों की सहायतार्थ।	1,000) रु०
23	16-5-69	जिलाधीश, पाली।	ग्राम देवीरिया, तह० जैतारण में राहत कार्य पर करते हुए मृत्यु प्राप्त मजदूरों के परिवारों की सहायतार्थ।	2,750) रु०
24	23-5-69	जिलाधीश, बांसवाड़ा।	नाड़ोताड़ घाटी के पास रिलीफ में कार्य कर रहे मजदूरों का ट्रक एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवारों की आर्थिक सहायता हेतु।	3,000) रु०
25	5-6-69	जिलाधीश, उदयपुर।	जसवन्तगढ़ तालाब के निर्माण कार्य में मृत्यु प्राप्त मजदूरों के परिवारों की सहायतार्थ।	1,600) रु०
26	10-6-69	सद्गुरू सेवा संघ, बम्बई द्वारा सहायता आयुक्त।	संघ द्वारा अकालग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य पर किये गये कार्य का अंशदान स्वरूप (सस्ते भाव पर गल्ला बेचने हेतु अनुदान)।	5,00,000) रु०
27	26-6-69	जिलाधीश, पाली।	डिगराना, तहसील जैतारण पर राहत कार्य पर लगे हुए मजदूरों की मृत्यु के कारण उनके परिवारों की आर्थिक सहायता हेतु।	1,000) रु०
28	26-6-69	जिलाधीश, उदयपुर।	ग्राम छापली, तहसील रेलमगरा, राहत कार्य पर मृत्यु प्राप्त मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता।	500) रु०

Page No 178

1	2	3	4	5
29	21-7-69	अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं रसद वि०, राजस्थान, जयपुर।	अ० ग्रस्त क्षेत्रों में 1 लाख टन ल ल गेहूं निर्धारित मूल्य से कम दर पर बेचने से हानि का 50 प्रतिशित भुगतान।	5,50,000) रु०
30	7-7-69	श्री गौशाला, नोहर द्वारा जिलाधीश, गंगानगर।	अकाल पीड़ित पशुओं के पीने के पानी के लिये पक्की डिग्गी के निर्माण हेतु।	35,000) रु०
31	5-7-69	सब-डिवीजनल ऑफिसर,प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़।	अकाल पीड़ित गायों की सहायतार्थ।	1,000) रु०
32	21-7-69	मुख्य भू-जल अभियन्ता एवं सचिव, राज०, जोधपुर।	अकाल पीड़ित क्षेत्र में नल-कूप लगवाने हेतु।	55,000) रु०
33	11-8-69	दी महा लक्ष्मी मिल्स क०, ब्यावर द्वारा सहायता आयुक्त, जयपुर।	रजाइयों का अन्तिम भुगतान	22,752) 75 रु०
34	4-8-69	जिलाधीश, जयपुर जिला जयपुर।	ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में अति वर्षा के कारण प्रभावित लोगों की सहायतार्थ।	1,000) रु०
				31,42,539)35

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 454 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र संख्या प० 3(7) सा० प्र० (क) 69 जयपुर, दिनांक 2 अगस्त, 1969 प्रेषक सोहनलाल दवेरा, अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (क) विभाग सचिवालय, जयपुर, प्रेषिती मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पंथ), राजस्थान, जयपुर तथा प्रतिलिपि समस्त संबंधित विभाग।

विषयः– मांडलगढ़ (जिला भीलवाड़ा) की तहसील व कोर्ट बिल्डिग का निर्माण।

सन्दर्भः– पत्र संख्या डी 1963(एस०) अनु-2(एफ)/3-462/26/69-70, दिनांक 14-4-69।

निर्देशानुसार राज्यपाल की प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ट में निर्दिष्ट कार्यों के निमित्त रु० 1,00,000) (अंके एक लाख रुपया) सिर्फ तक व्यय करने के लिए एतद्द्वारा दी जाती है।

यह खर्चा चालू वर्ष के बजट हैड 103 केपिटल आउटले-सार्वजनिक निर्माण मूल निर्माण कार्य भवन में प्रावेहित 1,00,000) रु० की राशि में से होगा।

इस स्वीकृति के लिये वित्त विभाग की सहमति उनके क्रम संख्या 22022/वित्त व्यय-2/68, दिनांक 18-7-69 के अन्तर्गत प्राप्त करली गई है।

परिशिष्ट

क्रम संख्या	निर्दिष्ट कार्यों का विवरण	व्यय रुपये
1	मांडलगढ़ (जिला भीलवाड़ा) स्थित तहसील व कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण।	1,00,000)

ह० सोहनलाल दवेरा,
1-8-69
अनुभागाधिकारी।

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 468 की सूची)

सूची

तहसील खानपुर में सन् 62 से 68 तक के अतिक्रमण का विवरण इस प्रकार है:—

सन्	तादाद व्यक्ति	भूमि का अनुमानित क्षेत्र
62	1002	2700
63	1732	5700
64	4826	12065
65	3738	9445
66	6535	16837
67	5962	14905
68	9785	19567

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 472 की सूची)

प्रतिलिपि दोषारोपण-पत्र विरुद्ध श्री मन्नालाल, नाजिर, तहसील अलीगढ़

आरोप संख्या 1

यह है कि आप श्री मन्नालाल ने (नाजिर), वरिष्ठ लेखक, तहसील अलीगढ़ के पद पर वर्ष 1966 में कार्य करते हुये दिनांक 2-8-66 को दो लेख्य (दस्तावेज) प्रथम श्रीमती चान्द बाई के नाम की एवं द्वितीय श्री मदनलाल के नाम की, के पंजीयन शुल्क के क्रमशः 18.00 एवं 18.50 पैसे कुल 36.50 पैसे श्री मदनकुमार वैद्य से जो उक्त दस्तावेज के पंजीयन हेतु श्री मदनलाल के समक्ष आये थे, से प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त आप श्री मन्नालाल ने 40.00 प्रति दस्तावेजात के हिसाब से कुल 80.00 रुपये के पेटे 62.00 अंके बासठ रुपये श्री मदन कुमार के पास उस समय केवल 62) रुपये ही उपलब्ध होने के कारण राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदने हेतु भी श्री मदन कुमार वैद्य से प्राप्त किये। किन्तु आपके उक्त 62.00 रुपये की कोई कच्ची अथवा पक्की रसीद श्री मदन कुमार वैद्य को नहीं देकर महान अनियमिततायें की हैं, एवं इससे आपका Mala fide intention साफ जाहिर होता है।

आरोप संख्या 2

यह कि आप श्री मन्नालाल, वरिष्ठ तहसीलदार, अलीगढ़ से जब श्री मदनलाल एवं मदन कुमार वैद्य द्वारा बकाया 18) रुपये देकर 80) रुपये के राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु कहा तो आपके 62.00 रुपये जो श्री मदन कुमार वैद्य द्वारा पंजीयन शुल्क 36.50 पैसे के साथ राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदने हेतु दिनांक 2-8-66 को दिये गये थे के प्राप्त करने से मना कर दिया, जबकि उक्त धनराशि आपको श्री मदन कुमार वैद्य द्वारा श्री मदन लाल दर्जी, उनियारा, श्री बिरदी चन्द, सरपंच, सूंथड़ा की उपस्थिति में दिये गये थे। इस प्रकार आपने 62) रुपये की धनराशि जो राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदने हेतु दिये गये थे को खुर्द बुर्द कर आपने अमानत में खयानत की है।

परिशिष्ट 11

(प्र० प्र० सं० 477 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 646 अ० त०

स्टेटमेन्ट

नाम तहसील	सन्	अलॉटमेन्ट योग्य रकबा एकड़ों मे	अलॉटशुदा रकबा	आवंटन से शेष रकबा (एकड़ों में)
1. केकड़ी	1960	39121	5833	33288
	1961	33288	5527	27761
	1962	27761	1973	25788
	1963	25788	2516	23272
	1964	23272	2016	21256
	1965	21256	10693	10563
	1966	10563	1163	9400
	1967	9400	765	8635
2. सरवाड़	1960	15603	673	14630
	1961	14630	1261	13369
	1962	13369	1618	11751
	1963	11751	958	10793
	1964	10793	628	10165
	1965	10165	5762	4403
	1966	4403	1370	3033
	1967	3033	511	2522

परिशिष्ट 12

(प्र० प्र० सं० 480 की सूची)

List of Tehsil Headquarters unelectrified in Rajasthan up to July, 1969

S.No.	Name of Tehsil	Name of Tehsil Head Quarter	District	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Lachhmangarh	Lachhamangarh	Alwar	
2.	Thanagazi	Thanagazi	—do—	
3.	Kishangarh	Kishangarh	—do—	
4.	Pachpadra	Pachpadra	Barmer	
5.	Chohtan	Chohtan	—do—	
6.	Shiv	Shiv	—do—	
7.	Rupbas	Rupbas	Bharatpur	
8.	Aspur	Aspur	Dungarpur	
9.	Anopgarh	Anopgarh	Sriganganagar	
10.	Sikrai	Sikrai	Jaipur	
11.	Phagi	Phagi	—do—	
12.	Dudu	Mauzamabad	Jaipur	Included
13.	Shergarh	Shergarh	Jodhpur	in RE
14.	Osian	Osian	—do—	1968-69.
15.	Kishanganj	Kishanganj	Kota	
16.	Shahbad	Shahbad	—do—	
17.	Digod	Digod	—do—	
18.	Ladpura	Ladpura	—do—	
19.	Pipalda	Pipalda	—do—	
20.	Degana	Degana	Nagaur	
21.	Merta	Merta	—do—	
22.	Jayal	Jayal	—do—	
23.	Desuri	Desuri	Pali	
24.	Kharchi	Kharchi	—do—	
25.	Nadoti	Nadoti	Sawaimadhopur	
26.	Sapotra	Sapotra	—do—	
27.	Khandar	Khandar	—do—	
28.	Abu Road	Abu Road	Sirohi	
29.	Kotra	Kotra	Udaipur	
30.	Phalasia	Jhadel	—do—	
31.	Kumbalgarh	Kumbalgarh	—do—	
32.	Gogunda	Gogunda	—do—	
33.	Lesadia	Dhuraibad	—do—	
34.	Sarda	Sarda	—do—	
35.	Kherwada	Kherwada	—do—	
36.	Lunkaransar	Lunkaransar	Bikaner	

परिशिष्ट 13

(अ० प्र० सं० 501 की सूची)

IMMEDIATE

New Delhi,
May 4, 1968.

The Station Superintendent,
Western Railway,
JAIPUR.

Sir,

Shri M. S. Gurupadasway, Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, C. D. and Co-operation, will be visiting Jaipur on the 11th and 12th May. He proposes to return to Delhi from Jaipur by Delhi Mail leaving Jaipur at 0.48 A. M. on Monday, the 13th May (early hours of Monday). He will be accompanied by his P. A. Kindly reserve one ACC coupe for Minister and one 1st Class berth for his P. A. in the through coach to be attached at Jaipur to the above train. Kindly accord necessary priority. Kindly confirm bookings. Minister will travel on HOR and the P. A. will purchase the ticket.

Yours faithfully,
(H. Rajagopalan),
Asstt. PS to Minister of
State C.D. and Co-operation.

परिशिष्ट "ब"

Private Secretary to Minister for Co-operation, Government of India talked to me on telephone. Mentioning that the State Minister for Agriculture & Co-operation, Govt. of India will be arriving at Jaipur on 11-5-68 at 5-19 A. M. by Delhi Mail, alongwith his wife and P. A. Dy. Secretary, G. A. D. has made necessary arrangements for a car and stay in Khasa Kothi. The Minister would like to meet the Development Commissioner. Director Agriculture R. C. 2 and other officers concerned at Khasa Kothi on 11-5-68 at 11 A.M. In the evening he will pay a visit to Sahkari Bazar, Jaipur. On 12th at 9 a. m. he will have a press conference in the office of the Director, Public Relations for which the Private Secretary has made arrangements with the Director, Public Relation. Meet. this may checked up with him. The Minister would like to see a few places of interest to Jaipur during his stay. For this a programme may be chalked out and put up that I may get the same approved. Please also checked up for the Station Master about the arrangements required to made for ACC coupe as mentioned in the letter.

Sd/- Niranjan Singh.
9-5-68.

परिशिष्ट 14

(अ० प्र० सं० 507 की सूची)

वर्ष 67-68 में खुलने वाले औषधालयों की सूची

परिशिष्ट (क)

क्रम सं०	नाम जिला	ग्राम औषधालय
1	गंगानगर	1-मलसीसर
		2-मीजवाली
2	सवाई माधोपुर	1-गंगापुर सिटी
3	बांसवाड़ा	1-लसोड़ा
4	भीलवाड़ा	1-बरसानी
		2-छोटी बिजोलिया
		3-घड़ोदा
		4-तिलसवा
		5-जालेन्द्री
		6-कोदूकोटा
		7-बैनाली
5	चित्तौड़गढ़	1-घोला पानी
		2-जालोदिया
		3-डिडोली
		4-भीमगढ़
6	अलवर	1-माचड़ी
		2-करणी कोट
		3-किलपुर खेड़ा
		4-दांतिया
		5-डुहार चौगान
		6-सकट
7	भरतपुर	1-समरथपुरा
		2-जौतरो हेला
		3-सकवाड़ा
		4-मांगरोल
		5-बरखेड़ा
8	उदयपुर	1-लक्कड़वास
		2-सेमड़
		3-कासीवाड़ा
		4-सुन्दरवास
		5-टुकड़ा कलां
9	नागौर	1-नागौर (ग्रा)
10	पाली	1-भावरी
11	जोधपुर	1-किदवईरोड (मसूरिया)
12	झालावाड़	1-घाटोली
		2-मथानीया
		3-घरोनिया
		4-उन्हेल
		5-दुबलिया
13	बूंदी	1-गरडवा
14	टोंक	1-कडीला
15	सीकर	1-सांवलोदा पुरोहित
		2-दीनारपुर
		3-रायपुर
		4-बठोठ
		5-दूदवा
16	झुंझुनू	1-भोजासर
		2-बुडानिया
17	जयपुर	1-राजभवन
		2-मिलकपुर
		3-सचिवालय जयपुर
		4-दातली
18	अजमेर	1-शिखरानी
		2-किशनगढ़ (शहर)

परिशिष्ट (ख)

क्रम सं०	वर्ष	स्थान	नाम जिला परिषद	पंचायत समिति प्रस्तावक
1	1966-67	रायथल	जिला परिषद, कोटा	
2	"	बलैडी	"	
3	"	खेड़ा रसूलपुर	"	
4	"	राजपुर	"	
5	67-68	खेड़ा रसूलपुर	"	
6	"	रायथल	"	
7	"	चिलेन्डी	"	
8	"	कुराड	"	एव जिला आयुर्वेदाधिकारी, पंचायत समिति, सांगोद
9	68-69	महाराणा कलां	"	
10	"	सामोद	"	
11	66-67	बोहड	"	विकासाधिकारी, पंचायत समिति, अन्ता
12	"	फतहपुर	"	
13	67-68	बोहत	"	

Page No 187

परिशिष्ट 15

(अ० प्र० सं० 509 की सूची)

आय की सूची मेला गोगामेड़ी

पशु मेला गोगामेडी से सरकार को वर्ष 1959 से 1967-68 तक निम्नांकित आय हुई है:—

क्रम संख्या	वर्ष	आय (रुपयों में)
1	1959	64917.65
2	1960	57263.74
3	1961-62	66031.83
4	1962-63	51721.84
5	1963-64	72119.50
6	1964-65	73663.75
7	1965-66	105694.00
8	1966-67	94463.14
9	1967-68	937482.25

———

व्यय के आंकड़े पशु मेला, गोगामेड़ी

(यात्रियों की सुविधार्थ)

पशु मेला, गोगामेड़ी में यात्रियों की सुविधार्थ निम्न प्रकार से वर्ष 1959 से 1967-68 तक निम्न व्यय किया गया :-

क्र०सं०	मद	1959	1960	61—62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68
1.	जल व्यवस्था	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500
2.	रोशनी व्यवस्था	1500	1500	1500	3500	1500	1500	1500	2500	500
3.	सफाई व्यवस्था	500	800	500	500	500	500	600	400	400
4.	प्रचार	500	600	500	1000	500	500	700	400	400
5.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	—	—	—	500	500	500	500	400
6.	बैंक व्यवस्था	—	—	—	—	—	—	1200	—	—
7.	पारितोषिक	2000	2000	—	—	—	—	—	—	—

व्यय की सूची पशु मेला, गोगामेड़ी

पशु मेला गोगामेड़ी में वर्ष 1959 से 1967-68 तक निम्न व्यय हुआ:—

क्रम सं०	वर्ष	व्यय (रुपयों में)
1	1959	15,000
2	1960	12,000
3	1961-62	12,000
4	1962-63	12,000
5	1963-64	12,000
6	1964-65	12,000
7	1965-66	14,000
8	1966-67	13,700
9	1967-68	12,000

परिशिष्ट 16

(अ० प्र० सं० 135 की सूची)

क

राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल व बाढ़ सहायता कोष में मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप-मंत्रियों से मुख्य मंत्री कार्यालय में सीधे प्राप्त हुई धनराशि की सूची

	नाम		रकम
1	श्री शिवचरण माथुर, मंत्री		300.00
2	श्री अमीनुद्दीन अहमद	,,	1,000.00
3	श्री मनफूलसिंह चौधरी, राज्य मंत्री		5,360.00
4	श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा, उप-मंत्री		501.00
5	श्री बृज प्रकाश गोयल,	,,	400.00
6	श्री समर्थलाल	,,	350.00
7	श्री रामचन्द्र	,,	250.00
8	श्री भीमसेन	,,	200.00
9	श्री जसराज	,,	50.00
		योग रुपया ...	8411.00

ख

राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में आई० ए० एस० एवं आर० ए० एस० अधिकारियों से प्राप्त धनराशि की सूची

	नाम		रकम
1	श्री एम० मुकर्जी	I.A.S.	87.50
2	श्री जतेन्द्रसिंह	,,	51.00
3	श्री एस० एस० रावत	,,	51.00
4	श्री अरुण कुमार	,,	100.00
5	श्री आर० डी० माथुर	,,	100.00
6	श्री तेज नारायण काक	,,	101.00
7	श्री रणधीरसिंह	,,	100.00
8	श्री के० पी० शंकरन	,,	50.00
9	श्री सी० एस० गुप्ता	,,	90.00
10	श्री इन्द्रजीत कुमार	,,	25.00
11	श्री एस० एन० गुप्ता	,,	48.00
12	श्री एम० एस० सदाशिवन	,,	75.00
13	श्री अरुन कुमार	,,	40.00

Page No 191

1		2
14 श्री ए० पी० मोगम	I.A.S.	51.00
15 श्री एस० एल० जोशी	,,	35.00
16 श्री डी० के० व्यास	,,	60.00
17 श्री पी० के० वी० कुरूप	,,	50.00
18 श्री एच० नैयर	,,	20.00
19 श्री बी० हूजा	,,	57.66
20 श्री के० एल० बसा	,,	60.00
21 श्री जी० बी० के० हूजा	,,	92.00
22 श्री आर० एल० मिश्रा	,,	44.00
23 श्री बी० के० जुत्सी	,,	40.00
24 श्री जी० एल० मेहता	,,	101.00
25 श्री आर० सी० सूद	,,	70.00
26 श्री डी० के० सक्सेना	,,	54.00
27 श्री विष्णुदत्त शर्मा	,,	86.00
28 श्री गोरधनसिंह चौधरी	,,	100.00
29 श्री ए० एस० मेहता	,,	33.00
30 श्री विष्णुदत्त शर्मा	,,	85.00
31 श्री जगन्नाथसिंह मेहता	,,	70.00
32 श्री टी० वी० रमन	,,	50.00
33 श्री रामसिंह	,,	60.00
34 श्री पी० सी० गुप्ता	,,	40.00
35 श्री आई० के० सिंगल	,,	35.00
36 श्री पी० एल० भंडारी	,,	20.00
37 श्री एस० पी० सिंह	,,	88.00
38 श्री रामकुमार	,,	45.00
39 श्री ओमप्रकाश दवे	,,	18.00
40 श्री आनंदमोहनलाल	,,	60.00
41 श्री जसवंतसिंह	,,	70.00
42 श्री एम० एम० केवली	,,	58.00
43 श्री एम० एस० पंचोली	,,	65.00
44 श्री पी० राम	,,	50.00
45 श्री जे० के० शर्मा	R. A. S.	11.00
		2697.16

परिशिष्ट 17

(अ० प्र० सं० 190 की सूची)

जिला गंगानगर में अवकाश प्राप्त सैनिकों की कृषि सहकारी समितियों की सूची

परिशिष्ट (क)

क्र० सं०	नाम सहकारी कृषि समिति	पंजीयन संख्या व दिनांक	सदस्य संख्या	चक नम्बर	भूमि आवंटित (बीघों में)
1.	वीर भारत आदर्श सैनिक सामु० कृषि सहकारी समिति	439/के 28-2-56	21	15,16एस० टी० जी०	525
2.	अवकाश प्राप्त सैनिक सामु० सहकारी कृषि समिति लि० 14एस० पी० एस०	457/के 29-6-56	33	14 एस० पी० एम०	825
3.	ुर्गा सैनिक ,, ,,	460/के 13-7-56	12	14,16,17एस० टी० जी०	300
4.	जवाहर सैनिक ,, ,,	539/के 3-5-57	12	22एल० जी० डब्ल्यू०नं० सूरतगढ़	300
5.	गुरु नानक भूतपूर्व सैनिक सामु० सहकारी कृषि समिति लि०	537/के 29-4-57	13	17 एल० एस० ,,	3-34बीघा 5 बिस्वा
6.	प्रताप सैनिक सामू० सहकारी कृषि समिति लि०, हनुमानगढ़	540/के 5-3-57	11	भूमि आवंटन नहीं हुई है।	..
7.	जय भारत सैनिक सामु० सहकारी कृषि समिति लि०, हनुमानगढ़	557/के 9-9-57	12	,, ,, ,,	..
8.	बजरंग सैनिक सा० सहकारी कृषि समिति लि०, हनुमानगढ़	578/के 31-10-59	15	,, ,, ,,	..
9.	भूतपूर्व सैनिक 12पी० एस० सहकारी कृषि समिति लि०, रायसिंह नगर।	466/के 10-9-56	12	12पी० एस० रिकार्ड उपलब्ध नहीं।	..

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION, JAIPUR

Statement showing financial assistance given to Hotels in Jaipur City

S. No.	Name of Hotel	Amount sanctioned Date	Amount sanctioned Amount	Period of loans in (years)	Rate of interest	Amount disbursed	Amount outstanding as on 14-8-69	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hind Hotel, Jaipur.	(1) 31-1-63 (2) 24-3-65	5,00,000 5,00,000 10,00,000	(1) 12	7½% p. a, with a rebate of 5% for timely repayments.	40,00,000	3,73,629 5,21,677 8,95,306	The purpose for which the loan was sanctioned has been fulfilled. The concern has failed to pay the instalment of principal and interest and legal action has been taken against it and the assests have been attached by the Court. Adequate security of assets is available.
				(2) 12	8½% p. a. with a rebate of ½% for timely repayments.			
2.	L. M. B. Hotel, Jaipur.	16-4-64	3,63,000	11	8% p. a. with a rebate of for timely repayments.	3,63,000	2,17,800	Repayments are regular

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ksheer Sagar, Jaipur.	21-4-65	1,67,000	12	3% above the Bank rate with a rebate of $\frac{1}{2}$% for timely payments subject to a minimum of $8\frac{1}{2}$% p. a.	1,65,000	1,33,900	Buildings have been completed and the purpose has been fulfilled. Repayments are regular.
4.	New Laxmi Hotel, Jaipur.	7-8-65	1,95,000	12	4% —do—	1,57,300	1,38,816	The Hotel is still under construction. Instalment due on 2-5-69-received partly on 2-5-69 partly on 19-7-69.
5.	Primavira Hotel, Jaipur.	18-10-65	50,000	7	3% above the Bank rate prevailing from time to time with a rebate of $\frac{1}{2}$% for timely payment subject to a minimum of $8\frac{1}{2}$% p. a.	48,000		The building was completed subsequently it was sold out and the loan has been completely paid back.
6.	Hotel Imperial, Jaipur,	19-2-66	1,97,000	12	$8\frac{1}{2}$ % p. a. with no rebate.	1,17,000	1,10,993·80	Instalment due on 26-12-69-received on 15-5-69.
7.	Rajasthan State Hotels Corporation, Jaipur.	10-7-67	4,50,000	..	..	..	..	The loan has not yet been availed of.

8. Ashoka Hotel & Restaurant, Jaipur.	20-1-68	3,00,000	10	4% above the Bank rate with a rebate of ½ % for timely payment subject to a minimum of 8% p. a.	1,20,000	1,20,900	The improvements in the Hotel are going on.
9. Jaipur Emerald Hotel, Jaipur.	11-2-69	2,50,000	..	..	..	..	The loan has not yet been availed of.
10. Rambag Palace, Jaipur.	15-7-69	4,07,000	10	4% above the Bank rate with a rebate of ½% for timely payment subject to a minimum of 8½ % p. a.	..	..	—do—
11. Rajasthan Hotel, Jaipur.	22-7-69	3,00,000	10	—do—	..	..	—do—